[ 2020 ] 12 एस. सी. आर 583

टोफान सिंह

वी.

तमिलनाडु राज्य

( 2013 का आपराधिक अपील सं. 152 आदि)

29 अक्टूबर, 2020

[ आर. एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985:

एसएस। 42 , 53 और 67-एस के तहत शक्ति। 67 - विस्तार, प्रकृति, उद्देश्य और दायरा-अधिकारियों के समक्ष किए गए इकबालिया बयान नामित यू/एस. एस. 42 या 53-क्या एक ठोस साक्षय के रूप में स्वीकार्य है-आयोजित: एस के अंतर्गत अभिलिखित कथन। 67 इसे एक ठोस साक्षय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है-यह मानना कि इस तरह का बयान अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का आधार हो सकता है, कला में निहित संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन होगा। 14 , 20 ( 3 ) और संविधान के 21.

साक्षय अधिनियम, 1872:

एस. 25 – अधिकारियों ने यू/एस शक्तियों के साथ निवेश किया। 53 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के एस. के अर्थ में पुलिस अधिकारी हैं। 25 – इसलिए, ऐसे अधिकारियों को दिए गए किसी भी इकबालिया बयान को प्रतिबंधित किया जाएगा।

एस. 25 पुलिस अधिकारी। 25 - आयोजित किया गया: एस में पुलिस अधिकारियों की अभिव्यक्ति। 25 इसका मतलब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं है जो राज्य पुलिस बल से संबंधित है, बल्कि इसमें ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जो अन्य राज्यों से संबंधित हो सकते हैं।विभाग जहां अपराध की रोकथाम और पता लगाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अधिकारियों को जांच की सीमित शक्तियां दी जाती हैं, ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी नहीं कहा जा सकता है-जहां एक व्यक्ति, न कि एक पुलिस अधिकारी को ठीक से बुलाया जाता है, अगर सभी के साथ निवेश किया जाता है। जाँच की शक्तियाँ, जो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में समाप्त होती हैं, ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी कहा जा सकता है।

विधियों की व्याख्या:

सीमांत नोट-एक क़ानून में एक खंड के अर्थ और उद्देश्य को इंगित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आंतरिक उपकरण है।

शब्द और वाक्यांश:

' पूछताछ '-का अर्थ

अभिव्यक्ति 'अभिरक्षा'-का अर्थ-अभिव्यक्ति 'गिरफ्तारी' से अंतर।

' पुलिस अधिकारी '-एस के संदर्भ में अर्थ। 25 सबूतों का एक्ट करें।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पेर आर. एफ. नरीमन, जे. (स्वयं और नाविन के लिए)सिन्हा, जे.)

पकड़ना: 1.1 . द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन. डी. पी. एस. अधिनियम) का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और अनुच्छेद 21 की पृष्ठभूमि में लगाया जाना है। अनुच्छेद 20 (3) और 21 में निहित मौलिक अधिकारों को संविधान में गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। 44 वें तकसंविधान में संशोधन, अब यह प्रावधान किया गया है कि आपातकाल में भी इन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है-अनुच्छेद 359 (1) देखें। एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसे कानून की व्याख्या व्यापक कानून की भावना के अनुरूप और अनुरूप होनी चाहिए। स्वयं को दोषी न ठहराने का मौलिक अधिकार और निजता का अधिकार। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले मौलिक अधिकारों के अध्याय के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखा जाता है। इस प्रकार एन. डी. पी. एस. अधिनियम में कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जो अत्यंत कठोर और कठोर प्रकृति का है। [ पैरा 27] [662-एफ-जी]

1.2 साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 25 में कहा गया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी के सामने की गई स्वीकारोक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ। पुलिस अधिकारी "है

साक्षय अधिनियम या किसी संज्ञेय आपराधिक क़ानून में परिभाषित नहीं है। भारत में यातना के उपयोग और तृतीय श्रेणी के उपायों की स्थिति को देखते हुए धारा 25 को धारा 24 के विपरीत देखा जाना चाहिए। धारा 24 के विपरीत, एक पुलिस अधिकारी के सामने की गई किसी भी स्वीकारोक्ति का उपयोग किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साक्षय के रूप में नहीं किया जा सकता है, स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता या अन्यथा अप्रासंगिक होने के कारण-विधायिका द्वारा यह निर्णायक रूप से माना जाता है कि ऐसे सभी

पुलिस अधिकारियों के सामने किए गए इकबालिया बयानों को जबरदस्ती से दूषित किया जाता है। [ पैरा 29] [664-बी-डी] टफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य

महामहिम के आयुक्तों की पहली रिपोर्ट

न्यायिक सुधार पर विचार करने के लिए नियुक्त

& सी. '(1856)-संदर्भित।

1.3 साक्षय अधिनियम की धारा 25 में "अभियुक्त" शब्द की व्याख्या में निहित शब्द से भौतिक रूप से अलग है।

संविधान का अनुच्छेद 20 (3)। खंड का दायरा समय द्वारा सीमित नहीं है-यह मायने नहीं रखता है कि व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं था।

उस समय अभियुक्त जब इकबालिया बयान दिया गया था। इस प्रकार, जबकि एक औपचारिक आरोप का आह्वान करने के लिए आवश्यक हैअनुच्छेद 20 (3) के तहत संरक्षण, साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत संरक्षण का आह्वान करने के लिए अप्रासंगिक होगा।

[ अनुच्छेद 31 और 33] [665-बी-सी; 666-डी]

1.4 साक्षय अधिनियम की धारा 26 संरक्षण का विस्तार करती है

एक पुलिस अधिकारी की "अभिरक्षा में" रहते हुए व्यक्तियों द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों के लिए, जब तक कि यह एक मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं किया जाता है। " अभिरक्षा गिरफ्तारी का पर्याय नहीं है-अभिरक्षा गिरफ्तारी से पहले की स्थिति को संदर्भित कर सकती है। वास्तव में, सी. आर. पी. सी. की धारा 46 "शब्द या कार्रवाई द्वारा हिरासत में प्रस्तुत करने" की बात करती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी के एक पुलिस अधिकारी के सामने स्वैच्छिक उपस्थिति को संदर्भित करती है। [ पैरा 34] [666-डी-एफ]

बॉम्बे राज्य बनाम। काठी कालू ओघड़ और ओआरएस। [ 1963 ] 2 एससीआर 10; यू. पी. राज्य बनाम देवमन उपाध्याय (1961)

1 एससीआर 14; के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र। वी. भारत संघ और ओआरएस। ( 2017 ) 10 एससीसी 1: [ 2017 ] 10 एस. सी. आर. 569-अनुसरण किया गया।

नंदिनी सत्पथी बनाम। पी. एल. दानी (1978) 2 एस. सी. सी 424: [ 1978 ] 3 एस. सी. आर. 608; सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 7 एससीसी 263; यू. पी. राज्य बनाम देवमन उपाध्याय [1961] 1 एस. सी. आर. 14; अग्नू नागेसिया बनाम। बिहार राज्य [1966] 1 एस. सी. आर. 134; हरियाणा राज्य और अन्य। वी. दिनेश कुमार (2008) 3

एससीसी 222: [ 2008 ] 1 एस. सी. आर. 281-निर्भर।

एम. पी. शर्मा और अन्य। वी. सतीश चंद्र [1954] एससीआर

1077 - निरस्त कर दिया गया।

[ 2020 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.1 सी. आर. पी. सी. और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया कई प्रावधानों में निहित है। जब एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दी गई किसी भी सजा में निलंबन, छूट या परिवर्तन की बात आती है तो सी. आर. पी. सी. को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है-धारा 32 ए देखें। समान रूप से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में निहित कुछ भी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, बशर्ते कि - अपवाद यह है कि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है और वह अपराध केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 26 या 27 के तहत दंडनीय है-धारा 33 देखें। दूसरी ओर, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 34 (2), 36 बी, 50 (5) और 51 द्वारा सी. आर. पी. सी. को स्पष्ट रूप से लागू किया गया है। समान रूप से, सीआरपीसी को आवश्यक रूप से लागू किया गया है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 ए (1) (बी), 37 (1) (बी) और 53 ए के तहत संशोधन। सी. आर. पी. सी. की धारा 4 (2) और 5 के साथ पढ़ेंएन. डी. पी. एस. अधिनियम ऐसा प्रतीत होता है कि सी. आर. पी. सी. का आम तौर पर पालन किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, या संशोधनों के साथ लागू किया गया है। [ पारस 37 और 38] [668-ए-सी; डी-एफ]

2.2 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की कठोर प्रकृति को देखते हुए, कई धाराएं सुरक्षा प्रदान करती हैं ताकि दोनों के बीच संतुलन प्रदान किया जा सके।

सत्तर-दो घंटे के भीतर तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ। यहाँ "विश्वास करने के कारण" की तुलना करना महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति "संदेह का कारण", जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 49 में निहित है। [ पैरा 45 और 46] [674-बी; 675-ई-एच]

ए. एस. कृष्णन बनाम केरल राज्य (2004) 11 एस. सी. सी. 576:

[ 2004 ] 3 एस. सी. आर. 44-निर्भर।

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य

2.3 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 में अत्यधिक प्रावधान हैं -

महत्वपूर्ण परिस्थितियां जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी। धारा 52 (1)-(3) में तीन अलग-अलग सुरक्षा उपाय हैं,जहाँ तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और जब्त की गई वस्तुओं के निपटारे का संबंध है। धारा 57 तब गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की बात करती है।

या जब्ती को इस तरह की गिरफ्तारी या जब्ती के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट चालीस-आठ घंटे के भीतर अपने तत्काल अधिकारी वरिष्ठ को देनी होती है। समान रूप से, धारा 57 ए के तहत, जब भी धारा 53 के तहत अधिसूचित कोई अधिकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी या जब्ती करता है, तो अधिकारी गिरफ्तारी या जब्ती के नब्बे दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की रिपोर्ट अधिकार क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को देगा। धारा 58 किसी भी अन्य प्रावधान से अधिक, यह स्पष्ट करती है कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा है, तो जो अधिकारी इसके साथ छेड़छाड़ करता है, वह स्वयं प्रावधान के तहत दंडनीय है। धारा 63 के तहत, जिसमें ज़ब्ती करने की प्रक्रिया शामिल है, उप-धारा (2) के पहले परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी वस्तु या वस्तु को ज़ब्त करने का कोई आदेश ज़ब्ती की तारीख से एक महीने की समाप्ति तक या किसी ऐसे व्यक्ति की सुनवाई किए बिना नहीं किया जाएगा जो

उसके किसी भी अधिकार और उस साक्षय का दावा करें जो वह अपने दावे के संबंध में प्रस्तुत करता है। [ पारस 47,52,53 और 54] [676-डी-ई; 685-जीएच; 686-ए-बी, एफ-जी]

पंजाब राज्य बनाम। बलदेव सिंह (1999) 6 एससीसी 172:

[ 1999 ] 3 पूरक। एस. सी. आर. 174-अनुसरण किया गया।

विजयसिंह चंदुभा जडेजा बनाम। गुजरात राज्य (2011)

1 एससीसी 609: [ 2010 ] 13 एस. सी. आर. 255-संदर्भित।

2.4 एन. डी. पी. एस. अधिनियम मुख्य रूप से एक दंडात्मक कानून है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के कठोर प्रावधानों को देखते हुए,

प्रावधानों में उल्लिखित सुरक्षा उपायों, एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसे कानूनों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए कि सजा जितनी गंभीर होगी, यह देखने के लिए उतना ही अधिक ध्यान रखा जाएगा कि कानून में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाए। [ पैरा 55] [686-एच; 687-ए]

पंजाब राज्य बनाम। बलदेव सिंह (1999) 6 एससीसी 172:

[ 1999 ] 3 पूरक। एस. सी. आर. 174-अनुसरण किया गया।

राजस्व निदेशालय और ए. एन. आर. वी. मोहम्मद निसार होलिया (2008) 2 एस. सी. सी. 370; भारत संघ बनाम बाल मुकुंद (2009) 12 एससीसी 161: [ 2009 ] 5 एस. सी. आर. 205 पर भरोसा किया।

3.1 धारा 67 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के सीमांत नोट से संकेत मिलता है कि यह केवल "सूचना आदि के लिए कॉल करने" की शक्ति को संदर्भित करता है। एक सीमांत नोट इंगित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आंतरिक उपकरण है

कानून में किसी धारा का अर्थ और उद्देश्य, क्योंकि यह प्रावधान के "बहाव" को इंगित करता है। [ पैरा 59]] 689-एफ]

के. पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और अन्र। ( 1981 ) 4 एससीसी 173: [ 1982 ] 1 एससीआर 629-निर्भर

पर।

3.2 यह केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकारी है जो धारा 67 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग कर सकता है।इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में "जांच" करना। "जांच" शब्द का उपयोग धारा 67 में इसे "जांच" से अलग करने के लिए किया गया है जैसा कि धारा 53 ए में उपयोग किया गया है, जो अपराधों की जांच के दौरान होता है। अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाएं,

विशेष रूप से धारा 42 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों की बात करें।

धारा 67 के साथ पढ़ें। यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम का एक महत्वपूर्ण कार्यकारी अध्ययन है, जो यह स्पष्ट करता है कि धारा 67 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग एन. डी. पी. एस. अधिनियम के संयोजन में किया जाना है।

धारा 42 (1) में वर्णित शक्तियाँ। [ पैरा 60] [690-बी-डी]

देशबंधु गुप्ता एंड कंपनी बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज

एसोसिएशन। लिमिटेड (1979) 4 एससीसी 565: [ 1979 ] 3 एससीआर 373 -

संदर्भित किया गया।

3.3 धारा 42 में निर्दिष्ट अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई हैं -

सुरक्षा उपायों के साथ बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी। पहला बचाव यह है कि ऐसे अधिकारी के पास "विश्वास करने का कारण" होना चाहिए, जो केवल "संदेह करने के कारण" से अलग है। यही कारण है कि ऐसे अधिकारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में जांच करनी चाहिए, अन्यथा, ऐसी जांच के बिना भी, अपराध करने का केवल संदेह ही पर्याप्त होगा। इस जाँच में उसे उपखंड टोफान सिंह v के तहत "जानकारी" के लिए कॉल करना पड़ता है।

तमिलनाडु राज्य

( क) कौन सी "जानकारी" किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है और ली जा सकती है।लिखित रूप में, जैसा कि धारा 42 (1) में दिया गया है। इसके अलावा, दी गई जानकारी स्वयं को "संतुष्ट" करने के उद्देश्य से होनी चाहिए कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो धारा 42 में "विश्वास करने का कारण" अभिव्यक्ति पर वापस जाता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 67 में "जांच" "जांच" के समान है, जिसका उल्लेख धारा 53 में किया गया है। [ पैरा 61] [691-सी-एफ]

3.4 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (XXIX) के आधार पर,

परिभाषा यू/एस। 2 ( ज) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 में "अन्वेषण" अभिव्यक्ति के उपयोग पर लागू होता है। यह एक समावेशी है

परिभाषा, जिसके द्वारा, "साक्षय" एक पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा एकत्र किया जाता है। धारा 42 अधिकारी द्वारा की जाने वाली "जांच" इसलिए की जाती है ताकि ऐसा अधिकारी खुद को संतुष्ट करने के लिए "जानकारी" एकत्र कर सके कि "विश्वास करने का कारण" है कि पहली जगह में एक अपराध किया गया है। यह

धारा 52 (3) से और भी स्पष्ट हो जाता है, जिसके तहत धारा 41 से 44 के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और जब्त की गई वस्तु को बिना किसी अनावश्यक देरी के या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाएगा, जिसे तब उसे दिए गए मामले की "जांच" करने के लिए आगे बढ़ना होगा, या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को, जो तब कौन सा अधिकारी होगा।

" यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई अपराध है, मामले की जांच करता है।

अधिनियम के तहत किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 67 "जाँच" के पूर्ववर्ती चरण में है, जो धारा 42 के तहत संबंधित अधिकारी के पास उस ओर से की गई जाँच में एकत्र की गई जानकारी पर "विश्वास करने का कारण" होने के बाद होता है कि एक अपराध किया गया है। [ पारस 63 और 64] [692-सी-जी]

3.5 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 (सी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति की "जांच" है और मामले की परिस्थितियाँ। ऐसे व्यक्ति की "परीक्षा" है

पुनः केवल जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से ताकि स्वयं को संतुष्ट किया जा सके कि "विश्वास करने का कारण" है कि कोई अपराध किया गया है। इसे, कल्पना के किसी भी विस्तार से, सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत एक "कथन" के बराबर नहीं माना जा सकता है। [ पैरा 65] [692-जीएच] [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साहू वी. उत्तर प्रदेश राज्य [1965] 3 एस. सी. आर. 86-आयोजित नहीं

लागू होता है।

3.6 स्वीकारोक्ति यू/एस की बराबरी करना। 67 कथन यू/एस के रूप में। 161 क्र. पी. सी. लेखों में निहित मौलिक अधिकारों के सामने उड़ता है

20 ( 3 ) और 21, साथ ही एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना, सुरक्षा उपायों के साथ। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पुलिस अधिकारी, जिसे उचित रूप से बुलाया जाता है, धारा 67 के तहत सूचना आदि के लिए कॉल करने के लिए अधिकृत हो सकता है, क्योंकि वह धारा 42 (1) में निर्दिष्ट एक अधिकारी है। फिर भी, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अपराध की "जांच" करते हुए।

धारा 67 के तहत सूचना आदि के संग्रह के बाद, वही पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 160-164 द्वारा उसमें उल्लिखित सभी सुरक्षा उपायों के साथ बाध्य होगा-सबसे पहले, कि जांच किया गया व्यक्ति सही मायने में सभी का जवाब देने के लिए बाध्य होगा।

ऐसे मामले से संबंधित प्रश्न, उन प्रश्नों के अलावा जो उसे दोषी ठहराते हैं; दूसरा, पुलिस अधिकारी को इस बयान को लिखित रूप में कम करना है और एक अलग बनाए रखना है और इस बयान का सही रिकॉर्ड; तीसरा, दिए गए बयान को इसकी वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से रिकॉर्ड किया जा सकता है; और चौथा, एक महिला द्वारा दिया गया बयान केवल एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी भी महिला अधिकारी को दिया जा सकता है। इन सभी सुरक्षा उपायों को पूरा करने के बाद भी, किसी भी जांच या मुकदमे में इस तरह के किसी भी बयान का उपयोग नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि

प्रतिपरीक्षा में ऐसे गवाह का खंडन करना। [ पैरा 66] [693 बी-ई]

तहसीलदार सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1959] पूरक (2) एस. सी. आर. 875 - पीछा किया।

3.7 यदि धारा 67 के तहत दिए गए इकबालिया बयान को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत माना जाता है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम, धारा 53 ए के तहत अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।

ओटियोस। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 और 53 ए को जब एक साथ पढ़ा जाएगा, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 53 ए की प्रकृति

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161,162 और 172 का अपवाद। यही कारण है कि धारा 53 (1), जब यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति के साथ कुछ अधिकारियों या अधिकारियों के वर्गों को निवेश करती है, तो सी. आर. पी. सी. के अध्याय XII को संदर्भित करती है, जिसमें धारा 161,162 और 172 एक हिस्सा हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 (1) के तहत, टोफान सिंह बनाम.

तमिलनाडु राज्य

जाँच के दौरान दिए गए बयानों पर उन्हें बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता नहीं है-धारा 53ए के तहत उन पर धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी के समक्ष व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दूसरा, यह केवल दो परिस्थितियों में है।

जिसने ऐसा बयान दिया है, उसकी गवाह के रूप में जांच की जाती है, और अदालत सोचती है कि न्याय के हित में इस तरह के बयान को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए और ऐसा करती है, फिर से, ऐसा बयान हो सकता हैप्रासंगिक हो जाते हैं। इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी यदि धारा 67 के तहत दिया गया एक इकबालिया बयान-इनमें से किसी भी बाधा से बंधा नहीं होना आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा। [ पैरा 72] [697-डी-एच; 698-ए-बी]

एच. एन. रिशबुद और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (1955)

1 एस. सी. आर. 1150-पर निर्भर।

मुकेश सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली की मादक पदार्थ शाखा) 2020

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 700-विशिष्ट।

मोहन लाल बनाम। पंजाब राज्य (2018) 17 एससीसी 627: [ 2018 ] 9 एस. सी. आर. 1006; राज्य बनाम. वी. जयपॉल (2004) 5 एससीसी 223 का उल्लेख किया गया है।

3.8 एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, जब वह किसी अपराध की जांच करता है, तो सूचना एकत्र करके शुरू करता है, जिसके दौरान वह अपराध से संबंधित साक्षय एकत्र कर सकता है।

अपराध करना, जिसमें जाँच के दौरान वस्तुओं की तलाशी और जब्ती शामिल होगी, मुकदमे में पेश किया जाएगा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना के तहत, यह संभव है कि वही अधिकारी जो धारा 42 के तहत अधिकृत है, धारा 53 के तहत भी अधिकृत हो। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना एस. ओ. 822 (ई) और एस. ओ. 823 (ई) दिनांक 14.11.1985 से संकेत मिलता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, [2020] 12 एस. सी. आर. विभागों में निरीक्षक के पद और उससे ऊपर के अधिकारी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्व खुफिया, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को धारा 42 और 53 दोनों के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था। इन अधिसूचनाओं को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा 30.10.2019 पर जारी अधिसूचना S. O. 3901 (E) और S. O. 3899 (E) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यहाँ तक कि 30.10.2019 की नई अधिसूचनाएँ भी इंगित करती हैं कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 और 53 के तहत शक्तियाँ हैं

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो में निरीक्षकों के पद और उससे ऊपर के अधिकारियों में और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो में कनिष्ठ खुफिया अधिकारी के पद और उससे ऊपर के पदों पर निवेश किया। [ पारस 78,80 और 81] [702-सी-ई, जी; 703-बी-सी; 704-सी]

मध्य प्रदेश राज्य बनाम। मुबारक अली [1959] पूरक। 2 एस. सी. आर. 201-निर्भर।

4.1 जहाँ जाँच की सीमित शक्तियाँ दी जाती हैं।

मुख्य रूप से या मुख्य रूप से अपराध की रोकथाम और पता लगाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, ऐसे व्यक्तियों को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारी नहीं कहा जा सकता है। एक "पुलिस अधिकारी" को एक ऐसे व्यक्ति के संकीर्ण अर्थ में एक पुलिस अधिकारी होने की आवश्यकता नहीं है जो एक पुलिस अधिकारी है।

एक पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ। जहाँ एक व्यक्ति जो ठीक से पुलिस अधिकारी नहीं है, उसे सभी शक्तियों के साथ निवेश किया जाता है

जाँच, जो एक पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने में समाप्त होती है, ऐसे अधिकारियों को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर पुलिस अधिकारी कहा जा सकता है, क्योंकि जब वे अपराध को रोकते हैं और अपराध का पता लगाते हैं, तो वे इकबालिया बयान देने की स्थिति में होते हैं, और इस प्रकार एक शॉर्टकट विधि के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

अनैच्छिक स्वीकारोक्ति निकालना। [ पैरा 126] [732-ई-एच]

4.2 जांच शक्तियों के बीच अंतर है

ऐसे अधिकारी जो मुख्य रूप से राजस्व या रेलवे उद्देश्यों के लिए कानूनों में नामित किए गए हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ जो हैं

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत नामितः पहला, वह धारा 53 एक क़ानून में स्थित है जिसमें इसके लिए प्रावधान हैं -

बहुत गंभीर प्रकृति के अपराधों की रोकथाम, पहचान और सजा। भले ही एन. डी. पी. एस. अधिनियम को एक कानून के रूप में माना जाए जो मादक पदार्थों को नियंत्रित और नियंत्रित करता है और टोफान सिंह v.

तमिलनाडु राज्य

उससे संबंधित अपराधों की सजा को ऐसे उद्देश्य का सहायक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी है।इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन। यह राजस्व कानूनों के विपरीत है जहां मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क की उचित प्राप्ति और माल की तस्करी की परिणामी सहायक जांच (जैसा कि भूमि सीमा शुल्क अधिनियम, 1924, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में है); उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रह (जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में है); या जैसा कि रेलवे संपत्ति में था।

( गैरकानूनी कब्जा अधिनियम), 1966, बेहतर संरक्षण और

अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच करें, और इसलिए, यह स्पष्ट है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अपराध से निपटने के दौरान, आरोप पत्र दायर करने की शक्ति सहित, सी. आर. पी. सी. के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निहित सभी जांच शक्तियां इन अधिकारियों में निहित हैं। यह उपरोक्त के तहत अधिकारियों में निहित सीमित शक्तियों से पूरी तरह से अलग है। सहायक उद्देश्यों के लिए राजस्व और रेलवे कानून, जो विचाराधीन कानूनों के प्रमुख उद्देश्य की सहायता में थे, नहीं

उन मामलों के विपरीत जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत उत्पन्न होते हैं। [ पैरा 132] [736-जी-एच; 737-ए-डी; एफ-जी] 4.3 जब धारा 53 और 53क को एक ऐसे कानून के संदर्भ में एक साथ देखा जाता है जो बहुत गंभीर प्रकृति के अपराधों की रोकथाम और पता लगाने से संबंधित है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन धाराओं का अर्थ उसी तरह से नहीं लगाया जा सकता है जैसे राजस्व कानूनों और रेलवे संरक्षण कानूनों में निहित धाराओं का अर्थ लगाया जाता है। [ पैरा 133] [737-एच; 738-ए] [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.4 यह स्पष्ट है कि धारा 53 के तहत नामित अधिकारी, जिसे एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश किया गया है, को उन विवरणों को बताते हुए एक पुलिस रिपोर्ट अग्रेषित करनी है जो हैं - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) में उल्लिखित है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36ए (1) में निहित विशेष प्रावधान के कारण, यह पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को नहीं, बल्कि केवल एक विशेष मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है।

धारा 36ए (1) (डी) के तहत न्यायालय। धारा 36ए (1) में निहित अबाधित खंड यह स्पष्ट करता है कि सीआरपीसी की धारा 2 (डी) में कुछ भी निहित होने के बावजूद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए की कवायद का पालन किया जाना है। यह स्पष्ट है कि धारा 36ए (1) (डी) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) और धारा 190 के साथ असंगत है और इसलिए, कोई भी शिकायत जो की जानी है, वह केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) के तहत एक विशेष अदालत में की जा सकती है, न कि धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता [पैरा 137] [741-बी-ई] के तहत एक मजिस्ट्रेट के लिए।

4.5 . यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 190 करोड़ के तहत प्रक्रिया। पी. सी. को केवल आंशिक रूप से बदल दिया गया है, पुलिस रिपोर्ट और

धारा 36क (1) (घ)। धारा 36ए (1) (डी) एक ऐसी योजना को निर्दिष्ट करती है जो सीआरपीसी में निहित योजना से पूरी तरह से अलग है। जबकिसी. आर. पी. सी. की धारा 190 के तहत यह मजिस्ट्रेट है जो लेता है

धारा 36ए (1) (डी) के तहत अपराध का संज्ञान केवल एक विशेष न्यायालय है जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेता है। दूसरा, धारा 36ए (1) (डी) में निर्दिष्ट "शिकायत" एक निजी शिकायत नहीं है जिसे सीआरपीसी की धारा 190 (1) (ए) में संदर्भित किया गया है, बल्कि केवल एक अधिकृत अधिकारी द्वारा ही हो सकती है। तीसरा, सी. आर. पी. सी. की धारा 190 (1) (सी) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) में इसकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है-विशेष न्यायालय, पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, ऐसा नहीं कर सकता है। अधिकारी, या अपनी जानकारी पर, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेते हैं। इसके अलावा, धारा 36ए के तहत एक विशेष न्यायालय को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36सी के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता के लिए सत्र न्यायालय माना जाता है। सी. आर. पी. सी. की धारा 193 के तहत सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक कि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया हो। हालांकि, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) के तहत, एक विशेष अदालत एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है, जिसमें आरोपी को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया जाता है।

यह टॉफन सिंह वी। तमिलनाडु राज्य

अतः यह स्पष्ट है कि धारा 36ए (1) (डी) को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 में निहित कुछ भी इस पर लागू नहीं कहा जा सकता है -

एन. डी. पी. एस. के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायालय

एक्ट करें। [ पैरा 137] [741-ई-एच; 742-ए-बी]

4.6 . इसके अलावा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपराधों की जांच के लिए धारा 53 के तहत नामित अधिकारी

धारा 36ए (1) (डी) के तहत इस प्रकार निर्दिष्ट। यह नहीं हो सकता है कि धारा 36ए (1) (डी) के तहत एक अधिकारी के पदनाम के अभाव में, इसके तहत एक नामित अधिकारी द्वारा जांच की परिणतिधारा 53 निरर्थकता में एक अभ्यास के रूप में समाप्त होती है। [ पैरा 138] [742 सी-एफ]

4.7 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 59 एक महत्वपूर्ण सूचक है -

जब किसी अपराध का संज्ञान केवल शिकायत पर ही हो सकता है, न कि पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से। धारा 59 (3) द्वारा, धारा 59 (1) [जो एक वर्ष तक की अवधि के लिए दंडनीय है] के तहत किसी अपराध के मामले में या धारा 59 (2) [जो 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए दंडनीय है, लेकिन जो 20 वर्ष तक बढ़ सकती है] के तहत किसी अपराध के मामले में, कोई भी न्यायालय धारा 59 (1) या (2) के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ लिखित में की गई शिकायत के, या, जैसा भी मामला हो,राज्य सरकार। इस प्रकार, धारा 59 के तहत, किसी भी मामले में यानी उस मामले में जहां मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध [2020] 12 एस. सी. आर. के लिए मुकदमा चलाया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 59 (1) के तहत या धारा 59 (2) के तहत किसी अपराध के लिए विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय, लिखित शिकायत को छोड़कर। यह प्रावधान धारा से स्पष्ट रूप से अलग है।

36ए (1) (डी), जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किए गए अपराधों का संज्ञान लेने के लिए दो अलग-अलग प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। [ पैरा 143] [744-ई-एच]

4.8 यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 36ए (1) (डी) में निर्दिष्ट "शिकायत" केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 को संदर्भित करती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले अपराधों के लिए एक नामित अधिकारी द्वारा शिकायत की जा सकती है-यह एक ऐसे प्रावधान द्वारा

सीमित नहीं है जिसके लिए धारा 58 के तहत किए गए अपराध के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह साधारण भाषा में हिंसा करेगा।

धारा 36क (1) (घ)। इसलिए, इस बार शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से नामित अधिकारी के लिए यह हमेशा खुला रहता है। धारा 36ए (1) (डी) के तहत, विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसा करने के लिए, जो विशेष क़ानून के तहत प्रदान की गई एक अलग प्रक्रिया है,

धारा 53 के अधीन अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अतिरिक्त। [ पैरा 144] [745-बी-डी]

4.9 यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 53 (1) में निहित शक्ति केवल जांच करने की एक छोटी शक्ति है जो पुलिस रिपोर्ट दायर करने में समाप्त नहीं होती है क्योंकि धारा 53 "मानित" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करती है। वह अधिकारी जिसे धारा 53 के तहत नामित किया गया है, एक कानूनी कल्पना द्वारा, एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जा सकता है, या उसे एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां दी जा सकती हैं। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी। चाहे उसे किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में माना जाए, या ऐसी शक्तियां दी जाएं, एक ही सिक्के के केवल अलग-अलग पहलू हैं-उपरोक्त अधिकारी दोनों में से किसी में भी नहीं है।

परिस्थिति, एक पुलिस अधिकारी जो राज्य के पुलिस बल से संबंधित है। यह स्वीकार करना कि एक काल्पनिक कल्पना पूरी शक्तियाँ देगीकिसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के विरुद्ध, जिसके पास जांच करने की केवल सीमित शक्तियां हैं, किसी नामित अधिकारी को दी जा रही हैं, निर्दिष्ट अधिकारी को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने सहित जांच का मामला तर्क के अनुरूप नहीं है और यह धारा की स्पष्ट भाषा और इरादे के विपरीत होगा।

53 ( 1 ) . [ पैरा 145] [745-डी-जी] टफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य

4.10 जब यह स्पष्ट हो कि "पुलिस अधिकारी" शब्द का अर्थ केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं है जो राज्य पुलिस बल से संबंधित है, बल्कि इसमें ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो अन्य विभागों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि आबकारी विभाग जो अन्यथा निवेशित हैं।

साक्षय अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए जांच की सभी शक्तियों के साथ, यह कहना सही नहीं है कि पुलिस

पुलिस बल से संबंधित अधिकारियों या पुलिसकर्मियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम में मादक पदार्थ विभाग आदि के अधिकारियों से अलग और अलग होने के रूप में मान्यता प्राप्त है। यदि पुलिस अधिकारी और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों के बीच अंतर कुछ ऐसा है जिस पर जोर दिया जाना चाहिए, तो कोई भी व्याख्या जो मौलिक को कम कर देगी। केवल एक विशेष अधिकारी के पदनाम

के आधार पर एक अभियुक्त के अधिकार, अनुच्छेद 14 के खिलाफ होंगे, क्योंकि दो प्रकार के अधिकारियों के बीच वर्गीकरण का उस उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं होगा जिसे विचाराधीन क़ानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, जो कि अपराध की रोकथाम और पता लगाना है। [ पैरा 146] [745-जी-एच; 746 ए-सी]

4.11 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत, पोटा की धारा 32 और टाडा की धारा 15 साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अपवाद हैं। इन दोनों अधिनियमों में, क्रमशः धारा 32 और धारा 15 के अनुसार, गैर-अबाधित खंड हैं जिनके द्वारा साक्षय अधिनियम को इन अधिनियमों के प्रावधानों को रास्ता देना है। उल्लेखनीय है कि पोटा और टाडा के प्रावधानों के तहत पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान दिए जाते हैं" ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में "स्वीकार्य"। यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दिए गए बयानों के साक्षय मूल्य से अलग है, जहां धारा 53ए में कहा गया है कि उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में, धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान केवल उक्त बयान में निहित किसी भी तथ्य की सच्चाई को साबित करने के उद्देश्य से "प्रासंगिक" होंगे। इसलिए, धारा 53ए के तहत अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान, भले ही धारा 53ए के तहत "प्रासंगिक" हों, सबूत की पुष्टि किए बिना, किसी आरोपी को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, जब टाडा के तहत इकबालिया बयानों का उपयोग किया जाता है और

पोटा, उनका उपयोग कई सुरक्षा उपायों के साथ किया जाता है जो इन अनुभागों में ही निहित हैं। अतिरिक्त सुरक्षा उपाय/दिशानिर्देश

टाडा [2020] 12 एस. सी. आर. के संबंध में * कर्तार सिंह मामले में अदालत द्वारा जारी किए गए थे।



यह सुनिश्चित करने के लिए मामले कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के दौरान प्राप्त स्वीकारोक्ति "किसी भी बुराई से दूषित नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत सौंदर्य सिद्धांतों और मौलिक निष्पक्षता के साथ सख्ती से अनुरूप है"। जहां तक पोटा का संबंध है, स्वीकारोक्ति दर्ज करते समय प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए जाते हैं

* * नवजोत संधू मामले में चर्चा हुई है। इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि एक के समक्ष दिया गया एक इकबालिया बयान धारा 42 या धारा 53 के तहत नामित अधिकारी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का आधार हो सकता है, बिना किसी गैर-बाधा खंड के साक्षय अधिनियम की धारा 25 को समाप्त करना, और बिना किसी सुरक्षा उपायों के, संविधान के अनुच्छेद 14,20 (3) और 21 में निहित संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन होगा।

भारत का संविधान। [ पारस 149 और 150-152] [749-ए-ई; 750 एफ जी; 753-जी-एच; 754-ए]

* कर्तार सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1994) 3 एससीसी 569: [ 1994 ] 2 एससीआर 375; नूर आगा बनाम। पंजाब राज्य (2008) 16 एससीसी 417: [ 2008 ] 10 एससीआर 379; निर्मल सिंह पहलवान बनाम। निरीक्षक, सीमा शुल्क (2011) 12 एस. सी. सी. 298: [ 2011 ] 9 एससीआर

446 – पर भरोसा किया।

** राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600: [ 2005 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 79-संदर्भित।

5. इस प्रकार, जिन अधिकारियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियां दी गई हैं, वे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत "पुलिस अधिकारी" हैं।

साक्षय अधिनियम की धारा 25 का अर्थ, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दिया गया कोई भी इकबालिया बयान साक्षय अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के तहत वर्जित होगा, और एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान का उपयोग एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 155] [754-सी-एफ]

राज कुमार करवाल बनाम। भारत संघ (1990) 2 एससीसी 409: [ 1990 ] 2 एस. सी. आर. 63; कन्हैयालाल बनाम भारत संघ (2008) 4 एससीसी 668: [ 2008 ] 1 एस. सी. आर. 350-खारिज।

पंजाब राज्य बनाम। बरकत राम [1962] 3 एस. सी. आर. 338; राजा राम जयसवाल बनाम। बिहार राज्य [1964] 2 एस. सी. आर. 752; बडकू ज्योति सावंत बनाम। मैसूर राज्य [1966] 3 एस. सी. आर. 698; टफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य

रोमेश चंद्र मेहता बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य [1969] 2 एस. सी. आर. 461; इलियास बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास [ 1969 ] 2 एससीआर 613; यू. पी. राज्य बनाम दुर्गा प्रसाद (1975) 3 एससीसी 210: [ 1975 ] 1 एस. सी. आर. 881; बालकिशन ए. देवीदयाळ बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1980) 4 एससीसी 600: [ 1981 ] 1 एस. सी. आर. 175; गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्धसिंह और अन्र।

( 1997 ) 6 एससीसी 514: [ 1997 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 234; विनूभाई हरिभाई मालवीय और अन्य। वी. गुजरात राज्य और अन्र। 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1346; जॉन थॉमस बनाम। डॉ. के. जगदीशन (2001) 6 एससीसी 30: [ 2001 ] 3 एस. सी. आर. 934; तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) 16 एससीसी 31: [ 2013 ] 9 एससीआर 962; अब्दुल राशिद बनाम। बिहार राज्य (2001) 9 एससीसी 578; डी. के. बसु बनाम भारत संघ (1997) 1 एससीसी 416: [ 1996 ] 10 पूरक। एस. सी. आर. 284-संदर्भित।

पर इंदिरा बनर्जी, जे। (असंबद्ध)

मादक द्रव्यों और मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए। [ पैरा 43] [766-बी]1.2 हालांकि, एक विस्तृत वैधानिक ढांचे के बावजूद, एनडीपीएस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। अवैध कारोबार

नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों का सेवन भारत और विकासशील देशों की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, कुपोषण से संबंधित बीमारियों का कारण बन रहा है, जिससे अपराधों में तेजी आ रही है और एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम) जैसी संचारी रोगों के प्रसार में वृद्धि हो रही है, जो नशीली दवाओं के प्रशासन के लिए सुइयों को साझा करने के कारण होती है। धन का लालच, किशोरों की असुरक्षा, गरीबी और सामाजिक-आर्थिक अभाव के अन्य पहलू इस खतरे को बढ़ाते हैं और

1.3 सामाजिक-आर्थिक अपराध अर्थात "सफेदपोश अपराध" समग्र रूप से समुदाय के स्वास्थ्य और भौतिक कल्याण को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्तिगत पीड़ित के खिलाफ, और कुल मिलाकर, [2020] 12 एस. सी. आर. हैं।



वंचित निम्न वर्ग के लोगों द्वारा नहीं, बल्कि बहुत समृद्ध और अत्यधिक शक्तिशाली लोगों द्वारा, जो अक्सर कम लाभान्वित लोगों का शोषण करते हैं, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरह के अपराधों से दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए और व्यक्तिगत पीड़ितों के खिलाफ व्यक्तिगत अपराधियों द्वारा किए गए अन्य अपराधों के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। [ पैरा 50] [769-जी-एच; 770-ए]

लेख "मादक आक्रामकता और ऑपरेशन काउंटर 7 मार्च, 1992 को मुख्यधारा द्वारा हमला; भारतीय विधि आयोग ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 पर अपनी 155 वीं रिपोर्ट में

- संदर्भित किया गया।

2.1 यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक आरोपी को निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए।

उचित संदेह से परे, सिवाय इसके कि जहां कानून, कुछ परिस्थितियों के अस्तित्व पर, अभियुक्त पर अपराध की धारणा को दूर करने के लिए उल्टा बोझ डालता है, जैसा कि दंड संहिता की धारा 304 बी और कई अन्य कानूनों के मामले में, विशेष रूप से उन परिस्थितियों के मामले में, जहां कानून, कुछ

परिस्थितियों के अस्तित्व पर, अभियुक्त पर अपराध की धारणा को दूर करने के लिए उल्टा बोझ डालता है।

सामाजिक आर्थिक अपराधों से निपटना। विधायिका, लोक हित में, सख्त दायित्व का अपराध पैदा कर सकती है जहां पुरुष अधिकार आवश्यक नहीं है। में अनुमानित प्रावधान हैं एन. डी. पी. एस. अधिनियम, जैसे धारा 35,54 और 66। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के तहत किसी अपराध के होने का अनुमान, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी मादक पदार्थ के कब्जे से लिया जा सकता है या

साइकोट्रोपिक पदार्थ, या उसके निर्माण या तैयारी के लिए कोई उपकरण। इस अनुमान का खंडन किया जा सकता है। [ पैरा 52] [770-सी-ई]

2.2 . एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कई अपराधों के लिए निर्धारित दंड बहुत कठोर हैं। जब किसी कानून में कठोर दंडात्मक प्रावधान होते हैं, तो ऐसे कानून के तहत अपराध की जांच करने वाले अधिकारियों का देखभाल का अधिक कर्तव्य होता है, और जांच न केवल पूरी तरह से होनी चाहिए, बल्कि बहुत उच्च मानक की भी होनी चाहिए। [ पैरा 53] [770-एफ; 771-बी]

2.3 उक्त अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम में अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं।अनावश्यक उत्पीड़न, या दुर्भावनापूर्ण या गलत अभियोजन। धारा 58 में किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान है, जो धारा 42 या 43 या 44 के तहत परेशान करने वाले प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के लिए अधिकृत है। [ पैरा 54] [771-सी-डी] टफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य

2.4 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्त

धारा 41 (2), 42 (1), 43 या 44 "विश्वास करने का कारण" है और न कि केवल "संदेह" करने का कारण है कि धारा में निर्दिष्ट परिस्थितियाँ

इसके तहत कार्रवाई के लिए उपरोक्त प्रावधान मौजूद हैं। धारा 41,42,43 और 48 में "विश्वास करने का कारण" शब्दों का उपयोग एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 49 में "संदेह करने का कारण" वाक्यांश के उपयोग के विपरीत है। [ पैरा 59] [773-डी-ई]

ए. एस. कृष्णन और अन्य। वी. केरल राज्य (2004) 11 एस. सी. सी. 576: [ 2004 ] 3 एस. सी. आर. 44; आयकर अधिकारी, प्रथम वार्ड, जिला VI, कलकत्ता और अन्य। वी. लखमनी मेवाल दास

( 1976 ) 3 एससीसी 757: [ 1976 ] 3 एस. सी. आर. 956-निर्भर।

2.5 एन. डी. पी. एस. अधिनियम एक पूर्ण संहिता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम विशेष रूप से Cr.P.C के कुछ प्रावधान लागू करता है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कार्यवाही। अधिनियम बहुत विशिष्ट है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कार्यवाही पर Cr.P.C के प्रावधानों में से कौन सा लागू होना है। [ पैरा 68] [775-जी-एच]

2.6 धारा 5 विशेष रूप से प्रदान करती है कि Cr.P.C में कुछ भी, इसके विपरीत एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, लागू किसी विशेष कानून या किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त। एन. डी. पी. एस. अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण, एन. डी. पी. एस. अधिनियम में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के अभाव में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी भी जांच या जांच को प्रभावित नहीं कर सकता है। [ पैरा 73] [779-डी-ई]2.7 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (XXIX) किसी भी जांच या पूछताछ के लिए Cr.P.C के प्रावधानों को लागू नहीं करती है।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत। उक्त धारा केवल यह प्रदान करती है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, लेकिन Cr.P.C में परिभाषित हैं, के अर्थ Cr.P.C में दिए गए हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो। [ पैरा 74] [779-ई] 2.8 धारा 53 केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी निवेश के लिए सक्षम बनाती है।

उक्त अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ उक्त धारा या सरकार के किसी अन्य विभाग में उल्लिखित विभागों के अधिकारी। यदि Cr.P.C के प्रावधान [2020] 12 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच पर आवेदन करने के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच के उद्देश्य से, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी भी अधिकारी को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश करना आवश्यक नहीं होता। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (5) और 51 के प्रावधान भी आवश्यक नहीं होते।

[ पारस 76 और 77] [780-बी-डी] 2.9 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 या कहीं और के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारियों के लिए कोई प्रतिबंध प्रतीत नहीं होता है।

धारा 41 (2) या 42, जिसे धारा 53 के तहत भी निवेश किया जा रहा है, के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत अपराधों की जांच। [ पैरा 78] [780-ई]

2.10 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 में या कहीं और ऐसा कोई प्रावधान प्रतीत नहीं होता है, जो उचित रूप से हो सकता है -

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41 (2) या 42 (1) के तहत किसी अधिकारी को प्रविष्टि, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के बाद 'कार्य अधिकारी' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। [ पैरा 79] [780-जी]

2.11 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53ए प्रत्यक्षतः विरोधाभासी है।

आई. डी. 1 की धारा 162 में यह प्रावधान किया गया है कि आई. डी. 1 के अध्याय 12 के तहत जांच के दौरान किसी पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान पर, यदि लिखित रूप में सीमित किया जाता है, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, या जांच के तहत अपराधों के संबंध में किसी भी जांच या मुकदमे में किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि अगर वह गवाह के रूप में साक्षय देता है तो उसका सामना करने के लिए। धारा 53ए में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारी द्वारा किसी भी कार्यवाही के दौरान, चाहे वह जांच हो या जांच, अपराधों की जांच के लिए धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित कोई भी बयान शामिल है। यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि Cr.P.C की धारा 161/162 में सन्निहित सिद्धांतों का किसी भी जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

या एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अन्य कार्यवाही, जिसमें एक जांच शामिल होगी। [ पारस 81 और 82] [781-एफ-एच; 782-एबी]

दिल्ली राज्य बनाम। श्री राम लोहिया एयर 1960 एससी 490; जॉर्ज बनाम। केरल और अन्र राज्य। ( 1998 ) 4 एससीसी 605:

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य

[ 1998 ] 2 एस. सी. आर. 303; मुंशी प्रसाद और अन्य। वी. बिहार राज्य (2002) 1 एससीसी 351: [ 2001 ] 4 पूरक। एससीआर 25

- अप्रयोज्य रखा गया।

2.12 एन. डी. पी. एस. अधिनियम, एक विशेष क़ानून होने के नाते, और किसी भी मामले में

बाद में केंद्रीय अधिनियम, एन. डी. पी. एस. अधिनियम और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के बीच किसी भी विसंगति के मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे।

साक्षय अधिनियम। [ पैरा 85] [782-डी-ई]

2.13 साक्षय अधिनियम हालांकि अन्य मामलों में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक मुकदमे पर लागू होगा, जब तक कि एक विपरीत इरादा न हो। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान से प्रकट होता है। द.

एक गवाह का पिछला बयान, भले ही सबूत में स्वीकार्य हो, गवाह के खिलाफ तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि गवाह

पिछले कथन का सामना किया और एक अवसर दिया

समझाने के लिए। हालांकि, कुछ दस्तावेज जो साक्षय अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य नहीं हैं, जब तक कि साक्षय द्वारा साबित नहीं किया जाता है, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए (4) के तहत स्वीकार्य, उस धारा की शर्तों को पूरा करने के अधीन। [ पैरा 86] [782-जी; 783 ए]

मुरली और अन्र। वी. राजस्थान राज्य (2009) 9 एससीसी 417:

[ 2009 ] 13 एस. सी. आर. 378-संदर्भित।

2.14 विधायिका ने अपने विवेक में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया है

" धारा 53 में अपराध की जाँच और धारा 67 में "जाँच" शब्द। भले ही आम बोलचाल में "पूछताछ" और" धारा 53 में "जाँच" और धारा 67 में "जाँच" का अर्थ एक ही नहीं माना जा सकता है। जब एक ही कानून में अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो एक धारणा होती है कि उनका उपयोग एक ही अर्थ में नहीं किया जाता है। कानून के विभिन्न खंडों में अलग-अलग वाक्यांशों से समर्थन प्राप्त करने वाले निर्माण को अस्वीकार किया जा सकता है यदि यह अनुचित या तर्कहीन परिणामों की ओर ले जाता है। तदनुसार धारा 53 ए ऐसे अधिकारी द्वारा किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान अपराधों की जांच के लिए धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष बयान को संदर्भित करता है। [ पारस 90-93] [784-जी-एच; 785-सी ई]

टी. ए. कृष्णास्वामी बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1022: [ 1966 ] एस. सी. आर. 31-पर निर्भर।

[ 2020 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कन्हैयालाल विशिंदास गिडवानी बनाम। अरुण दत्तात्रेयमेहता (2001) 1 एस. सी. सी. 78-संदर्भित।

2.15 एनडीपीएस अधिनियम अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है।

" "इन्वेस्टिगेशन" या "इन्क्वायरी" अभिव्यक्ति। हालाँकि, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (XXIX) में प्रावधान है कि अधिनियम में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ और जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित नहीं किया गया है, उनके अर्थ उस संहिता में क्रमशः दिए गए हैं। Cr.P.C की धारा 2 (जी) और 2 (एच) में निहित 'जांच' और 'जांच' शब्दों की परिभाषा। [पारस 94 और 95] [785-ई-एफ]

2.16 कानून में उपयोग किए गए किसी शब्द या अभिव्यक्ति के अर्थ को उसकी परिभाषा के अनुसार समझा और समझा जा सकता है, जब तक कि

" संदर्भ अन्यथा "की आवश्यकता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (जी) में जांच की परिभाषा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 या उसके अध्याय 5 के किसी अन्य प्रावधान में जांच शब्द की व्याख्या करने में मदद नहीं करती है, क्योंकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के तहत जांच किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है। यह अच्छी तरह से तय है कि एक शब्द नहीं

किसी कानून में विशेष रूप से परिभाषित किए जाने की व्याख्या उसके सामान्य अर्थ के अनुसार की जा सकती है, जिसका पता किसी कानून के संदर्भ में लगाया जा सकता है।शब्दकोश। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश (ग्यारहवें संस्करण) के अनुसार जांच शब्द का अर्थ है 'किसी घटना या आरोप की व्यवस्थित या औपचारिक जांच करना।

सत्य को स्थापित करें '। जाँच, जाँच का कार्य है। "पूछताछ" शब्द, उसी शब्दकोश के अनुसार, माँगने के लिए है जानकारी दी। इसका अर्थ "जाँच" भी है। पूछताछ जानकारी मांगने का कार्य है। यह एक आधिकारिक जांच है। कानून में शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ उसी संदर्भ में लगाया जाना चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया गया है। कानून को समग्र रूप से पढ़ना होगा। [ पारस 96 और 97] [786-ए-डी]

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश (ग्यारहवां संस्करण)

- संदर्भित किया गया।

2.17 ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में दी गई अभिव्यक्तियों की जांच/जांच और पूछताछ/पूछताछ के अर्थ को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 और भारतीय दंड संहिता में अभिव्यक्तियों का उपयोग। पी. सी. और टफान सिंह बनाम की भाषा और भाव को ध्यान में रखते हुए।

तमिलनाडु राज्य

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53,53ए और धारा 67, "जांच" अभिव्यक्ति को यथोचित रूप से एक सामान्य अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें किसी अपराध की जांच शामिल हो सकती है। धारा 67 में विचार के अनुसार जांच आम तौर पर जानकारी का संग्रह है, यह पता लगाने के

लिए कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम का कोई उल्लंघन हुआ है, जबकि जांच एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की जांच है और किसी आरोपी के खिलाफ मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए सामग्री का संग्रह है।

अपराधी। हालाँकि जाँच एक जाँच के बाद या एक हिस्सा हो सकती है। एक पूछताछ। एन. डी. पी. एस. अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है। [ पैरा 100] [787-बी-डी]

2.18 धारा 53 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ सशक्त एक अधिकारी

अपराध की जाँच में जाँच करने की शक्ति भी होती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53ए (1) में उपयोग की गई भाषा से यह स्पष्ट है। धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति के साथ, स्पष्ट रूप से धारा 67 के अर्थ के भीतर यह पता लगाने के लिए जांच कर सकता है कि क्या एनडीपीएस अधिनियम का कोई उल्लंघन हुआ है। किसी जांच के दौरान ऐसे अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान या

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की जांच। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ एक अधिकारी को निवेश करने की शक्ति धारा 53 से प्रवाहित होती है। जाँच करने का अधिकारएन. डी. पी. एस. अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में जांच करने की व्यापक शक्ति में किसी अपराध में निहित है। [ पैरा 103] [788-बी-सी]

2.20 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकारी द्वारा जांच की जा सकती है, यदि इस संबंध में अधिकार दिया गया है।



यह धारा 67 से स्पष्ट है। वही अधिकारी जांच भी कर सकता है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अपराध, यदि उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ धारा 53 के तहत भी निवेश किया जाता है। धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकृत अधिकारी की जांच करने की शक्ति धारा 67 से प्राप्त नहीं होती है। धारा 67 धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकृत अधिकारी को ऐसा करने का अधिकार देती है।

जाँच के दौरान निम्नलिखित कार्य: " ( क) स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति से जानकारी मांगना कि क्या इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों का कोई

उल्लंघन हुआ है; (ख) किसी व्यक्ति से किसी उपयोगी दस्तावेज या चीज़ को प्रस्तुत करने या वितरित करने की अपेक्षा करना या

जाँच के लिए प्रासंगिक; (ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जाँच करें। [ पारस 104-106] [788

डी-ई; एफ-एच]

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध को उसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे धारा 42 के तहत अधिकार दिया गया है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के तहत कार्यवाही और तलाशी, जब्ती और/या गिरफ्तारी, यदि उस अधिकारी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत भी निवेश किया गया है, तो एक अधिकारी की शक्तियों के साथ

जाँच के उद्देश्य से एक पुलिस स्टेशन का प्रभार। [ पैरा 107] [789-ए-बी]

मुकेश सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली की मादक पदार्थ शाखा) (2020)

इसके बाद एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 700 आया।

2.22 धारा 67 या धारा 41/42 की भाषा और सार इस तर्क का समर्थन नहीं करता है कि जांच केवल

धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकारी द्वारा किया गया, जो प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग करने से पहले या प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के चरण में विधिवत अधिकृत है, लेकिन बाद में नहीं। धारा 41/42 के तहत शक्ति का प्रयोग

एन. डी. पी. एस. अधिनियम आवश्यक रूप से एक से पहले नहीं होना चाहिए

पूछताछ की। यदि किसी जांच को प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग से पहले या प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी करने के चरण तक सीमित किया जाना था, तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम ने विशेष रूप से ऐसा प्रावधान किया होगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या तो स्पष्ट या निहित। टफान सिंह v को पढ़ने की अनुमति नहीं है।

तमिलनाडु राज्य

किसी भी दस्तावेज़ या चीज़ को प्रस्तुत करना या किसी व्यक्ति आदि की जाँच करना किसी भी जाँच के दौरान प्रयोग किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करने से पहले जांच के किसी भी चरण में शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग धारा 41/42 के तहत शक्तियों के प्रयोग से पहले या बाद में किया जा सकता है और इसमें जांच का चरण शामिल होगा।धारा 42 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किए गए अपराध के लिए, यदि उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत शक्तियां भी दी गई हैं। [ पैरा 111] [790-सी-डी]

2.24 . एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकारी, यदि उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियों के साथ निवेश नहीं किया गया है,

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 से जानकारी के लिए कॉल करने, दस्तावेजों और चीजों के उत्पादन की आवश्यकता और व्यक्तियों की जांच करने की शक्ति प्राप्त करता है। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की जांच की शक्तियों में ऐसी शक्तियां शामिल हैं। धारा 53 के तहत शक्तियों के साथ निवेशित एक अधिकारी भी जांच कर सकता है। यह 66 शब्दों के उपयोग से स्पष्ट है "धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित बयान।

ऐसे अधिकारी द्वारा किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान अपराधों की जांच, धारा 53ए (1) में प्रासंगिक होगी। धारा 53ए (1) का लाभ धारा 42 के तहत सशक्त अधिकारी के समक्ष दिए गए इसी तरह के बयान के मामले में उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत नहीं होगा। [ पैरा 112] [790-ई-जी]

2.25 यदि, किसी जांच या जांच के बाद, कोई शिकायत दर्ज की जाती है, और विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेता है, तो जाँच/जाँच में प्राप्त बयान, दस्तावेज या अन्य चीजें अभियोजन पक्ष द्वारा अपराधी के खिलाफ मुकदमे में पेश की जा सकती हैं और साबित की जा सकती हैं जब तक कि बयान और/या दस्तावेज़ और/या चीज़ किसी वादे द्वारा प्राप्त नहीं की गई हो।

प्रलोभन, जबरदस्ती, धमकी या धमकी।

[2020] 12 एस. सी. आर. का प्रश्न।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या कोई बयान वादे, जबरदस्ती, धमकी आदि द्वारा प्राप्त किया गया है और/या क्या कोई विशेष अधिकारी, धारा 42 के तहत अधिकृत है या धारा 53 के तहत शक्तियों के साथ निवेश किया गया है, परीक्षण के मामले हैं। अभियोजन पक्ष को आरोप स्थापित करने होते हैं

अपराधी के खिलाफ, कानून के अनुसार, मुकदमे में। [ पैरा 113] [790-जी-एच; 791-ए]

2.26 Cr.P.C के प्रावधान केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और तलाशी और जब्ती पर लागू होते हैं।

बेशक, Cr.P.C की धारा 163 के सिद्धांत एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों में निहित हैं जो जांच से संबंधित हैं और यद्यपि उक्त धारा जांच ऐसी जांच या जांच पर लागू नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के प्रतिबंध को प्रत्येक क़ानून में भावना और सार के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसे प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

किसी भी प्रलोभन, वादे या धमकी द्वारा बयान। [ पैरा 117] [800 एच; 801-ए-बी]

2.27 एन. डी. पी. एस. अधिनियम एक पूर्ण संहिता है। Cr.P.C के अध्याय XII के विभिन्न प्रावधानों की तुलना

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के प्रावधान स्वतंत्र हैं और नहीं।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (5) और 51 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर Cr.P.C के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के तहत जांच/जांच की प्रक्रिया और Cr.P.C के तहत जांच और/या जांच की प्रक्रिया के बीच अंतर हैं। [पैरा 118] [801-सी-डी]2.28 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) में प्रावधान है कि "एक विशेष न्यायालय, तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन पर"

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या उसकी ओर से अधिकृत राज्य सरकार द्वारा की गई शिकायत पर, उस अपराध का संज्ञान लें, बिना आरोपी को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए। धारा 36ए (1) (डी) Cr.P.C की धारा 190 के समान है।

तमिलनाडु राज्य

शिकायत, जैसा कि Cr.P.C की धारा 2 (d) में परिभाषित किया गया है, का अर्थ है मजिस्ट्रेट को मौखिक रूप से या लिखित रूप में किया गया कोई भी आरोप, जो मजिस्ट्रेट को Cr.P.C के तहत कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। शिकायत पुलिस रिपोर्ट पर होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, धारा 2 (डी) के स्पष्टीकरण के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, को शिकायत माना जाएगा और शिकायत करने वाले पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा। [ पारस 120 और 121] [803-ए-डी]

2.29 धारा 36ए (1) (डी) पुलिस को विशेष न्यायालय के समक्ष अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की रिपोर्ट दायर करने में सक्षम बनाती है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम, जो Cr.P.C की धारा 2 (डी) में पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा के अनुसार है, का अर्थ है Cr.P.C की धारा 173 (2) के तहत अग्रेषित रिपोर्ट। ऐसी पुलिस रिपोर्ट को शिकायत माना जाता है। इस तरह की पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है।

Cr.P.C के अध्याय XII के तहत जांच। कोई नहीं है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम में प्रावधान, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कोई भी जांच/जांच करने वाले संबंधित अधिकारियों पर कोई भी रिपोर्ट तैयार करना या दाखिल करना अनिवार्य बनाता है। [ पैरा 124] [803-एफ-एच]

2.30 यदि पुलिस एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच करती है और विशेष न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो आई. डी. 1 के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना होगा।

विशेष धारा 161,162,163,164 और 173 सहित। पुलिस के सामने दिए गए बयान पर न तो हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और न ही उस पर भरोसा किया जा सकता है।

किसी न्यायालय में किसी भी उद्देश्य के लिए, उक्त धारा में निर्दिष्ट उद्देश्य को छोड़कर, अर्थात अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा करने वाले व्यक्ति का सामना करना।

मुकदमे में प्रतिपरीक्षा में बयान। [ पैरा 125] [804 ए-बी]

2.31 विधायिका ने अपने विवेक में अंतर किया है

एक पुलिस रिपोर्ट, जिसे एक शिकायत माना जाता है, और केंद्र या राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा की गई शिकायत, जो इस संबंध में अधिकृत है, के बीच। विधायिका के विवेक पर सवाल उठाना इस न्यायालय का काम नहीं है। तथ्य यह है कि विशेष न्यायालय कर सकता हैकिसी अपराध का संज्ञान लेना, केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर, जो इस ओर से अधिकृत है, और पुलिस के मामले में आवश्यक रिपोर्ट पर नहीं, यह भी दर्शाता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच या जांच नहीं होनी चाहिए।

किसी अपराध की पुलिस जाँच के समान व्यवहार किया जाता है। [ पैरा 126] [804-सी-डी] [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.32 "पुलिस" शब्द को आम तौर पर राज्य के कार्यकारी नागरिक बल के रूप में समझा जाता है, जिसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की रोकथाम और पता लगाने का कर्तव्य सौंपा गया है। "पुलिस" या "पुलिस अधिकारी" शब्द को साक्षय अधिनियम 1872 या Cr.P.C में परिभाषित नहीं किया गया है। पुलिस अधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस अधिनियम 1861 द्वारा शासित किया जाता है, जो पुलिस को अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए एक प्रभावी साधन बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। [ पारस 128 और 129] [804-एफ एच]

2.33 पुलिस अधिकारियों के पास अपार शक्तियाँ होती हैं। एक पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ एक अधिकारी की शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की जांच के सीमित उद्देश्य के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश करता है। पुलिस की व्यापक शक्तियाँ,

सभी प्रकार के अपराधों की जांच, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां, बाधा को दूर करना और यहां तक कि केवल संदेह के आधार पर वारंट के बिना गिरफ्तारी करना, पुलिस अधिकारियों को आरोपी या अपराध करने के संदेह में किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए अनगिनत तरीकों से जगह देना। इसलिए, पुलिस धमकी देकर, जबरदस्ती से, या सीधे या परोक्ष रूप से धमकी देकर बयान देने में सक्षम होने की स्थिति में है। एनडीपीएस अधिकारियों की शक्तियाँ

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की रोकथाम और पता लगाने तक सीमित और कोई अन्य अपराध नहीं, उनके पास उस तरह की गुंजाइश नहीं है जो पुलिस के पास है, ताकि अनुरूप बयान निकालने के लिए दबाव डाला जा सके। [ पैरा 139] [808-एफ-एच; 809-ए]

2.34 Cr.P.C के प्रावधान किसी भी जांच पर लागू नहीं होते हैं।

या एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच या अन्य कार्यवाही, एन. डी. पी. एस. अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई सीमा को छोड़कर, Cr.P.C की धारा 5 के साथ पठित धारा 4 (2) को देखते हुए। [पैरा 140] [809-ए बी]

2.35 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकारियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की जांच के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ धारा 53 के तहत निवेश किया जाता है।

पुलिस अधिकारियों की सभी शक्तियों का प्रयोग न करें। उनके पास धारा 173 Cr.P.C के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की शक्ति नहीं है जिसे शिकायत माना जा सकता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत अपराध की जांच करने वाले किसी भी अधिकारी की आवश्यकता हो।

तमिलनाडु राज्य

उक्त अधिनियम के तहत या अन्यथा रिपोर्ट दायर करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत जांच करना। [ पैरा 143] [809-डी-एफ]

2.36 . एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, Cr.P.C की धारा 161/162 का किसी के लिए कोई आवेदन नहीं है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी भी जांच या अन्य कार्यवाही के दौरान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी भी अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान।

[ पैरा 144] [809-एफ-जी]

2.37 किसी भी मामले में, धारा 53ए स्पष्ट रूप से इसके विपरीत है और इस प्रकार Cr.P.C की धारा 162 को ओवरराइड करती है। <आई. डी. 1. में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, जब वह लिखित हो।

इसे बनाना या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करना, सिवाय इसके कि उक्त धारा के परंतुक में प्रावधान किया गया है, यानी, बयान देने वाले व्यक्ति का सामना करने के लिए, यदि वह गवाह के रूप में साक्षय देता है, तो धारा 53ए (1) में प्रावधान है कि "पहले किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित बयान।

अपराधों की जांच के लिए धारा 53 के तहत सशक्त कोई भी अधिकारी, ऐसे अधिकारी द्वारा किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में कुछ परिस्थितियों में साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होगा।

उक्त खंड में निर्दिष्ट किया गया है। [ पैरा 145] [809-जी-एच; 810-ए-बी]

2.38 किसी भी जांच या जांच में दिए गए बयान

कार्यवाही, साक्षय में प्रस्तुत की जा सकती है और एक परीक्षण में साबित की जा सकती हैकानून के अनुसार एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के अभियोजन के लिए। प्रकृति में इकबालिया बयान अतिरिक्त न्यायिक इकबालिया बयान की शैली में होता है। [ पैरा 146] [810-बी-सी]

3.1 अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया इकबालिया बयान अप्रासंगिक है।

आपराधिक कार्यवाही में, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इकबालिया बयान किसी अधिकारी व्यक्ति से किसी प्रलोभन, धमकी या वादे से प्राप्त हुए होंगे और न्यायालय की राय में, अभियुक्त व्यक्ति को उचित आधार देने के लिए पर्याप्त है, यह अनुमान लगाने के लिए कि इकबालिया बयान देने से वह कोई लाभ प्राप्त करेगा या उसके खिलाफ कार्यवाही के संबंध में किसी भी नुकसान से बच जाएगा। [ पैरा 148] [810-एफ-जी] [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान राज्य बनाम। राजा राम (2003) 8 एससीसी 180:

[ 2003 ] 2 पूरक। एससीआर 445; गुरा सिंह बनाम। की स्थिति

राजस्थान (2001) 2 एससीसी 205: [ 2000 ] 5 पूरक। एससीआर

408 संदर्भित किया गया।

3.2 यह कहना एक बात है कि सबूत का एक टुकड़ा है

अस्वीकार्य और साक्षय के दो या दो से अधिक टुकड़ों का उनके संभावित मूल्य पर आकलन करना एक और बात है। Cr.PC की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकारोक्ति का अन्य स्वीकारोक्ति की तुलना में अधिक संभावित मूल्य हो सकता है। हालांकि, अकेले उस पैरामीटर पर अन्य स्वीकारोक्ति उदाहरण के लिए, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को कानून में अस्वीकार्य नहीं बनाया जा सकता है। [ पैरा 151] [813-डी-ई] 3.3 क्या संबंधित अधिकारी विधिवत अधिकार प्राप्त है और/या जाँच/जाँच करने के लिए अधिकृत है, चाहे कोई हो।

कथन या दस्तावेज अनुचित रूप से प्राप्त किए गए हैं, आदि ऐसे कारक हैं जिनकी अदालत द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर जांच की जानी चाहिए। सभी प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देना और

परिस्थितियों में, न्यायालय केवल एक जांच में दिए गए बयान पर दोषसिद्धि का आधार नहीं बना सकता है जो इकबालिया है, अन्य सामग्रियों के अभाव में जिनके साथ बयान को जोड़ा जा सकता है। यह विशेष न्यायालय का काम है कि वह सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए बयान पर विचार करे और इसके साक्षय मूल्य का आकलन करे। साक्षय में प्रस्तुत किए गए सभी बयानों और दस्तावेजों को होना चाहिए मुकदमे में कानून के अनुसार साबित हुआ। [ पैरा 153] [813-एफ-एच; 814-ए]

3.4 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकारियों से लिया जाता है

3.5 एन. डी. पी. एस. अधिनियम को इस न्यायालय के कुछ निर्णयों में इस अर्थ में एक दंडात्मक क़ानून के रूप में वर्णित किया जा सकता है किएन. डी. पी. एस. अधिनियम में कठोर दंडात्मक प्रावधान हैं जिनमें शामिल हैं -

बीस वर्ष के कारावास की सजा और यहाँ तक कि अपराध के कुछ असाधारण मामलों में मौत की सजा पहले दोषी ठहराए जाने के बाद दोहराई जाती है। [ पैरा 183] [827-जी-एच] टफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य

बडकू ज्योति सावंत बनाम। मैसूर राज्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1746: [ 1966 ] एससीआर 698; रोमेश चंद्र मेहता बनाम। राज्य

पश्चिम बंगाल एयर 1970 एस. सी. 940: [ 1969 ] एससीआर 461; इलियास बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास ए. आई. आर. 1970 एस. सी

1065 : [ 1969 ] एस. सी. आर. 613-अनुसरण किया गया।

पंजाब राज्य बनाम। बरकत राम एयर 1962 एससी 276: [ 1962 ] एस. सी. आर. 338; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दुर्गा प्रसाद

( 1975 ) 3 एस. सी. सी. 210 [1975] 1 एस. सी. आर. 881; बालकिशन ए. देवीदयाळ बनाम महाराष्ट्र राज्य (1980) 4 एस. सी. सी. 600: [ 1981 ] 1 एससीआर 175; राज कुमार करवाल बनाम। भारत संघ और ओआरएस। ( 1990 ) 2 एससीसी 409: [ 1990 ] 2 एस. सी. आर. 63; कन्हैयालाल बनाम भारत संघ (2008) 4 एससीसी 668:[ 2008 ] 1 एससीआर 350; पोन अदिथन बनाम। उप निदेशक, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, मद्रास (1999) 6 एस. सी. सी. 1:

[ 1999 ] 3 एस. सी. आर. 897-निर्भर।

अमीन शरीफ बनाम। सम्राट ए. आई. आर. 1934 कैल 580; नानू शेख अहमद और एक अन्य बनाम। सम्राट ए. आई. आर. 1927 बम 4; राधा किशन मारवाड़ी बनाम। राजा-सम्राट ए. आई. आर. 1932 पटना 293; राजा राम जयसवाल बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर 1964 एस. सी 828: [ 1964 ] एससीआर 752; अब्दुल राशिद बनाम। राज्य

बिहार का (2001) 9 एस. सी. सी. 578-संदर्भित।

4.1 संवैधानिक पीठों का गठन किसी संवैधानिक मुद्दे को हल करने, परस्पर विरोधी विचारों में सामंजस्य स्थापित करने और कानून का निपटारा करने के लिए किया जाता है। संविधान पीठ के फैसले पर केवल अधिक संख्या वाली संविधान पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है और वह भी असाधारण और मजबूर करने वाली परिस्थितियों में। पचास साल से अधिक समय से इस क्षेत्र को संभालने वाली व्याख्या को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

पूछने के लिए। कानूनी स्थिति में परिवर्तन, जिसने लंबे समय तक न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से इस क्षेत्र को संभाला है, केवल तभी विचार किया जा सकता है जब ऐसा परिवर्तन बिल्कुल अनिवार्य हो। [ पैरा

185 ] [ 828 - सी-डी]

' वी. सुधीश द्वारा संवैधानिक सर्वोच्चता-एक पुनरीक्षण

पाई-संदर्भित।

4.2 एन. डी. पी. एस. अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य मादक दवाओं और मनोदैहिक [2020] 12 एस. सी. आर. से संबंधित कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना है।

मादक द्रव्यों और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की जाने वाली संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए,

मादक द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रावधानों को लागू करना और उससे जुड़े मामलों के लिए। दूसरी ओर, एक दंड का प्रमुख उद्देश्य कानून में विभिन्न प्रकार के जानबूझकर किए गए कार्यों और चूक के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। दंड संहिता एक विशिष्ट दंडात्मक कानून है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जैसे कानून, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए दंड का प्रावधान करते हैं -

विशिष्ट अपराध भी दंडात्मक कानून हैं। [ पैरा 186 और 187] [828 ई-जी]

5. सामाजिक बुराई से निपटने के लिए अधिनियमित दंडात्मक कानूनों का उदारतापूर्वक उस उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए अर्थ लगाया जाना चाहिए जिसके लिए कानून बनाया गया है। [ पैरा 188] [828-जी-एच]

राजिंदरे सिंह बनाम पंजाब राज्य (2015) 6 एससीसी 477: [ 2015 ] 2 एस. सी. आर. 835; एम. नारायणन नांबियार बनाम। केरल राज्य ए. आई. आर 1963 एस. सी 1116: [ 1963 ] पूरक। एससीआर 724

– पीछा किया।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। प्रवर्तन निदेशालय

( 2005 ) 4 एससीसी 530: [ 2005 ] 1 पूरक। एससीआर 49; बलराम कुमावत बनाम। भारत संघ (2003) 7 एससीसी 628: [ 2003 ] 3 पूरक। एससीआर 24; रीमा अग्रवाल बनाम। अनुपम (2004) 3 एससीसी 199: [ 2004 ] 1 एस. सी. आर. 378; राजिंदरे सिंह बनाम।

पंजाब राज्य (2015) 6 एससीसी 477: [ 2015 ] 2 एससीआर 835

पर भरोसा किया।

सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आशेर (1949) 2 ऑल ईआर

155 ( सी. ए.)-संदर्भित।

6.1 हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम, एक दंडात्मक क़ानून होने के नाते, सीमा शुल्क अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के राजस्व की रक्षा करना है, उन अधिनियमों के तहत जांच की शक्तियों की न्यायिक व्याख्या, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अधिकारी की जांच की शक्तियों के लगभग समान हैं,

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच के लिए प्रासंगिक नहीं होगा। [ पैरा 193] [832-डी-एफ] टफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य

6.2 यह सच है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जांच एक न्यायिक कार्यवाही है।

दंड संहिता की धारा 193 और 198 का अर्थ,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 14 (4) और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 (4), जो समान प्रावधान हैं और "उपरोक्त प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।दंड संहिता (1860 का अधिनियम 45) "एफ. ई. आर. ए. की धारा 40 (4) और रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा अधिनियम) 1966 की धारा 9 (4) भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 14 (4) और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 (4) के समान और/या शाब्दिक पुनरुत्पादन हैं। [ पैरा 209] [858-ई-जी]

6.3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, फेरा, रेलवे के तहत कारावास से दंडनीय अपराध।

संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम या इसी तरह का कोई अन्य अधिनियम सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। जाँच-पड़ताल

इन अधिनियमों के तहत अपराधों में, जिन्हें जांच कहा जाता है, संबंधित अधिकारियों को यह तय करने में सक्षम बनाने के लिए विधिवत अधिकृत विभागीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाता है कि क्या सक्षम न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। यदि जानकारी एकत्र की गई और/या सामग्रीइस प्रकार वारंट प्राप्त होने पर शिकायत दर्ज की जाती है। [ पैरा 211 और 212] [859 ई-जी]

6.4 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत किसी भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा जांच, जो केंद्र सरकार द्वारा या उसके तहत सशक्त है।

सीमा शुल्क अधिनियम, सामान्य द्वारा सशक्त सीमा शुल्क के किसी भी अधिकारी द्वारा या प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त का विशेष आदेश या एफ. ई. आर. ए. के तहत एक प्रवर्तन अधिकारी द्वारा या रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1961 के तहत रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी द्वारा न्यायालय या न्यायाधिकरण में कार्यवाही के समान नहीं है। इस तरह की जांच प्रारंभिक है

सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विचारण। यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच सहित दंडात्मक प्रावधानों के साथ किसी अन्य कानून के तहत एक लोक सेवक द्वारा की गई जांच के समान है। [ पैरा 212] [859-जी-एच; 860-ए]

6.5 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की जांच के विपरीत, इन अधिनियमों के तहत जांच को आई. पी. सी. की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही का दर्जा दिया गया है। अंतर केवल इतना है कि [2020] 12 एस. सी. आर. बनाने वाला व्यक्ति।



इनमें से किसी भी अधिनियम के तहत जांच में बयान, किसी भी अन्य न्यायिक कार्यवाही में गलत साक्षय देने के परिणामों से बोझिल है, जिसमें अदालत में कार्यवाही भी शामिल है, जो कारावास से दंडनीय है जो तीन साल तक बढ़ सकता है और जुर्माना भी [आई. पी. सी. की धारा 193] या "न्यायिक कार्यवाही" के किसी भी चरण में किसी लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या व्यवधान जो कारावास से दंडनीय है जो छह महीने तक बढ़ सकता है या जुर्माना या दोनों [आई. पी. सी. की धारा 228] से दंडनीय है। [ पैरा 214] [860-बी-डी]

6.6 . ऊपर उल्लिखित अधिनियमों के तहत जांच के बाद से, अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, रेलवे

संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम को न्यायिक कार्यवाही का दर्जा दिया गया है ताकि लोगों को झूठ बोलने से रोका जा सकेबयान या अन्यथा जानबूझकर जांच में बाधा डालते हुए, विधानमंडल ने इस अभिव्यक्ति का उपयोग करना उचित समझा है कि "किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह साक्षय देने या दस्तावेज़ पेश करने के लिए आवश्यक समझता है"। [ पैरा 215] [860-डी-ई]

6.7 जाँच में तथाकथित 'साक्षय' मुकदमे में साक्षय के समान नहीं है। दस्तावेज़ों को अभी भी निविदा देनी होगी।

और मुकदमे के समय साबित हुआ। क्या जांच के दौरान प्राप्त कोई भी दस्तावेज और/या बयान मुकदमे में साक्षय में बिल्कुल भी स्वीकार्य होंगे और यदि ऐसा है, तो वे किस हद तक प्रासंगिक होंगे, इसका फैसला लागू कानून को ध्यान में रखते हुए अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा किया जाएगा। [ पैरा 216] [860-एफ-जी]

Cr.P.C के तहत पुलिस द्वारा न्यायिक कार्यवाही नहीं है। हालाँकि, इस न्यायालय के एक फैसले में एक आकस्मिक टिप्पणी, कि साक्षय अधिनियम की धारा 25 को शामिल करने के कारणों के विश्लेषण के संदर्भ में "एक पुलिस अधिकारी कभी भी न्यायिक रूप से कार्य नहीं करता है", जिसके तहत एक पुलिस अधिकारी के सामने कोई भी स्वीकारोक्ति किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं की जानी है, का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि कानून के प्रस्ताव को निर्धारित करते हुए, कि उस अधिकारी के समक्ष जांच के दौरान किसी अधिकारी को दिए गए इकबालिया बयान को साक्षय में प्रस्तुत या साबित

नहीं किया जा सकता है, यदि जांच न्यायिक कार्यवाही नहीं है। न ही इस तरह के अवलोकन को टोफान सिंह v के रूप में माना जा सकता है।

तमिलनाडु राज्य

उल्टा प्रस्ताव कि एक जांच में सभी स्वीकारोक्ति

अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी नहीं है, लेकिन सभी उद्देश्यों के लिए एक पुलिस अधिकारी माना जाता है, जिसे Cr.P.C की धारा 173 (2) के समान शक्ति सहित एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों के साथ, प्रस्तुत किया जा सकता है और साक्षय में साबित किया जा सकता है, केवल इसलिए कि जांच आई. पी. सी. की धारा 193 या 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही है, इस अर्थ में कि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी कार्यवाही में गलत सबूत दे रहा है, या जानबूझकर ऐसी जांच करने वाले व्यक्ति का अपमान करना या बाधा डालना दंडनीय है।

कारावास। [ पैरा 217] [860-एच; 861-ए-डी]

6.10 यह समझना मुश्किल है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या सीमा शुल्क अधिनियम या एफ. ई. आर. ए. के तहत जांच कैसे की जाती है।या कोई अन्य अधिनियम जिसे आई. पी. सी. की धारा 193 और 228 के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए न्यायिक कार्यवाही माना जा सकता है, उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच में दिए गए बयानों की साक्षय में स्वीकार्यता में कोई अंतर करना चाहिए। [ पैरा 222] [862-बी-सी]

6.11 यह सच है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत सभी अपराध एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत संज्ञेय हैं। इनमें से कुछ

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराध भी संज्ञेय हैं। भले ही रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय नहीं हैं, उक्त अधिनियम की धारा 6 किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य को किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है

उक्त अधिनियम के तहत, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना। [ पैरा 223] [862-सी-ई]

6.12 साक्षय अधिनियम की धारा 25 गैर-संज्ञेय अपराध के लिए मुकदमे में साक्षय के बीच अंतर नहीं करती है और

संज्ञेय अपराध के लिए मुकदमे में साक्षय। साक्षय की स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कोई अपराध 'संज्ञेय' है या नहीं [2020] 12 एस. सी. आर.

या गैर-संज्ञेय '। केवल यह तथ्य कि एक अपराध संज्ञेय था, पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।

अपराध के मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षय की स्वीकार्यता या संभाव्य मूल्य में कोई अंतर। [ पैरा 224] [862-एफ-जी]

6.13 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कुछ अपराध भी संज्ञेय हैं। यह भी बताना उचित होगा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत सभी अपराध, जिनमें एक वर्ष तक के कारावास की सजा शामिल है, संज्ञेय हैं, रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966 में सात साल के कारावास की सजा वाले अपराधों को संज्ञेय नहीं बनाया गया है। [ पैरा 225] [862-जी-एच; 863-ए]

6.14 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनिवार्य प्रावधान

अभियुक्त के खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, नशीली दवाओं की तस्करी के मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर अधिक जोर देना अपराधियों की आशंका में एक बड़ी बाधा हो सकती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों में, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त अनुपालन को पर्याप्त माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराध पूरे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। [ पैरा 226] [863-ए-सी]

भारत संघ बनाम। पदम नारायण अग्रवाल और अन्य।

( 2008 ) 13 एससीसी 305: [ 2008 ] 14 एस. सी. आर. 17; के. आई.पावन्नी वी। सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टोरेट, कोच्चि (1997) 3 एस. सी. सी. 721: [ 1997 ] 1 एस. सी. आर. 797; एन. जे. सुखवानी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1996 एस. सी

522 : [ 1995 ] 4 पूरक। एस. सी. आर. 778-संदर्भित।

7.1 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें निष्पक्ष प्रक्रिया शामिल है।

भारत का संविधान। अन्यथा मुकाबला करने के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है। कानून में दिए गए सुरक्षा उपायों का हमेशा ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, खासकर तब जब सजा बहुत गंभीर हो। हालाँकि, प्रत्येक मामले का निर्णय सभी प्रासंगिक कारकों, विशेष रूप से अभियुक्त के खिलाफ साक्षय को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। [ पैरा 51] [770-बी-सी]

7.2 जबकि एक निष्पक्ष न्यायालय और/या न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार यू. डी. एच. आर. के तहत एक मानव अधिकार है और एक आवश्यक टोफान सिंह v.

तमिलनाडु राज्य

मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मुकदमे की निष्पक्षता को न केवल अभियुक्त के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, बल्कि पीड़ित और समाज के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध समाज के खिलाफ अपराध है न कि केवल एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ। जबकि किसी अभियुक्त के साथ अन्याय को रोकने के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम में सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि दोषी अपराधी तकनीकीताओं पर अधिक जोर देने के कारण बच न जाएं। पर्याप्त न्याय किया जाना चाहिए। साक्षय के प्रत्येक टुकड़े की निष्पक्ष रूप से जांच, मूल्यांकन और अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए विचार किया जाना चाहिए। [ पैरा 233] [867-बी-ई]

7.3 संविधान का अनुच्छेद 20 (3) किसी को सुरक्षा प्रदान करता है

संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के अवरोधक का घटक। अनुच्छेद 20 (3) प्रभावी रूप से इकबालिया बयान को स्वीकार करने पर रोक नहीं लगाता है, जो बिना किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के दिया जाता है, भले ही बाद में इसे वापस ले लिया गया हो। लेखयह अभियुक्त को स्वेच्छा से खुद को गवाह के रूप में जाँच के लिए प्रस्तुत करने से भी नहीं रोकता है। गवाह बनने की मजबूरी के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण केवल "अपराध के आरोपी" व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, न कि अभियुक्त के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए। यह गवाह बनने की मजबूरी के खिलाफ एक संरक्षण है और यह मजबूरी के खिलाफ एक संरक्षण है जिसके परिणामस्वरूप वह अपने खिलाफ सबूत देता है। [ अनुच्छेद 234 और 235] [867-ई-जी]

बालकिशन ए देवीदयाळ बनाम महाराष्ट्र राज्य (1980) 4 एस. सी. सी. 600: [ 1981 ] 1 एस. सी. आर. 175; नंदिनी सत्पथी बनाम। P.L.Dani और Anr. ( 1978 ) 2 एससीसी 424: [ 1978 ] 3 एस. सी. आर. 608 पर भरोसा किया।

7.4 दबाव कई रूपों में हो सकता है। यह शारीरिक या मानसिक हो सकता है। हालाँकि, मानसिक मजबूरी तब होती है जब

मन किसी बाहरी प्रक्रिया से इतना प्रभावित हुआ है किबयान को अनैच्छिक बनाना और इसलिए जबरन वसूली करना। अस्वास्थ्यकर, अस्वास्थ्यकर, असुविधाजनक और असुविधाजनक परिस्थितियों में, बिना उचित भोजन के घंटों तक निरंतर और लंबे समय तक पूछताछ द्वारा प्राप्त बयान, [2020] 12 एस. सी. आर.

पेयजल, शौचालय की सुविधा आदि को स्वैच्छिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 238] [868-डी-एफ]

बॉम्बे राज्य बनाम। काठी कालू ओगढ़ ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1808: [ 1962 ] एस. सी. आर. 10; पूलपांडी और अन्य। वी. अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य। ए. आई. आर. 1992 एससी

1795 : [ 1992 ] 3 एस. सी. आर. 247-पर निर्भर।

7.5 अनुच्छेद 20 (3) के तहत छूट दस्तावेजों या भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन या

नमूना लेखन, नमूना हस्ताक्षर, अंगूठे की छाप, उंगलियों के निशान या रक्त के नमूने देने की मजबूरी। हालाँकि, दस्तावेज़ों के संबंध में मजबूरी अनुच्छेद 20 (3) के प्रतिबंध को आकर्षित करती है यदि दस्तावेज़ आरोप से संबंधित अभियुक्त के बारे में व्यक्तिगत जानकारी व्यक्त करते हैं। [ पैरा 239] [868-एफ-जी]

मोहम्मद दस्तगीर बनाम। मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 756: [ 1960 ] एस. सी. आर. 116; बॉम्बे राज्य बनाम। काठी कालू ओघड़ 1961 एससी 1808; संपत कुमार बनाम। प्रवर्तन कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय, मद्रास 1997 8 एससीसी

358 [ 1997 ] 4 पूरक। एस. सी. आर. 142-पर निर्भर था।

7.6 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि किसी भी व्यक्ति की मजबूरी में किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 20 (3) को आकर्षित करना। मजबूरी में किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति साक्षय अधिनियम की धारा 24 द्वारा भी प्रभावित होगी। मजबूरी में स्वीकारोक्ति कानून की नजर में कोई सबूत नहीं है। [ पैरा 241] [869-सी-डी]

7.7 एक इकबालिया बयान, यदि मजबूरी से प्राप्त नहीं किया जाता है, जैसा कि न्यायिक रूप से समझाया गया है, तो धारा 25 और 26 द्वारा केवल तभी प्रभावित होगा जब

अधिनियम)। धारा 25 केवल एक पुलिस अधिकारी या एक अधिकारी पर लागू होगी जो Cr.PC की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की शक्ति सहित एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अधिकारी के पास पुलिस दर्ज करने की शक्ति नहीं है। Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट करें। [पैरा 242] [869-डी-एफ] टफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य

बडकू ज्योति सावंत बनाम। मैसूर राज्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1746: [ 1966 ] एससीआर 698; रोमेश चंद्र मेहता बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य ए. आई. आर 1970 एस. सी. 940: [ 1969 ] एससीआर 461 - पीछा किया।

7.8 एक इकबालिया बयान के परिणामस्वरूप स्वचालित रूप से एक आरोपी अपराधी को दोषी नहीं ठहराया जाता है। इस तरह के बयान

कानून के अनुसार निविदा और साबित किया जाना। द.बयान के साक्षय मूल्य, जो प्रकृति में इकबालिया है, को मुकदमे में अदालत द्वारा तौला और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। [ पैरा 243] [869-एफ-जी]

के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र। वी. भारत संघ और ओआरएस।

( 2017 ) 10 एससीसी 1: [ 2017 ] 10 एस. सी. आर. 569; मेनका गांधी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 597: [ 1978 ] 2

एस. सी. आर. 621-संदर्भित।

8.1 एक क़ानून विधायिका का एक आदेश है और इसका अर्थ "इसे बनाने वालों के इरादे" के अनुसार लगाया जाना चाहिए। यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक व्याख्याओं के लिए खुला है, तो न्यायालय को उस व्याख्या का चयन करना होगा जो विधायिका के सच्चे इरादे का प्रतिनिधित्व करती है। यह माना जाना चाहिए कि किसी संविधान के बाद के कानून को लागू करने में विधायी उद्देश्य नहीं हो सकता था

किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना। [ पारस 244 और 245] [870-ए-बी]

विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स प्रा. लिमिटेड वी. डाक टिकट के मुख्य निरीक्षक, यू. पी. ए. आई. आर 1968 एस. सी. 102: [ 1967 ] एससीआर 920 -

पर भरोसा किया।

8.2 विधायिका के इरादे का पता लगाने में न्यायालय दो पहलुओं की जांच करना है, कानून में उपयोग किए गए शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ और उद्देश्य और उद्देश्य या कानून के माध्यम से व्याप्त कारण और भावना। विधायी आशय, जो कि किसी अधिनियम का वास्तविक कानूनी अर्थ है, अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ पर विचार करके, किसी भी स्पष्ट उद्देश्य या अधिनियम के उद्देश्य के आलोक में निकाला जाता है। जब किसी कानून में किसी प्रावधान के अर्थ के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उस प्रावधान को इस संदर्भ में पढ़ना उचित होता है -

विधायिका का इरादा। विधानमंडल के इरादे का पता क़ानून को समग्र रूप से पढ़कर लगाया जाना चाहिए। [ पैरा 246 और 247] [870-सी-ई] [2020] 12 एस. सी. आर.

8.3 एक क़ानून या किसी भी वैधानिक प्रावधान का अर्थ इस तरह से लगाया और व्याख्या की जानी चाहिए जो क़ानून को प्रभावी और प्रभावी बनाता है।

मैक्सिम यू. टी. रेज़ मैजिस वलीयत क्वाम पेरेत और/या दूसरे शब्दों में व्यक्त किए गए सिद्धांत पर कार्यात्मक, यह सिद्धांत कि अदालतें किसी क़ानून की संवैधानिकता पर निर्णय लेते समय संवैधानिकता के पक्ष में धारणा के साथ शुरू होती हैं और एक

निर्माण जो कानून को विधायिका की क्षमता के भीतर रखता है। [ पैरा 248] [870-ई-एफ]

8.4 इस प्रकार जब कोई क़ानून अस्पष्ट होता है, तो न्यायालय ऐसी व्याख्या देगा जो क़ानून को क़ानून के अनुरूप रखे।

मौलिक अधिकार। इसी तरह, यदि कोई क़ानून दो व्याख्याओं में सक्षम है, जिनमें से एक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और दूसरा मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो अदालत बाद वाले का विकल्प चुनेगी। [ पैरा 249] [870-एफ-जी]

8.5 जब कोई वैधानिक प्रावधान स्पष्ट होता है और कोई अस्पष्टता नहीं होती है, तो यह न्यायालय अपने द्वारा उस प्रावधान को बदल नहीं सकता है।

9.1 इसमें कोई संदेह नहीं है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में गंभीर दंडात्मक प्रावधान हैं। के साथ कोई विवाद भी नहीं हो सकता है प्रस्ताव है कि जब कठोर प्रावधान, एक गंभीर सजा की ओर ले जाते हैं, तो एक तरफ कानून की आवश्यकता और उसके प्रवर्तन और एक तरफ कानून के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा।

उत्पीड़न और अन्याय से नागरिक। धारा 42 और 43 की आवश्यकताओं का कड़ाई से और अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। [ पैरा 252] [871-सी-ई] टफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य

राजस्व निदेशालय और एक अन्य v. मोहम्मद निसार होलिया (2008) 2 एससीसी 370: [ 2007 ] 12 एससीआर 906

- पर भरोसा किया।

9.2 इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति "विश्वास करने का कारण" रखने वाले सक्षम अधिकारी पर आधारित है, जो व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित

हो सकता है, या एक सूचना देने वाले द्वारा प्रदान की गई गुप्त जानकारी हो सकती है जिसके नाम का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। [ पैरा 253] [871-ई-एफ]

9.3 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच/जांच किसी भी रिपोर्ट में समाप्त नहीं होती है। जाँच एक प्रकृति में है

प्रारंभिक जाँच जिससे विशेष न्यायालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अभियोजन पक्ष को विशेष न्यायालय के समक्ष अपना मामला साबित करना होता है जो अभिलेख पर साक्षय की जांच, विश्लेषण, मूल्यांकन और तौल करेगा। संदेह किसी भी परिस्थिति में साक्षय का विकल्प नहीं हो सकता है। अपराध के लिए सजा जितनी कठोर होगी, सबूत की मात्रा उतनी ही कठोर होगी। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। [ पैरा 256] [872-बी-डी]

पंजाब राज्य बनाम। बलदेव सिंह (1999) 6 एससीसी 172: [ 1999 ] 3 एससीआर 977; रितेश चक्रवर्ती बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2006) 12 एससीसी 321: [ 2006 ] 6 पूरक।

एस. सी. आर. 772-निर्भर।

10.1 संविधान पीठों द्वारा निर्धारित कानून का प्रस्ताव यह है कि, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या एक अधिकारी है साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर एक पुलिस अधिकारी माना जाता है, क्या ऐसे अधिकारी के पास सभी शक्तियां हैं

Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने की शक्ति सहित पुलिस अधिकारी। इसलिए, यह सवाल कि क्या वास्तव में या सार में शिकायत के बीच कोई अंतर हैकेंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) और Cr.P.C की धारा 173 के तहत दायर पुलिस रिपोर्ट पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

तीन न्यायाधीशों की इस पीठ द्वारा तीन पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसलों को ध्यान में रखते हुए जो इस पीठ पर बाध्यकारी हैं। [ पैरा 263 और 264] [873-डी-एफ] [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10.2 यह सवाल कि क्या एक जांच अधिकारी ने एक विशेष अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच के उद्देश्य से एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों का निवेश किया है।

जैसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम को Cr.P.C की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर करने का अधिकार है, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसलों को देखते हुए इस पीठ द्वारा फिर से नहीं खोला जा सकता है। [ पैरा 265] [873-एफ-जी]

10.3 एक क़ानून स्पष्ट रूप से Cr.P.C की धारा 173 को उस क़ानून के तहत पूछताछ और जाँच के लिए लागू कर सकता है।

हालांकि, एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसे कानून के मामले में, जहां Cr.P.C के प्रावधान किसी भी जांच/जांच पर लागू नहीं होते हैं, सिवाय इसके कि उसमें प्रावधान किया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि अधिकारी ने

Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने के लिए एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियां। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में कोई प्रावधान भी नहीं है।

कानून के न्यायालय में एक रिपोर्ट दायर करने के लिए जो Cr.P.C की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट के समान है। [पैरा 267] [874-बी-सी]

10.4 न्यायिक अनुशासन और औचित्य के मानदंडों के अनुसार, कम संख्या वाली पीठ निर्धारित प्रस्ताव पर पुनर्विचार नहीं कर सकती है

धारा 50 (5) और 51 में प्रदान की गई सीमित सीमा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम पर Cr.P.C की धारा 173 लागू नहीं की गई है। [ पैरा 270] [874-एफ-जी] 11. राज कुमार करवाल मामले में इस न्यायालय का निर्णय जिसने तीन संविधान पीठों के फैसले की पुष्टि की है

पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। न ही कन्हैयालाल मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता है। [ पैरा 271] [874-जी-एच]

* राज कुमार करवाल बनाम। भारत संघ (1990) 2 एस. सी. सी. 409 [1990] 2 एस. सी. आर. 63;
* * कन्हैयालाल बनाम। भारत संघ (2008) 4 एससीसी 668: [ 2008 ] 1 एससीआर 350-निर्भर

पर।

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य

नूर आगा बनाम। पंजाब और अन्र राज्य। ( 2008 ) 16 एससीसी

417 : [ 2008 ] 10 एस. सी. आर. 379-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

आर. एफ. नरीमन के निर्णय में, जे.

[ 2013 ] 9 एससीआर 962

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

( 2001 ) 9 एस. सी. सी. 578

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[ 1996 ] 10 पूरक। एससीआर 284

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[ 1954 ] एससीआर 1077

पीछा किया।

पैरा 14

[ 1963 ] 2 एससीआर 10

पीछा किया।

पैरा 17

[ 1961 ] 1 एससीआर 14

पीछा किया।

पैरा 17

[ 1978 ] 3 एससीआर 608

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[ 2017 ] 10 एससीआर 569

पीछा किया।

पैरा 25

[ 1954 ] एससीआर 1077

खारिज कर दिया गया

पैरा 25

[ 1961 ] 1 एससीआर 14

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[ 1966 ] 1 एससीआर 134

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

[ 2008 ] 1 एससीआर 281

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

[ 2004 ] 3 एससीआर 44

उस पर भरोसा करें

पैरा 46

[ 2010 ] 13 एससीआर 255

पैरा 49

संदर्भित किया गया है

[ 1999 ] 3 पूरक। एससीआर 174

पीछा किया।

पैरा 48

[ 1999 ] 3 पूरक। एससीआर 174

पीछा किया।

पैरा 55

[ 2009 ] 5 एससीआर 205

उस पर भरोसा करें

पैरा 56

[ 1982 ] 1 एससीआर 629

उस पर भरोसा करें

पैरा 59

[ 1979 ] 3 एससीआर 373

संदर्भित किया गया है

पैरा 60

[ 1965 ] 3 एससीआर 86

लागू नहीं होता है

पैरा 65

[ 1959 ] पूरक (2) एस. सी. आर. 875

पीछा किया।

पैरा 66

[ 2018 ] 9 एससीआर 1006

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

( 2004 ) 5 एससीसी 223

संदर्भित किया गया है

पैरा 73 [2020] 12

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 1955 ] 1 एससीआर 1150

उस पर भरोसा करें

पैरा

[ 1959 ] सप. 2 एससीआर 201

उस पर भरोसा करें

पैरा

[ 1962 ] 3 एससीआर 338

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[ 1964 ] 2 एससीआर 752

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[ 1966 ] 3 एससीआर 698

संदर्भित किया गया है

पैरा

[ 1969 ] 2 एससीआर 461

संदर्भित किया गया है

पैरा

[ 1969 ] 2 एससीआर 613

पैरा I

संदर्भित किया गया है

[ 1975 ] 1 एससीआर 881

संदर्भित किया गया है

पैरा I

[ 1981 ] 1 एससीआर 175

संदर्भित किया गया है

पैरा I

[ 1997 ] 2 पूरक। एससीआर 234

संदर्भित किया गया है

पैरा I

[ 1990 ] 2 एससीआर 63

खारिज कर दिया गया

पैरा

[ 1994 ] 2 एससीआर 375

संदर्भित किया गया है

पैरा:

[ 2008 ] 1 एससीआर 350

खारिज कर दिया गया

पैरा:

[ 2008 ] 10 एससीआर 379

उस पर भरोसा करें

पैरा:

[ 2011 ] 9 एससीआर 446

उस पर भरोसा करें

पैरा:

इंदिरा बनर्जी के फैसले में, जे.

[ 2008 ] 10 एससीआर 379

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[ 2004 ] 3 एससीआर 44

उस पर भरोसा करें

पैरा ई

[ 1976 ] 3 एससीआर 956

उस पर भरोसा करें

पैरा

अप्रयोज्य रखा गया

ए. आई. आर 1960 एस. सी. 490

पैरा 8

अप्रयोज्य रखा गया

[ 1998 ] 2 एससीआर 303

पैरा

अप्रयोज्य रखा गया

[ 2001 ] 4 पूरक। एससीआर 25

पैरा

[ 2009 ] 13 एससीआर 378

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[ 1966 ] एससीआर 31

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

( 2001 ) 1 एससीसी 78

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[ 2003 ] 2 पूरक। एससीआर 445

संदर्भित किया गया है

पैरा I

[ 2000 ] 5 पूरक। एससीआर 408

संदर्भित किया गया है

पैरा I

[ 1962 ] एससीआर 338

उस पर भरोसा करें

पैरा टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य

[ 1964 ] एससीआर 752

संदर्भित किया गया है

पैरा 160

[ 1966 ] एससीआर 698

पीछा किया।

पैरा 165

[ 1969 ] एससीआर 461

पीछा किया।

पैरा 167

[ 1969 ] एससीआर 613

पीछा किया।

पैरा 168

[ 1975 ] 1 एससीआर 881

उस पर भरोसा करें

पैरा 170

[ 1981 ] 1 एससीआर 175

उस पर भरोसा करें

पैरा 171

[ 1990 ] 2 एससीआर 63

उस पर भरोसा करें

पैरा 172

[ 2008 ] 1 एससीआर 350

उस पर भरोसा करें

पैरा 174

( 2001 ) 9 एस. सी. सी. 578

संदर्भित किया गया है

पैरा 181

[ 1999 ] 3 एससीआर 897

उस पर भरोसा करें

पैरा 182

[ 2015 ] 2 एससीआर 835

पीछा किया।

पैरा 188

[ 1963 ] पूरक। एससीआर 724

पीछा किया।

पैरा 188

[ 2005 ] 1 पूरक। एससीआर 49

उस पर भरोसा करें

पैरा 189

[ 2003 ] 3 पूरक। एससीआर 24

उस पर भरोसा करें

पैरा 190

[ 2004 ] 1 एससीआर 378

उस पर भरोसा करें

पैरा 191

[ 2015 ] 2 एससीआर 835

उस पर भरोसा करें

पैरा 192

[ 2008 ] 14 एस. सी. आर. 17

संदर्भित किया गया है

पैरा 202

[ 1997 ] 1 एससीआर 797

संदर्भित किया गया है

पैरा 203

[ 1995 ] 4 पूरक। एससीआर 778

पैरा 203

संदर्भित किया गया है

[ 2017 ] 10 एससीआर 569

संदर्भित किया गया है

पैरा 232

[ 1978 ] 2 एससीआर 621

पैरा 232

संदर्भित किया गया है

[ 1981 ] 1 एससीआर 175

उस पर भरोसा करें

पैरा 236

[ 1978 ] 3 एससीआर 608

उस पर भरोसा करें

पैरा 236

[ 1962 ] एससीआर 10

उस पर भरोसा करें

पैरा 238

उस पर भरोसा करें

[ 1992 ] 3 एससीआर 247

पैरा 238

[ 1960 ] एससीआर 116

उस पर भरोसा करें

पैरा 239

1961 एससी 1808

उस पर भरोसा करें

पैरा 239

[ 1997 ] 4 पूरक। एससीआर 142

उस पर भरोसा करें

पैरा 240 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 1966 ] एससीआर 698

पीछा किया।

पैरा 242

[ 1969 ] एससीआर 461

पैरा 242

पीछा किया।

[ 1967 ] एससीआर 920

उस पर भरोसा करें

पैरा 244

[ 2007 ] 12 एससीआर 906

उस पर भरोसा करें

पैरा 252

[ 1999 ] 3 एससीआर 977

उस पर भरोसा करें

पैरा 255

[ 2006 ] 6 पूरक। एससीआर 772

उस पर भरोसा करें

पैरा 256

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2013 का सं. 152।

उच्च न्यायालय के 18.06.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 की आपराधिक अपील संख्या 8 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

के साथ आपराधिक अपील सं। 1750 2009 का 2214,2009 का 827,2010 का 827,

835 2011 का 836,2011 का 344,2013 का 1826,2014 का 433,2015 का 77,2017 का 90,2017 का 91,2015 का 6338 और 2017 का 1202 विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.)।

अमन लेखी, एएसजी, सौरभ मिश्रा, एएजी, सुशील कुमार जैन,

आनंद ग्रोवर, एस. नागमुथु, ए. के. श्रीवास्तव, आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, हर्ष जैन, हर्षित खांडुजा, सुश्री प्रतिभा जैन, श्रीमती कंचन कौर धोड़ी, उदय गुप्ता, सुश्री शिवानी एम. लाल, हीरेन दासन, एम. के. त्रिपाठी, चांद कुरैशी, मोहन पांडे, संजय जैन, विनय अरोड़ा, श्रीमती के. शारदा देवी, रंजन कुमार, नचिकेता जोशी, सुश्री सुचेता जोशी, सुश्री हिमाद्री हक्सर, अभिषेक सिंह, श्रेष्ठ आर्य, अमित भल्ला, सतबीर सिंह पिल्लानिया, त्रिपाठी टंडन, संदीप कालिया, सोमवीर देसवाल, सुश्री रीना राव, अरुण कुमार सिंह, नंद राम, डॉ. सुशील बलवाड़ा, प्रभु रामसुब्रमण्यन, रघुनाथ सेतुपति,

करुप्पैया मेयप्पन, हार्दिक गौतम, के. परी वेंधन, कुलदिप सिंह, श्रीयश, सुश्री जसप्रित गोगिया, अनिरुद्ध पी. मयी, सुश्री रंजना

नारायण, हरीश पांडे, अक्षय अमृतांशु, ऋत्विज रिभाव, बी. कृष्ण प्रसाद, श्रीमती अनिल कटियार, विभु शंकर मिश्रा, सुश्री सुहासिनी सेन, बी. वी. बलराम दास, मनीष वशिष्ठ, सुश्री लिज़ मैथ्यू, सी. के. शशि, सौरभ कृपाल, संजय अग्रवाल, आशीष बत्रा, अमित के. नैन, अर्जुन।

गर्ग, श्रुतिका गर्ग, जॉन मैथ्यू, विनोद कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य

न्यायालय के निर्णय दिए गए थेआर. एफ. नरीमन, जे. *

1. ये अपीलें और विशेष अनुमति याचिकाएं तोफान के रूप में रिपोर्ट की गई इस अदालत की एक खंड पीठ के संदर्भ आदेश के आधार पर उत्पन्न होती हैं।

सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य (2013) 16 एससीसी 31. उस अपील के तथ्यों को उस फैसले में कुछ विस्तार से निर्धारित किया गया है, और हमें इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने

अभिलिखित किया कि 2013 की आपराधिक अपील में अपीलार्थी ने मुख्य रूप से तीन आधारों पर अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी, जो इस प्रकार है:

"24.1 . दोषसिद्धि पूरी तरह से एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए कथित इकबालिया बयान पर आधारित है जिसमें कोई नहीं है।

साक्षय का मूल्य इस प्रकार है:

( क) बयान एक अधिकारी को दिया गया था और दर्ज किया गया था जिसे "पुलिस अधिकारी" के रूप में माना जाना है और इस प्रकार, धारा 25 द्वारा मारा जाता है

साक्षय अधिनियम।

( ख) ऐसा कोई इकबालिया बयान दर्ज नहीं किया जा सकता है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67। यह प्रावधान आह्वान करने का अधिकार देता है

जानकारी और इस तरह के इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए नहीं। इस प्रकार, इस प्रावधान के तहत दर्ज किया गया बयान बयान के समान है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत।

( ग) किसी भी मामले में, उक्त कथन को वापस ले लिया गया है, यह हो सकता है

दृढ़ विश्वास का आधार नहीं रहा है और केवल इसका उपयोग किया जा सकता है

अन्य सबूतों की पुष्टि करें।

2. "नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (" एन. डी. पी. एस. एक्ट ") की धारा 67 के तहत बयान का प्रमाणिक मूल्य" शीर्षक के तहत, अदालत ने राज कुमार करवाल बनाम के फैसलों को नोट किया। भारत संघ (1990) 2 एस. सी. सी. 409 और कन्हैयालाल बनाम। भारत संघ (2008) 4 एस. सी. सी. 668, साथ ही कुछ अन्य निर्णय, विशेष रूप से अब्दुल राशिद बनाम। बिहार राज्य (2001) 9 एस. सी. सी. 578 और नूर आगा बनाम पंजाब राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 417 और उसके बाद यह निष्कर्ष निकला कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम, एक दंडात्मक क़ानून होने के नाते, सीमा शुल्क अधिनियम के विपरीत है।

1962 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के राजस्व की रक्षा करना है, और इसलिए, उन अधिनियमों के संदर्भ में दिए गए निर्णय एन. डी. पी. एस. अधिनियम पर विचार करते समय उपयुक्त नहीं हो सकते हैं-पैराग्राफ 33 देखें। उसके बाद कई अन्य बातों पर विचार करें।

* एड। ध्यान दें: आर. एफ. नरीमन, जे. (अपने और नवीन सिन्हा, जे. के लिए) द्वारा दिया गया निर्णय

निर्णयों में, रेफरल आदेश में कहा गया है कि राज कुमार करवाल (ऊपर) और कन्हैयालाल (ऊपर) के अनुपात पर फिर से विचार करना आवश्यक होगा, और इस मामले को एक बड़ी पीठ को इस प्रकार भेजा गया है:

" 41. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि मामले को इस मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है कि क्या अधिकारी के तहत मामले की जांच कर रहा है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम पुलिस अधिकारी के रूप में योग्य होगा या नहीं। 42. इस संदर्भ में, अन्य संबंधित मुद्दा अर्थात। क्या जांच अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान को इकबालिया बयान के रूप में माना जा सकता है या नहीं, भले ही अधिकारी को पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं माना जाता है, उसे भी बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पहले मुद्दे के एक पहलू के साथ मिश्रित है कि क्या इस तरह के बयान को संहिता की धारा 161 के तहत बयान के रूप में माना जाना है या यह इसमें भाग लेता है।

संहिता की धारा 164 के तहत बयान का चरित्र।

43. जहाँ तक इस दूसरे संबंधित मुद्दे का संबंध है, हम यह भी बताना चाहेंगे कि श्री जैन ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों की व्याख्या उस तरीके से नहीं की जा सकती है जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 या उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों की व्याख्या कई निर्णयों द्वारा की गई थी और प्रावधानों के दो सेटों के बीच एक गुणात्मक अंतर है। जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 का संबंध है, यह सीमा शुल्क अधिकारी को "साक्ष्य देने" और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति देता है। अधिनियम की धारा 14 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को समान शक्ति प्रदान की जाती है। हालाँकि, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के शब्द पूरी तरह से अलग हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाहिद खान बनाम में इस अंतर की ओर इशारा किया है। राजस्व खुफिया निदेशक [2001 सी. आर. आई. एल. जे. 3183 (एपी)]। ”

3. श्री सुशील कुमार जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

आपराधिक अपील सं. में अपीलार्थी। 152 2013 का; 2011 का 836; 2014 का 433; 2015 का 77 और 2017 का 1202 ने हमारे सामने छह मुद्दों को रेखांकित किया, जो वास्तव में दो मुद्दों पर आधारित हैं, अर्थात्:

" 1. क्या "एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी" और/या "एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी" "पुलिस अधिकारी" हैं

और इसलिए ऐसे अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयान साक्षय अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रभावित होंगे; और टोफान सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

2. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रदत्त शक्ति की सीमा, प्रकृति, उद्देश्य और दायरा क्या है और इसकी धारा 42 के तहत एक अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, और क्या धारा 67 के तहत शक्ति स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति है जो किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ठोस सबूत के रूप में उपयोग करने में सक्षम है?

4. श्री जैन ने हमें एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया, जो उनके अनुसार एक विशेष अधिनियम है, और इस विषय पर एक पूर्ण संहिता है। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम कभी-कभी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सी. आर. पी. सी".); कभी-कभी कहता है कि यह लागू होता है; और कभी-कभी कहता है कि इसे आवश्यक संशोधनों के साथ लागू किया जाता है। श्री जैन के अनुसार, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41 (2) और धारा 42 एक 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' का उल्लेख करती है जो श्री जैन द्वारा दर्ज की जा रही है।

अधिकारियों ने उसमें उल्लेख किया। चूंकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 68 के तहत सूचना के स्रोत को गुप्त रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए इन प्रावधानों के तहत जानकारी प्राप्त करने वाले अधिकारी को सूचना देने वाला माना जाता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत अधिकारियों को सौंपे गए कार्य संख्या में चार हैं, अर्थात् प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी। इसके विपरीत, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 नामित अधिकारियों को जांच की प्रक्रिया के लिए 'एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी' की सभी शक्तियों के साथ निवेश करती है, जो तब एक धारा 42 अधिकारी द्वारा एकत्र की गई जानकारी के बाद शुरू होगी धारा 53 के तहत नामित अधिकारी को सौंप दिया जाता है, और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 ए (1) (डी) के तहत विशेष अदालत में सी. आर. पी. सी. की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ समाप्त होता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, धारा 67 को केवल धारा 42 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, और यह सूचना मांगने की शक्ति है ताकि धारा 42 में उल्लिखित "विश्वास करने का कारण" तब बिना किसी कारण के बनाया जा सके।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही। इस प्रकार, "विश्वास करने का कारण", जो "संदेह करने के कारण" की तुलना में उच्च सीमा पर है-जो वाक्यांश एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 49 में इस्तेमाल किया गया है-अधिकारी के आगे बढ़ने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। श्री जैन ने तर्क दिया कि विश्वास करने का कारण अधिकारी के कार्य करने से पहले बनाया जाना चाहिए, और इसलिए, धारा 67 धारा 42 के तहत नामित अधिकारी की शक्तियों के प्रयोग के पूर्ववर्ती स्तर पर काम करती है। इसके

बाद उन्होंने तर्क दिया कि इन प्रावधानों को सख्ती से विषय के पक्ष में समझा जाना चाहिए, क्योंकि वे हाल ही में निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

इस न्यायालय द्वारा के. एस. पुट्टास्वामी और ए. एन. आर. में मान्यता प्राप्त। वी. भारत संघ और ओआरएस। ( 2017 ) 10 एससीसी 1. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम इसलिए [2020] 12 एस. सी. आर. की शक्तियों के बीच एक विधायी संतुलन को शामिल करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्ति के गोपनीयता अधिकारों को बनाए रखने के लिए जांच और दायित्व। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत "जानकारी" को "सबूत" के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जो कि भारतीय कानून के तहत "सबूत" की परिभाषा के अनुसार केवल अदालत के समक्ष सबूत है।

साक्षय अधिनियम, 1872 ("साक्षय अधिनियम")। उन्होंने यह दिखाने के लिए निर्णयों का हवाला दिया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए गवाह के बयान भी ठोस सबूत नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 की तुलना राजस्व अधिनियमों के तहत अधिकारियों की साक्षय दर्ज करने की शक्ति से की, जैसे कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 108 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 14। इसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि सीआरपीसी की धाराओं में निहित कोई भी सुरक्षा उपाय एनडीपीएस अधिनियम में निहित नहीं हैं, जब व्यक्ति से धारा 67 के तहत पूछताछ की जाती है, तो जाहिर है कि धारा 67 के तहत अधिकारियों को दिए गए बयान ठोस सबूत नहीं हो सकते हैं, जिसके आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है। अ.

महत्वपूर्ण तर्क यह था कि यह अत्यधिक असंगत होगा यदि कोई अधिकारी

पुलिस विभाग की धारा 42 के तहत सशक्त और धारा 67 के तहत समान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक इकबालिया बयान दर्ज करता है।

जो साक्षय अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रभावित होगी, जबकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत समान शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी, जो नियमित पुलिसकर्मी नहीं हैं, इकबालिया बयान दर्ज करने में सक्षम होंगे, और सभी संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करेंगे। श्री जैन ने तर्क दिया किएन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान बेहद सख्त हैं, उनका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, धारा 67 के तहत प्रदत्त मनमाना शक्ति

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के नामित अधिकारी पर। विद्वान वकील के अनुसार, इसमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए (1)

(डी) के तहत विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर करने की शक्ति सहित सीआरपीसी की धाराओं 160-173 में निहित शक्तियों का पूरा सरगम शामिल होगा। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एनडीपीएस की धारा 53ए अधिनियम से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए इकबालिया बयान, जो अन्यथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा प्रभावित होते हैं, केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53ए के तहत उल्लिखित दो आकस्मिकताओं में प्रासंगिक बनाए जाते हैं, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में बताए गए सामान्य नियम के अपवाद हैं। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 का उपयोग उसमें धारा 53ए को दरकिनार करने और इसे टोफान सिंह बनाम बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ओटियोस। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय अपराध हैं, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 जैसे राजस्व कानूनों के विपरीत, और फिर तर्क दिया कि "शिकायत"

धारा 59 (3) के तहत दायर शिकायत का संदर्भ। उन्होंने धारा 53 के तहत संबंधित अधिकारी को अनुदान देने की विसंगतियों की ओर भी इशारा किया। एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियाँ, जो, जब तक कि

यह एक अंतिम रिपोर्ट के रूप में समाप्त होता है, चीजों को लटका देगा। इस प्रकार, यदि संबंधित अधिकारी को पता चलता है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, और

कि अभियुक्त को रिहा किया जाना चाहिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 लागू होगी। सी. आर. पी. सी. की धारा 169 के अभाव में, जैसा कि दूसरे पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है, यदि आरोपी के खिलाफ सबूत की कमी पाई जाती है तो उसे आरोपमुक्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। एक पूर्वाग्रहहीन तर्क में कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत शिकायतें इसके बाहर की जा सकती हैं।धारा 59 (3), श्री जैन ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वास्तव में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत "शिकायत" और सी. आर. पी. सी. के तहत आरोप पत्र में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत शिकायत किए जाने से पहले ही जांच की जा चुकी है। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि राज कुमार करवाल (ऊपर) और कन्हैयालाल दोनों

( उपर्युक्त) को हमारे द्वारा रद्द किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने गलती से पहले के निर्णयों को लागू किया जो खुद को राजस्व कानूनों से संबंधित करते थे, न कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसे दंडात्मक कानूनों से। फिर उन्होंने हमें संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और साक्षय अधिनियम की धारा 25 का उल्लेख किया, और इस बात को स्पष्ट करने के लिए कई मामलों के कानून का हवाला दिया कि इस देश में, जांच के दौरान व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक तरीकों का उपयोग किया जाता है, एक पुलिस अधिकारी को दिए गए सभी इकबालिया बयान, चाहे वे जांच के दौरान या उससे पहले किए गए हों, पर मुकदमे में

सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने इस न्यायालय के कई फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि "पुलिस अधिकारी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, और इसलिए कार्यात्मक परीक्षण लागू होना चाहिए, अर्थात्, एक व्यक्ति जिसे दिया गया है।

सी. आर. पी. सी. के तहत एक पुलिस अधिकारी के रूप में समान कार्य, विशेष रूप से अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच के दौरान, साक्षय अधिनियम की धारा 25 के उद्देश्य के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में माना जाना चाहिए। मेंअपनी प्रस्तुतियों के दौरान, उन्होंने इस न्यायालय के कई निर्णयों और विशेष रूप से, पंजाब राज्य बनाम के निर्णयों का उल्लेख किया। बरकत राम (1962) 3 एस. सी. आर. 338; राजा राम जैसवाल बनाम। बिहार राज्य (1964) 2 एस. सी. आर. 752; बडकू ज्योति सावंत बनाम। मैसूर राज्य (1966) 3 एससीआर 698; रोमेश चंद्र मेहता बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1969) 2 एससीआर

461 ; इलियास वी। सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास (1969) 2 एससीआर 613; और [2020] 12 एससीआर।



कब्जा) अधिनियम, 1966, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962। 5. श्री पुनीत जैन ने मुकेश मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के हाल के एक फैसले के संदर्भ में इन दलीलों को पूरक बनाया।

सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली की मादक पदार्थ शाखा) 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 700 ने कहा कि चूंकि उस फैसले में कुछ विसंगत टिप्पणियां पाई जानी हैं, इसलिए इसे एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है। किसी भी मामले में, उन्होंने तर्क दिया कि धारा 42 के चरण से शुरू होने वाली जांच के बारे में उस फैसले में की गई टिप्पणियां केवल शिकायतकर्ता और जांचकर्ता के समान होने के संदर्भ में थीं, जिस मामले में, यदि पूर्वाग्रह पैदा हुआ था, तो मुकदमे को निर्णय के संदर्भ में दूषित किया जा सकता है।

6. श्री आनंद ग्रोवर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, 2017 की आपराधिक अपील संख्या 90 में अपीलार्थी की ओर से पेश हुए।

प्रारंभिक तथ्य-धारा 42 के तहत "विश्वास करने का कारण" बनाने से पहले अभ्यास का पता लगाना, जो तब अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच का कारण बन सकता है। उन्होंने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का भी उल्लेख किया और कहा कि जिन शर्तों के तहत व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, उनके बारे में उच्च सुरक्षा दिए जाने पर निष्कर्ष निकालना अकल्पनीय होगा।कि धारा 67 के तहत, इकबालिया बयान तोफान सिंह v के बिना दर्ज किए जा सकते हैं।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिक, किसी भी सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं, जिस पर दोषसिद्धि तब आधारित हो सकती है। उन्होंने पंजाब राज्य बनाम पर दृढ़ता से भरोसा किया। बलदेव सिंह (1999) 6 एस. सी. सी. 172 और इसके बाद विजयसिंह चंदुभा जडेजा बनाम।

गुजरात राज्य (2011) 1 एस. सी. सी. 609 ने तर्क दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 में उप-धारा (5) और (6) जोड़ने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। धारा 50 (1)-(4) में जो निहित था उसे पतला करें, और इसका उपयोग केवल आकस्मिक और तत्काल स्थितियों में किया जा सकता है। उन्होंने आतंकवादी जैसे कानूनों का उल्लेख किया

और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 ("टाडा"), और कहा कि जहां कुछ सीमित परिस्थितियों में अपवाद किए गए थे

साक्षय अधिनियम की धारा 25 में, उन्हें कई सुरक्षा उपायों के साथ सुरक्षित किया गया था, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कर्तार सिंह बनाम में निर्धारित किया गया था। पंजाब राज्य (1994) 3 एससीसी 569। उनके अनुसार, इसलिए, साक्षय अधिनियम की धारा 25 के संदर्भ में किए गए इकबालिया बयानों के संदर्भ में, एनडीपीएस अधिनियम के तहत विशेष पुलिस अधिकारियों को शामिल करने के लिए "पुलिस अधिकारी" को कार्यात्मक रूप से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने श्री जैन के साथ मिलकर राज कुमार करवाल (ऊपर) और कन्हैयालाल (ऊपर) को हटाने की मांग की। 7. 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1826 में अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 से 43 का उल्लेख किया और इस तथ्य पर जोर दिया कि किसी भी अपराध की "जांच" करने की कोई शक्ति उल्लिखित अधिकारियों में निहित नहीं है

इन खंडों में। इसके बाद उन्होंने सी. आर. पी. सी. की धारा 36 का उल्लेख किया और कहा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में अपनाई जाने वाली योजना को धारा 36 में समाहित किया जा सकता है, जिसमें एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से बेहतर रैंक के पुलिस अधिकारी उसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, पूरे स्थानीय क्षेत्र में जिसमें उन्हें नियुक्त किया जाता है, जैसा कि अपने स्टेशन की सीमा के भीतर ऐसे अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि साक्षय अधिनियम की धारा 25 केवल निर्माता के खिलाफ किए गए इकबालिया बयानों पर लागू होती है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों के खिलाफ है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत साक्षय में प्राप्त होने से पूरी तरह से वर्जित हैं, सिवाय विरोधाभास के उद्देश्यों के। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 41 या धारा 42 अधिकारी को दिए गए इकबालिया बयान को भी साक्षय अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रभावित किया गया था। उन्होंने कहा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 ए में विशेष प्रक्रिया केवल क्यू. ए. लागू होती है।

तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दंडनीय अपराध और जहां अधिनियम के तहत अपराध तीन वर्ष तक की अवधि के लिए दंडनीय हैं, वे

सी. आर. पी. सी. के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जाना है। जाहिर है, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकारी अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच करेंगे जो तीन साल तक की अवधि के लिए दंडनीय है, और पुलिस [2020] 12 एस. सी. आर. दर्ज करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा के तहत प्रक्रिया के रूप में रिपोर्ट, कोई शिकायत प्रक्रिया नहीं है

36 एन. डी. पी. एस. अधिनियम का ए, तब लागू होगा। उनके अनुसार, इससे पता चलेगा कि जांच तीन साल तक की अवधि के लिए दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस रिपोर्ट में समाप्त होती है, जिसके परिणामस्वरूप कौन सी धारा लागू होती है।

36 ए (1) (डी) को विशेष न्यायालय तक पहुँचने के दो तरीकों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए-एक, पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से, और दूसरा, विशेष न्यायालय में शिकायत के माध्यम से।

8. 2013 की आपराधिक अपील संख्या 344 में अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री उदय गुप्ता ने इसके पूरक के रूप में कहा

उनके पूर्ववर्तियों के तर्क, और इस तथ्य पर जोर दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत "जांच" संभवतः द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है

सी. आर. पी. सी. की धारा 2 (जी) के तहत "जांच" की परिभाषा, क्योंकि वह "जांच" केवल मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा की गई पूछताछ से संबंधित है। इसलिए, धारा 67 के तहत "जांच" अभिव्यक्ति को इसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए, जो इंगित करेगा कि यह केवल एक प्रारंभिक तथ्य है-जांच का पता लगाना।जिसका उल्लेख किया गया है। उन्होंने कानून प्रवर्तन पुस्तिका निदेशालय पर दृढ़ता से भरोसा किया, जिसमें निदेशालय ने स्पष्ट किया कि जब पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत बयान दर्ज किए जाते हैं, तो ये सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि ऐसा है, तो पुलिस के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत उल्लिखित, जो कि सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत दिए गए बयान नहीं हैं-साक्षय में स्वीकार्य होना बेहद विसंगत होगा, जिसके आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।

9. श्री गुप्ता के बाद आपराधिक अपील सं. 1750 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय जैन आए।

2009 , जिन्होंने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53ए और धारा 53 के तहत की गई अधिसूचनाओं का उल्लेख करके अपने पूर्ववर्तियों के तर्कों को पूरा किया। उन्होंने दोहराया कि धारा 42 के तहत अधिकारी और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकारी अलग-अलग कार्य करते हैं, और यह कि धारा 53 अधिकारी, जिसे "जांच" करने का अधिकार है, निश्चित रूप से विशेष अदालत के समक्ष पुलिस रिपोर्ट दायर करने की शक्ति रखता है।10. भारत संघ की ओर से उपस्थित अपर सॉलिसिटर जनरल श्री अमन लेखी ने हमें एन. डी. पी. एस. अधिनियम के बारे में बताया और कहा कि समग्र रूप से यह एक संतुलित कानून है जो अपराध की जांच के साथ-साथ नागरिक दोनों की रक्षा करता है, जिसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल थे। उन्हें यह बताते हुए दुख हो रहा था कि यह उनका मामला नहीं था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67, टोफान सिंह बनाम के तहत एक स्वीकारोक्ति दर्ज की गई थी।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिक के बिना, अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा। उनके अनुसार, यह केवल तभी किया जा सकता है जब साक्षय अधिनियम की धारा 24 पूरी हो जाए, और न्यायालय संतुष्ट हो कि इस प्रकार दर्ज किया गया इकबालिया बयान स्वैच्छिक और सच्चा दोनों था। किसी भी मामले मेंमामले में, उन्होंने जोर देकर कहा कि डी. के. बसु बनाम में जिन सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया गया है। भारत संघ (1997) 1 एस. सी. सी. 416 को 435,436 पर अब बड़े पैमाने पर सी. आर. पी. सी. के अध्याय V में शामिल किया गया है, जो सुरक्षा उपायों को लागू करेगा।

एन. डी. पी. एस. की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयानों को भी संचालित करें।

एक्ट करें। उनके अनुसार, धारा 67 अपनी सरल भाषा में धारा 42 में बोली गई "जानकारी" का उल्लेख नहीं करती है, क्योंकि यह ऐसे व्यक्तियों से "मांगी गई" जानकारी के विपरीत, किसी व्यक्ति को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने या देने के लिए "आवश्यक" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर यह भी तर्क दिया कि स्वीकारोक्ति, यदि ठीक से दर्ज की जाती है, तो सबूत का सबसे अच्छा रूप है, क्योंकि ये अभियुक्त को ज्ञात तथ्य हैं, जिनके बारे में वह स्वेच्छा से गवाही देता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 190 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) द्वारा पूरी तरह से विस्थापित नहीं है, जिसमें राज कुमार करवाल (उपरोक्त) में निर्णय के समर्थन में शिकायत दर्ज करने और/या धारा 190 में निहित पुलिस रिपोर्ट की आवश्यकता लागू रहती है। इसके बाद उन्होंने बडकू ज्योति सावंत (उपरोक्त) का विस्तार से उल्लेख किया और कहा कि इस फैसले पर संदर्भ आदेश में विचार नहीं किया गया था, और अंत में, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति "पुलिस अधिकारी" है या नहीं, कई संविधान पीठ के फैसलों द्वारा निर्धारित एकमात्र परीक्षण यह है कि क्या ऐसे व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 में नामित अधिकारियों को पुलिस अधिकारी नहीं माना जाता है, उन्हें केवल कुछ शक्तियां दी गई थीं -

जाँच, जिसके परिणामस्वरूप अंततः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। यह स्पष्ट था कि केवल एक

" ऐसे अधिकारियों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है-पुलिस रिपोर्ट केवल पुलिस बल द्वारा दर्ज की जा रही है जैसा कि पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत गठित किया गया है। उन्होंने श्री जैन के इस कथन से असहमति जताई कि धारा 36ए (1) (डी) के तहत "शिकायत" केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 (3) के तहत शिकायत को संदर्भित करेगी, और सीआरपीसी की धारा 2 (डी) के तहत "शिकायत" की परिभाषा का उल्लेख करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 (XXX) का उल्लेख किया, जिसका उपयोग उसी अर्थ में किया जाता है जैसा कि सीआरपीसी में किया जाता है। इसके बाद उन्होंने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के कई प्रावधानों की ओर इशारा किया, जहां "पुलिस" या "पुलिस अधिकारी" शब्द का उपयोग अन्य व्यक्तियों या अधिकारियों के विपरीत किया जाता है जो मादक पदार्थों और अन्य व्यवस्थाओं का हिस्सा हैं। उनके अनुसार, किसी भी मामले में, धारा 53ए एक [2020] 12 एस. सी. आर. बनाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत। समान रूप से, उनके अनुसार, राजा राम जयसवाल (ऊपर) में बहुमत का निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार है।

क्योंकि यह सी. आर. पी. सी. के कई प्रावधानों पर विचार नहीं करता है, और इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए गलत परीक्षण पर पहुंचता है कि साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर किसे "पुलिस अधिकारी" कहा जा सकता है। किसी भी मामले में, उन्होंने तर्क दिया कि धारा 41 में उल्लिखित अधिकारी

इकबालिया बयानों को जबरन वसूलने के लिए डिग्री उपाय। इसके बाद उन्होंने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 की भाषा का उल्लेख किया, जिसमें उनके अनुसार, अभिव्यक्ति " "जांच" और कुछ नहीं बल्कि एक जांच है, और "जांच" अभिव्यक्ति वही अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में किया गया है, जिसे इसलिए साक्षय मूल्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत प्रदान किए गए किसी भी सुरक्षा उपायों का उल्लेख एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत किए गए बयानों में नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच शुरू हो गई है।

धारा 67 के तहत सामग्री के संग्रह के चरण से, और इसके लिए मुकेश सिंह (ऊपर) में हाल ही में संविधान पीठ के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया गया। उनके अनुसार, इसलिए, संदर्भ आदेश स्वयं त्रुटिपूर्ण होने के कारण, कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए था, और राज कुमार करवाल (ऊपर) और कन्हैयालाल (ऊपर) के निर्णयों पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। नूर आगा (ऊपर) जैसे बाद के

फैसलों को हमारे द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे इस न्यायालय के कई संविधान पीठ के फैसलों के विपरीत हैं।

12. श्री अनिरुद्ध मयी, आपराधिक अपील सं. में गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील। 2009 का 2214; 2013 का 344; और 1750 2009 में, श्री अमन लेखी, विद्वान ए. एस. जी. की प्रस्तुतियों को अपनाया गया।

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

13. दोनों पक्षों के वकीलों की व्यापक दलीलें सुनने के बाद, सबसे पहले उन बिंदुओं को संवैधानिक पृष्ठभूमि देना आवश्यक है जोइस मामले में वृद्धि।

मौलिक अधिकार और एनडीपीएस अधिनियम

14. में प्रदान किया गया पहला सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षण

जहाँ तक इन मामलों का संबंध है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अनुच्छेद 20 (3) द्वारा समर्थित है, जो आत्म-दोषारोपण के खिलाफ सर्वविदित अधिकार है। अनुच्छेद 20 (3) इस प्रकार है:

" ( 3 ) किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ”

15. इस न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय में, एम. पी. शर्मा और अन्य। वी. सतीश चंद्र 1954 एस. सी. आर. 1077, इस न्यायालय की आठ सदस्यीय न्यायपीठऔर अनुच्छेद 20 (3) को बाहर निकाला, और फिर इस अनुच्छेद 'एन अंग्रेजी कानून के ऐतिहासिक मूल में चला गया। एक महत्वपूर्ण परिच्छेद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, इस मौलिक अधिकार के दायरे को शामिल करने के लिए कोई अंतर्निहित कारण नहीं है

विस्तृत श्रृंखला। न ही इसे उपयोग किए गए शब्दों के बमुश्किल शाब्दिक अर्थ तक सीमित रखना वैध होगा, क्योंकि यह एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि जब उचित हो तो एक संवैधानिक प्रावधान का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए, ताकि उसके इरादे को आगे बढ़ाया जा सके और उसके उल्लंघन को रोका जा सके। हमारे संविधान में जिन शर्तों में इस अधिकार की घोषणा की गई है, उनका विश्लेषण करते हुए कहा जा सकता है कि इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं। ( 1 ) यह "अपराध के आरोपी" व्यक्ति से संबंधित एक अधिकार है; (2) यह "मजबूरी" के खिलाफ एक संरक्षण है।

एक गवाह होना "; और (3) यह ऐसी मजबूरी के खिलाफ एक संरक्षण है जिसके परिणामस्वरूप वह" अपने खिलाफ "साक्षय देता है।

( पृष्ठ 1086 पर)

XXX XXXXX

मोटे तौर पर कहा गया है कि अनुच्छेद 20 (3) में गारंटी "प्रशंसात्मक मजबूरी" के खिलाफ है। यह सुझाव दिया जाता है कि यह मौखिक तक ही सीमित है

गवाह के पास बुलाए जाने पर किसी अपराध के लिए अपने मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति का साक्षय-खड़ा हो। हम इस मुश्किल से शाब्दिक महत्व के लिए संवैधानिक गारंटी की सामग्री को सीमित करने का कोई कारण नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसे सीमित करना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की गारंटी को लूटना होगा।

और ध्वनि के लिए पदार्थ को छोड़ना जैसा कि निश्चित [2020] 12 एस. सी. आर. में कहा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अमेरिकी निर्णय। अनुच्छेद 20 (3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह बनना" है। एक व्यक्ति केवल मौखिक साक्षय देकर ही नहीं बल्कि दस्तावेजों को प्रस्तुत करके या समझने योग्य बनाकर भी "गवाह" बन सकता है।

एक गूंगे गवाह के मामले में इशारे (साक्षय अधिनियम की धारा 119 देखें) या इसी तरह के। गवाह होना "साक्षय प्रस्तुत करने" के अलावा और कुछ नहीं है और इस तरह के साक्षय को होंठों के माध्यम से या किसी चीज़ या दस्तावेज़ को पेश करके या अन्य तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाँ तक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्षय अधिनियम की धारा 139 में कहा गया है कि एक व्यक्ति

समन पर दस्तावेज़ गवाह नहीं है। लेकिन यह धारा प्रतिपरीक्षा के अधिकार को विनियमित करने के लिए है। यह "गवाह" शब्द के अर्थ के लिए एक मार्गदर्शक नहीं है, जिसे इसके प्राकृतिक अर्थ में समझा जाना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति के संदर्भ में जो प्रस्तुत करता है।सबूत। वास्तव में, प्रत्येक सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य, जो साक्षय प्रस्तुत करता है, गवाही है, और प्रशंसात्मक मजबूरी जबरदस्ती को दर्शाता है जो व्यक्ति के सकारात्मक स्वैच्छिक साक्षय कृत्यों को प्राप्त करता है, जो मौन या नकारात्मक दृष्टिकोण के विपरीत है।

अदालत कक्ष में मुकदमे में क्या होता है। अनुच्छेद 20 (3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह बनना" है और "गवाह के रूप में उपस्थित होना" नहीं है: यह इस प्रकार है कि किसी अभियुक्त को दी गई सुरक्षा जहाँ तक वह है संबंधित है, वाक्यांश "गवाह होना" केवल अदालत कक्ष में गवाही की मजबूरी के संबंध में नहीं है, बल्कि उससे पहले प्राप्त जबरन गवाही तक विस्तारित हो सकता है। यह उपलब्ध है।

इसलिए उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ अपराध करने से संबंधित औपचारिक आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से अभियोजन चलाया जा सकता है। क्या यह अन्य स्थितियों में अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले में।

इस संदर्भ में विचार करते हुए, अनुच्छेद 20 (3) के तहत गारंटी वर्तमान मामलों में इन याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, जिनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट उसमें आरोपी के रूप में दर्ज की गई है। यह साक्षय दस्तावेजों के उत्पादन के लिए किसी भी अनिवार्य प्रक्रिया तक विस्तारित होगा जो उचित रूप से समर्थन करने की संभावना है

उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।

( पृष्ठों पर 1087-1088)

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

16. इसके बाद अदालत ने कहा कि चौथे संशोधन की तरह भारतीय संविधान के तहत निजता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

अमेरिकी संविधान के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा और बाद में कहा जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस शुरुआती फैसले में भी अनुच्छेद 20 (3) को केवल शाब्दिक रूप से नहीं पढ़ा गया था। अदालत ने माना कि एक व्यक्ति को केवल मौखिक साक्षय देकर नहीं, बल्कि दस्तावेजों को प्रस्तुत करके भी गवाह कहा जा सकता है-साक्षय किसी व्यक्ति के होंठों के माध्यम से या किसी चीज़ या दस्तावेज़ या अन्य में प्रस्तुत किया जा रहा है। मोड। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा एक ऐसे व्यक्ति को दी गई थी जिस पर औपचारिक रूप से अपराध का आरोप एक ऐसे बयान के आधार पर लगाया गया था जिसे साक्षय दिए जाने से पहले ही अनिवार्य रूप से उससे लिया जा सकता है।

अदालत।

17. तब बॉम्बे राज्य बनाम में एक ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था। काठी कालू ओघड़ और ओआरएस। ( 1963 ) 2 एस. सी. आर. 10, जैसा कि एम. पी. शर्मा (ऊपर) की आठवीं न्यायाधीश पीठ के फैसले में निहित कुछ प्रस्तावों पर कुछ संदेह उठाए गए थे। इस मामले में, न्यायालय के समक्ष तीन अपीलें थीं, जिनमें से एक में हस्तलिखित साक्षय का प्रमाण शामिल था, जिसमें से दूसरे में साक्षय अधिनियम की धारा 73 के तहत लिखावट की तुलना शामिल थी, और जिसमें से तीसरे में साक्षय अधिनियम की धारा 27 शामिल थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पहले यह निष्कर्ष निकाला कि एम. पी. शर्मा (उपरोक्त) का सही निर्णय लिया गया था क्योंकि इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 20 (3) के तहत गारंटी अदालतों में या बाहर दिए गए गवाह द्वारा दी गई गवाही तक विस्तारित थी, जिसमें ऐसे बयान शामिल थे जो निर्माता को दोषी ठहराते थे। हालाँकि, अदालत ने आगे

कहा कि "साक्षय प्रस्तुत करना" अंगूठे के छाप या लेखन के नमूनों को बाहर कर देगा, क्योंकि किसी अपराध की जांच के लिए अक्सर शरीर के अंगों के छाप लेना आवश्यक हो जाता है (पृष्ठ 29 देखें)। इसलिए आपत्तिजनक जानकारी में बयान शामिल होने चाहिए।

व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित। इसके बाद अदालत ने विचार किया कि क्यासाक्षय अधिनियम की धारा 27 अनुच्छेद 20 (3) की अवहेलना होगी, जिसे पहले ही बरकरार रखा जा चुका है, जब अनुच्छेद 14 के तहत एक संवैधानिक चुनौती को न्यायालय द्वारा यू. पी. बनाम राज्य में खारिज कर दिया गया था। देवन उपाध्याय (1961) 1 एस. सी. आर. 14. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि आत्म-दोषपूर्ण जानकारी मजबूरी में दी जाती है, तो साक्षय अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान लागू नहीं होंगे ताकि अभियोजन पक्ष को दिए गए बयान के परिणामस्वरूप बरामद किए गए उद्देश्य पर भरोसा करने की अनुमति दी जा सके (पृष्ठ 33 34 देखें)। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

[ 2020 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( 2 ) एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक अभियुक्त व्यक्ति से केवल पूछताछ, जिसके परिणामस्वरूप एक स्वैच्छिक बयान, जो अंततः आपत्तिजनक साबित हो सकता है, "मजबूरी" नहीं है। ( 3 ) " गवाह होना अपने व्यापक महत्व में "साक्षय प्रस्तुत करने" के बराबर नहीं है; अर्थात, इसमें न केवल मौखिक या लिखित बयान देना शामिल है, बल्कि दस्तावेजों का उत्पादन या ऐसी सामग्री देना भी शामिल है जो अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता को निर्धारित करने के लिए मुकदमे में प्रासंगिक हो सकती है।

( 5 ) " गवाह होने का अर्थ है मौखिक बयान या लिखित में, अदालत में या अन्यथा दिए गए बयान द्वारा प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में ज्ञान प्रदान करना।( 6 ) " अपने सामान्य व्याकरणिक अर्थों में गवाह होने का अर्थ है

अदालत में मौखिक गवाही देना। मामला कानून उस अभिव्यक्ति की इस सख्त शाब्दिक व्याख्या से परे चला गया है जिसका अब व्यापक अर्थ हो सकता है, अर्थात्, मौखिक या लिखित रूप से किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा अदालत में या अदालत के बाहर गवाही देना।

( 7 ) विचाराधीन बयान को अनुच्छेद 20 (3) के निषेध के भीतर लाने के लिए, आरोपी व्यक्ति को बयान देने के समय आरोपी व्यक्ति के चरित्र में खड़ा होना चाहिए था। यह पर्याप्त नहीं है कि वह बयान दिए जाने के बाद किसी भी समय आरोपी बन जाए।

( पृष्ठों पर 36-37)

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

18. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निष्कर्ष (1) और (2) साक्षय अधिनियम की धारा 27 को चुनौती देने के संदर्भ में दिए गए थे।

एम. पी. शर्मा (ऊपर), जहाँ तक यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति पर उस समय आरोप लगाया जाता है जब उसके खिलाफ औपचारिक आरोप लगाया जाता है, प्राथमिकी के माध्यम से या अन्यथा, और अदालत के बाहर ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान, चाहे मौखिक हों या प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की व्यक्तिगत जानकारी पर, अनुच्छेद 20 (3) द्वारा संरक्षित हैं, अछूते रहे।

19. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाल्किशन ए. देवीदयाळ (ऊपर) में, इन निर्णयों को संदर्भित किया गया था, और न्यायालय ने तब निष्कर्ष निकाला:

" 70. संक्षेप में, केवल एक व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध करने का औपचारिक आरोप लगाया गया है, वह व्यक्ति हो सकता है। " अनुच्छेद 20 (3) के अर्थ के भीतर अपराध का अभियुक्त। इस तरह का औपचारिक आरोप विशेष रूप से उसके खिलाफ लगाया जा सकता है

एफ. आई. आर. या औपचारिक शिकायत या कोई अन्य औपचारिक दस्तावेज या नोटिस उस व्यक्ति को दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आम तौर पर अदालत में उसका मुकदमा चलाया जाता है। तत्काल मामले में अपीलार्थी के खिलाफ ऐसा कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया गया था जब आर. पी. एफ. अधिकारी द्वारा उसके बयान दर्ज किए गए थे।

20. अब हम नंदिनी में इस न्यायालय के फैसले पर आते हैं।

सत्पथी वी. पी. एल. दानी (1978) 2 एस. सी. सी 424। इस मामले को संदर्भित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 20 (3) और धारा 161 के बीच अंतर-खेल निम्नानुसार है:

" 21. प्रतिबंध को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक सार पर वापस जाएँ

आत्म-दोषारोपण पर। अनुच्छेद 20 (3) और धारा 161 (2) द्वारा कवर किया गया क्षेत्र काफी हद तक समान है। इतना ही नहीं, हम इस दृष्टिकोण, शब्दावली विस्तार के अलावा, उस खंड की ओर झुकाव रखते हैं।

161 ( 2 ) सी. आर. पी. सी. का संवैधानिक खंड पर एक संसदीय विवरण है। विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 20 (3), धारा 161 (1) के विपरीत, अदालत में मामला आने से पहले पूर्ववर्ती चरणों में काम नहीं करता था और आरोपी के आपत्तिजनक कथन, जो पहले दर्ज किया गया था, को पेश करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने अमेरिकी निर्णयों में कुछ अंशों पर भरोसा किया, लेकिन हमारी समझ में, वे अंश इतने सीमित नहीं हैं और दूसरी ओर, ऐतिहासिक मिरांडा [मिरांडा बनाम। एरिजोना, 384 यूएस 436 (1966)]

फैसले ने प्रतिबंध को पुलिस जांच तक भी बढ़ा दिया।

इसके अलावा, अनुच्छेद 20 (3), जो हमारा प्रावधान है, इस तरह की कटौती की गारंटी नहीं देता है। इस तरह का संकीर्ण अर्थ एक आवश्यक सुरक्षा को कम कर सकता है। इस [2020] 12 एस. सी. आर. में केवल दो प्राथमिक प्रश्न शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खंड जो होंठों को अनुमेय मौन में सील कर देता है: ( (i) वह व्यक्ति है

"किसी भी अपराध के आरोपी" की गवाही देने के लिए बुलाया गया? ( (ii) क्या उसे अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है? एक संवैधानिक प्रावधान अपनी पूर्ण अर्थ सीमा प्राप्त करता है और इसलिए यह इस प्रकार है कि "किसी भी अपराध के आरोपी" और "अपने खिलाफ गवाह होने" की अभिव्यक्तियों को एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। विद्वान महाधिवक्ता, अमेरिकी निर्णयों से प्रभावित होकर इस बात पर सहमत हुए कि अभिव्यक्ति में संहिता की धारा 161 (2) में न केवल पुलिस थानों में पहले से दर्ज आरोपों को शामिल किया जा सकता है, बल्कि वे आरोप भी शामिल हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उजागर करने का आधार होने की संभावना है।

आपराधिक आरोप। वास्तव में, यह व्यापक निर्माण, यदि अनुच्छेद 20 (3) पर लागू होता है, तो धारा 161 (2) में निषेध के स्पष्ट कथन के लिए संवैधानिक खंड का अनुमान लगाता है। यह बाद का प्रावधान सार्थक रूप से इस अभिव्यक्ति का उपयोग करता है "खुद को एक अपराधी के सामने उजागर करें।

चार्ज करें "। जाहिर है, इन शब्दों का मतलब न केवल ऐसे मामले हैं जहां व्यक्ति पहले से ही आपराधिक आरोप का सामना कर रहा है, बल्कि ऐसे मामले भी हैं

जो जल्द ही उसे आपराधिक आरोपों के लिए बेनकाब कर देगा। अनुच्छेद 20 (3) में, "किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ औपचारिक रूप से भविष्य में नहीं बल्कि भविष्य में भी नहीं होना चाहिए।

जैसे-जैसे निर्णय अब आ रहे हैं। "अपने खिलाफ गवाह होने" का अर्थ अदालत की प्रक्रिया से अधिक है। कोई भी दान

साक्षय, जानकारी की कोई भी प्रस्तुति, यदि एक दोषपूर्ण प्रभाव होने की संभावना है, तो गवाह होने के विवरण का उत्तर देता है।

पुलिस स्तर को अनुच्छेद 20 (3) द्वारा अपनाया जाता है। धारा 161 (2) का ठीक यही अर्थ है। वह उप-धारा पुलिस अधिकारियों द्वारा मौखिक परीक्षा से संबंधित है और उस स्तर पर प्रतिरक्षा प्रदान करती है। संक्षेप में, संविधान और संहिता सुरक्षात्मक क्षेत्र में सह-अंतिम हैं। जबकि संहिता को बदला जा सकता है,

संविधान अधिक स्थायी है। इसलिए, हमें अपने निष्कर्ष को न केवल धारा 161 (2) पर आधारित करना होगा, बल्कि अनुच्छेद 20 (3) में निहित अधिक मौलिक संरक्षण पर भी आधारित करना होगा।

XXX XXXXX

57. हमारा मानना है कि धारा 161 पुलिस को जांच के दौरान आरोपी से पूछताछ करने में सक्षम बनाती है। अनुच्छेद 20 (3) का निषेधात्मक विस्तार

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पुलिस पूछताछ के चरण पर वापस जाता है-न कि, जैसा कि तर्क दिया गया है, केवल अदालत में शुरू होता है। जहाँ तक पुलिस जाँच का संबंध है, हमारे निर्णय में अनुच्छेद 20 (3) और धारा 161 (1) के प्रावधान काफी हद तक उसी क्षेत्र को शामिल करते हैं। स्वयं पर प्रतिबंध

आरोप और चुप रहने का अधिकार, जबकि एक जांच या मुकदमा चल रहा है, उस मामले से परे जाता है और आरोपी की रक्षा करता है।

अन्य लंबित या आसन्न अपराधों के संबंध में, जो उसे आपराधिक मामले के स्वैच्छिक प्रकटीकरण से रोक सकते हैं। हम "जबरन गवाही" को न केवल शारीरिक धमकियों या हिंसा से प्राप्त साक्षय के रूप में पढ़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि मानसिक यातना, वायुमंडलीय दबाव, पर्यावरणीय जबरदस्ती, थकाऊ पूछताछ, अतिशयोक्ति और डराने के तरीकों और इसी तरह के सबूत के रूप में पढ़ने के लिए तैयार हैं।उल्लंघन के लिए कानूनी दंड। इसलिए, जवाब देने या सच्चाई से जवाब देने से इनकार करने के बाद आने वाले कानूनी खतरों को अनुच्छेद 20 (3) के अर्थ के भीतर मजबूरी नहीं माना जा सकता है। अभियोजन की संभावना एक संवैधानिक अधिकार के प्रयोग में कानूनी तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन फिर, मौन का एक रुख एक परिकलित जोखिम चला रहा है। दूसरी ओर, यदि दबाव का कोई तरीका है, सूक्ष्म या अपरिष्कृत, मानसिक या शारीरिक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन पर्याप्त रूप से पर्याप्त, एक आरोपी से जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिसकर्मी द्वारा लागू किया जाता है।

59. हमने विस्तार से समझाया है और संक्षेप में, सार में, आत्म-दोषारोपण या आपराधिक आरोप के लिए खुद को उजागर करने की प्रवृत्ति क्या है। यह "प्रासंगिक" से कम और "इकबालिया" से अधिक है। अप्रासंगिकता अस्वीकार्य है लेकिन प्रासंगिकता वैध है लेकिन जब प्रासंगिक प्रश्न दोषपूर्ण निष्कर्ष से भरे होते हैं उत्तर दिए जाने की स्थिति, दोषारोपण करने की प्रवृत्ति अस्तित्व में आती है। हम आगे मानते हैं कि आरोपी व्यक्ति [2020] 12 एस. सी. आर.

प्रश्नों के उत्तर देने के लिए केवल इसलिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके उत्तर अलग-अलग देखे जाने पर निहितार्थ नहीं हैं और उस विशेष मामले तक ही सीमित हैं। वह अपना मुंह बंद रखने का हकदार है यदि मांगे गए उत्तर में उसे किसी अन्य वास्तविक या आसन्न आरोप में अपराध के लिए उजागर करने की उचित संभावना है, भले ही चल रही जांच उसके संदर्भ में न हो। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी उत्तर के दोषपूर्ण चरित्र का निर्धारण करने में अभियुक्त को विचार करने का अधिकार है- और न्यायालय निर्णय लेते समय उस स्थिति, परिस्थितियों की समग्रता, व्यक्तिगत और सामाजिक समीकरण पर ध्यान देगा, जिसका किसी उत्तर को काफी हद तक निर्दोष बनाने पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण रूप से दोषी है। हालांकि, काल्पनिक दावे, अनुचित हैं

आशंकाएँ और अस्पष्ट संभावनाएँ किसी अभियुक्त व्यक्ति के लिए छिपने का आधार नहीं हो सकती हैं। वह जवाब देने के लिए बाध्य है जहां अपराध करने की कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है।

21. कर्तार सिंह (ऊपर) में, बहुमत के फैसले में निम्नलिखित शब्दों में अनुच्छेद 20 (3) का उल्लेख किया गया है:

" 205. हमारे संविधान के साथ-साथ प्रक्रियात्मक कानून और साक्षय के कानून में, आपराधिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने और उसके द्वारा दिए गए किसी भी बयान का उपयोग करने में सुरक्षा की कुछ गारंटी हैं। संविधान का अनुच्छेद 20 (3) घोषित करता है कि "कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध का अभियुक्त नहीं है।

अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाएगा।

206. हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 (3) आत्म-दोषारोपण की मजबूरी के खिलाफ सुरक्षा के सिद्धांत का प्रतीक है जो ब्रिटिश आपराधिक प्रणाली के मौलिक सिद्धांतों में से एक है।

न्यायशास्त्र और जिसे अमेरिकी द्वारा अपनाया गया है

प्रणाली और संघीय अधिनियमों में शामिल। पाँचवाँ संशोधन

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कहा गया है, "किसी भी व्यक्ति को राजधानी के लिए जवाब देने के लिए नहीं रखा जाएगा, या अन्यथा कुख्यात नहीं किया जाएगा।

अपराध, जब तक कि किसी ग्रैंड जूरी की प्रस्तुति या अभियोग पर, उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर. और न ही किसी आपराधिक मामले में अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाएगा।

207. उपरोक्त सिद्धांत को हमारे देश में न्याय के आपराधिक प्रशासन में शामिल करके काफी हद तक मान्यता दी गई है। विभिन्न वैधानिक प्रावधान। घटकों में से एक

संविधान के अनुच्छेद 20 (3) में निहित गारंटी यह है कि यह टोफान सिंह बनाम है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विवशता के विरुद्ध संरक्षण जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त किसी अपराध के लिए अपने विरुद्ध साक्षय देता है। अनुच्छेद 20 (3) के आशय की व्याख्या करने में इस न्यायालय के कई उल्लेखनीय निर्णय हैं। हम महसूस करते हैं कि यह पर्याप्त होगा यदि केवल कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया जाए, जो हैं: ( 1 ) एमपी. शर्मा बनाम। सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली [1954 एससीआर 1077], (2) राजा नारायणलाल बंसीलाल बनाम। मानेक फिरोज़ मिस्त्री [(1961) 1 एससीआर 417], (3) बॉम्बे राज्य बनाम। काठी कालू ओघड़ [(1962) 3 एससीआर 10], और (4) नंदिनी सत्पथी बनाम। पीएल.

दानी [(1978) 2 एससीसी 424]।

208. अनुच्छेद 22 (1) और (2) किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं।

जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। संहिता के प्रावधानों पर आते हैंदंड प्रक्रिया, धारा 161 एक पुलिस अधिकारी को अधिकार देता है

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की मौखिक रूप से जांच करने और ऐसी जांच के दौरान उसे दिए गए किसी भी बयान को लिखित में कम करने के लिए जांच। धारा 162, जो इस प्रकार अभिलिखित कथन के उपयोग की बात करती है, में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किसी भी कथन पर, यदि लिखित रूप में कम किया जाता है, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा और कथन का उपयोग संहिता और साक्षय अधिनियम के प्रावधानों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। धारा 162 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध उन सभी बयानों पर लागू होता है, चाहे वे इकबालिया हों या अन्यथा, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए हों, चाहे वह आरोपी हो या नहीं।

साक्षय अधिनियम, जिसके अनुसार, किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगा और धारा 26 के तहत जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए कोई स्वीकारोक्ति नहीं की गई है, जब तक कि मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में किया गया, साबित किया जाएगा [2020] 12 एस. सी. आर.



ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। एकमात्र अपवाद धारा के तहत दिया गया है।

27 जो धारा 26 के प्रावधान के रूप में कार्य करता है। धारा 27 में विचार किया गया है कि पुलिस की हिरासत में रहते हुए किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त उस जानकारी के परिणामस्वरूप, केवल

उतनी ही जानकारी, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित है, आरोपी के खिलाफ साबित की जा सकती है।

210. विचाराधीन मामले के संदर्भ में, दो और प्रावधानों को भी संदर्भित किया जा सकता है, अर्थात् साक्षय अधिनियम की धारा 24 और 30 और संहिता की धारा 164। 211. साक्षय अधिनियम की धारा 24 एक अपराध स्वीकारोक्ति बनाती है, जिसे किसी भी प्रलोभन, धमकी या वादे द्वारा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष किया जाता है, जो एक आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक है। साक्षय अधिनियम की धारा 30 इस प्रभाव से है कि यदि एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति, जो खुद को प्रभावित करती है और कुछ अन्य लोगों पर एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है, तो अदालत ऐसे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ इस तरह के स्वीकारोक्ति पर विचार कर सकती है जैसे कि

साथ ही स्वीकारोक्ति के निर्माता के रूप में। धारा के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस धारा में उपयोग किए गए "अपराध" में अपराध को बढ़ावा देना या करने का प्रयास शामिल है।

212. संहिता की धारा 164 उस धारा में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेटों द्वारा स्वीकारोक्ति और बयानों को दर्ज करने की बात करती है -

कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना और वैधानिक शर्तों का पालन करना, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति को दर्ज करने के लिए प्रमाण पत्र का उपांग भी शामिल है, जैसा कि इसकी उप-धारा (2) से (6) के तहत विचार किया गया है।

धारा 164 की मुख्य उप-धारा (1) में ही सन्निहित जांच के दौरान, वर्तमान संहिता में कानूनी प्रतिबंध अब धारा 164 की उप-धारा (1) के लिए एक अलग परंतुक द्वारा लाया गया है। जिसमें लिखा है:

" बशर्ते कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई स्वीकारोक्ति दर्ज नहीं की जाएगी, जिसे मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति किसी भी कानून के तहत प्रदान की गई है। टोफान सिंह वी।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह एक नया प्रावधान है लेकिन वही अर्थ बताता है जो पुरानी संहिता की धारा 164 की मुख्य उप-धारा (1) में सन्निहित है।

214. इस प्रकार, एक अभियुक्त या किसी भी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों द्वारा इस हद तक संरक्षित है कि एक अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी आत्म-दोषपूर्ण बयान का उपयोग ऐसे निर्माता के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का यह निवेदन कि एक अभियुक्त द्वारा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम या रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम या सीमा शुल्क अधिनियम या विदेशी के तहत एक निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति

विनिमय विनियमन अधिनियम को स्वीकार्य बनाया गया है, इस अधिनियम के तहत निर्धारित विशेष प्रक्रिया जिसमें टाडा अधिनियम के तहत अभियुक्त व्यक्ति के पुलिस अधिकारी को दिए गए स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य बनाया गया है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि उन विशेष अधिनियमों के तहत बयान दर्ज करने के लिए सशक्त सभी अधिकारी पुलिस नहीं हैं

इस न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के अनुसार भी अधिकारी

उच्च न्यायालय जो सिद्धांत रूप से आज तक इस क्षेत्र को धारण करते हैं। देखें।

( 1 ) यू. पी. राज्य बनाम दुर्गा प्रसाद [(1975) 3 एस. सी. सी. 210], (2) बालकिशन ए. देवीदयाळ बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(1980) 4 एस. सी. सी. 600], (3) रमेश चंद्र मेहता बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य [रमेश।

चंद्र मेहता बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, (1969) 2 एस. सी. आर. 46],

( 4 ) पूलपांडी बनाम। अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क [(1992) 3 एससीसी

259 ] , ( 5 ) प्रवर्तन निदेशालय बनाम। दीपक महाजन

[ ( 1994 ) 3 एस. सी. सी. 440], और (6) एकांबरम बनाम। टी. एन. की स्थिति [1972 एम. एल. डब्ल्यू. (सी. आर. आई.) 261] हम महसूस करते हैं कि किसी भी और निर्णय का हवाला देना और इस निर्णय को बढ़ाना आवश्यक नहीं है। 22. रामास्वामी, जे. आंशिक रूप से सहमत हैं, लेकिन इस पर असहमत हैं

टाडा की धारा 9 (7) और 15 की वैधानिक वैधता को भी अनुच्छेद 20 (3) के रूप में संदर्भित किया गया है:

" 377. अभिरक्षा में पूछताछ से संदिग्ध को अपने व्यक्ति या गरिमा के दुरुपयोग के साथ-साथ अपराध में अपने आत्म-दोष को विकृत या हेरफेर करने के जोखिम का पता चलता है। किसी को भी अधीन नहीं किया जाना चाहिए

इसका उल्लंघन आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता में लोगों के विश्वास को कम करता है। पुलिस लॉक-अप में पूछताछ अक्सर दबाव और तनाव और संदिग्ध की स्थितियों में की जाती है। भले ही वह निर्दोष हो, उसे बहुत अधिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि छिपाने या दबाने के लिए हिरासत में रखा गया अपराधी [2020] 12 एस. सी. आर. के प्रति दोगुना संवेदनशील हो सकता है।

भ्रम और हेरफेर। इसलिए, निर्दोष को दोषसिद्धि से बचाने के लिए एक नाजुक संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए और

समाज को अपराधी को दंडित होते देखने की आवश्यकता है। समान रूप से हर किसी को अनुच्छेद 20 (3) के तहत आत्म-दोषारोपण के खिलाफ और चुप रहने का अधिकार है, जिसका अर्थ है पुलिस या किसी और से उसकी स्वतंत्रता। लेकिन जब पुलिस किसी संदिग्ध से पूछताछ करती है, तो वे अपनी नैतिक स्थिति और अधिकार का फायदा उठाने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और बंदी को अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तथ्य यह है कि अधिकारी व्यक्ति सवाल उठाता है और बंदी पर अनुपालन करने के लिए दबाव डालता है। भयभीत बंदी की ओर से मौन उसके कानों को प्रतिशोध का आह्वान करने के लिए लगता है और इस विश्वास को प्रेरित करता है कि स्वीकारोक्ति अलग है।

यातना से बचने या जमानत पाने का मौका या कम सजा का वादा। संसाधनपूर्ण अन्वेषक स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए सभी सफल रणनीतियों को अपनाता है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

XXX XXXXX

शाब्दिक आयात। इसलिए इसे सीमित करना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की गारंटी को लूटना और ध्वनि के लिए पदार्थ से चूकना होगा जैसा कि कुछ अमेरिकी निर्णयों में कहा गया है। वास्तव में प्रत्येक सकारात्मक कार्य जो साक्षय प्रस्तुत करता है वह गवाही है और गवाही की मजबूरी जबरदस्ती को दर्शाती है जो सकारात्मक मौखिक साक्षय प्राप्त करती है। व्यक्ति के कार्य, निश्चित रूप से, न तो उसकी ओर से मौन या समर्पण का नकारात्मक रवैया है, और न ही यह सोचने का कोई कारण है कि प्राप्त साक्षय के संबंध में संरक्षण किस चीज तक सीमित है। अदालत कक्ष में मुकदमे में घटित होता है। अनुच्छेद 20 (3) में इस्तेमाल किया गया वाक्यांश गवाह होना है और गवाह के रूप में पेश नहीं होना है। यह इस प्रकार है कि एक अभियुक्त को दिया गया संरक्षण जहां तक "गवाह होना" वाक्यांश से संबंधित है, केवल अदालत कक्ष में गवाही की मजबूरी के संबंध में नहीं है, बल्कि उससे पहले प्राप्त जबरन गवाही तक विस्तारित हो सकता है। इसलिए, गारंटी में न केवल अदालत में या अदालत के बाहर दी गई मौखिक गवाही शामिल थी, बल्कि लिखित बयान भी शामिल थे जो

अभियुक्त व्यक्ति के रूप में पहचान करते समय निर्माता को दोषी ठहराया।

नंदिनी सत्पथी बनाम। पी. एल. दानी ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि टफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जबरन गवाही को न केवल शारीरिक धमकी या हिंसा से प्राप्त साक्षय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि मानसिक यातना, वायुमंडलीय दबाव, पर्यावरणीय जबरदस्ती, थकाऊ पूछताछ, अतिशयोक्ति और डराने के तरीकों और इसी तरह के सबूत के रूप में पढ़ा जाना चाहिए-कानूनी नहीं।

उल्लंघन के लिए दंड "।

23. सहाय, जे. ने एक अलग राय में, आंशिक रूप से सहमति व्यक्त करते हुए, लेकिन धारा 15 की संवैधानिक वैधता से असहमति जताते हुए, अनुच्छेद 20 (3) का उल्लेख इस प्रकार किया

वीएस:

" 456. अपराध स्वीकार करना अपराध स्वीकार करना है। इसे बनाने वाला व्यक्ति अपने खिलाफ कुछ कहता है, इसलिए इसे बनाया जाना चाहिए।

ऐसा परिवेश जो संदेह से मुक्त हो। अन्यथा यह अनुच्छेद 20 (3) के तहत संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है कि कोई भी व्यक्तिअपराध के अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेख में प्रयुक्त 'अपराध' शब्द का सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए। यह टाडा के तहत किए गए अपराध पर उतना ही लागू होता है जितना कि किसी अन्य अधिनियम के तहत। 'मजबूर' शब्द का अर्थ आमतौर पर 'बल द्वारा' होता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक रूप से हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करता है तो वह उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब किसी को किसी विशेष काम को करने से रोका जाता है जब तक कि वह अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए सहमत न हो जाए। किसी भी मामले में यह मजबूरी है। ए.

एक अभियुक्त द्वारा किया गया या जबरदस्ती के तहत उसके द्वारा प्राप्त किया गया स्वीकारोक्ति दुर्बलता से ग्रस्त है जब तक कि यह स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से नहीं किया जाता है। किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक देश ने एक पुलिस अधिकारी के समक्ष एक आरोपी द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति को स्वैच्छिक और संदेह से परे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए, सबूत में स्वीकार्य है। स्थापित नियमों में से एक या

हर जगह स्वीकार किए जाने वाले मानदंड यह है कि अभिरक्षा स्वीकारोक्ति है

दूषित माना जाता है। केवल यह तथ्य कि विधानमंडल कानून बनाने के लिए सक्षम था, क्योंकि टाडा के तहत अपराध वह है जो किसी भी राज्य के प्रवेश में नहीं आता है, इसका मतलब यह नहीं था कि विधानमंडल को किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम करने या नष्ट करने का अधिकार था। ऐसा प्रावधान करना जिसका प्रभाव हो - किसी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर करना स्वतंत्रता से इनकार करने के बराबर है। टाडा द्वारा निपटाए जाने वाले अपराधों का वर्ग अन्य अपराधों की तुलना में अलग हो सकता है लेकिन टाडा के तहत अपराधी उतना ही हकदार है जितना कि

अनुच्छेद 20 और 21 का किसी अन्य अनुच्छेद की तरह संरक्षण। अपराध की प्रकृति में अंतर या किसी कानून को लागू करने की विधायी क्षमता ने अध्याय III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं किया।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है, इसके परिणामस्वरूप कानून को एक बार वापस ले लिया जाएगा। फिर से गोपालन के दिनों में [ए. के. गोपालन बनाम। मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 27] धारा 15 को केवल इसलिए वैध नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह एक निकाय द्वारा बनाए गए कानून का परिणाम है जिसे कानून बनाने का हकदार पाया गया है। कानून अभी भी निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है। एक कानून जो एक पुलिस अधिकारी को स्वीकारोक्ति दर्ज करने का अधिकार देता है और इसे स्वीकार्य बनाता है, इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और 21 दोनों का उल्लंघन है।

24. सेल्वी बनाम में एक हालिया निर्णय। कर्नाटक राज्य (2010) 7 263 ने नार्को-विश्लेषण परीक्षणों की संवैधानिक वैधता के बारे में बताया डब्ल्यूएस:

" 179. अब हम इस ऑपरेटिव प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या पॉलीग्राफ परीक्षा और बी. ई. ए. पी. परीक्षण के माध्यम से प्राप्त परिणामों को प्रशंसात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में माना जाना चाहिए। आम तौर पर साक्षय को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् मौखिक गवाही, दस्तावेज और भौतिक साक्षय। अनुच्छेद का सुरक्षात्मक दायरा

20 ( 3 ) सी. आर. पी. सी. की धारा 161 (2) के साथ पढ़ने से मौखिक गवाही के अनिवार्य निष्कर्षण के खिलाफ सुरक्षा मिलती है, यहां तक कि जांच के चरण में भी। दस्तावेजों के उत्पादन के संबंध में,

अनुच्छेद 20 (3) की प्रयोज्यता का निर्णय विचारण न्यायाधीश द्वारा किया जाता है लेकिन पक्षकार पहले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि, सामग्री (या भौतिक) साक्षय का अनिवार्य निष्कर्षण अनुच्छेद 20 (3) के सुरक्षात्मक दायरे से बाहर है। इसके अलावा, मौखिक या लिखित रूप में गवाही की भी मजबूरी में आवश्यकता हो सकती है यदि इसका उपयोग पहचान या उन सामग्रियों और सूचनाओं के साथ तुलना के उद्देश्य से किया जाना है जो पहले से ही उनके कब्जे में हैं।

जांचकर्ता।

180. हम पहले ही कह चुके हैं कि नार्कोएनालिसिस परीक्षण में परीक्षण विषय द्वारा मौखिक बयानों पर पर्याप्त निर्भरता शामिल है और इसलिए इसका अनैच्छिक प्रशासन "आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार" का उल्लंघन करता है। काठी कालू ओघड़ में निर्धारित महत्वपूर्ण परीक्षण

यह है कि " मौखिक बयानों या लिखित बयानों के माध्यम से प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में ज्ञान प्रदान करना, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अदालत को सूचित किए जाने वाले तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी है या एक जांच या जांच करने वाले व्यक्ति को। एससीआर पी. में।

30. ) .

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मौखिक बयानों के माध्यम से व्यक्तिगत ज्ञान के संप्रेषण के लिए "व्यक्तिगत गवाही" की समझ को सीमित करना या लिखित में बयान। पॉलीग्राफ परीक्षा या बी. ई. ए. पी. परीक्षण से प्राप्त परिणाम मौखिक या लिखित बयानों की प्रकृति में नहीं होते हैं। इसके बजाय, इन परीक्षणों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई शारीरिक प्रतिक्रियाओं के माप से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि पॉलीग्राफ परीक्षा और बी. ई. ए. पी. परीक्षण जैसे परीक्षणों में परीक्षण विषय की ओर से "सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य" शामिल नहीं है और इसलिए उनके परिणामों को गवाही के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि

इन दोनों परीक्षणों के परिणामों की तुलना भौतिक साक्षय से की जानी चाहिए और इस प्रकार उन्हें अनुच्छेद 20 (3) के सुरक्षात्मक दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।181. हमें काठी कालू ओघड़ में निर्णय के सार का उल्लेख करना चाहिए, जिसमें एक प्रमाणिक कार्य की तुलना एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ज्ञान प्रदान करने के साथ की गई है जिसे उन तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी है जो मुद्दे में हैं। अन्य निर्णयों में यह माना गया है कि प्रासंगिक तथ्यों के बारे में इस तरह के व्यक्तिगत ज्ञान को मौखिक या लिखित के अलावा अन्य माध्यमों से भी संप्रेषित किया जा सकता है।

बयान। उदाहरण के लिए, एम. पी. शर्मा मामले में, यह उल्लेख किया गया था कि ". साक्षय को होंठों के माध्यम से या किसी चीज़ या दस्तावेज़ को पेश करके या अन्य तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है।" ( आई. बी. आई. डी. एस. सी. आर. पी. 1087) इसके अलावा, सामान्य ज्ञान यह निर्धारित करता है कि कुछ निश्चित

इशारा या सिर हिलाने जैसे संवादात्मक हाव-भाव भी हो सकते हैं। मौखिक प्रतिक्रिया दिए बिना, एक प्रासंगिक तथ्य के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान व्यक्त करें। यह काफी पूर्वानुमेय है कि इस तरह का एक संवादात्मक भाव अपने आप में एक व्यक्ति को "आपराधिक आरोपों या आरोपों" के लिए उजागर कर सकता है।

दंड "या इसके लिए आवश्यक साक्षय की श्रृंखला में एक कड़ी प्रस्तुत करें

अभियोजन।

182. हमें इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहिए कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि काठी कालू ओघड़ में विद्वान न्यायाधीशों ने विचार किया था

लेखन ऐसी चीज नहीं थी जिसकी कल्पना आसानी से की जा सकती थी। से। पॉलीग्राफ परीक्षा जैसी तकनीकें काफी अस्पष्ट थीं और कुछ पश्चिमी देशों में प्रयोग का विषय थीं, जबकि बी. ई. ए. पी. तकनीक को कई वर्षों बाद विकसित किया गया था।

जिस तरह कानूनों की व्याख्या की अक्सर वैज्ञानिक प्रगति के आलोक में फिर से जांच की जानी चाहिए, उसी तरह हमें प्रगतिशील चश्मे से न्यायिक टिप्पणियों की फिर से जांच करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

183. झूठ डिटेक्टर परीक्षणों का एक स्पष्ट संदर्भ निश्चित रूप से यूएस सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्मेर्बर [384 यूएस 757 (1965)] निर्णय में दिया गया था, जिसमें ब्रेनन, जे. ने यूएस पी. में अवलोकन किया था। 764 : ( एल एड पी। 916)

" ..... एक व्यक्ति को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करना जिसमें उसके अपराध या निर्दोषता को निर्धारित करने का प्रयास किया जाएगा

शारीरिक प्रतिक्रियाएँ, चाहे वे चाहें या न चाहें, पाँचवें संशोधन की भावना और इतिहास को जगाने के लिए हैं।

184. भले ही पॉलीग्राफ परीक्षा या बी. ई. ए. पी. परीक्षण से गुजरने की वास्तविक प्रक्रिया एक परीक्षण करने के समान नहीं है।

मौखिक या लिखित कथन, परिणाम समान हैं। इन परीक्षणों के परिणामों से निष्कर्ष निकालकर, परीक्षक विषय के दिमाग से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है जो अन्यथा जांचकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होता। ये दोनों परीक्षण चिकित्सा परीक्षा और रक्त, वीर्य और बालों के नमूनों जैसे शारीरिक पदार्थों के विश्लेषण से अलग हैं, क्योंकि परीक्षण विषय की शारीरिक प्रतिक्रियाएं सीधे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं।

संकाय। झूठ का पता लगाने या उत्तेजनाओं के साथ किसी विषय की परिचितता का आकलन करने के माध्यम से, एक विषय के संबंध में व्यक्तिगत ज्ञान व्यक्त किया जाता है। प्रासंगिक तथ्य। यह भी महत्वपूर्ण है कि दस्तावेजों के मामले के विपरीत, जांचकर्ताओं को संभवतः परीक्षण विषय के विचारों और यादों के बारे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं हो सकता है, या तो वास्तविक या

रचनात्मक भावना। इसलिए, भले ही विवादित परीक्षणों से प्राप्त परिणामों और दस्तावेजों के उत्पादन के बीच एक अत्यधिक तनावपूर्ण सादृश्य बनाया जाना था, उदाहरणों का भार "व्यक्तिगत" के निष्कर्षण पर प्रतिबंधों की ओर झुकता है।

जांचकर्ताओं को जानकारी। यह ज्ञान एक चल रही जांच में सहायता कर सकता है या नए सबूत की खोज की ओर ले जा सकता है जोफिर इसका उपयोग परीक्षण विषय पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है। किसी भी मामले में,

विवादित परीक्षणों का अनिवार्य प्रशासन टी. ओ. एफ. ए. एन. सिंह बनाम को बाधित करता है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

चुप रहने और मूल जानकारी प्रदान करने के बीच चयन करने का विषय का अधिकार। "सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य" की आवश्यकता अप्रासंगिक हो जाती है क्योंकि विषय को व्यक्त करने के लिए मजबूर किया जाता है

उसकी अपनी इच्छा के बावजूद व्यक्तिगत ज्ञान।

XXX XXXXX

क्योंकि वे "प्रासंगिक तथ्यों के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान प्रदान करने" के लिए एक साधन हैं। इसलिए, हमारा निष्कर्ष यह है कि किसी भी विवादित परीक्षण (यानी नार्कोएनालिसिस तकनीक, पॉलीग्राफ परीक्षा और बी. ई. ए. पी. परीक्षण) के अनैच्छिक प्रशासन के माध्यम से प्राप्त परिणाम "प्रशंसात्मक मजबूरी" के दायरे में आते हैं, जिससे अनुच्छेद 20 (3) का सुरक्षात्मक कवच आकर्षित होता है।XXX XXXXX

दोषारोपण "। ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त अधिकार का अंतर्निहित तर्क विश्वसनीयता के साथ-साथ स्वैच्छिकता सुनिश्चित करना है। बयान जो सबूत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इस न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 20 (3) का सुरक्षात्मक दायरा आपराधिक मामलों में जांच के चरण तक फैला हुआ है और जब धारा के साथ पढ़ा जाता है।

यदि वे मजबूरी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। अनुच्छेद 20 (3) किसी व्यक्ति के बोलने और चुप रहने के बीच की पसंद की रक्षा करता है, भले ही बाद की गवाही उत्तेजक या उत्तेजक साबित हो। अनुच्छेद 20 (3) का उद्देश्य -जबरन "व्यक्तिगत ज्ञान के हस्तांतरण को रोकें जो मुद्दे में तथ्यों के लिए प्रासंगिक है"। प्रत्येक विवादित परीक्षण से प्राप्त परिणाम एक "प्रशंसात्मक" चरित्र रखते हैं और उन्हें भौतिक साक्षय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

263. हमारा यह भी विचार है कि किसी व्यक्ति को किसी भी विवादित तकनीक से गुजरने के लिए मजबूर करना मानकों का उल्लंघन करता है।

" मूल उचित प्रक्रिया "जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोकने के लिए आवश्यक है। इस तरह का उल्लंघन इस बात की परवाह किए बिना होगा कि ये [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तकनीकों को एक के दौरान जबरन प्रशासित किया जाता है

जाँच या किसी अन्य उद्देश्य के लिए क्योंकि परीक्षण के परिणाम हो सकते हैं

एक व्यक्ति को गैर-दंडात्मक प्रकृति के प्रतिकूल परिणामों के लिए भी उजागर करता है। विवादित तकनीकों को उन वैधानिक प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता है जो आपराधिक मामलों में जांच के दौरान चिकित्सा जांच को सक्षम बनाते हैं, यानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53,53-ए और 54 का स्पष्टीकरण। इस तरह का विस्तार

व्याख्या "इजसडेम जेनरिस" के नियम और कानूनों की व्याख्या को नियंत्रित करने वाले विचारों के आलोक में संभव नहीं है।

वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में। हमने यह भी विस्तार से बताया है कि कैसे इनमें से किसी भी तकनीक का अनिवार्य प्रशासन किसी व्यक्ति की मानसिक गोपनीयता में एक अनुचित घुसपैठ है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों को विकसित करने की भाषा के संबंध में "क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार" के बराबर भी होगा। इसके अलावा, इन तकनीकों से एकत्र किए गए परिणामों पर निर्भरता "निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार" के साथ टकराव में आती है। एक सम्मोहक सार्वजनिक हित का आह्वान कमजोर पड़ने को उचित नहीं ठहरा सकता है

"आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार" जैसे संवैधानिक अधिकारों का।

264. इन निष्कर्षों के आलोक में, हमारा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में जांच के संदर्भ में या अन्यथा किसी भी तकनीक के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित घुसपैठ के बराबर होगा। हालाँकि, हम आपराधिक न्याय के संदर्भ में विवादित तकनीकों के स्वैच्छिक प्रशासन के लिए जगह छोड़ते हैं बशर्ते कि कुछ सुरक्षा उपाय हों। यहां तक कि जब विषय ने इनमें से किसी भी परीक्षण से गुजरने की सहमति दी है, तो परीक्षण के परिणामों को स्वयं साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि विषय परीक्षण के दौरान प्रतिक्रियाओं पर सचेत नियंत्रण का प्रयोग नहीं करता है।

परीक्षण का प्रबंधन। हालांकि, कोई भी जानकारी या सामग्री

जिसे बाद में स्वैच्छिक सहायता से खोजा जाता है

प्रशासित परीक्षण के परिणामों को इसके अनुसार स्वीकार किया जा सकता है

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 "।

25. निजता का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो

इस न्यायालय के कई फैसलों से प्रभावित, और अब दृढ़ता से

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित। के. एस. पुट्टास्वामी में

क), कई निर्णयों का उल्लेख किया गया था; और एम. पी. शर्मा (ऊपर) ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान में इस तरह के किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं दी गई थी। इस प्रकार, जे. चंद्रचूड़ के निर्णय में कहा गया है:

टोफान सिंह वी। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

“ 26.एम. पी. शर्मा [1954 एस. सी. आर. 1077] एक ऐसा मामला था जिसमें जांच के लिए दस्तावेज प्राप्त करने के लिए एक खोज निर्धारित करने वाला कानून था।

वारंट को अनुच्छेद 20 (3) के अर्थ के भीतर संबोधित किया जाता है। अदालत ने यह निर्णय लेने के बाद, एम. पी. शर्मा में विवाद वहीं खत्म हो जाएगा। एम. पी. शर्मा में इस आशय की टिप्पणियाँ कि संविधान निर्माताओं ने इस विषय को उचित नहीं माना थासंवैधानिक सीमाओं तक खोज और जब्ती की नियामक शक्ति

निजता के मौलिक अधिकार को मान्यता देकर (अमेरिका के चौथे संशोधन की तरह), और इसे "पूरी तरह से अलग मौलिक अधिकार" में आयात करने का कोई औचित्य नहीं था, सबसे अधिक भटक गए हैं।

अवलोकन।

27. एम. पी. शर्मा के मामले में निर्णय में कहा गया कि अमेरिकी संविधान में चौथे संशोधन जैसे प्रावधान के अभाव में निजता के अधिकार को भारतीय संविधान में नहीं पढ़ा जा सकता है। एम. पी. शर्मा में निर्णय ने यह तय नहीं किया कि निजता का संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों में निहित अन्य प्रावधानों द्वारा संरक्षित है या नहीं। इसलिए निर्णय को विशेष रूप से अनुच्छेद 19 या 21 सहित संरक्षित गारंटी के ढांचे के तहत गोपनीयता की सुरक्षा को बाहर करने के लिए नहीं माना जा सकता है। एक स्पष्ट संवैधानिक गारंटी का अभावगोपनीयता अभी भी यह सवाल उठाती है कि क्या गोपनीयता स्वतंत्रता का एक तत्व है और मानव गरिमा के एक अभिन्न अंग के रूप में, जीवन की सुरक्षा के भीतर भी समझा जाता है।

XXX XXXXX

100. एम. पी. शर्मा ने इस आधार पर एक तलाशी के लिए एक चुनौती का सामना किया कि वैधानिक प्रावधान जो इसे अधिकृत करता है, का उल्लंघन करता है

भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन जैसे एक विशिष्ट प्रावधान का, न्यायालय ने जवाब दिया इसके निर्णय द्वारा चुनौती दी गई है कि एक व्यक्ति जो खोज के अधीन है [2020] 12 एस. सी. आर.

जिस अवधि के दौरान सामग्री जब्त की जाती है, वह प्रकृति का स्वैच्छिक प्रशंसात्मक कथन नहीं है जो आकर्षित करेगा।अनुच्छेद 20 (3)। न्यायालय ने दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए एक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में प्रकटीकरण के स्वैच्छिक बयान से अनिवार्य खोज को अलग किया। यह पूर्व श्रेणी थी जिसे एक बाध्यकारी खोज में शामिल माना गया था, जिसे अदालत ने माना कि स्वयं के खिलाफ गारंटी आकर्षित नहीं करेगी।

दोषारोपण। हालाँकि, फैसले में आगे कहा गया कि निजता के अधिकार के अभाव में संविधान में गणना की गई है, अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन जैसे प्रावधान को हमारे अपने में नहीं पढ़ा जा सकता है। हमारे संविधान में निजता के अधिकार की अनुपस्थिति के संबंध में अवलोकन कड़ाई से बोल रहा था, एम. पी. शर्मा में न्यायालय के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं था और अवलोकन स्वयं एक पारित अवलोकन से अधिक नहीं है। इसके अलावा, निर्णय इस पर निर्णय नहीं लेता है

क्या निजता अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19 जैसे किसी अन्य प्रावधान के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार हो सकता है।

316. एम. पी. शर्मा के फैसले में अनिवार्य रूप से कहा गया है कि अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन के समान प्रावधान के अभाव में, निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता है। निर्णय विशेष रूप से इस बात पर निर्णय नहीं देता है कि क्या निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 सहित भाग III द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के किसी भी अन्य प्रावधान से उत्पन्न होगा। यह अवलोकन कि निजता भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार नहीं है सही स्थिति का प्रतिबिंब। एम. पी. शर्मा को उस हद तक खारिज कर दिया गया है जिस हद तक यह इसके विपरीत संकेत देता है।

26. न्यायमूर्ति नरीमन का निर्णय इस प्रकार था:" 442. सेमायने मामले [77 ई. आर. 194] का महत्व यह है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का घर चोट और हिंसा के खिलाफ उसकी रक्षा के साथ-साथ उसके आराम के लिए उसका महल और किला है। विलियम पिट, द एल्डर ने इसे इस प्रकार रखा:

" सबसे गरीब व्यक्ति अपनी कुटीर बोली में क्राउन की सभी ताकत की अवज्ञा कर सकता है। यह कमजोर हो सकता है-इसकी छत हिल सकती है-हवा इसके माध्यम से चल सकती है-तूफान प्रवेश कर सकता है, बारिश प्रवेश कर सकती है-लेकिन इंग्लैंड का राजा प्रवेश नहीं कर सकता-उसकी सारी ताकत बर्बाद मकान की दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं करती। टोफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

डेढ़ सदी बाद, हकल वी में भी लगभग यही बात कही गई थी। पैसा [हकल बनाम। मनी 95 ई. आर. 768] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मजिस्ट्रेट मनमाना शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो मैग्ना कार्टा (राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित, 1215 में अपने बैरनों को कुछ अधिकारों को

स्वीकार करते हुए) का उल्लंघन करते हैं, और यदि उन्होंने ऐसा किया, तो इसके लिए अनुकरणीय हर्जाना दिया जाना चाहिए। यह कहा गया था कि: ( ई. आर पी. 769) " ..... सबूत जुटाने के लिए, एक अनाम वारंट के आधार पर एक आदमी के घर में प्रवेश करना, स्पेनिश से भी बदतर है।

443. कानून के इस कथन की प्रतिध्वनि हुई एंटिक वी में। कैरिंगटन [एंटिक बनाम। कैरिंगटन 95 ई. आर. 807] जिसमें लॉर्ड कैमडेन ने माना कि एक अवैध खोज वारंट "समाज के सभी सुख-सुविधाओं के लिए विध्वंसक" था और एक आदमी के सभी कागजातों को जब्त करने के लिए इस तरह का वारंट जारी किया गया था, और नहीं।

केवल जिन पर आपराधिक प्रकृति का आरोप लगाया जाता है, वे "इंग्लैंड के कानून की प्रतिभा के विपरीत" थे। कुछ साल बाद, दा में

कोस्टा बनाम। जोन्स [दा कोस्टा बनाम। जोन्स 98 ई. आर. 1331], लॉर्ड मैन्सफील्ड ने तीसरे व्यक्ति की गोपनीयता को बरकरार रखा जब ऐसी गोपनीयता एक दांव का विषय थी, जो ऐसे तीसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक थी। उस मामले में दांव यह था कि क्या एक निश्चित शेवेलियर डी 'इओन एक धोखेबाज़ और धोखेबाज़ था क्योंकि वह वास्तव में एक महिला थी। ऐसा दांव जो किसी तीसरे व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करता है, उसे तीसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक माना गया था, जिसके लिए तीसरे व्यक्ति को हर्जाना दिया गया था। इन प्रारंभिक निर्णयों ने एक नागरिक की व्यक्ति की अलंघनीयता को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया।XXX XXXXX

456. उपरोक्त परिच्छेद को पढ़ने पर पहली बात जो किसी को प्रभावित करती है, वह यह है कि न्यायालय (एम. पी. शर्मा में) ने निमंत्रण का विरोध किया

अमेरिका के चौथे संशोधन को अमेरिका के पांचवें संशोधन में पढ़ने के लिए; संक्षेप में इसने पांचवें संशोधन के उस भाग के भारतीय समकक्ष में चौथे संशोधन को पढ़ने या आयात करने से इनकार कर दिया जो

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के समान है। इसके अलावा, गोपनीयता का मौलिक अधिकार, जिसे चौथे संशोधन के अनुरूप कहा गया था, को कुछ ऐसा माना गया था जिसे अनुच्छेद 20 (3) में नहीं पढ़ा जा सकता था।



457. इन टिप्पणियों के बारे में ध्यान देने योग्य दूसरी दिलचस्प बात यह है कि उक्त निर्णय में कोई व्यापक अनुपात नहीं है

कि निजता का मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में उपलब्ध नहीं है। यह अवलोकन अनुच्छेद 20 (3) तक ही सीमित है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में वास्तविक निष्कर्ष उस कानून से

संबंधित था जो इस न्यायालय के साथ-साथ अमेरिका और ब्रिटेन में अनुच्छेद 20 (3) पर विकसित हुआ था, जिसे मामले के तथ्यों पर उल्लंघन नहीं माना गया था। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह न्यायालय का एक प्रारंभिक निर्णय था, जिसमें

गोपालन युग, जिसमें आर. सी. कूपर या मेनका गांधी का लाभ नहीं था। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि जब तक यह निर्णय दिया गया था, तब तक भारत पहले से ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता था, जिसका अनुच्छेद 12 कहता है:

" 12. किसी की निजता, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला किया जाएगा। हर किसी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून की सुरक्षा का अधिकार है।

XXX XXXXX

468. यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय की विभिन्न छोटी पीठें एम. पी. में निहित टिप्पणियों से अनावश्यक रूप से विचलित नहीं हुईं।

शर्मा के रूप में यह गोपालन युग में दिया गया इस न्यायालय का एक प्रारंभिक निर्णय था जो मौलिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर्संबंध से संबंधित बाद के निर्णयों से समाप्त हो गया था।

व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के हिस्से के रूप में निजता के मौलिक अधिकार का विकास। 469. इसलिए, इस तथ्य को देखते हुए कि यह निर्णय केवल अनुच्छेद 20 (3) से संबंधित है और अन्य मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है; इस तथ्य को देखते हुए कि 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

मेनका गांधी युग के बाद के जीवन में, हमारा विचार है कि यह निर्णय पूरी तरह से नुकसान के रास्ते से बाहर हैमौलिक अधिकारों के अध्याय में निजता के अधिकार के आधार का संबंध है।

XXX XXXXX टॉफन सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

472. खरक सिंह [खरक] में बहुमत का फैसला

सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1964) 1 एस. सी. आर. 332] ने तब संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किया और कहा कि अनुच्छेद 21

इसमें व्यक्ति के पूर्ण विकास और विकास को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में उसकी गरिमा का पोषित मानवीय मूल्य शामिल था। इसके बाद वोल्फव से एक अंश उद्धृत किया गया था। कोलोराडो [वोल्फवी। कोलोराडो

338 यूएस 25 (1949)] इस प्रभाव के लिए कि पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से घुसपैठ के खिलाफ किसी की गोपनीयता की सुरक्षा एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए बुनियादी है।

समाज। इसके बाद अदालत ने अमेरिकी चौथे संशोधन का हवाला दिया जो लोगों के अधिकारों को उनके व्यक्तियों, घरों, कागजातों और अनुचित तलाशी और बरामदगी के खिलाफ प्रभावों में सुरक्षित करने की गारंटी देता है। हालांकि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से एक समान गारंटी प्रदान नहीं करता था, बहुमत का मानना था कि फिर भी किसी व्यक्ति के घर में अनधिकृत घुसपैठ अंग्रेजी सामान्य कानून की उक्ति का उल्लंघन करेगी जो यह दावा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति का घर उसका महल है। अनुच्छेद 21 के इस दृष्टिकोण में, विनियमन 236 (बी) को निरस्त कर दिया गया था।

475. यदि निर्णय में रात में अधिवास यात्राओं और इसे रद्द करने से संबंधित मार्ग बाद के मार्ग के विपरीत हैऊपर निकाले गए विनियमन 236 के अन्य खंडों को बरकरार रखते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे किसी भी स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता है।

कि बहुमत का निर्णय निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार अध्याय या अन्यथा में निहित होने के रूप में बरकरार रखता है। चूंकि बहुमत का निर्णय इस महत्वपूर्ण पहलू पर विरोधाभासी है, इसलिए यह कहना सही होगा कि इसे एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है। किसी भी मामले में, हमारा विचार है कि बहुमत का निर्णय एक अच्छा कानून है जब यह अनुच्छेद 21 की बात करता है जो व्यक्ति की गरिमा को एक सबसे पोषित मानवीय मूल्य के रूप में सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है जो एक मनुष्य के पूर्ण विकास और विकास के साधनों को सुनिश्चित करता है। बहुमत का निर्णय यह इंगित करने में भी सही है कि अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के घर में अनधिकृत घुसपैठ को रोकता है। जहाँ बहुमत का निर्णय गलत हो जाता है, वहाँ यह माना जाता है कि

मौलिक अधिकार जलरोधक खंडों में हैं और यह मानते हुए कि निजता का अधिकार हमारे संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार नहीं है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि बहुमत का निर्णय कहावत क्यूरेट के अंडे की तरह है-केवल कुछ हिस्सों में अच्छा है। अजीब बात है।

जब अकेले अच्छे हिस्से देखे जाते हैं, तो कोई वास्तविक [2020] 12 एस. सी. आर. नहीं होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

असहमति में जे. सुब्बा राव के दृष्टिकोण के बीच अंतर

निर्णय और बहुमत निर्णय। यह तब इस नौ-न्यायाधीश पीठ के संदर्भ के प्रमुख हिस्से का जवाब देता है जिसमें हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि न तो आठ-न्यायाधीश और न ही छह-न्यायाधीश पीठ कर सकते हैं।

मौलिक अधिकार को पढ़ने के रास्ते में आने के लिए पढ़ा जाए

संविधान के भाग III में गोपनीयता।

XXX XXXXX

कम से कम निम्नलिखित तीन पहलुओं को शामिल करें: • गोपनीयता जिसमें व्यक्ति शामिल होता है अर्थात जब कोई आक्रमण होता है

किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर से संबंधित अधिकारों की स्थिति द्वारा,

जैसे कि स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार

सूचनात्मक गोपनीयता जो किसी व्यक्ति के शरीर से संबंधित नहीं है

लेकिन एक व्यक्ति के मन से संबंधित है, और इसलिए यह स्वीकार करता है कि एक

व्यक्ति के पास सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण हो सकता है

यह उसके लिए व्यक्तिगत है। ऐसी जानकारी का अनधिकृत उपयोग हो सकता है -

इसलिए इस अधिकार का उल्लंघन होता है; और

पसंद की गोपनीयता, जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करती है

बुनियादी व्यक्तिगत विकल्पों पर।

उदाहरण के लिए, हम संबंधित भौतिक गोपनीयता या गोपनीयता को आधार बना सकते हैं।

अनुच्छेद 21 के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (डी) और (ई) में निकाय के लिए; आधार

अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता; औरअनुच्छेद 19 (1) (ए) से (सी), 20 (3), 21 और 25 में चयन। तर्क

"गोपनीयता" के आधार पर एक अस्पष्ट और अस्पष्ट अवधारणा होने के कारण, हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।

27. एन. डी. पी. एस. अधिनियम का अर्थ अनुच्छेद की पृष्ठभूमि में लगाया जाना है।

20 ( 3 ) और अनुच्छेद 21, संसद नागरिक के मौलिक अधिकारों और उनकी व्याख्या करने वाले इस न्यायालय के निर्णयों से अवगत होने के कारण, जिसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले मौलिक अधिकार अध्याय के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखा जाता है। इस प्रकार एन. डी. पी. एस. अधिनियम में कई सुरक्षा उपाय निहित हैं, जो अत्यंत कठोर और कठोर हैं।

कठोर प्रकृति, जैसा कि हमारे समक्ष अपीलार्थियों के वकील द्वारा तर्क दिया गया है। साथ ही, अनुच्छेद 20 (3) और 21 में निहित मौलिक अधिकारों को संविधान में गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। 42 वें संशोधन के बाद

44 वें संशोधन द्वारा संविधान को समाप्त कर दिया गया था, अब यह प्रावधान किया गया है कि आपातकाल में भी ये अधिकार टोफान सिंह बनाम नहीं हो सकते हैं।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समाप्त-अनुच्छेद 359 (1) देखें। एस अधिनियम जैसे क़ानून की व्याख्या स्वयं को दोषी नहीं ठहराने के मौलिक अधिकार की भावना के अनुरूप और अनुरूप होनी चाहिए, और इस न्यायालय के हाल के फैसलों में निजता का अधिकार पाया गया है।

संविधान की धारा 25 के तहत सम्मेलन

डेंस एक्ट

28. इस मोड़ पर, धारा 24 से 27 निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

साक्षय अधिनियमः

" 24. प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण स्वीकारोक्ति,

अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपराध कार्यवाही में अप्रासंगिक है, यदि न्यायालय के समक्ष स्वीकारोक्ति करना किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण हुआ प्रतीत होता है। अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप, न्यायालय की राय में, किसी अधिकारी और पर्याप्त व्यक्ति से कार्यवाही करते हुए, अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे आधार देने के लिए जो उसे यह मानने के लिए उचित प्रतीत हों कि ऐसा करने से वह कोई लाभ प्राप्त करेगा या उसके खिलाफ कार्यवाही के संदर्भ में किसी लौकिक प्रकृति की किसी बुराई से बच जाएगा।

25. पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति-अधिकारी को साबित नहीं किया जाना है। - नहीं।

एक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान, एक के खिलाफ साबित किया जाएगा

किसी भी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति।

26. पुलिस की हिरासत में न रहने के दौरान अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति उसके खिलाफ साबित किया जाए। - किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई स्वीकारोक्ति नहीं की गई

जब तक वह एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं किया जाता है, इसके खिलाफ साबित किया जाएगा।

ऐसा व्यक्ति।

स्पष्टीकरण। इस धारा में "मजिस्ट्रेट" में फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसीडेंसी में या कहीं और मजिस्ट्रेट कार्यों का निर्वहन करने वाले गाँव के प्रमुख को शामिल नहीं किया गया है, जब तक कि ऐसा मुखिया एक मजिस्ट्रेट न हो। संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट

दंड प्रक्रिया, 1882 (1882 का 10)।

27. अभियुक्त से कितनी जानकारी प्राप्त हो सकती है साबित किया जाए। - बशर्ते कि, जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी की अप्रासंगिकता के रूप में पाया जाता है

किसी भी अपराध का आरोपी, एक पुलिस-अधिकारी की हिरासत में, इतना [2020] 12 एस. सी. आर.



ऐसी जानकारी का, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित किया जा सकता है।

29. धारा 25 मूल रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1861 (1861 का अधिनियम 25) में थी और इसे 1872 के साक्षय अधिनियम में लाया गया था। धारा 25 में कहा गया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी के सामने की गई स्वीकारोक्ति, चाहे उसका पद कुछ भी हो, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी "को साक्षय अधिनियम या किसी भी संज्ञेय में परिभाषित नहीं किया गया है।

आपराधिक कानून। इसलिए, "पुलिस अधिकारी" का क्या अर्थ है, इस न्यायालय के कई फैसलों का विषय रहा है, जिसे बाद में स्वीकार किया जाएगा। अभी के लिए, धारा 25 को धारा 24 के विपरीत देखा जाना चाहिए, भारत में यातना के उपयोग और तृतीय श्रेणी के उपायों की स्थिति को देखते हुए। धारा 24 के विपरीत, एक पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी स्वीकारोक्ति का उपयोग किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता है, स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता या अन्यथा अप्रासंगिक होने के कारण-यह है विधायिका द्वारा निर्णायक रूप से यह माना जाता है कि पुलिस अधिकारियों को दिए गए ऐसे सभी इकबालिया बयान जबरदस्ती के दोष से दूषित हैं।

30. न्यायिक प्रतिष्ठानों के सुधार पर विचार करने के लिए नियुक्त महामहिम के आयुक्तों की पहली रिपोर्ट, न्यायिक

भारत की प्रक्रिया और कानून और ग। ( 1856 ) जो साक्षय अधिनियम की धारा 25 का आधार बना, उसने निम्नानुसार कहा:

" फिर किसी भी प्रजाति को रोकने के लिए अन्य प्रावधानों का पालन करें

जबरन वसूली या स्वीकारोक्ति या प्रक्रिया जानकारी की दृष्टि से मजबूरी या दुर्व्यवहार। लेकिन हमें सूचित किया जाता है, और यह जानकारी

इस बात की पुष्टि हमारे द्वारा जांचे गए साक्षय से होती है कि इस योग्यता के बावजूद, स्वीकारोक्ति को अक्सर जबरन या मनगढ़ंत बनाया जाता है। पुलिस अधिकारी, डकैती या गंभीर चरित्र के अन्य अपराध की घटना की सूचना मिलने पर, अपराध के अपराधियों का पता लगाने में विफल रहने पर, अक्सर खुद को सुरक्षित करने का प्रयास करता है।

जिन पक्षों की परिस्थितियाँ या चरित्र ऐसे हैं जो उनके खिलाफ इस तरह के आरोप के लिए श्रेय प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके लापरवाही या लापरवाही के किसी भी आरोप के खिलाफ। यह कभी-कभी जबरन वसूली या मनगढ़ंत गलत स्वीकारोक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, और जब यह कदम एक बार उठाया जाता है, तो निश्चित रूप से वास्तविक अपराधियों के लिए दंड से मुक्ति होती है, और अपराध के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होता है। दरोगाह अब से अपनी दिशा के लिए प्रतिबद्ध है।

मामले को दिया गया; और यह सत्य की खोज को रोकने के लिए उसका उद्देश्य है, और दोषी पक्षों की आशंका, जो, जहाँ तक

पुलिस चिंतित है, अब पूरी तरह से सुरक्षित है।

हम तोफान सिंह बनाम हैं। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पुलिस द्वारा किया जाना व्यर्थ होगा और हम तदनुसार सुधार का प्रस्ताव करते हैं।बुराई, जहाँ तक संभव हो, किसी भी निषेध के नियम को अपनाने से

पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी पक्ष की जांच, परिणाम

जिसका गठन एक लिखित दस्तावेज के रूप में किया जाना है।

( पृष्ठ 110 पर)

31. इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि इस शब्द की व्याख्या

साक्षय अधिनियम की धारा 25 में उपयोग किया गया "संविधान के अनुच्छेद 20 (3) में निहित से भौतिक रूप से अलग है। का दायरा

पर समय द्वारा सीमित नहीं है-यह मायने नहीं रखता है कि व्यक्ति एक नहीं था

सेड उस समय जब इकबालिया बयान दिया गया था। यह इस न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक देवन उपाध्याय (ऊपर) में इस रूप में रखा गया है

वीएसः

" धारा 24 द्वारा, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में,

उसके द्वारा किया गया इकबालिया बयान अस्वीकार्य है यदि वह अदालत में पेश होता है

प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण हुआ हो

प्राधिकरण में किसी व्यक्ति से आरोप और कार्यवाही का संदर्भ।

धारा 25 द्वारा, के मुकदमे में सबूत के खिलाफ एक पूर्ण प्रतिबंध है

एक व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप है, पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे का

अधिकारी। प्रतिबंध जो धारा 24 के तहत आंशिक है और पूर्ण है

धारा 25 के तहत समान रूप से लागू होता है चाहे व्यक्ति इसके खिलाफ हो या नहीं।

जिनका सबूत आपराधिक मुकदमे में पेश करने की मांग की जाती है

प्रभावी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है जब उसने स्वीकारोक्ति की। अभिव्यक्ति, "अभियुक्त व्यक्ति"

धारा 24 में और अभिव्यक्ति "किसी भी मामले में अभियुक्त व्यक्ति"अपराध "का एक ही अर्थ है, और व्यक्ति का वर्णन करें

जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में सबूत देने की मांग की जाती है।

जैसा कि पाकला नारायण स्वामी बनाम में देखा गया है। सम्राट [एलआर 66 आई. ए.

66 ] प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा, "धारा 25

किसी भी अपराध से पहले एक पुलिस अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति को शामिल करता है।

जाँच शुरू हो चुकी है या अन्यथा नहीं

जाँच "। विशेषण खंड "किसी भी अपराध का अभियुक्त" है

इसलिए उस व्यक्ति का वर्णनात्मक जिसके खिलाफ एक इकबालिया बयान

उसके द्वारा दिए गए बयान को अप्रमाणित घोषित किया जाता है, और नहीं

बनाने के समय उस व्यक्ति की स्थिति का अनुमान लगाएं

प्रतिबंध की प्रयोज्यता के लिए बयान "।

( पृष्ठ 21 पर)



32. इसी तरह, अग्नू नागेसिया बनाम। बिहार राज्य (1966) 1 एससीआर

134 , न्यायालय ने कहा:

" धारा 25 में कहा गया है: एक पुलिस अधिकारी के सामने कोई स्वीकारोक्ति नहीं की गई, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित किया जाएगा। द.

धारा 25 की शर्तें अनिवार्य हैं। पुलिस के सामने किया गया इकबालिया बयान

अभियुक्त के खिलाफ। इसमें उस समय की गई एक स्वीकारोक्ति शामिल है जब वह था मुक्त और पुलिस हिरासत में नहीं, साथ ही पहले किया गया इकबालिया बयान भी

कोई भी जांच शुरू हो गई है। अभिव्यक्ति "किसी का भी अभियुक्त"

अपराध "मुकदमे में अपराध के आरोपी व्यक्ति को शामिल करता है कि क्या या नहीं उस पर अपराध का आरोप लगाया गया था जब उसने

स्वीकारोक्ति "।

( पृष्ठ 137 पर)

33. इस प्रकार, जबकि आह्वान के लिए एक औपचारिक आरोप आवश्यक है

अनुच्छेद 20 (3) के तहत संरक्षण, साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत संरक्षण का आह्वान करने के लिए अप्रासंगिक होगा।

34. साक्षय अधिनियम की धारा 26 संरक्षण का विस्तार करती है -

एक पुलिस-अधिकारी की "हिरासत में" रहते हुए व्यक्तियों द्वारा दिए गए इकबालिया बयान, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं दिए जाते। हिरासत "गिरफ्तारी" का पर्याय नहीं है, जैसा कि किया गया है।

इस न्यायालय के कई निर्णयों में आयोजित-अभिरक्षा गिरफ्तारी से पहले की स्थिति को संदर्भित कर सकती है, जैसा कि हरियाणा राज्य और अन्य राज्यों में हुआ था। वी. दिनेश कुमार (2008) 3 एस. सी. सी.

222 (पैराग्राफ 27-29 देखें)। वास्तव में, सी. आर. पी. सी. की धारा 46 "शब्द या कार्रवाई द्वारा अभिरक्षा के लिए समर्पण" की बात करती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वैच्छिक उपस्थिति को संदर्भित करती है।

बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी के एक पुलिस अधिकारी के सामने।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम में निहित प्रावधान

35. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम

इसे इसके द्वारा कवर किए गए विषय पर एक पूर्ण कोड माना गया है। नूर आगा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 2. गंभीर महत्व के कई प्रश्न जिनमें शामिल हैं

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक की संवैधानिक वैधता पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "अधिनियम"), मानक और सीमा

अभियुक्त की तुलना में अभियोजन पक्ष पर सबूत का भार

इस अपील में प्रश्न जो एक निर्णय और आदेश से उत्पन्न होता है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 9-6-2006 टफान सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

2000 की आपराधिक अपील संख्या 810-एस. बी. में जिसके तहत और जिसके तहत अधिनियम की धारा 22 और 23 के तहत दोषी ठहराए जाने और सजा के फैसले के खिलाफ आवेदक द्वारा दायर अपील बर्खास्त कर दिए गए थे।

XXX XXXXX

75. यह अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। सीमा शुल्क अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के साथ पहना गया है एक्ट करें। इसलिए, यह केवल अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने या संपत्तियों को जब्त करने के आदेश के मामले से संबंधित नहीं है, बल्कि गंभीर परिणाम वाले अपराधों से भी संबंधित है।

XXX XXXXX

80. कानून और समानता की समानता का संवैधानिक जनादेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के संरक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अदालतें, यह अच्छी तरह से तय है, एक ऐसे निर्माण से बचेंगी जो अनुच्छेद 14 के प्रकोप को आकर्षित

करेगा। वे इस कानून से भी अनजान नहीं हो सकते कि यह अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और इस प्रकार, 1962 के अधिनियम के प्रावधानों को इसके तहत दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

36. इसी तरह के प्रभाव के लिए, मुकेश सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 85. उपरोक्त योजना और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों से यह प्रतीत होता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। धारा 41 (1) किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के लिए अधिकृत करती है, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि उसने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कोई दंडनीय अपराध किया है, या तलाशी के लिए, चाहे वह दिन में हो या रात में। धारा 41 की उप-धारा 2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के राजपत्रित रैंक के किसी भी अधिकारी को अधिकृत करती है, जो केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, या राजस्व का कोई भी अधिकारी। पुलिस या राज्य सरकार का कोई अन्य विभाग जो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण है।

ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या किसी इमारत, वाहन या स्थान की तलाशी लेने के लिए, चाहे वह [2020] 12 एस. सी. आर. के अधीन हो, लेकिन एक चपरासी, सिपाही या एक सिपाही से उच्च पद पर हो।



दिन में या रात में या खुद ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करें या किसी इमारत, वाहन या स्थान की तलाशी लें। 37. सी. आर. पी. सी. और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया कई प्रावधानों में निहित है। यह ध्यान दिया जाएगा कि एन. डी. पी. एस. के तहत दी गई किसी भी सजा में निलंबन, छूट या परिवर्तन की बात आने पर सी. आर. पी. सी. को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है।

अधिनियम-धारा 32 ए देखें। समान रूप से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में निहित कुछ भी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का हो और वह अपराध केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 26 या 27 के तहत दंडनीय हो-धारा 33 देखें।

38. दूसरी ओर, सी. आर. पी. सी. को स्पष्ट रूप से बनाया गया है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं द्वारा लागू: धारा 34 (2), जो

मजिस्ट्रेट; और धारा 51, जो अधिनियम के तहत किए गए वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती से संबंधित है। समान रूप से, सी. आर. पी. सी. को धारा 36ए (1) (बी) के तहत आवश्यक संशोधनों के साथ लागू किया गया है, जब हिरासत में किसी व्यक्ति को उससे आगे की अवधि के लिए हिरासत में रखने की बात आती है।पंद्रह दिन; धारा 37 (1) (बी), जिसमें कुछ परिस्थितियों में जमानत देने के लिए अतिरिक्त शर्तें शामिल हैं; और धारा 53 ए, जो धाराओं के तहत लिखित में दिए गए बयानों पर उत्कीर्ण अपवाद हैं।

161 , 162 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172। सी. आर. पी. सी. की धारा 4 (2) और 5 के साथ पढ़ें, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना यह प्रतीत होती है कि सी. आर. पी. सी.

आम तौर पर इसका पालन किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया हो, या संशोधनों के साथ लागू किया गया हो। 39. एन. डी. पी. एस. अधिनियम को लागू करने के लिए उद्देश्यों और कारणों का विवरण महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार है:

" भारत में मादक पदार्थों पर वैधानिक नियंत्रण का प्रयोग कई केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। प्रमुख केंद्रीय अधिनियम, अर्थात् अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1878 और खतरनाक मादक पदार्थ अधिनियम, 1930 लंबे समय से लागू किए गए थे।

इससे पहले। समय के साथ और क्षेत्र में विकास के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध नशीली दवाओं का व्यापार और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, मौजूदा कानूनों में कई कमियां सामने आई हैं, जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( i) वर्तमान अधिनियमों के तहत दंड की योजना तस्करों के सुव्यवस्थित गिरोहों की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त निवारक नहीं है। खतरनाक मादक पदार्थ अधिनियम, 1930 में अधिकतम 3 साल के कारावास का प्रावधान है।

बिना जुर्माने के और दोहराए गए अपराधों के लिए जुर्माने के साथ या बिना 4 साल की कैद। इसके अलावा, वर्तमान कानूनों में कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अदालतों द्वारा नशीली दवाओं के तस्करों को कभी-कभी मामूली सजा के साथ छोड़ दिया गया है। देश पिछले कुछ वर्षों से मुख्य रूप से हमारे कुछ पड़ोसी देशों से आने वाले मादक पदार्थों के पारगमन यातायात की समस्या का सामना कर रहा है औरमुख्य रूप से पश्चिमी देशों के लिए नियत।

( (ii) मौजूदा केंद्रीय कानूनों में कई महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवर्तन के अधिकारियों के निवेश का प्रावधान नहीं है।

मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि जैसी एजेंसियां, जिनके पास उक्त कानूनों के तहत अपराधों की जांच करने की शक्ति है।

( iii) उपरोक्त तीन केंद्रीय अधिनियमों के अधिनियमन के बाद से मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विशाल निकाय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से विकसित हुआ है और

प्रोटोकॉल। भारत सरकार इन संधियों और सम्मेलनों में एक पक्ष रही है, जिसमें कई दायित्व शामिल हैं

जो कवर नहीं किए गए हैं या केवल आंशिक रूप से कवर किए गए हैं

वर्तमान अधिनियम।

( (iv) हाल के वर्षों के दौरान लत की नई दवाएं आई हैं।

साइकोट्रोपिक पदार्थों के रूप में जाने जाने वाले पदार्थ घटनास्थल पर दिखाई दिए हैं और राष्ट्रीय सरकार के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन में परिकल्पित तरीके से भारत में साइकोट्रोपिक पदार्थों पर नियंत्रण के अभ्यास को सक्षम करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं है।

1971 जिसे भारत ने भी स्वीकार कर लिया है।

2. ऊपर जो कहा गया है, उसे देखते हुए इसकी तत्काल आवश्यकता है मादक द्रव्यों और मादक द्रव्यों पर एक व्यापक कानून बनाने के लिए, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ मादक द्रव्यों से संबंधित मौजूदा कानूनों को समेकित और संशोधित करना चाहिए, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर मौजूदा नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए, विशेष रूप से तस्करी के अपराधों के लिए दंड को काफी बढ़ाना चाहिए, मादक द्रव्यों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रावधान करना चाहिए और

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों [2020] 12 एस. सी. आर. के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करना।



भारत एक पार्टी बन गया है। 3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

( जोर दिया गया)

40. सबसे पहली बात जिसे यह कथन संबोधित करता है वह दुखद है।

जहां तक दंड की योजना का संबंध है, तीन पुराने अधिनियमों की अपर्याप्तता, जो पहली बार निवेश के महत्व के साथ-साथ तस्करों के सुव्यवस्थित गिरोहों की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से निवारक नहीं थे, नए कानून के तहत अपराधों की जांच करने की शक्ति वाले केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी। निस्संदेह, एन. डी. पी. एस. अधिनियम एक व्यापक कानून है जो मादक पदार्थों और मादक

पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान करता है, जिसके केंद्र में विभिन्न अधिकारियों को अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने की शक्ति निहित है, ताकि अपराधियों को रोकने और दंडित करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, तस्करों के संगठित गिरोह जो संसद द्वारा समाज के लिए खतरा माने जाते हैं। इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है:

" मादक पदार्थों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम

नियंत्रण और विनियमन के लिए सख्त प्रावधान करने के लिए दवाएं मादक द्रव्यों और मनोदैहिक रोगों से संबंधित संचालन

जिन पदार्थों से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए,या मादक पदार्थों और मनोरोगी में अवैध व्यापार में उपयोग किया जाता है

पदार्थ, अंतर्राष्ट्रीय के प्रावधानों को लागू करने के लिए नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों पर समझौता और

उससे जुड़े मामलों के लिए "।

41. यह स्वयं इस अधिनियम को एक "कठोर" उपाय के रूप में संदर्भित करता है

मादक द्रव्यों और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित अपराधों के खतरे का मुकाबला करना। अध्याय IV के तहत, जो "अपराध और दंड" से संबंधित है, धारा 15-24 विभिन्न दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की बात करती है, जिसमें इन धाराओं के माध्यम से चलने वाला सुनहरा धागा यह है कि जहां उल्लंघन में "कम मात्रा" शामिल है जैसा कि परिभाषित किया गया है, वहां एक अवधि के लिए कठोर कारावास हो सकता है जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है, या एक जुर्माना जो दस हजार रुपये या दोनों तक हो सकता है; जहां उल्लंघन में एक मध्यवर्ती मात्रा शामिल है, अर्थात। "छोटी" और "वाणिज्यिक" मात्रा के बीच, कठोर कारावास के साथ जो दस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है; और जहां उल्लंघन में "वाणिज्यिक मात्रा" शामिल है जैसा कि परिभाषित किया गया है, न्यूनतम दस साल के लिए कठोर कारावास के साथ लेकिन जो बीस तक बढ़ सकता है तोफान सिंह v.

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

लेकिन जो दो लाख तक हो सकता है-अदालत को, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, दो लाख से अधिक का जुर्माना लगाने की शक्ति भी दी गई है। के तहतधारा 28 और 29, अपराध करने के प्रयासों और उकसाने और आपराधिक साजिश के लिए दंड निर्धारित किए जाते हैं। एक अत्यंत

महत्वपूर्ण खंड धारा 30 है, जहाँ एक कार्य करने की तैयारी भी की जाती है। अपराध को अपराध बनाया जाता है। धारा 31 के तहत, जहां कोई व्यक्ति पहले से ही है

जुर्माने की अधिकतम राशि का डेढ़ गुना। कुछ परिस्थितियों में धारा 31 ए के तहत मृत्युदंड भी दिया जाता है। धारा 32 ए के तहत, धारा 27 के तहत सजा के अलावा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दी गई किसी भी सजा को निलंबित, माफ या माफ नहीं किया जाएगा।आवागमन किया। समान रूप से, हमने देखा है कि कैसे धारा 33 के तहत, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 लागू नहीं होता है जहां अपराधी 18 वर्ष से अधिक है, या यदि अपराध अधिनियम की धारा 26 और 27 के तहत अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए है।

42. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत भी कई अनुमान लगाए गए हैं।

जिसे सबूत का भार उलट दिया जाता है, अब आरोपी पर है। वे सभी तीन खंडों में पाए जाते हैं-धारा 35,54 और 66। इन अनुभागों में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य। स्पष्टीकरण। इस खंड में "दोषी मानसिक स्थिति" शामिल है।

इरादा, उद्देश्य, किसी तथ्य का ज्ञान और विश्वास, या कारण

विश्वास कीजिए, एक तथ्य।

1 यह याद रखा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) में, एकमात्र धारा जहां तैयारी को अपराध बनाया गया है, वह है "डकैती करने की तैयारी"। आई. पी. सी. की धारा 399 देखें।



के संबंध में कार्य करें( क) कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित

पदार्थ;

( ख) जिस भूमि पर उसने खेती की है, उस पर उगने वाला कोई भी अफीम का खसखस, भांग का पौधा या कोका का पौधा;

( ग) विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया कोई उपकरण या बर्तनों का कोई समूह। विशेष रूप से किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के निर्माण के लिए अपनाया गया; या

( घ) कोई भी सामग्री जो किसी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के निर्माण की दिशा में किसी भी प्रक्रिया से गुजरी है या

नियंत्रित पदार्थ, या सामग्री का कोई अवशेष जिसमें से कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ का निर्माण किया गया है,

जिसके कब्जे का वह संतोषजनक हिसाब देने में विफल रहता है।" 66. कुछ मामलों में दस्तावेजों के बारे में अनुमान। जहाँ कोई दस्तावेज़ हो।

( (i) किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तुत किया गया है या किसी भी मामले में, इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत या नियंत्रण से जब्त किया गया है, या

( (ii) भारत के बाहर किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया है (ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रमाणित और इस तरह से कि

केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जा सकता है) इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अपराध की जांच के दौरान, और ऐसा दस्तावेज इस अधिनियम के तहत किसी भी अभियोजन में उसके खिलाफ या उसके और किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ साक्षय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके खिलाफ उसके साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है, अदालत

( क) मान लें, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि हस्ताक्षर और

ऐसे दस्तावेज़ का प्रत्येक अन्य भाग जो टी. ओ. एफ. ए. एन. सिंह v. में होना चाहता है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

किसी विशेष व्यक्ति की लिखावट या जिसे न्यायालय लिख सकता है।

यह उचित रूप से मान लें कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, या उसकी लिखावट में है, उस व्यक्ति की लिखावट में है; और निष्पादित या सत्यापित दस्तावेज़ के मामले में, कि यह उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित या सत्यापित किया गया था जिसके द्वारा इसका उद्देश्य था

( ग) खंड (i) के तहत आने वाले मामले में, यह भी मान लें कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, तब तक ऐसे दस्तावेज़ की सामग्री की सच्चाई है। 43. धारा 37 (1) अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय बनाती है।

जमानती पर, जमानत के लिए कड़ी शर्तों के साथः

" 37. अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होने चाहिए। — ( 1 )

धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 ए और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए भी जमानत पर या उसके आधार पर रिहा किया जाएगा। अपना बंधन जब तक कि

( i) लोक अभियोजक को विरोध करने का अवसर दिया गया है।

ऐसी रिहाई के लिए आवेदन, और

( (ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां अदालत का समाधान होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

जमानत पर रहते हुए अपराध।

( 2 ) उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अलावा हैं।

जमानत देने पर समय लागू है "।

44. धारा 40 के तहत, जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय मामलों में से किसी के लिए दोषी ठहराया जाता है, अदालत, इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति के बदले में-समाचार पत्र में या अन्य तरीके से - इस तरह के विश्वास का एम। एन. डी. पी. एस. अधिनियम को ओ. एम. एस. अधिनियम, 1962 और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अतिरिक्त कहा जाता है, ताकि, [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके बावजूद कि उन अधिनियमों के तहत अपराध किए जा सकते हैं, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों का मुकदमा चलाया जाना जारी रहेगा जैसे कि धारा 79 और 80 देखें।

45. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की कठोर प्रकृति को देखते हुए, कई धाराएँ सुरक्षा उपाय प्रदान करती हैं ताकि जाँच और जाँच के बीच संतुलन प्रदान किया जा सके।

अधिनियम के तहत अपराधों का मुकदमा, और नागरिक के मौलिक अधिकार। धारा 42 में कई सुरक्षा उपाय निहित हैं, जो इस प्रकार हैं:

" 42. बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तिआदेश या प्राधिकरण। — ( 1 ) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी (जो चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से बेहतर रैंक का अधिकारी हो) जिसमें पैरा

सैन्य बल या सशस्त्र बल जो केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त हैं, या ऐसा कोई अधिकारी (जो चपरासी, सिपाही या सिपाही से बेहतर रैंक का अधिकारी हो)।

राज्य सरकार के राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का (सिपाही) जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, यदि उसे किसी

व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण है और उसे लिखित रूप में हटा लिया गया है कि कोई मादक पदार्थ, या मादक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है, या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के होने का सबूत दे सकती है।या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का सबूत दे सकती है जो जब्ती के लिए उत्तरदायी है।

या इस अधिनियम के अध्याय वी. ए. के तहत फ्रीजिंग या ज़ब्त को किसी भी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में रखा या छुपाया जाता है,

सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच,( क) ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करें और उसकी तलाशी लें;

( ख) प्रतिरोध के मामले में, किसी भी दरवाजे को तोड़ें और ऐसे प्रवेश के लिए किसी भी बाधा को दूर करें;

( ग) ऐसी दवा या पदार्थ और उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों और किसी अन्य वस्तु और किसी भी जानवर या वाहन को जब्त कर लेगा, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह उत्तरदायी है।

इस अधिनियम के तहत जब्ती और कोई भी दस्तावेज या अन्य वस्तु जिस पर उसे विश्वास करने का कारण है, टोफान सिंह v का साक्षय प्रस्तुत कर सकता है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का करना या किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का सबूत प्रस्तुत करना जो इस अधिनियम के अध्याय वीए के तहत जब्ती या फ्रीज या ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है;

और

( घ) हिरासत में लें और तलाशी लें, और यदि वह उचित समझता है, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें।

जिनके पास यह मानने का कारण है कि उन्होंने कोई अपराध किया है

बशर्ते कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि साक्षय या सुविधा को छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है अपराधी के भागने के लिए, वह सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है।

और अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने के बाद सूर्योदय।

( 2 ) जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या उस परंतुक के तहत अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है, तो वह 72 घंटे के भीतर अपनी तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को इसकी एक प्रति भेजेगा।

46. इस धारा से यह स्पष्ट है कि केवल तभी जब संबंधित अधिकारी के पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से "विश्वास करने का कारण" हो और लिखित रूप में लिया जाए कि कोई अपराध किया गया है।

वचनबद्ध, कि संबंधित अधिकारी, केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है, ड्रग्स और सामग्री जब्त कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसे वह मानता है कि उसने कोई अपराध किया है। पहले परंतुक के अनुसार, यह केवल एक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जो उप-निरीक्षक के पद से कम नहीं है। इसके अलावा, उप-धारा (2) के तहत, जहां लिखित रूप में जानकारी दी जाती है, इसमें शामिल अधिकारी को इसकी एक प्रति अपने तत्काल अधिकारी वरिष्ठ को 72 घंटे के भीतर भेजनी चाहिए। यहाँ "विश्वास करने के कारण" की तुलना "संदेह करने के कारण" अभिव्यक्ति से करना महत्वपूर्ण है, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 49 में निहित है। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा ए. एस. कृष्णन बनाम में "विश्वास करने के कारण" का अर्थ लगाया गया है। केरल राज्य (2004) 11 एस. सी. सी. 576 निम्नलिखित है:

[ 2020 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 9. आई. पी. सी. के तहत, लगभग सभी अपराधों के संबंध में अपराध या तो "इरादे" या "ज्ञान" या "अपराध करने के कारण" के आधार पर तय किया जाता है।

विश्वास कीजिए "। हम अब अभिव्यक्तियों से चिंतित हैं

" ज्ञान "और" विश्वास करने का कारण "। ज्ञान "संबंधित व्यक्ति की ओर से अपनी स्थिति का संकेत देने वाली जागरूकता है। मन की "। विश्वास करने का कारण "मन की स्थिति का एक और पहलू है।" विश्वास करने का कारण "संदेह" या "संदेह" के समान नहीं है और केवल देखने को भी विश्वास करने के बराबर नहीं माना जा सकता है। “ "विश्वास करने का कारण" मन की स्थिति का एक उच्च स्तर है। इसी तरह "ज्ञान" "विश्वास करने के कारण" की तुलना में थोड़ा उच्च स्तर पर होगा। एक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसके लिए सीधी अपील कहाँ है।

इन्द्रियों और एक व्यक्ति को विश्वास करने का कारण माना जाता है यदि वह

ऐसा मानने का पर्याप्त कारण है। आई. पी. सी. की धारा 26 "विश्वास करने का कारण" शब्दों के अर्थ को इस प्रकार समझाती है:

“ 26. ‘ विश्वास करने का कारण '। — कहा जाता है कि एक व्यक्ति के पास किसी बात पर 'विश्वास करने का कारण' होता है, अगर उसके पास उस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है लेकिन अन्यथा नहीं। "47. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी। अनुभाग

यह है:

" 50. जिन शर्तों के तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी

41 , धारा 42 या धारा 43, वह, यदि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अपेक्षा करता है,ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना या

निकटतम मजिस्ट्रेट। ( 2 ) यदि ऐसी मांग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला सकता।

( 3 ) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष कोईऐसे व्यक्ति को लाया जाता है, यदि वह तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत आरोपमुक्त कर देगा, लेकिन अन्यथा निर्देश देगा

कि खोज की जाए।

( 4 ) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( 5 ) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, बिना इस संभावना के कि उस व्यक्ति की तलाशी ली जाए और उसके पास कोई मादक पदार्थ या मादक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु हो।

या दस्तावेज़, वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय, उस व्यक्ति की तलाशी के लिए आगे बढ़ सकता है

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के तहत प्रदान किया गया।

( 6 ) उप-धारा (5) के तहत तलाशी लेने के बाद, अधिकारी इस तरह के विश्वास के कारणों को दर्ज करेगा, जिसके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया था।

खोजबीन करें और सत्तर-दो घंटे के भीतर उसकी एक प्रति उसके तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को भेजें।

48. बलदेव सिंह (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था:

" 17. उन मामलों में निचली अदालत ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया था कि गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती एनडीपीएस अधिनियम के कुछ "प्रासंगिक और अनिवार्य" प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। उच्च न्यायालय ने इसके खिलाफ अपील करने से इनकार कर दिया

दोषमुक्त करने का आदेश। इसके बाद पंजाब राज्य ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर की। कुछ अन्य मामलों में, जहां अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था, उन्होंने विशेष अपील भी दायर की थी

उनकी दोषसिद्धि और सजा पर इस आधार पर सवाल उठाने की अनुमति दें कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का पालन न करने के कारण उनके मुकदमे अवैध थे। दो न्यायाधीशों की पीठ ने के. जयचंद्र रेड्डी, जे.गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती को नियंत्रित करने वाले एन. डी. पी. एस. अधिनियम के कई प्रावधानों और विशेष रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41,42,43,44,49,50,51,52 और 57 के प्रावधानों के साथ-साथ तलाशी से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर विचार किया गया।

अधिकारी की ओर से यह अनिवार्य है कि वह व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित करे कि यदि वह ऐसा चाहता है तो उसकी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जाएगी और उसके द्वारा किए जा रहे ऐसे अनुरोध पर, आगे की कार्यवाही के लिए राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। बलबीर सिंह में दिया गया तर्क मामला [(1994) 3 एस. सी. सी. 299] यह था कि [2020] 12 एस. सी. आर. को अवसर दिया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति "यदि उसे पहले तलाशी लेने की आवश्यकता है

राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को उस अधिकार के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और यह केवल अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।

" 25. ऊपर विचार किए गए प्रश्न अक्सर निचली अदालतों के समक्ष उठते हैं। इसलिए हम अपने निष्कर्षों को निर्धारित करना आवश्यक पाते हैं जो इस प्रकार हैं: ( 1 ) यदि कोई पुलिस अधिकारी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी पूर्व सूचना के बिना किसी अपराध या संदिग्ध

अपराधों की जांच के सामान्य क्रम में किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है जैसा कि सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया है और जब ऐसी तलाशी उस स्तर पर पूरी हो जाती है तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 को आकर्षित नहीं किया जाएगा और अनुपालन का सवाल उठाया जाएगा।

इसके तहत आवश्यकताओं के साथ उत्पन्न नहीं होगा। यदि इस तरह की तलाशी या गिरफ्तारी के दौरान किसी भी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ की बरामदगी की संभावना है तो पुलिस अधिकारी, जो अधिकार प्राप्त नहीं है, को अधिकार प्राप्त अधिकारी को सूचित करना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए।

इसके बाद एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ें। यदि वह एक अधिकार प्राप्त अधिकारी भी है, तो उस स्तर से उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार जांच करनी चाहिए।

( 2 - ए) धारा 41 (1) के तहत केवल एक अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट ही ऐसा कर सकता है

अधिनियम के अध्याय IV आदि के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी या तलाशी के लिए वारंट जारी करना, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे अपराध किए गए हैं या ऐसे पदार्थ किसी भवन, वाहन में रखे गए हैं या छिपाए गए हैं। जगह। जब गिरफ्तारी या तलाशी के लिए ऐसा वारंट एक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है जो सशक्त नहीं है, तो ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी यदि की जाती है तो यह अवैध होगा। इसी तरह धारा 41 (2) और 42 (1) में उल्लिखित केवल अधिकार प्राप्त अधिकारी या विधिवत अधिकृत अधिकारी ही एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य कर सकते हैं।

यदि ऐसा है तो टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे अधिकारियों के अलावा किसी और द्वारा गिरफ्तारी या तलाशी ली जाती है, वही अवैध होगा।

( 2 - ख) धारा 41 (2) के तहत केवल अधिकार प्राप्त अधिकारी ही अपने अधीनस्थ अधिकारी को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या तलाशी लेने का अधिकार दे सकता है जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। अगर कोईउल्लंघन, जो अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित करेगा और दोषसिद्धि को दूषित करेगा।

( 2 - ग) धारा 42 (1) के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई पूर्व सूचना है, तो उसे अनिवार्य रूप से लिखित रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके पास व्यक्तिगत जानकारी से यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय IV के तहत अपराध किए गए हैं या ऐसी सामग्री जो ऐसे अपराधों के होने का सबूत दे सकती है, किसी भी भवन आदि में छिपी हुई है, तो वह

सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच वारंट के बिना गिरफ्तारी या तलाशी और यह प्रावधान यह अनिवार्य नहीं करता है कि उसे अपना रिकॉर्ड दर्ज करना चाहिए।

विश्वास के कारण। लेकिन धारा 42 (1) के प्रावधान के तहत यदि ऐसे अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच इस तरह की खोज करनी है, तो उसे अपने विश्वास के आधार को दर्ज करना होगा।

इस हद तक ये प्रावधान अनिवार्य हैं और इनका उल्लंघन अभियोजन मामले को प्रभावित करेगा और मुकदमे को दूषित करेगा।

( 3 ) धारा 42 (2) के तहत ऐसे अधिकार प्राप्त अधिकारी जो लिखित रूप में किसी भी जानकारी को लेते हैं या धारा 42 (1) के प्रावधान के तहत आधार दर्ज करते हैं, उन्हें तुरंत अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को इसकी एक प्रति भेजनी चाहिए। यदि इस प्रावधान का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है तो यह अभियोजन मामले को प्रभावित करता है। इस हद तक यह

अनिवार्य है। लेकिन अगर देरी होती है कि क्या यह अनुचित था या क्या इसे समझाया गया है या नहीं, तो प्रत्येक मामले में तथ्य का सवाल होगा।

विशुद्ध रूप से सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के तहत अपराधों की जांच कारण दर्ज करने की आवश्यकता सहित सी. आर. पी. सी. की धारा 100 और 165 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहती है, ऐसी विफलता केवल एक अनियमितता होगी। ( 4 - बी) यदि अधिनियम की धारा 41 (2) के तहत एक अधिकार प्राप्त अधिकारी या एक अधिकृत अधिकारी तलाशी लेता है, तो वह [2020] 12 एस. सी. आर. करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में साक्षय की सराहना करते हुए अदालतों को इस तरह की विफलता के प्रभाव को ध्यान में रखना होगा।( 5 ) पूर्व सूचना पर अधिकार प्राप्त अधिकारी या अधिकृत अधिकारी को धारा 41 (2) या 42 के तहत कार्य करते हुए व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले धारा 50 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए कि यदि वह ऐसा करता है तो

आवश्यकता पड़ने पर, उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा जैसा कि इसके तहत प्रावधान किया गया है। ऐसे अधिकारी की ओर से यह अनिवार्य है कि वह व्यक्ति को तलाशी के लिए सूचित करे। विफलता

तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को सूचित करना और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में विफलता, धारा 50 का गैर-अनुपालन होगी जो अनिवार्य है और इस प्रकार यह अभियोजन मामले को प्रभावित करेगा और मुकदमे को दूषित करेगा। इस तरह से सूचित किए जाने के बाद कि क्या ऐसे व्यक्ति ने इस तरह के पाठ्यक्रम का विकल्प चुना या नहीं, यह तथ्य का सवाल होगा।

( 6 ) धारा 52 और 57 के प्रावधान जो इन से संबंधित हैं - धारा 41 से 44 के तहत गिरफ्तारी या जब्ती करने के बाद अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले कदम अपने आप में अनिवार्य नहीं हैं। यदि अनुपालन नहीं किया गया है या देरी आदि जैसी खामियां हैं तो यह देखने के लिए इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ है और इस तरह की विफलता का गिरफ्तारी या जब्ती के संबंध में साक्षय की सराहना के साथ-साथ मामले के गुण-दोष पर भी असर पड़ेगा।

( मूल में जोर)

XXX XXXXX

57. उपरोक्त तर्क और चर्चा के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:( 1 ) कि जब कोई अधिकार प्राप्त अधिकारी या पूर्व सूचना पर कार्य करने वाला विधिवत अधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में सूचित करे।

धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत निकटतम टोफान सिंह v.

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

तलाशी लेने के लिए राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट। हालाँकि, ऐसी जानकारी आवश्यक रूप से लिखित में नहीं हो सकती है;

( 2 ) राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता या मजिस्ट्रेट अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करेगा;

( 3 ) कि एक अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा पूर्व में की गई खोज

जानकारी, व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित किए बिना कि, यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसे राजपत्रित अधिकारी के सामने ले जाया जाएगा या

तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी लेने में विफलता हो सकती है।मुकदमे को दूषित करेगा लेकिन अवैध वस्तु संदिग्ध की बरामदगी को दूषित कर देगा और एक आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को दूषित कर देगा, जहां अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान केवल उसके व्यक्ति से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की गई है।

( 4 ) कि वास्तव में समाज को अपराधियों से बचाने की आवश्यकता है। यदि अपराध करने वाले व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है तो सुरक्षा में सामाजिक इरादे को नुकसान होगा क्योंकि उनके खिलाफ सबूत को ऐसा माना जाना चाहिए जैसे कि यह मौजूद नहीं है। इसलिए इसका उत्तर यह है कि जांच एजेंसी को कानून द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और ऐसा करने में विफलता

को उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई को गंभीरता से आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि जांच में लापरवाही बरती जा सके।

सत्ता पर अंकुश लगा दिया गया है। हर मामले में अंतिम परिणाम महत्वपूर्ण होता है लेकिन इसे प्राप्त करने के साधन बोर्ड से ऊपर रहने चाहिए। उपचार स्वयं रोग से भी बदतर नहीं हो सकता है। न्यायिक प्रक्रिया की वैधता संदेह के घेरे में आ सकती है यदि अदालत को जांच एजेंसी द्वारा किए गए अराजकता के कृत्यों को माफ करते हुए देखा जाता है।

मुकदमे में धारा 50 द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन, मुकदमे को अनुचित बना देगा। ( 5 ) यह कि धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया है या नहीं, न्यायालय द्वारा [2020] 12 एस. सी. आर. पर निर्धारित किया जाना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमे में साक्षय का आधार सामने आया। उस मुद्दे पर किसी न किसी तरह से खोज करना, दोषसिद्धि या बरी होने के आदेश को दर्ज करने के लिए प्रासंगिक होगा। अभियोजन पक्ष को मुकदमे में यह स्थापित करने का अवसर दिए बिना कि धारा 50 के प्रावधानों और विशेष रूप से उसमें प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया था, आपराधिक मुकदमे में कटौती करने की अनुमति नहीं होगी।

( 6 ) कि उस संदर्भ में जिसमें संरक्षण दिया गया है

तलाशी लेने के इरादे वाले व्यक्ति के लाभ के लिए धारा 50 में शामिल, हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि क्या धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य हैं या निर्देशिका, लेकिन, संबंधित व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित करने में विफलता को उत्पन्न होने के रूप में मानते हैं।

धारा 50 की उप-धारा (1) से,

निषिद्ध पदार्थ संदिग्ध और एक अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा कानून की दृष्टि से खराब और अस्थिर है; ( 7 ) कि अधिनियम की धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान किसी अभियुक्त के व्यक्ति से जब्त की गई अवैध वस्तु का उपयोग अभियुक्त पर अवैध रूप से प्रतिबंधित पदार्थ रखने के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है, हालांकि उस तलाशी के दौरान बरामद किसी भी अन्य सामग्री पर भरोसा किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष द्वारा, अन्य कार्यवाहियों में, एक अभियुक्त के खिलाफ, एक अवैध तलाशी के दौरान उस सामग्री की बरामदगी के बावजूद;

( 8 ) अधिनियम की धारा 54 के तहत एक अनुमान केवल तभी उठाया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष यह स्थापित कर सके कि धारा 50 के अधिदेश के अनुसार की गई तलाशी में आरोपी को प्रतिबंधित पदार्थ

के कब्जे में पाया गया था। एक अवैध तलाशी अभियोजन पक्ष को अधिनियम की धारा 54 के तहत एक अनुमान लगाने का अधिकार नहीं दे सकती है।

( 9 ) यह समझा नहीं जा सकता कि पूरन मल के मामले में दिए गए फैसले में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति की तलाशी के दौरान जब्त की गई अवैध वस्तु, पूर्व सूचना पर, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, स्वयं उस व्यक्ति पर अवैध वस्तु के अवैध कब्जे के सबूत के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है जिससे अवैध तलाशी के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया है।

( 10 ) कि अली मुस्तफा के मामले में निर्णय पूरन मल के मामले में निर्णय की सही व्याख्या और अंतर करता है और व्यापक रूप से टफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पिरथी चंद के मामले में की गई टिप्पणियाँ और सुखबीर सिंह के मामले में की गई टिप्पणियाँपूरन मल के मामले में निर्धारित कानून की सही व्याख्या के अनुरूप नहीं हैं। उपरोक्त निष्कर्ष हमारे निर्णय का सारांश नहीं हैं और इन्हें पढ़ने और विचार करने की आवश्यकता है।

पूरी चर्चा पिछले भाग में निहित है। 49. इस निर्णय के तुरंत बाद, संसद ने उप अधिनियमित किया

ओंस (5) और (6)। इन प्रावधानों के अधिनियमन के बावजूद, विजयसिंह चंदुभा जडेजा (ऊपर) में यह विशेष रूप से इस रूप में अभिनिर्धारित किया गया हैवीएस:

" 24. हालांकि बलदेव सिंह में संविधान पीठ

मामला [(1999) 6 एस. सी. सी. 172] ने पूर्ण शब्दों में इस प्रश्न का निर्णय नहीं लिया कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 निर्देशिका थी या अनिवार्य थी, फिर भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 50 की उप-धारा (1) के प्रावधान अधिकार प्राप्त अधिकारी के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि -

" संबंधित व्यक्ति (संदिग्ध) को उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित करें कि यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसकी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जाएगी; संदिग्ध को उसके उक्त अधिकार के अस्तित्व के बारे में "सूचित" करने में विफलता उसके लिए पूर्वाग्रह का कारण बनेगी, और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी तलाशी लेने में विफलता, मुकदमे को दूषित नहीं कर सकती है, लेकिन उसे रद्द कर देगी।

अवैध वस्तु संदिग्ध की बरामदगी और दोषसिद्धि को दूषित करना

और एक अभियुक्त की सजा, जहाँ दोषसिद्धि की गई है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान व्यक्ति से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर ही दर्ज किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि धारा 50 के तहत दी जाने वाली जानकारी निर्धारित प्रपत्र में या लिखित रूप में होनी चाहिए, लेकिन यह अनिवार्य था कि संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाए, यदि उसके द्वारा ऐसा आवश्यक हो। हम सम्मानपूर्वक इन निष्कर्षों से सहमत हैं। प्रावधान की किसी भी अन्य व्याख्या से संदिग्ध को भ्रम में मूल्यवान अधिकार प्रदान किया जाएगा और

प्रहसन।

XXX XXXXX

27. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि इस तथ्य के अलावा कि करनैल सिंह [(2009) 8 एस. सी. सी. 539] में, मुद्दा [2020] 12 एस. सी. आर. के मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 के दायरे और प्रयोज्यता के बारे में था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिना वारंट के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करना या

प्राधिकरण, उक्त निर्णय बलदेव सिंह मामले [(1999) 6 एस. सी. सी. 172] में निर्धारित उक्ति से अलग नहीं है, जहां तक एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) में निहित संदिग्ध को उसके अधिकार के बारे में सूचित करने का अधिकार प्राप्त अधिकारी का दायित्व है। उक्त पैराग्राफ से यह भी स्पष्ट है कि दो नए जोड़े गए उप-अनुभागों के संदर्भ में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में लचीलेपन का सहारा केवल आपात स्थिति में ही लिया जा सकता है और तत्काल स्थितियाँ, प्रावधान में विचार किया गया है, और निश्चित रूप से नहीं। इसके अतिरिक्त, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (6) इसे अधिकृत अधिकारी के लिए अनिवार्य और अनिवार्य बनाती है।

अपने विश्वास के लिए उसके द्वारा दर्ज किए गए कारणों की एक प्रति भेजना

उप-धारा (5) की शर्तें, निर्धारित समय के भीतर उसके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को, जो प्रयोग मुकदमे के दौरान फिर से न्यायिक जांच के अधीन होगा।

XXX XXXXX 29. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी दृढ़ राय है कि जिस उद्देश्य के साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत अधिकार, सुरक्षा के रूप में, संदिग्ध को प्रदान किया गया है। शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, नुकसान से बचने के लिए

निर्दोष व्यक्तियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा झूठे मामले लगाने या थोपने के आरोपों को कम करने के लिए, अधिकार प्राप्त अधिकारी की ओर से यह अनिवार्य होगा कि वह उस व्यक्ति को पहले तलाशी लेने के उसके अधिकार से अवगत कराए।

XXX XXXXX 31. हमारी राय है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकता के साथ "पर्याप्त अनुपालन" की अवधारणा को जोसेफ फर्नांडीज [(2000) 1 एस. सी. सी. 707] और प्रभा शंकर टफान सिंह बनाम में उक्त धारा के अधिदेश में पेश किया गया और पढ़ा गया।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दुबे [(2004) 2 एस. सी. सी. 56] न तो धारा 50 की उप-धारा (1) की भाषा से उत्पन्न हुआ है और न ही यह बलदेव सिंह मामले [(1999) 6 एस. सी. सी. 172] में निर्धारित उक्ति के अनुरूप है।

यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि यह सवाल कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं और धारा 50 की आवश्यकता

मुलाकात हो चुकी थी, यह सुनवाई का विषय है। यह न तो संभव होगा और न ही

इस संबंध में कोई भी पूर्ण सूत्र निर्धारित करना संभव है।"

50. इस प्रकार, यह अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा जारी है, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, केवल उप-धारा (6) में अपवादों के अधीन है, जिसका उपयोग केवल तत्काल और आकस्मिक स्थितियों में किया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रावधान का गैर-अनुपालन अभियुक्त की दोषसिद्धि को दूषित करेगा, और इन प्रावधानों के साथ "पर्याप्त" संबंध अभियोजन मामले को नहीं बचाएगा।

51. इसी तरह, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 इस प्रकार बताती है:

" 52. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का निपटारा और सामान जब्त। - ( 1 )

धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई भी अधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, उसे आधार के बारे में सूचित करेगा।

ऐसी गिरफ्तारी के लिए।

( 2 ) धारा 41 की उप-धारा (1) के तहत जारी वारंट के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और जब्त की गई वस्तु को बिना किसी अनावश्यक देरी के उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया था।

जारी किया गया।

( 3 ) प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उप-धारा के तहत सामान जब्त किया गया

( 2 ) धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44

बिना अनावश्यक विलम्ब के भेजा गया -( क) निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, या

( 4 ) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत जिस प्राधिकारी या अधिकारी को कोई व्यक्ति या वस्तु भेजी जाती है, वह सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ ऐसे उपाय करेगा जो आवश्यक हों। ऐसे व्यक्ति या वस्तु के कानून के अनुसार निपटान के लिए।

52. धारा 52 (1)-(3) में तीन अलग-अलग सुरक्षा उपाय हैं।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और जब्त की गई वस्तुओं का संबंध है।

53. धारा 57 तब ऐसी गिरफ्तारी या जब्ती [2020] 12 एस. सी. आर. के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए गिरफ्तारी या जब्ती करने वाले व्यक्ति की बात करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अड़तालीस घंटे के भीतर अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को। समान रूप से, धारा 57 ए के तहत, जब भी धारा 53 के तहत अधिसूचित कोई अधिकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी या जब्ती करता है, तो अधिकारी गिरफ्तारी या जब्ती के नब्बे दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की रिपोर्ट अधिकार क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को देगा। धारा 58 अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे नीचे दिया गया है:

" 58. परेशान करने वाले प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के लिए सजा। - ( 1 ) धारा 42 या धारा के तहत सशक्त कोई भी व्यक्ति

( क) संदेह के उचित आधार के बिना किसी भी भवन, वाहन में प्रवेश या तलाशी, या प्रवेश या तलाशी का कारण बनता है या जगह;

( ख) किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को परेशान करने और अनावश्यक रूप से जब्त कर लेता है।

किसी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ या जब्त किए जाने योग्य अन्य वस्तु को जब्त करने या खोजने का नाटक करने पर इस अधिनियम के तहत, या धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के तहत जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जब्त करना; या

( ग) किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए और अनावश्यक रूप से हिरासत में लेना, तलाशी लेना या गिरफ्तार करना, छह महीने तक के कारावास या एक महीने तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

हजार रुपये, या दोनों के साथ।

( 2 ) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत जानकारी दे रहा है और इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी या तलाशी ले रहा है।

कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि बढ़ सकती है।

दो साल तक या जुर्माना या दोनों के साथ।

इसके साथ छोटी-मोटी गलती करना स्वयं प्रावधान के तहत दंडनीय है। धारा 63 के तहत, जिसमें ज़ब्ती करने की प्रक्रिया शामिल है, उप-धारा (2) के पहले परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी वस्तु या वस्तु को ज़ब्त करने का कोई आदेश ज़ब्ती की तारीख से एक महीने की समाप्ति तक या किसी ऐसे व्यक्ति की सुनवाई किए बिना नहीं किया जाएगा जो उस पर कोई अधिकार का दावा कर सकता है और वह सबूत जो वह अपने दावे के संबंध में पेश करता है। 55. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के कड़े प्रावधानों के साथ-साथ ऊपर चर्चा किए गए प्रावधानों में उल्लिखित सुरक्षा उपायों को देखते हुए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसे कानूनों का अर्थ टोफान सिंह बनाम में लगाया जाना चाहिए।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वैड। यह बलदेव सिंह के अनुच्छेद 28 में निर्धारित किया गया था।ए)। यह कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम मुख्य रूप से एक दंडात्मक क़ानून है, अब टेग्रा नहीं है। राजस्व निदेशालय और ए. एन. आर. वी. मोहम्मद निसार

ए (2008) 2 एस. सी. सी. 370, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 9. एन. डी. पी. एस. अधिनियम एक दंडात्मक कानून है। यह काफी हद तक अभियुक्त के अधिकारों पर आक्रमण करता है। यह एक दोषी की धारणा को जन्म देता है

मानसिक स्थिति। आम तौर पर, किसी अभियुक्त को भी अधिनियम की धारा 37 के संबंध में जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। अदालत के पास अपराधियों के नाम, पता और व्यवसाय आदि प्रकाशित करने की शक्ति है। साक्षय में प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज स्वीकार्य हो जाता है। एक विशालअधिकारियों को जानकारी के लिए बुलाने की शक्ति दी गई है

अधिनियम की धारा 67 के कारण प्रदत्त।

10. खोज की शक्ति के संबंध में व्याख्या और/या वैधता

और उक्त अधिनियम के तहत प्रदान की गई जब्ती के लिए आया

बलबीर सिंह मामले में विचार [(1994) 3 एस. सी. सी. 299] जिसमें

यह आयोजित किया गया था:

" 10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41,42,43 और 51 और धारा 41,42 और 43 के तहत गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में सी. आर. पी. सी. की धारा 4 के संयुक्त अध्ययन से, सी. आर. पी. सी. के प्रावधान, अर्थात् धारा 100 और 165 ऐसी गिरफ्तारी और तलाशी पर लागू होंगे। नतीजतन, गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में अनियमितताओं और अवैधताओं के संबंध में विभिन्न अदालतों द्वारा ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांत प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत गिरफ्तारी और तलाशी पर भी समान रूप से लागू होंगे।

11. लेकिन कुछ अन्य प्रतिबंधों की परिकल्पना की गई है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41 और 42। केवल एक मजिस्ट्रेट

धारा 41 के तहत सशक्त गिरफ्तारी और तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय IV के तहत अपराध किया गया है और इसी तरह आगे जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। उप-धारा (2) के तहत केवल राजपत्रित अधिकारी या अन्य

उसमें उल्लिखित और अधिकार प्राप्त अधिकारी दे सकते हैं

यदि ऐसे अधिकारी के पास अपराध करने के बारे में विश्वास करने का कारण है और जानकारी, यदि कोई हो, को लिखित रूप में कम करने के बाद, उसे गिरफ्तार करने और तलाशी लेने के लिए अधीनस्थ को प्राधिकरण। धारा 42 के तहत केवल उसमें उल्लिखित और इस तरह से सशक्त अधिकारी [2020] 12 एस. सी. आर. बना सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि अध्याय IV के तहत कोई अपराध किया गया है या कि ऐसी गिरफ्तारी या तलाशी प्रावधान में उल्लिखित अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक थी। जहाँ तक सबसे पहले आवश्यकता का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि विधायिका का इरादा केवल कुछ मजिस्ट्रेट और उच्च पद और अधिकार प्राप्त कुछ अधिकारी गिरफ्तारी या तलाशी को प्रभावी बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। यह एक सुरक्षा है जो विचार किए गए निवारक वाक्यों को ध्यान में रखते हुए और इस दृष्टि से प्रदान की गई है कि निर्दोष व्यक्तियों को परेशान नहीं किया जाता है। इसलिए यदि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के इन प्रावधानों के तहत किसी गिरफ्तारी या तलाशी पर विचार किया जाना है, तो यह केवल सक्षम और सशक्त मजिस्ट्रेट या उसके तहत उल्लिखित अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है।

11. तलाशी और जब्ती करने के साथ-साथ किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति अधिकारी की संतुष्टि के आधार पर स्थापित की जाती है क्योंकि "विश्वास करने का कारण" शब्द का उपयोग किया गया है। इस तरह का विश्वास गुप्त जानकारी पर आधारित हो सकता है जिसे मुखबिर द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। कठोर प्रावधान जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत "उचित प्रक्रिया" के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक कठोर सजा का कारण बन सकता है, की आवश्यकता है

एक ओर कानून की आवश्यकता और उसके प्रवर्तन और दूसरी ओर उत्पीड़न और अन्याय से नागरिक की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना।

12. इस न्यायालय ने बलबीर सिंह [(1994) 3 एस. सी. सी. 299] का उल्लेख किया।

मिरांडा वी। एरिजोना राज्य [384 यू. एस. 436 (1966)] ने अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि न केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के प्रावधान तलाशी और जब्ती के मामले में आकर्षित होंगे, बल्कि उन्हें अभियुक्त के अधिकार का पालन करना चाहिए कि उसे इस बारे में सूचित किया जाए।

XXX XXXXX 16. यह विवाद में नहीं है कि उक्त अधिनियम कठोर दंड निर्धारित करता है। इस प्रकार, वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के तरीके और तरीके के संबंध में एक संतुलन बनाया जाना चाहिए।

तलाशी और जब्ती के स्थान के साथ। टोफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

56. इसी तरह, भारत संघ बनाम। बाल मुकुंद (2009) 12 एस. सी. सी. 161, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 28. जहां कोई कानून ऐसी कठोर शक्तियां प्रदान करता है और किसी नागरिक को कम से कम दस साल के लिए अपनी स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रयास करता है, और जमानत देने के लिए कड़े प्रावधान करता है, तो वैधानिक प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

57. कानून की इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम उन दो प्रश्नों की जांच करें जिन्हें हमें संदर्भित किया गया है।

" 67. सूचना आदि के लिए बुलाने की शक्ति-धारा 42 में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत है, किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में किसी भी जांच के दौरान कर सकता है।इस अधिनियम से,

( ख) किसी व्यक्ति से किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या वितरित करने की अपेक्षा करता है या जाँच के लिए उपयोगी या प्रासंगिक चीज़;

( ग) तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जांच करें और

मामले की परिस्थितियाँ।

59. खंड के लिए सीमांत नोट इंगित करता है कि यह केवल "सूचना आदि के लिए कॉल करने" की शक्ति को संदर्भित करता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा के. पी. वर्गीज बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और अन्र। ( 1981 ) 4 एस. सी. सी. 173, एक सीमांत नोट एक क़ानून में एक धारा के अर्थ और उद्देश्य को इंगित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आंतरिक उपकरण है, क्योंकि यह प्रावधान के "बहाव" को इंगित करता है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 9. उप-धारा (2) की इस व्याख्या का धारा 52 के सीमांत नोट द्वारा दृढ़ता से समर्थन किया गया है जिसमें कहा गया है कि अल्पोक्ति के मामलों में स्थानांतरण "। यह निस्संदेह सच है कि किसी खंड के सीमांत नोट को खंड का अर्थ लगाने के उद्देश्य से संदर्भित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस पर निश्चित रूप से खंड के बहाव को इंगित करने के रूप में या कॉलिन्स, एम. आर. के शब्दों का उपयोग करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। हैमंड [(1904) 2 KB 563] यह दिखाने के लिए कि [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुभाग निपट रहा है। यह किसी धारा के शब्दों की व्याख्या को नियंत्रित नहीं कर सकता है, विशेष रूप से जब धारा की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, लेकिन क़ानून का हिस्सा होने के नाते, यह प्रथम दृष्टया धारा के अर्थ और उद्देश्य के बारे में कुछ संकेत प्रदान करता है (बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड v. बिहार राज्य [(1955) 2 एस. सी. आर. 603]।

60. दूसरा, यह केवल धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकारी है जो "जांच" करने के लिए धारा 67 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग कर सकता है। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में। "जांच" शब्द का उपयोग धारा 67 में इसे "जांच" से अलग करने के लिए किया गया है जैसा कि धारा 53 ए में उपयोग किया गया है, जो अपराध 2 की जांच के दौरान है। वास्तव में, अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाएं

अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद, जिसे बाद में निर्णय में संदर्भित किया जाएगा, विशेष रूप से धारा 67 के साथ पठित धारा 42 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों की बात करता है। यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम का एक महत्वपूर्ण कार्यकारी अध्ययन है, जो यह स्पष्ट करता है कि धारा 67 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग धारा 42 (1) में वर्णित शक्तियों के संयोजन में किया जाना है। इस प्रकार, देशबंधु गुप्ता एंड कंपनी बनाम। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। लिमिटेड (1979) 4

एस. सी. सी. 565, इस न्यायालय ने एक क़ानून की कार्यकारी व्याख्या के संदर्भ में "समकालीन व्याख्या" के सिद्धांत को निम्नानुसार संदर्भित किया:

" 9 ..... समकालीन व्याख्या के सिद्धांत (समकालीन प्राधिकरण से प्राप्त व्याख्या के संदर्भ में किसी क़ानून या किसी अन्य दस्तावेज़ की व्याख्या करना) को लागू किया जा सकता है, हालांकि यह हमेशा निर्माण के प्रश्न के लिए निर्णायक नहीं होगा (मैक्सवेल 12th ed.p.268)। क्रॉफर्ड में वैधानिक निर्माण पर

( 1940 एड.) पैरा 219 में (पीपी पर। 393-395 ) यह कहा गया है कि प्रशासनिक निर्माण (अर्थात समकालीन निर्माण)

प्रभारित प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा नियुक्त

एक कानून को लागू करना) आम तौर पर इसे पलटने से पहले स्पष्ट रूप से गलत होना चाहिए; ऐसा निर्माण, जिसे आमतौर पर व्यावहारिक निर्माण के रूप में जाना जाता है, हालांकि नियंत्रित नहीं है, फिर भी काफी वजन का हकदार है; यह अत्यधिक प्रेरक है। बालेश्वर में

2 लेक्सिको में (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और Dictionary.com के बीच एक सहयोग), यह कहा गया है कि "पूछताछ और पूछताछ क्रियाओं के बीच पारंपरिक अंतर यह है कि पूछताछ का उपयोग 'पूछना' की सामान्य इंद्रियों के लिए किया जाता है, जबकि पूछताछ उपयोग के लिए आरक्षित है जिसका अर्थ है 'एक औपचारिक जांच करें'। ( देखें HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. शब्दकोश। com/व्याकरण/पूछताछ या-पूछताछ)।

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बगारती बनाम। भागीरथी दास [713 में आई. एल. आर. 35 कैल 701] सिद्धांत, जिसे मथुरा मोहन साहा बनाम में दोहराया गया था। राम कुमार

साहा [आई. एल. आर. 43 कैल 790] को जे. मुखर्जी ने इस प्रकार कहा है:

" यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें एक क़ानून का अर्थ लगाने में उस पर रखी गई व्याख्या को बहुत महत्व देंगी, इसके अधिनियमन का समय और तब से, उन लोगों द्वारा जिनका कर्तव्य इसका अर्थ लगाना, निष्पादन करना और लागू करना रहा है। मैं एक पल के लिए भी यह सुझाव नहीं देता कि इस तरह की व्याख्या का किसी भी तरह से नियंत्रण हो।

न्यायालयों पर प्रभाव; ऐसी व्याख्या, यदि अवसर उत्पन्न होता है, तो ठोस और प्रेरक कारणों के लिए अवहेलना की जा सकती है, और त्रुटि के स्पष्ट मामले में, एक अदालत बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर देगी

इस तरह के निर्माण का पालन करें। "

61. धारा 42 में निर्दिष्ट अधिकारी को प्रवेश की शक्तियां दी गई हैं,

इस निर्णय में ऊपर बताए गए सुरक्षा उपायों के साथ बिना वारंट के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी। पहला बचाव यह है कि ऐसे अधिकारी के पास "विश्वास करने का कारण" होना चाहिए, जो कि जैसा कि उल्लेख किया गया है, केवल "संदेह करने के कारण" से अलग है। यही कारण है कि ऐसे अधिकारी को इस संबंध में जांच करनी चाहिए

इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन, अन्यथा, ऐसी जांच के बिना भी, अपराध करने का केवल संदेह ही पर्याप्त होगा। इस जाँच में उसे उपखंड (ए) के तहत "जानकारी" के लिए कॉल करना होता है, जो "जानकारी" किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है और

जैसा कि धारा 42 (1) में दिया गया है, लिखित रूप में लिया गया है। इसके अलावा, दी गई जानकारी स्वयं को "संतुष्ट" करने के उद्देश्य से होनी चाहिए कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो धारा 42 में "विश्वास करने का कारण" अभिव्यक्ति पर वापस जाता है। इस मामले में, श्री लेखी के इस तर्क को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है कि धारा 67 में "जांच" "जांच" के समान है, जिसका उल्लेख धारा 53 में किया गया है। धारा 53 में कहा गया है:

" 53. कुछ विभागों के अधिकारियों को निवेश करने की शक्ति

अर्धसैनिक बलों या सशस्त्र बलों सहित सरकार या ऐसे अधिकारियों के किसी भी वर्ग को इसके तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ एक्ट करें।



( 2 ) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, औषधि विभाग के किसी भी अधिकारी को निवेश कर सकती है।

नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क या कोई अन्य विभाग या ऐसे अधिकारियों का कोई वर्ग जिसके पास पुलिस के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां हों।

इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए स्टेशन। 62. “ सी. आर. पी. सी. की धारा 2 (एच) के तहत जांच को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

निम्नलिखित है:

" ( ज) "जाँच" में एक पुलिस अधिकारी या किसी व्यक्ति (मजिस्ट्रेट के अलावा) द्वारा किए गए साक्षय के संग्रह के लिए इस संहिता के तहत सभी कार्यवाहियां शामिल हैं। इस संबंध में मजिस्ट्रेट; "

63. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (XXIX) के आधार पर, यह परिभाषा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 में "जांच" अभिव्यक्ति के उपयोग पर लागू होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक समावेशी परिभाषा है, जिसके द्वारा "साक्षय" एक पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा एकत्र किया जाता है। धारा 42 अधिकारी द्वारा की जाने वाली "जांच" इसलिए की जाती है ताकि ऐसा अधिकारी खुद को संतुष्ट करने के लिए "जानकारी" एकत्र कर सके कि "विश्वास करने का कारण" है कि पहली जगह में एक अपराध किया गया है।

या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को, जिसे तब उसे दिए गए मामले की "जांच" करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को, फिर कौन सा अधिकारी " यह पता लगाने के लिए कि क्या अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, मामले की जांच करता है। अतः, यह स्पष्ट है कि धारा 67 "जाँच" के पूर्ववर्ती चरण में है, जो धारा 42 के तहत संबंधित अधिकारी के पास उस ओर से की गई जाँच में एकत्र की गई जानकारी पर "विश्वास करने का कारण" होने के बाद होता है कि एक अपराध किया गया है।

प्रतिबद्ध।

65. इसी तरह, जब हम एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 (सी) पर आते हैं, तो उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति की "जांच" है।

और मामले की परिस्थितियाँ। ऐसे व्यक्ति की "जांच" फिर से केवल जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से की जाती है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि "विश्वास करने का कारण" है कि कोई अपराध किया गया है। इसे, कल्पना के किसी भी विस्तार से, टफान सिंह v के तहत एक "कथन" के बराबर नहीं माना जा सकता है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सी. आर. पी. सी. की धारा 161, जैसा कि श्री लेखी द्वारा तर्क दिया गया है, साहू पर निर्भर है।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य (1965) 3 एस. सी. आर. 86 (पृष्ठ 88 पर), जिसमें "कथन" की एक उप-प्रजाति होने के नाते स्वीकारोक्ति करना शामिल होगा।

66. श्री लेखी के तर्क को स्वीकार करने का परिणाम सामने आता है

अनुच्छेद 20 (3) और 21 में निहित मौलिक अधिकारों के साथ-साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना, उन सुरक्षा उपायों के साथ जो हमारे द्वारा यहाँ ऊपर निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, श्री लेखी के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी, जिसे ठीक से बुलाया जाता है, धारा 67 के तहत सूचना आदि के लिए कॉल करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, क्योंकि वह धारा 42 (1) में निर्दिष्ट एक अधिकारी है। फिर भी, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अपराध की "जांच" करते समय, यानी धारा के तहत सूचना संग्रह आदि के बाद।

67 , वही पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के साथ-साथ उसमें उल्लिखित सभी सुरक्षा उपायों से बाध्य होगा-पहला, कि जांच किया गया व्यक्ति ऐसे मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा, सिवाय उन प्रश्नों के जो उसे दोषी ठहराते हैं; दूसरा, पुलिस अधिकारी को इस बयान को लिखित रूप में कम करना होगा और इस बयान का एक अलग और सही रिकॉर्ड बनाए रखना होगा; तीसरा, दिए गए बयान को इसकी वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से रिकॉर्ड किया जा सकता है; और चौथा, एक महिला द्वारा दिया गया बयान केवल एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी को दिया जा सकता है। इन सभी सुरक्षा उपायों को पूरा करने के बाद भी, इस तरह के किसी भी बयान का उपयोग किसी भी जांच या मुकदमे में नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि इसका खंडन किया जाए।

प्रतिपरीक्षा में ऐसा गवाह। तहसीलदार सिंह बनाम। यू. पी. राज्य, 1959 सप्लीमेंट (2) एस. सी. आर. 875, जे. सुब्बा राव, ने इस न्यायालय के छह विद्वान न्यायाधीशों में से चार की ओर से बोलते हुए, के इतिहास का उल्लेख करने का अवसर प्राप्त किया।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162। इस इतिहास को कुछ विस्तार से प्रस्तुत करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

" इसलिए, यह देखा गया है कि पूरे विधानमंडल का उद्देश्य जांच के दौरान पुलिस के समक्ष दिए गए गवाह के बयान को किसी भी उद्देश्य के लिए मुकदमे में उपयोग करने और समय-समय पर किए गए संशोधनों से बाहर करना रहा है। इनका उद्देश्य केवल उक्त उद्देश्य को स्पष्ट करना और इस तरह के इरादे पर पड़ने वाले बादल को दूर करना था। 1898 के अधिनियम ने पहली बार एक अपवाद पेश किया जिससे उक्त कथन को लिखित में घटाकर गवाह के श्रेय पर महाभियोग चलाने के लिए उपयोग किया जा सके।

साक्षय अधिनियम द्वारा प्रदत्त तरीका। जैसा कि अपवाद के वाक्यांश ने विधायिका के उद्देश्य को विफल करने की गुंजाइश प्रदान की, 1923 के संशोधन अधिनियम द्वारा, इस धारा को अपवाद की सीमाओं को सटीकता के साथ परिभाषित करने के लिए फिर से तैयार किया गया था ताकि इसे केवल [2020] 12 एस. सी. आर. तक सीमित किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साक्षय अधिनियम की धारा 145 के तहत प्रदान किए गए तरीके से गवाह का खंडन करें। यदि कोई 1923 में किए गए तरीके से धारा तैयार करने में विधायिका के इरादे का अनुमान लगा सकता है, तो यह स्पष्ट होगा कि यह मुकदमे में जांच के दौरान पुलिस के सामने दिए गए गवाहों के बयानों के उपयोगकर्ता के खिलाफ आरोपी को बचाने के लिए था, संभवत: इस धारणा पर कि उक्त बयान विश्वास पैदा करने वाली परिस्थितियों में नहीं दिए गए थे। धारा और परंतुक दोनों का उद्देश्य मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य यानी अभियुक्त के हित को पूरा करना था।

( पृष्ठ 889-890 पर)

XXX XXXXXXX

मुख्य खंड का उद्देश्य, जैसा कि इसके विधान के इतिहास से पता चलता है और निर्णय किए गए मामलों से संकेत मिलता है, एक सामान्य प्रतिबंध लगाना है।

पुलिस के समक्ष दिए गए बयान के उपयोग के विरुद्ध और स्पष्ट रूप से अधिनियमित करने वाले खंड में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान या उसके किसी भी रिकॉर्ड या ऐसे बयान या रिकॉर्ड के किसी भी हिस्से का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। परंतुक में सामान्य निषेध पर एक अपवाद शामिल किया गया है और वह यह है कि लिखित में उक्त कथन का उपयोग साक्षय अधिनियम की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से एक गवाह का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। हम धारा के इतिहास से पहले ही देख चुके हैं कि अधिनियमन खंड का उद्देश्य मुख्य रूप से अभियुक्त के हितों की रक्षा करना था। जाँच की स्थिति में, गवाहों के बयानों को अव्यवस्थित तरीके से लिया जाता है। पुलिस अधिकारी अपनी जाँच के दौरान खुद को अधिक बार एक उत्साहित भीड़ और चारों ओर उठी आवाज़ों के बीच पाता है। ऐसे माहौल में, कानून की अदालत के विपरीत, उससे गवाहों के बयान सुनने और उनमें से प्रत्येक के बयान को अलग-अलग दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है। आम तौर पर वह केवल उन विलापों का सारांश दर्ज करता है जो उसे प्रासंगिक लगते हैं। अत: ये कथन केवल एक सारांश हैं -

एक गवाह क्या कहता है और बहुत बार निष्पक्ष होता है। वास्तव में, उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, पुलिस के खिलाफ एक वैधानिक निषेध है

बयान देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर लेने वाले अधिकारी, जिससे संकेत मिलता है कि बयान का उद्देश्य गवाह पर बाध्यकारी होना या उसके द्वारा आश्वासन देना नहीं है कि यह एक सही बयान है।साथ ही, यह घटना के तुरंत बाद एक गवाह के बयान का सबसे पहला रिकॉर्ड होने के नाते, इसमें कोई भी विरोधाभास पाया गया है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक अभियुक्त के लिए गवाही को बदनाम करने में बहुत मदद होगी

बयान देने वाले गवाह का। इसलिए यह खंड था, मीडिया के माध्यम से एक खुश खोजने के प्रयास में कल्पना की गई, अर्थात्, जबकि

यह एक से पहले दिए गए बयान के खिलाफ एक पूर्ण प्रतिबंध लागू करता है

पुलिस अधिकारी का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, यह सक्षम बनाता है

इच्छित कथन के कुछ हिस्सों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करके कार्य करेंविरोधाभास के लिए। एकर उपयोग एकर पुष्टि लेल नहि कयल जा सकैत अछि।

अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष का गवाह या अदालत का गवाह भी। न ही

क्या इसका उपयोग बचाव पक्ष या अदालत के गवाह का खंडन करने के लिए किया जा सकता है।

संक्षेप में कहा गया है, इसके उपयोग के खिलाफ एक सामान्य प्रतिबंध है

अभियुक्त के हित में सीमित अपवाद, और अपवादस्पष्ट रूप से बार को पार करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

( पृष्ठ 894-895 पर)

67. सी. आर. पी. सी. की धारा 163 (1) के तहत, कोई प्रलोभन, धमकी या

अपराध के आरोपी व्यक्ति का अधिवक्ता। यह स्वीकारोक्ति तभी दर्ज की जा सकती है जब मजिस्ट्रेट इसे बनाने वाले व्यक्ति को समझाता है।कि वह स्वीकारोक्ति देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है-सीआरपीसी की धारा 164 (2) देखें। मजिस्ट्रेट को तब अभिलेख के आधार पर एक ज्ञापन देना होता है कि उसने वास्तव में उस व्यक्ति को चेतावनी दी है कि वह इस तरह की स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है, और इसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है-सीआरपीसी की धारा 164 (4) देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त है कि

उस व्यक्ति को शपथ दिलाएँ जिसका बयान इस प्रकार दर्ज किया गया है-सीआरपीसी की धारा 164 (5) देखें।

68. यह उल्लेखनीय होगा कि यदि एक पुलिस अधिकारी, ठीक है तो

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध की "जांच" करने के लिए बुलाए जाने पर, अभियुक्त के लिए सी. आर. पी. सी. की धारा 161 से 164 में निहित सभी सुरक्षा उपाय उपलब्ध होंगे, लेकिन यदि वही पुलिस अधिकारी या धारा 42 के तहत अन्य नामित अधिकारी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत इकबालिया बयान दर्ज करते हैं, तो इन सुरक्षा उपायों को हवा में फेंक दिया जाएगा, जैसा कि श्री लेखी ने [2020] 12 एस. सी. आर. के दौरान स्वीकार किया था।



उनके तर्क। भले ही ऐसी कोई विसंगति एक तनाव पर उत्पन्न होती है धारा 67 का निर्माण, जैसा कि श्री लेखी ने तर्क दिया है, अपीलकर्ताओं द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक निर्माण, मौलिक अधिकारों के अनुरूप होने के कारण ही प्रबल होगा, क्योंकि धारा 67 को तब "पढ़ना" होगा ताकि मौलिक अधिकारों के अनुरूप हो सके।

69. उदाहरण के लिए, गांजे की तस्करी करने वाले व्यक्ति के लिए राज्य के नियमित पुलिस बल द्वारा की गई जांच को लें। अगर ऐसा ही है।व्यक्ति को बाद के अवसर पर गांजे के साथ पकड़ा जाना था, इस बार राज्य पुलिस बल द्वारा नहीं बल्कि अन्य अधिकारियों द्वारा उसी या इसी तरह के अपराध के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं में निहित सुरक्षा उपाय पहली घटना के संबंध में लागू होंगे, लेकिन बाद की घटना पर लागू नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरी बार,

जाँच राज्य पुलिस बल द्वारा नहीं, बल्कि अन्य अधिकारियों द्वारा की गई थी। उपरोक्त उदाहरण में उल्लिखित तथ्य स्थिति क़ानून के काम करने में स्पष्ट मनमानेपन को प्रदर्शित करेगी, जिससे

ऐसी स्थिति में जहां, पहले लेन-देन के लिए, सीआरपीसी के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपाय लागू होते हैं क्योंकि इसकी जांच स्थानीय राज्य पुलिस द्वारा की गई थी, जबकि दूसरे लेन-देन की जांच करने वाले स्थानीय पुलिस के अलावा अन्य अधिकारियों के विपरीत।

70. एक और उदाहरण लीजिए। यदि एक्स एंड वाई एक दवा सिंडिकेट का हिस्सा हैं,

और एक्स को पंजाब राज्य में स्थानीय राज्य पुलिस द्वारा एक निश्चित मात्रा में गांजा के साथ पकड़ा जाता है, और वाई को राज्य पुलिस के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा महाराष्ट्र राज्य में पकड़ा जाता है, फिर से एक निश्चित मात्रा में गांजा के साथ जो उसी स्रोत से आता है, पंजाब में राज्य पुलिस द्वारा जांच सी. आर. पी. सी. में निहित सुरक्षा उपायों के अधीन होगी, लेकिन वाई द्वारा ले जाए गए गांजा की जांच सी. आर. पी. सी. में निहित सुरक्षा उपायों के अधीन होगी। इस तरह के किसी भी सुरक्षा उपाय के बिना महाराष्ट्र की जांच की जाएगी।

इस तथ्य के लिए कि स्थानीय पुलिस के अलावा एक अन्य अधिकारी ने अपराध की जांच की। ये विसंगतियाँ वास्तविक हैं और काल्पनिक नहीं हैं, और यदि कोई क़ानून ऐसी विसंगतियों को जन्म देने के लिए इतना पठनीय है, तो इसे अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण और स्पष्ट रूप से मनमाना होने के रूप में रद्द करना होगा।

71. इसके अलावा, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53ए के प्रावधान श्री लेखी के तर्क के खिलाफ हैं। धारा 53ए निम्नलिखित रूप में बताती है:

" 53ए. कुछ के तहत बयानों की प्रासंगिकतापरिस्थितियाँ। ( 1 ) एक व्यक्ति द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित बयान

अपराधों की जांच के लिए धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष, टोफान सिंह द्वारा किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान।

तमिलनाडु राज्य

[ आर. एफ. नरीमन, जे.]

ऐसा अधिकारी, किसी भी मामले में, साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होगा।इस अधिनियम के तहत एक अपराध के लिए अभियोजन, तथ्यों की सच्चाई

( क) जब बयान देने वाला व्यक्ति मर चुका है या नहीं मिल रहा है, या सबूत देने में असमर्थ है, या प्रतिकूल पक्ष द्वारा रास्ते से बाहर रखा गया है, या जिसकी उपस्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है। विलंब या व्यय की राशि के बिना, जिसके तहत

मामले की परिस्थितियों को अदालत अनुचित मानती है; या

( ख) जब बयान देने वाले व्यक्ति से अदालत के समक्ष मामले में गवाह के रूप में पूछताछ की जाती है और अदालत की राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बयान

न्याय के हित में साक्षय में स्वीकार किया जाना चाहिए।

( 2 ) उप-धारा (1) के प्रावधान, जहां तक हो सके, इस अधिनियम या नियमों या आदेशों के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में लागू होंगे।न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अलावा इसके तहत किया गया, जैसा कि वे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के संबंध में लागू होते हैं।

72. यदि श्री लेखी का तर्क सही था, तो एक इकबालिया बयान

धारा 67 के तहत दिया गया बयान एन. डी. पी. एस. अधिनियम, धारा 53ए के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत के रूप में पर्याप्त है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 और 53ए को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 53ए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161,162 और 172 के लिए अपवाद की प्रकृति में है। यह इस कारण से है कि धारा 53 (1), जब यह कुछ अधिकारियों या अधिकारियों के वर्गों को निम्नलिखित शक्तियों के साथ निवेश करती है -

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, सी. आर. पी. सी. के अध्याय XII को संदर्भित करता है, जिसमें धारा 161,162 और 172 एक हिस्सा हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सी. आर. पी. सी. की धारा 162 (1) के तहत, जांच के दौरान दिए गए बयान हैं:

उन्हें बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता नहीं है-धारा के तहत

53 धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी के समक्ष व्यक्ति द्वारा उन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दूसरा, यह केवल दो परिस्थितियों में [धारा 53ए (1) (ए) और (बी) के तहत] है कि ऐसा बयान अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक बनाया गया है: यह केवल तब होता है जब व्यक्तिबयान दिया गया है कि बयान मृत है, पाया नहीं जा सकता है, सबूत देने में असमर्थ है; या प्रतिकूल पक्ष द्वारा रास्ते से बाहर रखा गया है, या जिसकी उपस्थिति बिना देरी या खर्च के प्राप्त नहीं की जा सकती है जिसे अदालत अनुचित समझती है, कि ऐसा बयान प्रासंगिक हो जाता है। अन्यथा, यदि ऐसा बयान देने वाले व्यक्ति से गवाह के रूप में पूछताछ की जाती है, और अदालत सोचती है कि न्याय के हित में ऐसा बयान [2020] 12 एस. सी. आर. होना चाहिए।

प्रासंगिक बनाया गया और ऐसा करता है, फिर से, ऐसा कथन प्रासंगिक हो सकता है। अगर श्री लेखी का तर्क था तो इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अधिकार, कि धारा 67 के तहत दिया गया एक इकबालिया बयान-इनमें से किसी भी बाधा से बंधा नहीं होना-आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा।

73. श्री लेखी ने तब हाल के संविधान पर दृढ़ता से भरोसा किया

मुकेश सिंह (ऊपर) में न्यायपीठ का निर्णय। यह निर्णय मोहन लाल बनाम में निर्णय की शुद्धता से संबंधित था। पंजाब राज्य, (2018) 17 एस. सी. सी. 627, जिसने यह विचार रखा था कि यदि जाँच उसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है जो स्वयं पुलिस अधिकारी है।

शिकायतकर्ता, मुकदमा कानून के मामले के रूप में दूषित हो जाता है, और आरोपी बरी होने का हकदार होता है। इस प्रश्न का निर्णय करते हुए, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पहले के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया, विशेष रूप से, राज्य v. वी. जयपॉल (2004) 5 एससीसी 223। सी. आर. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

" 80 ..... इस प्रकार, Cr.P.C की योजना के तहत, यह नहीं कहा जा सकता है कि

एक पुलिस अधिकारी के लिए जानकारी प्राप्त करने पर रोक है

एक संज्ञेय अपराध करना, उसी को दर्ज करना और फिर इसकी जाँच करें। इसके विपरीत, धारा 154,156 और 157 अनुमति देती हैं।

लिखित रूप में और उसके बाद संज्ञेय अपराध करने काउसी की जाँच करने के लिए "।

74. न्यायालय ने तब एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों को निर्धारित किया और

निष्कर्ष निकाला:

" 89. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी धारा 41,42,43 या 44 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना

ऐसी गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। उप-धारा 2

धारा 52 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और अनुच्छेद धारा 41 की उप-धारा 1 के तहत जारी वारंट के तहत जब्त किया गया

अनावश्यक विलम्ब किए बिना मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।जिनके द्वारा वारंट जारी किया गया था। धारा की उप-धारा 3 के अनुसार

52 , उप-धारा 2 के तहत गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति और जब्त की गई वस्तु

धारा 41,42,43 या 44 को बिना अनावश्यक रूप से अग्रेषित किया जाएगा।

निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को देरी, या

धारा 53 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी।

90. कि उसके बाद जांच द्वारा की जानी है

एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी "।

( जोर दिया गया)

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

75. इसके बाद अदालत ने कहा:

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत उन अधिकारियों के अलावा अन्य होंगे जो धाराओं के तहत अधिकृत हैं। 41 , 42 , 43 , और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के 44. ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने अपने विवेक से यह कभी नहीं सोचा कि अधिकारियों ने

धारा 41,42,43 और 44 के तहत शक्तियों का प्रयोग पुलिस स्टेशन की जांच के लिए प्रभारी अधिकारी नहीं हो सकता है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध।

94. जाँच में तलाशी और जब्ती भी शामिल है। जिस तरह से

जाँच एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जानी है और कोई अन्य नहीं और इसलिए धारा 53 जानबूझकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, जैसा भी मामला हो, मादक पदार्थ नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग या किसी अन्य विभाग या किसी भी वर्ग के किसी भी अधिकारी को निवेश करने के लिए अधिकृत करती है। के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों वाले ऐसे अधिकारियों का

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन।

95. धारा 42 धारा 42 में उल्लिखित किसी भी अधिकारी को बिना वारंट या प्राधिकरण के प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करती है, जिसमें राजस्व, मादक पदार्थों के ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं।

सरकार या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, औरजैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, धारा 53 केंद्र को अधिकृत करती है

सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग के किसी भी अधिकारी या ऐसे अधिकारियों के किसी भी वर्ग को जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश करेगी। राज्य के पास भी इसी तरह की शक्तियां हैं

सरकार। धारा 42 और 53 में एकमात्र परिवर्तन यह है कि धारा 42 में "पुलिस" शब्द है, हालांकि धारा 53 में "पुलिस" शब्द नहीं है। पुलिस के लिए इस तरह की आवश्यकता की आवश्यकता नहीं होने का एक स्पष्ट कारण है क्योंकि वह हमेशा एक पुलिस स्टेशन की परिभाषा के अनुसार प्रभारी अधिकारी हो सकता है।

" "Cr.P.C के तहत परिभाषित" एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी।

76. इस फैसले के आधार पर श्री लेखी ने तर्क दिया कि

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कार्रवाई में तलाशी और जब्ती शामिल है जो [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 42 अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसलिए, से शुरू होगा

स्टेज।

77. इस संबंध में, एच. एन. रिशबुद और इंदर सिंह बनाम में न्यायालय के निर्णय के लिए पहले विज्ञापन देना महत्वपूर्ण है। दिल्ली राज्य 5 ) 1 एससीआर 1150। यह निर्णय बहुत विस्तार से बताता है कि सी. आर. पी. सी. के तहत "जांच" का दायरा क्या है। इसमें कहा गया है:

" उच्च पद के अधिकारी द्वारा इस तरह की जांच के दायरे और इसकी आवश्यकता के कारण का पता लगाने के लिए ( सिवाय इसके कि जब मजिस्ट्रेट द्वारा अन्यथा अनुमति दी गई हो), यह विचार करना उपयोगी है कि संहिता के तहत "जांच" में क्या शामिल है।

जांच आमतौर पर एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दिए गए अपराध से संबंधित जानकारी पर शुरू होती है और संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज की जाती है। यदि इस प्रकार प्राप्त सूचना से या अन्यथा, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास किसी अपराध के होने का संदेह करने का कारण है, तो उसे या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करने के लिए मौके पर आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार जाँच में मुख्य रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना शामिल है। परिभाषा के अनुसार, इसमें "एक पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए साक्षय के संग्रह के लिए संहिता के तहत सभी कार्यवाही" शामिल हैं। उपरोक्त प्रयोजनों के लिए, जांच अधिकारी को मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की मांग करने की शक्ति दी गई है। उसके पास ऐसे व्यक्ति से मौखिक रूप से या तो स्वयं या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जाँच करने का भी अधिकार है। जाँच के दौरान किसी भी व्यक्ति की जाँच करने वाला अधिकारी अपने बयान को लिखित रूप में कम कर सकता है और ऐसा लेखन धारा 162 में इस संबंध में प्रदान किए गए तरीके से उपयोग के लिए उपलब्ध है। धारा 155 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक मानी जाने वाली किसी भी चीज़ की जब्ती के लिए किसी भी स्थान पर तलाशी लेने की शक्ति है। जाँच से। ऐसे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेनी होती है। एक अधीनस्थ अधिकारी को उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए केवल लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है यदि वह व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेने में असमर्थ है और कोई अन्य सक्षम अधिकारी उपलब्ध नहीं है। जाँच अधिकारी के पास कार्य के लिए संदिग्ध व्यक्ति या व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति भी होती है।

संहिता की धारा 54 के तहत अपराध। एक पुलिस अधिकारी टोफान सिंह बनाम बना रहा है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जाँच को उसकी कार्यवाही को एक डायरी में दर्ज करने का आदेश दिया गया है

दिन-प्रतिदिन। जहां ऐसी जांच 24 घंटे की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है और आरोपी हिरासत में है, तो उसे डायरी में प्रविष्टियों की एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजने का भी आदेश दिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां जांच पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि एक अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की जाती है (जांच में किसी भी कदम के लिए ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने में सक्षम बनाने वाले एक या अन्य प्रावधानों के आधार पर) तो ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को जांच के परिणाम की सूचना पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को देनी होती है। यदि जांच पूरी होने पर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई पर्याप्त सबूत या उचित आधार नहीं है, तो वह संदिग्ध आरोपी को, यदि हिरासत में है, बांड निष्पादित करने पर रिहा करने का निर्णय ले सकता है। यदि, तथापि, उसे यह प्रतीत होता है कि पर्याप्त साक्षय है या

उचित आधार पर, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए, उसे संहिता की धारा 170 के तहत आवश्यक कदम उठाने होंगे। दोनों में

मामले में, जाँच पूरी होने पर उसे विभिन्न विवरण प्रस्तुत करते हुए निर्धारित प्रपत्र में संहिता की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इस प्रकार, संहिता की जांच के तहत आम तौर पर निम्नलिखित चरण होते हैं: ( 1 ) मौके पर आगे बढ़ते हुए, (2) तथ्यों की पुष्टि और

मामले की परिस्थितियाँ, (3) संदिग्ध अपराधी की खोज और गिरफ्तारी, (4) अपराध करने से संबंधित साक्षय का संग्रह जिसमें (क) -

विभिन्न व्यक्तियों (अभियुक्त सहित) की जांच और उनके बयानों को लिखित रूप में कम करना, यदि अधिकारी उचित समझता है, (ख) जांच के लिए आवश्यक माने जाने वाले स्थानों की तलाशी या उन चीजों को जब्त करना और जिन्हें मुकदमे में पेश किया जाना है, और (5) इस बारे में राय बनाना कि क्या एकत्र की गई सामग्री पर अभियुक्त को मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट के सामने रखने का मामला है और यदि ऐसा है तो धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर करके इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। संहिता की योजना से यह भी पता चलता है कि एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के लिए जांच में इनमें से कुछ कदम उठाने के लिए कुछ अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त करने की अनुमति है, लेकिन हर एक की जिम्मेदारी है

इन कदमों में से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की स्थिति में व्यक्ति का कदम है, धारा 168 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जब कोई अधीनस्थ अधिकारी जांच करता है तो उसे पुलिस के प्रभारी अधिकारी [2020] 12 एस. सी. आर. को परिणाम की सूचना देनी चाहिए।



स्टेशन। यह भी स्पष्ट है कि जाँच में अंतिम चरण, अर्थात।

राय का गठन कि क्या कोई मामला है या नहीं

मुक़दमे में अभियुक्त को प्रभारी अधिकारी का होना चाहिए

लेकिन केवल एक प्रावधान जो वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षण करने का अधिकार देता है याधारा 551 के तहत भाग लें।

( पृष्ठों पर 1156-1158)

कानून के इस कथन को मध्य राज्य में दोहराया गया था।

प्रदेश बनाम। मुबारक अली (1959) पूरक। 2 एस. सी. आर. 201 211,212 पर।

78. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक अधिकारी-प्रभारी

पुलिस थाना, जब वह किसी अपराध की जांच करता है, तो सूचना एकत्र करना शुरू करता है, जिसके दौरान वह अपराध से संबंधित साक्षय एकत्र कर सकता है, जिसमें जांच के दौरान चीजों की तलाशी और जब्ती शामिल होगी, जिसे मुकदमे में पेश किया जाएगा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना के तहत, यह संभव है कि वही अधिकारी जो धारा 42 के तहत अधिकृत है, वह भी धारा 53 के तहत अधिकृत हो। वास्तव में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना एस. ओ. 822 (ई), दिनांक 14.11.1985, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 और 67 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को सशक्त करती है:

" एस. ओ. 822 (ई)। - उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ( 1 ) मादक द्रव्यों की धारा 42 और धारा 67 और

मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), केंद्रीय

सरकार एतद्द्वारा रैंक के और उससे ऊपर के अधिकारियों को सशक्त बनाती है। मादक पदार्थ विभाग में उप-निरीक्षक और उससे ऊपर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क विभागों में निरीक्षक का पद

और राजस्व खुफिया और केंद्रीय आर्थिक खुफिया में

ब्यूरो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शक्तियों का प्रयोग करेंगे और धारा 42 में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करने के क्षेत्र के भीतर

उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र और उक्त अधिकारियों को भी अधिकृत करता है

धारा 67 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना।

79. अधिसूचना S.O.823 (E), दिनांक भी 14.11.1985, मंत्रालय

वित्त विभाग (राजस्व विभाग) ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 (1) के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकार दिए:

पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों के साथ परामर्श से टी. ओ. एफ. ए. एन. सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो और मादक पदार्थ नियंत्रण में उस की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों के साथ ब्यूरो

अनुभाग "।

80. इन अधिसूचनाओं से संकेत मिलता है कि इसके और उससे ऊपर के अधिकारी

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क विभागों में निरीक्षक,

न्यू इंटेलिजेंस, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो और

ऑटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दोनों धाराओं 42 53 के तहत कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था। इन अधिसूचनाओं को 14.11.1985 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया थावित्त मंत्रालय (विभाग) द्वारा जारी विंग अधिसूचनाएँ

nue) 30.10.2019 परः

“ एस. ओ. 3901 (ई)। - नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उप धारा (1) और धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना के स्थान पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग संख्या एस. ओ. 822 (ई), दिनांक 14 नवंबर, 1985, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii), उन चीजों को छोड़कर जो पहले की गई थीं या छोड़ी गई थीं।

केंद्र सरकार इसके द्वारा अधिकार देता है

केंद्रीय ब्यूरो में उप-निरीक्षक के पद के और उससे ऊपर के अधिकारी

मादक पदार्थ नियंत्रण में मादक पदार्थ और कनिष्ठ खुफिया अधिकारीब्यूरो और केंद्रीय में निरीक्षकों के पद से ऊपर

अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व निदेशालय खुफिया, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो अभ्यास करेगा

धारा 42 में निर्दिष्ट शक्तियां और कर्तव्यों का पालन करना

अपनी-अपनी अधिकारिता का क्षेत्र और उक्त अधिकारियों को धारा 67 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी अधिकृत करता है।

“ एस. ओ. 3899 (ई)। — नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, राजस्व विभाग संख्या एस. ओ. 823 (ई), दिनांक 14 नवंबर, 1985 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित किया गया है।

या इस तरह के अधिनिर्णय से पहले किए जाने के लिए छोड़ दिया गया, केंद्रीय [2020] 12 एस. सी. आर.

सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय में निरीक्षकों के पद और उससे ऊपर के अधिकारियों का निवेश करती है।

आर्थिक खुफिया ब्यूरो और उस धारा की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों के साथ मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो में कनिष्ठ खुफिया अधिकारी के पद से ऊपर।

81. इस प्रकार, आई. डी. 1 की नई अधिसूचनाओं से भी संकेत मिलता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 और 53 के तहत शक्तियां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो में कनिष्ठ खुफिया अधिकारी के पद और उससे ऊपर के निरीक्षकों के पद के अधिकारियों में निवेश की जाती हैं।

82. इसलिए मुकेश सिंह (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ की टिप्पणियों का तात्पर्य यह है कि अपराध का पता लगाने की शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी अपराध की जांच कर सकता है-ऐसा करने के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कोई रोक नहीं है। यह कहने से बहुत दूर है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि धारा 67 का इकबालिया बयान, जांच के दौरान, किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा।

83. जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें एक धारा 42 अधिकारी, जैसा कि नामित किया गया है, एक धारा से अलग है।

53 अधिकारी, जिस मामले में, धारा 42 अधिकारी के लिए पहले यह "विश्वास करने का कारण" होना आवश्यक होगा कि कोई अपराध किया गया है, जिसके उद्देश्य से वह जानकारी एकत्र करता है, जिसे न केवल धारा 42 (2) के तहत उसके वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के तहत नामित अधिकारी को भी प्रस्तुत किया जाता है-धारा 52 (3) देखें। यह स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी मुकेश सिंह (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ ने धारा 52 (2) और (3) के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने और उसके बाद एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जा रही "जांच" के बारे में बात की।

84. एक काल्पनिक मामले को लें जहां एक अधिकारी को धारा 42 के तहत नामित किया गया है, लेकिन जांच करने के लिए धारा 53 के तहत किसी अधिकारी का कोई पदनाम नहीं है। ऐसे मामले में, धारा 42 अधिकारी कोई भी जांच बिल्कुल नहीं करेगा-वह केवल ऐसे तथ्यों को इकट्ठा करेगा जो उसे "विश्वास करने का कारण" देते हैं कि एक अपराध किया गया है, टोफान सिंह बनाम के अनुसरण में।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जिसमें से वह धारा 42 के तहत उसे दी गई शक्तियों का उपयोग कर सकता है। इसके बाद, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की "जांच" के लिए, धारा 53 के तहत एक नामित अधिकारी की अनुपस्थिति में, उसके लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को एकत्र की गई जानकारी प्रस्तुत करना एकमात्र तरीका होगा, जो तब एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की "जांच" करेगा।

85. इसके अलावा, हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान पीठ का ध्यान एक पूरी तरह से अलग बिंदु पर था, अर्थात्, क्या शिकायतकर्ता और अपराध का अन्वेषक समान हो सकता है। इस प्रश्न के दृष्टिकोण से एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53ए प्रासंगिक नहीं है और इसलिए संविधान द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

बेंच। जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर बताया गया है, हमारे सामने रखे गए प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए, धारा 53 ए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, और जैसा कि हमारे द्वारा इंगित किया गया है, यदि श्री लेखी का निवेदन, कि धारा 67 के तहत एक बयान अधिनियम के तहत एक अपराध के आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है, सही है। इन सभी कारणों से, हम मुकेश सिंह (ऊपर) को पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजने के श्री पुनीत जैन के तर्क को या उसी फैसले के आधार पर श्री लेखी के तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मुकेश सिंह (ऊपर) में शामिल बिंदु पहले वाले से पूरी तरह से अलग था।

हमें।

एक साथ एक नामित अधिकारी

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 को पुलिस अधिकारी कहा जा सकता है।86. अब हम इस सवाल पर आते हैं कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत नामित अधिकारी को "पुलिस अधिकारी" कहा जा सकता है ताकि साक्षय की धारा 25 में निहित बाधा को आकर्षित किया जा सके।

एक्ट करें।

87. साक्षय अधिनियम की धारा 25 के प्रयोजन के लिए "पुलिस अधिकारी" का गठन कौन करेगा, इस विषय पर मामला कानून इस प्रकार शुरू होता है -

सीमा शुल्क अधिनियम, 1924 साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में "पुलिस अधिकारी" नहीं है। रघुबर दयाल का बहुमत निर्णय, जे।सबसे पहले भूमि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

" " " " समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का VIII) के प्रावधान, जो अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, सभी अधिसूचनाओं के साथ, [2020] 12 एस. सी. आर.

इसके तहत जारी किए गए, बनाए गए या निर्धारित किए गए आदेश, नियम या प्रपत्र, जहां तक वे लागू हैं, इस अधिनियम के तहत भूमि सीमा शुल्क लगाने के उद्देश्य से उसी तरह लागू होंगे जैसे वे लागू होते हैं।

समुद्र द्वारा आयातित या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के उद्देश्य से।"

उप-धाराओं द्वारा लागू किए गए समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धाराओं में से। ( 1 ) एस. 9 भूमि सीमा शुल्क अधिनियम की सभी धाराओं को समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय XVI और XVII में शामिल किया गया है।

एसएस। 167 193 "तक।

( पृष्ठ 342 पर)

88. इसके बाद न्यायालय ने पुलिस अधिनियम, 1861 की जांच की और पाया कि: " पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का अधिनियम 5) को पुलिस के विनियमन के लिए एक अधिनियम के रूप में वर्णित किया गया है, और इस प्रकार यह अधिकारियों के उस समूह के विनियमन के लिए एक अधिनियम है जो 'पुलिस' शब्द के भीतर आता है, उस शब्द का जो भी अर्थ दिया जाए। अधिनियम की प्रस्तावना में आगे कहा गया है: ' जबकि पुलिस को फिर से संगठित करना और अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए इसे एक अधिक कुशल साधन बनाना समीचीन है, इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया गया है। यह इंगित करता है कि पुलिस अपराध की रोकथाम और पता लगाने का साधन है जो

पुलिस होने का मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य कहा जा सकता है।

धारा 23 और 25 पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों को निर्धारित करती है और धारा 20 उस अधिकार से संबंधित है जिसका वे प्रयोग कर सकते हैं। वे ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जो पुलिस अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए किसी भी अधिनियम के तहत एक पुलिस अधिकारी के लिए प्रदान किया गया है। पुलिस अधिकारियों को दिया गया अधिकार स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन करने में सक्षम बनाना चाहिए। एस में उल्लिखित विभिन्न कर्तव्यों में से। 23 , अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाली खुफिया जानकारी एकत्र करना और संचारित करना, अपराधों और सार्वजनिक उपद्रवों को रोकना और अपराधियों का पता लगाना और उन्हें न्याय के दायरे में लाना और उन सभी व्यक्तियों को पकड़ना है जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी कानूनी रूप से अधिकृत है। इसलिए, पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए कर्तव्यों की प्रकृति, प्रदत्त प्राधिकरण की प्रकृति और पुलिस अधिनियम के उद्देश्य को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारियों को जो शक्तियां प्राप्त हैं, वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध की प्रभावी रोकथाम और पता लगाने की शक्तियां हैं।

सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियाँ वास्तव में ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं हैं। उनकी शक्तियाँ टोफान सिंह बनाम की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से हैं।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

माल और सीमा शुल्क की उचित प्राप्ति और जिन वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं दिया गया था, उन्हें जब्त करके और जुर्माना और जुर्माना लगाकर देश के राजस्व के हित में की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण करना।एस का संदर्भ। 9 ( 1 ) इस स्तर पर भूमि सीमा शुल्क अधिनियम को उपयोगी बनाया जा सकता है। यह इस उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार है कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत निर्धारित आदेश, नियम आदि, भूमि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत भूमि सीमा शुल्क लगाने के उद्देश्य से उसी तरह लागू होते हैं जैसे वे समुद्र से आयातित या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के उद्देश्य से लागू होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि

समुद्री सीमा शुल्क अधिकारियों को विभिन्न शक्तियां प्रदान करने वाले प्रावधान सीमा शुल्क के कर्तव्यों को लागू करने और प्राप्त करने के उद्देश्य से हैं। माल पर और यह कि वे शक्तियाँ भूमि सीमा शुल्क अधिकारियों को भी इसी उद्देश्य के लिए प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा

भूमि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 (1) में अभिव्यक्ति, इस विचार के समर्थन में अच्छे कारण हैं कि सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियां अपराध का पता लगाने और रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से अलग हैं और यह कि उन्हें प्रदान की गई शक्तियां केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं कि शुल्क के भुगतान के बिना शुल्क योग्य सामान देश में प्रवेश न करें और जिन वस्तुओं का प्रवेश निषिद्ध है, उन्हें नहीं लाया जाए। यह माल की तस्करी का पता लगाने और रोकने और केंद्र को होने वाले नुकसान को रोकने के संबंध में है।

संपत्ति और व्यक्ति की तलाशी लेना और उन्हें हिरासत में लेना और माल की तस्करी के संबंध में जांच में सबूत देने के लिए व्यक्तियों को बुलाना। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है: “ जबकि समुद्री सीमा शुल्क लगाने से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना समीचीन है। व्यावहारिक रूप से, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू किया गया है।

( पृष्ठ 343-344)

" इसलिए सीमा शुल्क अधिकारी मुख्य रूप से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध का पता लगाने और सजा देने से संबंधित नहीं है।लेकिन मुख्य रूप से माल की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने और सीमा शुल्क की वसूली की सुरक्षा में रुचि रखता है।

वह [2020] 12 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माल और सीमा शुल्क से अधिक संबंधित, की तुलना मेंअपराधी "।

( पृष्ठ 345)

89. एक महत्वपूर्ण परिच्छेद में, न्यायालय ने तब निष्कर्ष निकाला कि चूंकि

अभिव्यक्ति "पुलिस अधिकारी" को परिभाषित नहीं किया गया है, इसे एक में नहीं माना जा सकता है

वैसे, लेकिन एक "व्यापक और लोकप्रिय अर्थ" में समझा जाना चाहिए, के रूप में

वीएस:

" ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एक व्यक्ति जो इसका सदस्य है

पुलिस बल एक पुलिस अधिकारी होता है। एक व्यक्ति सदस्य है पुलिस बल जब वह किसी भी अधिनियम के तहत अपना पद धारण करता है

पुलिस के साथ। एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में पुलिस का सदस्य हो सकता है।

कुछ निश्चित मामले अर्थ के भीतर पुलिस अधिकारी होने के लिए साक्षय अधिनियम की धारा 25। इस बात से कोई इंकार नहीं है कि ये

व्यक्ति पुलिस अधिकारी होते हैं और उस अभिव्यक्ति में शामिल होते हैं

धारा 25। यह अभिव्यक्ति पुलिस-अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत पंजीकृत पुलिस बलों की संख्या। द.

'पुलिस' शब्द को धारा 1 में परिभाषित किया गया है और कहा जाता है कि इसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं। जिनका अधिनियम के तहत नामांकन किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह परिभाषा नहीं है

प्रतिबंधात्मक, क्योंकि यह अभिव्यक्ति 'शामिल' का उपयोग करता है, जिससे संकेत मिलता है

कि उस अधिनियम के तहत नामांकित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं "पुलिस" शब्द से आच्छादित।

विशेष पुलिस अधिकारी जो अधिनियम के तहत नामांकित नहीं हैं लेकिन विशेष अवसरों के लिए नियुक्त किए जाते हैं और उनके पास समान शक्तियाँ होती हैं,

धारा 21 उन अधिकारियों के बारे में भी बताती है जो पुलिस के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।अधिकारी और ऐसी श्रेणियों में वंशानुगत या अन्य गाँव का उल्लेख होता है।

पुलिस अधिकारी।

इसलिए 'पुलिस अधिकारी' शब्दों का अर्थ एक शब्द में नहीं लगाया जाना चाहिए।संकीर्ण तरीका, लेकिन एक व्यापक और लोकप्रिय अर्थ में समझा जाना चाहिए,

जैसा कि आर. वी. में उल्लेख किया गया था। हुरिबोल [आई. एल. आर. 1 कैल 207] जहाँ ए

पुलिस उपायुक्त जो वास्तव में एक पुलिस अधिकारी थे

और केवल कुछ मजिस्ट्रेट शक्तियों के साथ निवेश किया गया था टोफान सिंह v।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसके अर्थ में एक पुलिस अधिकारी होना उचित है।

साक्षय अधिनियम की धारा 25 में अभिव्यक्ति "।

( पृष्ठों पर 347-348)

90. इसके बाद अदालत ने एक महत्वपूर्ण परिच्छेद में कहा कि एक स्वीकारोक्ति

पुलिस के किसी भी सदस्य के लिए-चाहे वह किसी भी पद का हो -

साक्षय अधिनियम की 25 पर, निम्नानुसार:

उस विशेष अपराध की जाँच करने वाले अधिकारी होने की आवश्यकता नहीं है जिस पर बाद में एक व्यक्ति को आरोपित किया जाता है। एक स्वीकारोक्ति जो की गई

उसे तब नहीं बनाया जाना चाहिए था जब वह वास्तव में निर्वहन कर रहा थाकोई भी पुलिस कर्तव्य। पुलिस के किसी भी सदस्य के सामने किया गया इकबालिया बयान,

जो भी पद और जो भी समय हो, साक्षय में अस्वीकार्य है। धारा 25 को ध्यान में रखते हुए।

( पृष्ठ 349 पर)

91. अदालत ने तब पाया कि: " खोज आदि की शक्तियाँ, पूर्व को प्रदान की गई हैं, जैसा कि था

थॉमस डाना के मामले में देखा गया [(1959) सप्लीमेंट (1) एससीआर 274,289]

एक सीमित चरित्र का और सुरक्षा का एक सीमित उद्देश्य है

राज्य का राजस्व।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम स्वयं संदर्भित करता है

सीमा शुल्क अधिकारी के विपरीत पुलिस अधिकारी। अनुभाग

180 एक पुलिस अधिकारी को जब्त करने योग्य वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार देता है

अधिनियम के तहत, इस संदेह पर कि वे चोरी हो गए थे। धारा 184

जब्त की गई चीज़ का कब्जा और पुलिस के प्रत्येक अधिकारी पर ऐसे अधिकारी का अनुरोध, उसे ऐसा लेने और धारण करने में सहायता करेगा

अधिकार। यह संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है कि एक सीमा शुल्क अधिकारी

पुलिस का अधिकारी नहीं है। यह अच्छी तरह से तय है कि सीमा शुल्क अधिकारी, जब वे इसके तहत कार्य करते हैं

माल की तस्करी को रोकने के लिए समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम

जब्ती और दंड अधिरोपित करना, न्यायिक रूप से कार्य करना: लियो रॉय

फ्री वी। अधीक्षक जिला जेल, अमृतसर [1958 एससीआर]

822 ] ; शेवपुजनराई इंद्रसनराई लिमिटेड बनाम. कलेक्टर

सीमा शुल्क [1959 एससीआर 821]। धारा 171-ए के तहत कोई भी जांचधाराओं के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है।

193 और आई. पी. सी. की उप-धारा (4) को ध्यान में रखते हुए आई. पी. सी. की धारा 228।

यह [2020] 12 एस. सी. आर. के तहत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस धारा द्वारा दिया गया अधिकार जो सीमा शुल्क अधिकारी ले सकते हैंसाक्षय और अभिलेख कथन। यदि बयान जो दर्ज किया गया है

एक सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा इसके तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

धारा अपराध की स्वीकृति होगी, यह कहना बहुत अधिक होगा कि बयान एक पुलिस अधिकारी के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक स्वीकारोक्ति है।

कभी भी न्यायिक रूप से कार्य नहीं करता है और एक पुलिस अधिकारी के सामने कोई कार्यवाही नहीं होती है

किसी भी प्रावधान के तहत, जहाँ तक हम जानते हैं, एक माना जाता है

आई. पी. सी. की धारा 193 और 228 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही,

या किसी भी उद्देश्य के लिए। यह कल्पना करना अभी भी कम संभव है कि

विधायिका ऐसे व्यक्ति पर विचार करेगी, जिसकी कार्यवाही

एक निश्चित उद्देश्य के लिए न्यायिक हैं, एक ऐसा व्यक्ति होने के लिए जिसका रिकॉर्ड

उसे दिए गए बयान संदिग्ध हो सकते हैं यदि ऐसा बयान

एक इकबालिया प्रकृति "।

( पृष्ठ 350-351 पर)

92. बहुमत ने निष्कर्ष निकाला:

" हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। इस सवाल पर कि क्या इसके अलावा अन्य विभागों के अधिकारी

पुलिस, जिस पर पुलिस के प्रभारी अधिकारी की शक्तियाँ होती हैंदंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV के तहत स्टेशन,

सम्मानित किया गया है, पुलिस अधिकारी हैं या नहीं के उद्देश्य के लिए

साक्षय अधिनियम की धारा 25, के लिए विद्वान वकील के रूप मेंअपीलार्थी ने इस दृष्टिकोण की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया

इस अपील का उद्देश्य "।

( पृष्ठ 352 पर)

93. सुब्बा राव, जे. ने असहमति जताई। उन्होंने पुलिस का एक साफ-सुथरा विभाजन किया।

निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

" इसका अर्थ निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारियों में से कोई एक हो सकता है: ( (i)

एक पुलिस अधिकारी जो गठित पुलिस बल का सदस्य है

पुलिस अधिनियम के तहत; (ii) हालांकि पुलिस बल का सदस्य नहीं है।

पुलिस अधिनियम के तहत गठित, एक अधिकारी जो वैधानिक कल्पना द्वारा

के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी एक पुलिस अधिकारी माना जाता है

दंड प्रक्रिया संहिता; और (iii) एक अधिकारी जिस पर

कानून एक पुलिस अधिकारी की शक्तियों को प्रदान करता है और इसके तहत कर्तव्यों को लागू करता है

दंड प्रक्रिया संहिता, उसे पुलिस के रूप में वर्णित किए बिना

अधिकारी या काल्पनिक रूप से उसकी तुलना ऐसे अधिकारी से करना।

( पृष्ठ 355 पर)

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" अतः यह स्पष्ट है कि साक्षय अधिनियम की धारा 25एक उच्च उद्देश्य को कम करने के लिए अधिनियमित किया गया है और वह है

पुलिस बल, यातना या प्रलोभन द्वारा इकबालिया बयान प्राप्त करने से।

इस धारा में अंतर्निहित हितकारी सिद्धांत समान रूप से लागू होगा।

अन्य अधिकारियों को, चाहे वे किसी भी पद से जाने जाएं,

जिनके पास अपराधों का पता लगाने और जांच करने की शक्ति और कर्तव्य हैऔर उस उद्देश्य के लिए स्वीकारोक्ति निकालने की स्थिति में है

अभियुक्त "।

( पृष्ठ 357 पर)

" यह वह पोशाक नहीं है जिसके तहत वे काम करते हैं जो मायने रखता है, लेकिनउनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति या कार्य की प्रकृति

वे निर्णायक प्रदर्शन करते हैं। अतः प्रत्येक मामले में प्रश्न यह है कि -

क्या अधिकारी किसी विशेष अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है और

अपराध की रोकथाम और पता लगाने के कर्तव्यों का निर्वहन करना? अगर वहनहीं, वह एक पुलिस अधिकारी होगा। "

( पृष्ठ 358 पर)

95. उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद जो

इसमें "व्यापक दृष्टिकोण" शामिल था-यानी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के "संकीर्ण दृष्टिकोण" के विपरीत संदर्भित पुलिस अधिकारियों के सभी तीन वर्ग शामिल होंगे, जहां केवल एक व्यक्ति जो पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत एक पुलिस अधिकारी के रूप में नामित सुब्बा राव, जे. को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत एक पुलिस अधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया था, फिर अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कार्यात्मक परीक्षण और धारा 25 के उद्देश्य को देखते हुए, एक सीमा शुल्क अधिकारी एक "पुलिस अधिकारी" होगा जिसे ठीक से कहा जाता है।

96. ( 1 ) इस निर्णय में बहुमत के दृष्टिकोण ने पहले इस बात पर जोर दिया कि

यह इंगित करते हुए कि भूमि सीमा शुल्क अधिनियम, 1924 और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 मुख्य रूप से सीमा शुल्क के शुल्क लगाने से संबंधित कानून थे, और इस शुल्क के सहायक, उन अधिनियमों में नामित अधिकारियों को सीमा शुल्क की उचित प्राप्ति के लिए माल की तस्करी को रोकने के लिए कुछ शक्तियां दी गई हैं। एक महत्वपूर्ण वाक्य में, न्यायालय ने कहा कि एक सीमा शुल्क अधिकारी माल और सीमा शुल्क से अधिक संबंधित है।

अपराधी। ( 2 ) जिन व्यक्तियों को पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत "पुलिस" के रूप में नामांकित नहीं किया गया है, उन्हें उस अधिनियम में निहित समावेशी परिभाषा के तहत "पुलिस" के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे "व्यापक" को स्वीकार किया जाएगा।

"पुलिस [2020] 12 एस. सी. आर". के अर्थ के "संकीर्ण दृष्टिकोण" को देखना और अस्वीकार करना।



अधिकारी "। ( 3 ) साक्षय अधिनियम की धारा 25 का संरक्षण बहुत व्यापक है, और पुलिस के किसी भी सदस्य के सामने किए गए स्वीकारोक्ति पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी पद पर हो, और किसी भी समय, चाहे वह किसी अपराध का आरोप लगने से पहले या बाद में किया गया हो। ( 4 ) कि भूमि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रदान की गई तलाशी, जब्ती आदि की शक्तियां सीमित हैं। राज्य के राजस्व की सुरक्षा के सीमित उद्देश्य के लिए। ( 5 ) समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की वह धारा 171 ए, जो सीमा शुल्क अधिकारी को साक्षय देने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाने या जांच में दस्तावेज पेश करने का अधिकार देती है, एक न्यायिक जांच है।

नतीजतन, एक सीमा शुल्क अधिकारी को कभी भी पुलिस अधिकारी नहीं कहा जा सकता है

एक पुलिस अधिकारी के रूप में कभी भी न्यायिक कार्य नहीं करता है। ( 6 ) सटीक प्रश्न जिसके साथ हम इस मामले में चिंतित हैं, अर्थात्, क्या के अधिकारी पुलिस के अलावा अन्य विभाग जिन पर दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां दी गई हैं।

साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है, जिन्हें स्पष्ट रूप से खुला छोड़ दिया गया था।

97. राजा राम जयस्वाल (ऊपर) में, इस बार 2 का बहुमत: 1 से

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1915 के बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत एक उत्पाद शुल्क निरीक्षक के समक्ष किया गया इकबालिया बयान साक्षय अधिनियम की धारा 25 के उद्देश्य से एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया इकबालिया बयान होगा। जे. मुधोलकर के बहुमत निर्णय में बरकत राम (ऊपर) का उल्लेख किया गया और कहा गया:

" हालाँकि, यह बड़ी संख्या में मामलों में आयोजित किया गया है, जिनमें शामिल हैं

इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया, पंजाब राज्य बनाम। बरकत

राम [(1962) 3 एससीआर पी। 338 ] कि "पुलिस अधिकारी" शब्द होने चाहिए

साक्षय अधिनियम की धारा 25 में पाए जाने का अर्थ इन में नहीं लगाया जाना चाहिए -

एक संकीर्ण तरीका है लेकिन एक व्यापक और लोकप्रिय में समझा जाना है

भावना। हालाँकि, इस न्यायालय के अनुसार, वे शब्द नहीं हैं

इतने व्यापक अर्थ में समझा जाए कि उन व्यक्तियों को शामिल किया जाए जिन पर

पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ शक्तियों को ही प्रदान किया जाता है।

( पृष्ठ 761)

98. बरकत राम (ऊपर) को फिर से संदर्भित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि

प्रश्न जो न्यायालय के समक्ष था, उस मामले में बहुमत द्वारा स्पष्ट रूप से खुला छोड़ दिया गया था, और यह ठीक यही प्रश्न है जो इस मामले में उठा था-पृष्ठ 762 देखें। इसके बाद अदालत ने कहा:

" यह ठीक यही प्रश्न है जो विचार के लिए आता है

वर्तमान अपील। बिहार और उड़ीसा की धारा 78 (3) के तहत टफान सिंह v.

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 (1915 का 2) उस अधिनियम की धारा 77, उप-धारा (2) के तहत सशक्त एक उत्पाद शुल्क अधिकारी, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए होगा:

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 को उस क्षेत्र के संबंध में एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाएगा जहां उसकी नियुक्ति एक आबकारी अधिकारी के रूप में होती है। धारा 77 की उप-धारा (1) आबकारी कलेक्टर को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किए गए आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की जांच करने का अधिकार देती है। उस धारा की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य आबकारी अधिकारीआबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के सभी या किसी निर्दिष्ट वर्ग के संबंध में, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी ऐसे अपराध की जांच कर सकता है, जिसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को, जिसके लिए ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाता है, करने की शक्ति होगी।

उपरोक्त प्रावधानों के तहत पूछताछ करें या प्रयास करें। इन प्रावधानों के आधार पर बिहार और उड़ीसा के उपराज्यपाल ने अधिसूचना 470-एफ दिनांक 15-1-1919 द्वारा विशेष रूप से अधिकार दिया है।

उत्पाद शुल्क के निरीक्षक और उप-उत्पाद शुल्क निरीक्षक अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की जांच करेंगे। हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि यह अधिसूचना अभी भी लागू है। के प्रावधानों के आधार पर अधिनियम की धारा 92 का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो। इस प्रकार यह होगा कि एक आबकारी निरीक्षक या उप-निरीक्षक

बिहार राज्य को उस क्षेत्र के संबंध में पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाएगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है और उस क्षमता में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस क्षेत्र के भीतर आबकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच करने का हकदार है। इस प्रकार वह उन सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है जिनका उपयोग एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV के तहत कर सकता है। वह अपराधों की जांच कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है।

उसके द्वारा पूछताछ किए गए व्यक्तियों के बयान, तलाशी लेते हैं, आबकारी अधिनियम के तहत अपराध से जुड़ी किसी भी वस्तु को जब्त करते हैं,

एक अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करें, उसे जमानत दें, उसे मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमे के लिए भेजें, आरोप पत्र दायर करें आदि। इस प्रकार उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के संबंध में उनकी स्थिति

जिस क्षेत्र में उनकी नियुक्ति का संबंध है, वह पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से अलग नहीं है। जहाँ तक इन अपराधों का संबंध है, उन पर न केवल उनके अपराध को रोकने का कर्तव्य है, बल्कि उनका पता लगाने का भी आरोप है और इन उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी [2020] 12 एस. सी. आर. के रूप में सभी मामलों में कार्य करने के लिए सशक्त।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के विपरीत उसे पुलिस स्टेशन के कर्तव्य के लिए आरोपित नहीं किया जाता है।कानून और व्यवस्था बनाए रखना और न ही वह सामान्य कानून के तहत या किसी अन्य विशेष कानून के तहत अपराधों के संबंध में ऐसे अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन फिर भी, जहां तक आबकारी अधिनियम के तहत अपराधों का संबंध है, कोई भेद नहीं है

जिस प्रकार की शक्तियों का वह प्रयोग करता है और जिनका प्रयोग एक पुलिस अधिकारी उन अपराधों के संबंध में करता है जिन्हें रोकना और प्रकाश में लाना उसका कर्तव्य है। इसलिए, यह मानना तर्कसंगत होगा कि एक जांच के दौरान उसके द्वारा दर्ज किया गया स्वीकारोक्ति

एक आबकारी अपराध में उचित रूप से एक पुलिस अधिकारी को स्वीकारोक्ति से अलग कुछ भी नहीं माना जा सकता है। के लिए, संचालन में

जाँच में वह एक पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करता है और अधिनियम स्वयं उसे एक पुलिस अधिकारी मानता है, भले ही वह पुलिस अधिनियम के तहत गठित पुलिस बल से संबंधित नहीं है। इस अदालत ने यह निर्णय दिया है कि साक्षय अधिनियम की धारा 25 में "पुलिस अधिकारी" शब्द केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है

जो नियमित रूप से गठित पुलिस बल के सदस्य हैं। बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 77 (2) के तहत सशक्त उत्पाद शुल्क अधिकारी का पद दो कारणों से सीमा शुल्क अधिकारी के समान नहीं है। एक यह है कि आबकारी अधिकारी किसी भी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है जैसा कि सीमा शुल्क अधिकारी समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 के तहत करता है। दूसरा, सीमा शुल्क अधिकारी को पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी नहीं माना जाता है और इसलिए वह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है और निश्चित रूप से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके पास भी तलाशी लेने, तस्करी की गई संदिग्ध वस्तुओं को जब्त करने और गिरफ्तार करने की शक्ति है

समुद्र के नीचे अपराध करने के संदेह वाले व्यक्ति

सीमा शुल्क अधिनियम। लेकिन बस इतना ही। हालाँकि वह जाँच कर सकता है, लेकिन उसके पास धारा 156 के तहत किसी अपराध की जाँच करने की कोई शक्ति नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता। वह जो भी शक्तियों का प्रयोग करता है, वे स्पष्ट रूप से समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम में निर्धारित हैं। यद्यपि अध्याय XVII में उल्लिखित कुछ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक पुलिस अधिकारी के अनुरूप हो सकते हैं, वे एक पुलिस अधिकारी के समान नहीं हैं और संहिता से या उसके

संदर्भ से प्राप्त नहीं हैं। कुछ मामलों के संबंध में, उसके पास पुलिस अधिकारी के समान शक्तियाँ भी नहीं हैं।

इस प्रकार वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाए। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 187 (4) में विशेष रूप से प्रावधान है कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान केवल सीमा शुल्क अधिकारियों या अन्य लोगों द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर ही लिया जा सकता है। मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर के पद से कम सीमा शुल्क अधिकारी।

यह अच्छी तरह से हो सकता है कि एक क़ानून एक लोक सेवक को शक्तियाँ प्रदान करता है और कर्तव्यों को लागू करता है, जिनमें से कुछ एक पुलिस अधिकारी के समान हैं। लेकिन अन्य कर्तव्यों की प्रकृति के कारण जो उसे करने की आवश्यकता होती है, वह विभिन्न अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर रहा होगा। राज्य की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि जहां ऐसा मामला है, ऐसे व्यक्ति को केवल एक पुलिस अधिकारी की कुछ शक्तियों को प्रदान करने से वह एक पुलिस अधिकारी नहीं बन जाएगा और इसलिए, जो बात ध्यान में रखी जानी चाहिए, वह उन शक्तियों का योग है जो उसे अपने पद के आधार पर प्राप्त होती हैं और साथ ही प्रबल भी होती हैं।जिस उद्देश्य के लिए उसे नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार तर्क यह है कि जब किसी अधिकारी को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है और तदनुसार विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करना होता है, तो केवल यह तथ्य कि कुछ शक्तियां जो क़ानून उसे प्रदान करता है, वे एक पुलिस अधिकारी के समान या समान हैं, उसे पुलिस अधिकारी नहीं बना देगा और इसलिए, यदि ऐसा अधिकारी स्वीकारोक्ति दर्ज करता है तो यह साक्षय अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रभावित नहीं होगा। हमारे निर्णय में यह निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान रखना उचित है कि इस प्रावधान के उद्देश्य के लिए किसे "पुलिस अधिकारी" माना जा सकता है, यह एक अधिकारी को प्राप्त शक्तियों की समग्रता नहीं है, बल्कि यह है कि कानून उसे किस तरह की शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ऐसा व्यक्ति साक्षय अधिनियम की धारा 25 के उद्देश्य से एक "पुलिस अधिकारी" है, हमारे निर्णय में यह होगा कि क्या एक पुलिस अधिकारी की शक्तियां जो उसे प्रदान की गई हैं या जो उसके द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं क्योंकि उसे पुलिस का प्रभारी अधिकारी माना जाता है।

स्टेशन धारा 25 द्वारा अधिनियमित निषेध, यानी स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग के साथ एक प्रत्यक्ष या पर्याप्त संबंध स्थापित करता है। हमारे शब्दों में, परीक्षा यह होगी कि क्या शक्तियाँ

वे ऐसे हैं जो उसके द्वारा किसी संदिग्ध या अपराधी से स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उस प्रमुख उद्देश्य पर विचार करना अनावश्यक है जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है या इस सवाल पर कि उन्हें कौन सी अन्य शक्तियां प्राप्त हैं। ये प्रश्न शायद विचार के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं जहाँ [2020] 12 एस. सी. आर. की शक्तियाँ हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हुनका देल गेल पुलिस अधिकारी बहुत सीमित चरित्रक छथि।

और अपने आप में प्राप्त करने की सुविधा के लिए पर्याप्त नहीं हैं

उसे एक स्वीकारोक्ति।

( पृष्ठों पर 762-766)

99. एक महत्वपूर्ण वाक्य में, न्यायालय ने कहा:

" यह जांच की शक्ति है जो एक प्रत्यक्ष स्थापित करती हैधारा 25 में अधिनियमित निषेध के साथ संबंध।

( पृष्ठ 768 पर)

100. खंड द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का उल्लेख करने के बाद

ई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि:

" इस प्रकार इस प्रावधान को विचार से समाप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया थाएक अधिकारी के सामने किए गए इकबालिया बयान, जो अपने पद के आधार पर, कर सकता था

बल, यातना या प्रलोभन द्वारा जबरन वसूली-एक स्वीकारोक्ति। एक उत्पाद शुल्क

धारा 78 (3) के तहत कार्य करने वाला अधिकारी उसी पद पर होगा।जाँच कर रहे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में

दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV के तहत। वह करेगा। इसी तरह एक स्वीकारोक्ति से जबरन वसूली करने का समान अवसर है

एक संदिग्ध। इसलिए, तर्कसंगत अंतर करना मुश्किल है।एक पुलिस अधिकारी द्वारा कड़ाई से दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति के बीच

और एक आबकारी अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है जिसे पुलिस माना जाता है

अधिकारी "।

( पृष्ठ 769 पर)

101. न्यायालय ने दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट को निरस्त कर दिया

सी. टी. इस प्रकार हैः

" हम विद्वान न्यायाधीश से सहमत हैं कि कुल मिलाकर यह कर्तव्य है।अपराधों का पता लगाने और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए, जो

एक जांच की आवश्यकता है, जो पुलिस को अलग करती है

जाँच से संबंधित होने के कारण, स्वाभाविक रूप से एक इच्छा है एक पुलिस अधिकारी की ओर से जितना हो सके उतना सबूत इकट्ठा करना

उसके द्वारा पकड़े गए संदिग्ध अपराधी के खिलाफ संभव है और

ऐसा करने का उसका उत्साह वह एक आसान साधन का सहारा लेने के लिए उपयुक्त है, कि

अपने पद और अपनी शक्ति का उपयोग करके स्वीकारोक्ति प्राप्त करने का है

उसके द्वारा पकड़े गए व्यक्ति पर। "

( पृष्ठ 776 पर)

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

102. बहुमत ने यह कहते हुए निर्णय समाप्त कियाः

" एक और कारण यह भी है कि स्वीकारोक्ति क्यों की गई

आबकारी उप-निरीक्षक को बाहर रखा जाना चाहिए, यानी यह एक बयान है।

जाँच के दौरान व्यायाम करने वाले व्यक्ति को दिया गया

एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियाँ। इस तरह

संहिता की धारा 162 द्वारा कथन को साक्षय से बाहर रखा गया है।

विरोधाभास के उद्देश्य को छोड़कर दंड प्रक्रिया का। इसलिए, साक्षय अधिनियम की धारा 25 के साथ-साथ

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 अपीलार्थी का स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य है।

सबूत में। यदि स्वीकारोक्ति चली जाती है, तो स्पष्ट रूप से दोषसिद्धि

अपीलार्थी को कायम नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार हम अनुमति देते हैं

अपील करें और उस पर पारित दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करें

अपीलार्थी "।

( पृष्ठ 778-779)

103. रघुबर दयाल, जे. ने असहमति जताई। उनकी असहमति उपयोगी है

नरी ऑफ़ बरकत राम (ऊपर) इस प्रकार है:

" पंजाब राज्य में v. इस न्यायालय ने बरकत राम को अभिनिर्धारित किया कि एक सीमा शुल्क

धारा 25 के अर्थ में अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है।

साक्षय अधिनियम। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित पर आधारित था: विचार:

अपराध की प्रभावी रोकथाम और पता लगाने के लिएकानून और व्यवस्था जबकि एक सीमा शुल्क अधिकारी मुख्य रूप से संबंधित नहीं है

माल की वसूली और सीमा शुल्क की सुरक्षा। ( 2 ) केवल यह तथ्य कि सीमा शुल्क अधिकारियों के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं

उल्लङ्घनों का पता लगाने के संबंध में पुलिस अधिकारियों के समान

सीमा शुल्क कानूनों का, उन्हें रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है

साक्षय की धारा 25 के अर्थ में पुलिस अधिकारीअधिनियम, भले ही "पुलिस अधिकारी" शब्द का अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए

एक संकीर्ण तरीके से लेकिन एक व्यापक और लोकप्रिय में समझा जाना है

अर्थ, जैसा कि रानी वी में टिप्पणी की गई है। हुरिबोल। अभिव्यक्ति "पुलिस"

अधिकारी "का इतना व्यापक अर्थ नहीं है कि इसमें व्यक्तियों को शामिल किया जाए।

जिन्हें संयोग से कुछ पुलिस शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

( 3 ) किसी भी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान, चाहे उसका पद कुछ भी होऔर इसे बनाने का जो भी अवसर हो, वह [2020] 12 एस. सी. आर. में स्वीकार्य नहीं है।

सबूत लेकिन एक सीमा शुल्क अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति जब वह किसी ऐसे कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना जो किसी के कर्तव्य के अनुरूप हो।

पुलिस अधिकारी अस्वीकार्य होगा, भले ही दूसरा दृष्टिकोण सही हो। कि इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करते समय वे पुलिस अधिकारी थे।

( 4 ) समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम स्वयं में "पुलिस अधिकारी" को संदर्भित करता है।

सीमा शुल्क अधिकारी के प्रति विरोधाभास।

( 5 ) सीमा शुल्क अधिकारी समुद्र के नीचे कार्य करते समय न्यायिक रूप से कार्य करते हैं।

माल की तस्करी रोकने और लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम ज़ब्ती और दंड, और उनके समक्ष कार्यवाही

आई. पी. सी. की धारा 193 और 228 के उद्देश्य के लिए न्यायिक कार्यवाही।

( पृष्ठों पर 779-780)

104. अल्पमत निर्णय में कहा गया:

" इसलिए मेरा मानना है कि आबकारी निरीक्षक और उप-निरीक्षक

धारा 77 (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा सशक्त

साक्षय अधिनियम और यह कि उपरोक्त अधिकारियों के साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता हैसंहिता की धारा 162 के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधिकारी होना

दंड प्रक्रिया। धारा 162 कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है।

एक पुलिस अधिकारी पर। यह उस उपयोग से संबंधित है जो किया जा सकता है

जाँच कर रहे एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान

संहिता के अध्याय XIV के तहत। जांच जो

उपरोक्त आबकारी अधिकारी का आचरण के अध्याय XIV के तहत नहीं है

संहिता, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के तहत है और इसलिए यह

धारा 162 सी. आर. पी. सी. के लागू न होने का एक और कारण है।

किसी व्यक्ति द्वारा आबकारी अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान के दौरान

अधिनियम के तहत एक अपराध की उसकी जांच की प्रक्रिया।

( पृष्ठ 808 पर)

105. राजा राम में बहुमत द्वारा निर्धारित परीक्षा

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत एक पुलिस अधिकारी है, यह प्रत्यक्ष या सारगर्भित है।

धारा 25 द्वारा अधिनियमित निषेध के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, अर्थात्, क्या प्रदत्त शक्तियां ऐसी हैं जो ऐसे अधिकारी द्वारा किसी संदिग्ध या अपराधी से स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करती हैं, और ऐसा तब होता है जब जांच की शक्ति, जो पुलिस रिपोर्ट में समाप्त होती है, ऐसे अधिकारी को दी जाती है।

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

106. इन दोनों निर्णयों पर विचार किया गया

बडकू ज्योति सावंत (ऊपर) में संविधान पीठ का निर्णय। इस मामले में अपीलार्थी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक के तहत मुकदमा चलाया गया था

अधिनियम, 1944। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस सवाल को खुला छोड़ दिया कि क्या पुलिस अधिकारी का "व्यापक" या "संकीर्ण" अर्थ, जैसा कि उपरोक्त दो निर्णयों में विचार-विमर्श किया गया है, सही है। यह इस आधार पर आगे बढ़ा कि विचाराधीन क़ानून का परीक्षण करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है-पृष्ठ 701 देखें, 702. न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के मुख्य उद्देश्य का उल्लेख इस प्रकार किया:

" अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उत्पाद शुल्क लगाना और एकत्र करना है।

और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को इसके तहत नियुक्त किया गया है

यह मुख्य उद्देश्य। ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें इस ओर से, उन्हें उस कर्तव्य को देखने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं

बख्शा नहीं जाता है और कर्तव्य की चोरी के दोषी व्यक्तियों को लाया जाता है

किताब।

XXX XXXXX

धारा 19 में कहा गया है कि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी देरी के निकटतम केंद्रीय उत्पाद शुल्क को भेजा जाएगा।

इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के पास भेजने का अधिकार प्राप्त अधिकारी,

या, यदि उचित सीमा के भीतर ऐसा कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी नहीं है। दूरी, निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से।

ये धाराएँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि गिरफ्तारी और तलाशी की शक्तियाँकेंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को दिया गया सम्मान वास्तव में उनके समर्थन में है

कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क लगाने और संग्रह करने का मुख्य कार्य।

99

( पृष्ठ 702 पर)

107. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 21 तब निर्धारित की गई थी

इस प्रकार है:

" 21. ( 1 ) जब किसी व्यक्ति को धारा 19 के तहत भेजा जाता है

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को भेजने का अधिकार है

मजिस्ट्रेट के पास, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी पूछताछ के लिए आगे बढ़ेगा

उसके खिलाफ आरोप में।

( 2 ) इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी प्रयोग कर सकता है -

समान शक्तियाँ और समान प्रावधानों के अधीन होंगी

एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अभ्यास कर सकता है और विषय हो सकता है

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत, जब जाँच की जा रही हो

एक संज्ञेय मामला; [2020] 12 एस. सी. आर

बशर्ते कि( क) यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की राय है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है।

अभियुक्त व्यक्ति, वह या तो उसे मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत पर स्वीकार करेगा, या आगे बढ़ाएगा।

उसे ऐसे मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में;

( ख) यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि

उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार

अभियुक्त व्यक्ति, वह अभियुक्त व्यक्ति को केंद्रीय प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, एक बंधपत्र निष्पादित करने पर रिहा करेगा।

आबकारी अधिकारी, यदि और जब भी आवश्यकता हो, अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है, और अपने आधिकारिक वरिष्ठ को मामले के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट देगा।

108. इसलिए न्यायालय ने कहा:

" यह आग्रह किया जाता है कि धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत अधिनियम के तहत एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास एक अधिकारी की सभी शक्तियां हों

दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV के तहत एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी और इसलिए उसे साक्षय अधिनियम की धारा 25 में उन शब्दों के अर्थ के भीतर एक पुलिस अधिकारी माना जाना चाहिए। यह सच है कि उप-धारा (2) अधिनियम के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को समान शक्तियां प्रदान करती है

मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत देना, या उसे हिरासत में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजना। हालाँकि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अधिनियम के तहत एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास संहिता की धारा 173 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत करने की शक्ति है। दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत एक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है (ए) उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो ऐसे टोफान सिंह का गठन करते हैं।



अपराध, या (बी) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर

पुलिस अधिकारी, या (ग) किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर

एक पुलिस अधिकारी के अलावा, या उसकी अपनी जानकारी या संदेह पर,

कि ऐसा अपराध किया गया है। के लिए एक पुलिस अधिकारीउपरोक्त खंड (बी) के उद्देश्य हमारी राय में केवल एक पुलिस हो सकते हैं।

अधिकारी को ठीक से आपराधिक संहिता की योजना के रूप में जाना जाता है

प्रक्रिया से पता चलता है और इसलिए ऐसा लगता है कि एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क

अधिकारी को उपरोक्त खंड (ए) के तहत शिकायत करनी होगी यदि

वह चाहता है कि मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले, क्योंकि

उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 9 के तहत। इस प्रकार हालांकि उप के तहतधारा 21 की धारा (2) के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी

अधिनियम में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां हैं। एक संज्ञेय मामले की जाँच करते समय, वह इस उद्देश्य के लिए है कि

धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत उसकी जांच। धारा 21 में है

अधिनियम, 1915 जिस पर राजा राम जयसवाल के अधिनियम में विचार किया गया था। मामला [(1964) 2 एस. सी. आर. 752] और जो इस संदर्भ में उपबंध करता है कि "के लिए

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के उद्देश्य,

1898 , वह क्षेत्र जिसके लिए एक आबकारी अधिकारी धारा के तहत सशक्त है

77 , उप-धारा (2), की नियुक्ति की जाती है, उसे पुलिस माना जाएगा।स्टेशन, और ऐसे अधिकारी को प्रभारी अधिकारी माना जाएगा

ऐसे स्टेशन का "। अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि

धारा 21 धारा 78 (3) के प्रावधान के बराबर है।

बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम। धारा 21 में केवल इतना ही प्रावधान है कि

अपनी जाँच के उद्देश्य से, एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास होगा -

एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियाँ जब

एक संज्ञेय मामले की जाँच करना। लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये

शक्तियों में आरोप पत्र प्रस्तुत करने की शक्ति शामिल नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के विपरीत बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी नहीं है

एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाता है "।

( पृष्ठों पर 703-704)

109. में निहित वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए

आर. ए. एल. उत्पाद शुल्क अधिनियम, विशेष रूप से धारा 21 (1) और 21 (2) पर परंतुक (ए), न्यायालय ने माना कि एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास कोई शक्ति नहीं है

ऐसे अधिकारी के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र दाखिल करें।

इन प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के पास भेजने का अधिकार दिया गया है।



110. अदालत ने राजा राम जयसवाल (ऊपर) को अलग किया और कहा कि यह मामला केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत है, जो एक राजस्व है।

भूमि सीमा शुल्क अधिनियम, 1924 और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 जैसे कानून बरकत राम (उपर्युक्त) के मामले के अनुरूप होंगे-पृष्ठ 704 देखें।

111. कालानुक्रमिक क्रम में अगला निर्णय रोमेश चंद्र मेहता (ऊपर) है। यहाँ फिर से, एक संविधान पीठ का संबंध था

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 171-ए के तहत की गई पूछताछ के साथ पढ़ने पर साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत एक ही प्रश्न। न्यायालय को यह पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि ऐसे सीमा शुल्क अधिकारी को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के उद्देश्य से पुलिस अधिकारी नहीं कहा जा सकता है।

संदेह (धारा 169); गुप्त वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति के शरीर की जांच या एक्स-रे करना (धारा 170-ए); एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना जिसके खिलाफ उचित संदेह मौजूद है कि वह अधिनियम (धारा 173) के तहत अपराध का दोषी है; स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान की तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट से तलाशी वारंट प्राप्त करना।ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की सीमाएँ (धारा 172); साक्षय देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को बुलाकर जानकारी एकत्र करना

(धारा 171-ए); और धारा 182 के तहत जब्ती का निर्णय लेना। वह रोकने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

शुल्क योग्य या निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी और उन वस्तुओं को जब्त करने का निर्णय लेने के लिए। साक्षय एकत्र करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारी को कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने या साक्षय देने के लिए समन भेजने का अधिकार है, और इस प्रकार बुलाया गया व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए बाध्य है, जैसे - ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है, और इस प्रकार बुलाया गया व्यक्ति किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य है, जिसके संबंध में उसकी जांच की जाती है या बयान देता है और ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें पेश करने के लिए बाध्य है जिनकी आवश्यकता हो सकती है। गिरफ्तार करने की शक्ति, हिरासत में लेने की शक्ति, तलाशी वारंट प्राप्त करने की शक्ति और साक्षय एकत्र करने की शक्ति समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारी में निहित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा की गई जांच एक न्यायिक कार्यवाही है। उनके द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ मुख्य सीमा शुल्क प्राधिकरण टोफान सिंह बनाम को अपील की जा सकती है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धारा 188 के तहत और उस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र

अधिनियम के तहत पारित कोई निर्णय या आदेश। सीमा शुल्क अधिकारीसंदिग्ध उल्लंघन की पूछताछ करते समय व्यायाम नहीं करता है

समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, जाँच की शक्तियाँ जो एक पुलिस

अधिकारी अपराध किए जाने की जाँच कर सकता है। वह है। अधिनियम के उल्लंघन की जांच करने की शक्ति के साथ निवेश किया गया

मुख्य रूप से ज़ब्ती और दंड का निर्णय लेने के उद्देश्य से।

न ही उसके पास धारा 173 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति है।दंड प्रक्रिया संहिता। वह केवल एक शिकायत कर सकता है

एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखना।

( पृष्ठों पर 466-467)

112. बरकत राम (ऊपर), राजा राम जैसवाल (ऊपर) और बडकू

सावंत (ऊपर) सभी का उल्लेख किया गया था। न्यायालय ने तब कहा,

इसके अनुसार यह निर्धारित करने के लिए सही परीक्षा थी कि क्या एक अधिकारी

स्टॉम्स को निम्नलिखित रूप से एक पुलिस अधिकारी माना जाना चाहिए:

" लेकिन यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या सीमा शुल्क का एक अधिकारी है

एक पुलिस अधिकारी माना जाता है कि क्या वह सभी के साथ निवेश किया गया है

अपराध की जाँच के लिए एक पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, जिनमें शामिल हैं -

संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति

दंड प्रक्रिया। यह दावा नहीं किया जाता है कि एक सीमा शुल्क अधिकारीजाँच करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 "।

( पृष्ठ 469 पर)

113. इस फैसले के बाद इलियास (उपरोक्त) में फैसला आया।

क्या यही सवाल उठा, इस बार सीमा शुल्क अधिनियम के तहत,

. एक महत्वपूर्ण परिच्छेद में संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि

राजा राम जयसवाल (ऊपर) और बरकत राम ए) के बीच कोई संघर्ष नहीं है:

" वास्तव में इस न्यायालय के हाल के एक निर्णय में पी. शंकर लाल बनाम. अस्स्टेट।

सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास [क्र. जैसा कि 52 और 104/65 ने तय किया

12-12-1967 ] यह फिर से पुष्टि की गई है कि दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं है

राजा राम जयस्वाल और बरकत राम के मामले, पूर्व में

बाद वाले से अलग "।

( पृष्ठ 616 पर)



114. न्यायालय ने तब समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 का उल्लेख किया और

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 सीमा शुल्क के राजपत्रित अधिकारी को साक्षय देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति प्रदान करती है-देखें

पृष्ठ 617। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 (3) पर उस मामले में अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया गया था, जिस धारा में यह प्रावधान किया गया था कि जहां सीमा शुल्क के किसी अधिकारी ने धारा 104 के उप-खंड (1) के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वह ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के उद्देश्य से या अन्यथा वही शक्ति रखता है और वही प्रावधानों के अधीन होगा जो एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास है और जो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अधीन है। यह देखा गया कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराध गैर-संज्ञेय थे-धारा 104 (4) देखें। तब यह अभिनिर्धारित किया गया कि "अन्यथा" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने से संबंधित है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसे शामिल नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा कुछ भी-पृष्ठ 617 देखें। राजा राम जयस्वाल (ऊपर) का उल्लेख किया गया था, जिसमें पृष्ठ 766 पर उस निर्णय में निर्धारित परीक्षण भी शामिल था-पृष्ठ 619 देखें, 620. बड़कू ज्योति सावंत (सुप्रा) को तब संदर्भित किया गया था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

“ यह दोहराया गया कि अपीलार्थी इसका लाभ नहीं उठा सका

राजा राम जयस्वाल के मामले में निर्णय और बरकत राम का

मामला अधिक उपयुक्त था। बडकू ज्योति में निर्णय का अनुपात

सावंत यह है कि भले ही विशेष अधिनियम के तहत एक अधिकारी को

अधिकांश शक्तियों के साथ निवेश किया जो एक प्रभारी अधिकारी

संज्ञेय अपराध की जाँच करते समय पुलिस स्टेशन अभ्यास करता है

इस तरह वह अर्थ के भीतर एक पुलिस अधिकारी नहीं बन जाता है

साक्षय अधिनियम की धारा 25 जब तक कि उसे फाइल करने का अधिकार न हो

दंड संहिता की धारा 173 के तहत आरोप पत्र

प्रक्रिया।

कठिनाई इस हद तक चली गई है कि आवश्यक रूप से निहितार्थ एक आरोप पत्र दाखिल करने की शक्ति कुछ से प्रवाहित होती है

जिन शक्तियों पर पहले ही नए के तहत चर्चा की जा चुकी है

अधिनियम और यह कि एक सीमा शुल्क अधिकारी भी इसका प्रयोग करने का हकदार हैशक्ति। यह कठिन है और वास्तव में यह सभी नियमों के विपरीत होगा।

किसी से भी ऐसी किसी विशेष शक्ति को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या

नए अधिनियम में निहित प्रावधान।

( पृष्ठों पर 621-622)

टोफान सिंह वी। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

115. इस न्यायालय के दो अन्य निर्णयों में, इस बार संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 के तहत यह अभिनिर्धारित किया गया कि सदस्य

रेलवे सुरक्षा बल को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में पुलिस अधिकारी नहीं कहा जा सकता है।

116. यू. पी. राज्य बनाम दुर्गा प्रसाद (1975) 3 एस. सी. सी. 210, इस न्यायालय की एक पीठ ने उक्त अधिनियम की धारा 8 को संदर्भित किया, जो

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 21 के समान, निम्नानुसार:

" 6. अधिनियम की धारा 8 इस प्रकार है:

" 8. ( 1 ) जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए बल के किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या धारा 7 के तहत उसे भेजा जाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा। व्यक्ति।

( 2 ) इस उद्देश्य के लिए बल का अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और वही प्रावधानों के अधीन होगा जो एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी प्रयोग कर सकता है और जांच करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन है।

( ख) यदि बल के अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि पर्याप्त नहीं है अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ साक्षय या संदेह का उचित आधार, वह अभियुक्त व्यक्ति को मुचलका निष्पादित करने पर, प्रतिभूति के साथ या उसके बिना रिहा कर देगा, जैसा कि बल का अधिकारी निर्देश दे सकता है, यदि और जब ऐसा आवश्यक हो तो अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए, और सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट बनाएगा।

अपने आधिकारिक वरिष्ठ को मामले का "।

117. न्यायालय ने कहा:

" 18. जाँच अधिकारी का जाँच के समापन पर पुलिस रिपोर्ट या आरोप पत्र दायर करने का अधिकार और कर्तव्य है -

संहिता के तहत एक जांच की पहचान। संहिता की धारा 173 (1) (ए) में प्रावधान है कि जैसे ही जांच पूरी हो जाती है [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट भेजेगा। सरकार। धारा 8 (1) के तहत जांच करने वाला अधिकारी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके अदालती कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है।

अधिनियम की धारा 8 (2) के दो प्रावधानों से स्पष्ट है। प्रावधान (ए) के तहत, यदि बल के अधिकारी की राय है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है, तो वह या तो आरोपी को मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत के लिए स्वीकार करेगा या उसे हिरासत में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। प्रावधान (ख) के तहत, यदि अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो वह उसे अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए मुचलके पर रिहा करेगा और मामले के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा। प्रोविसो (बी) द्वारा बल के एक अधिकारी पर अपने आधिकारिक वरिष्ठ को पूरी रिपोर्ट देने का कर्तव्य संहिता की धारा 173 (1) (ए) द्वारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कर्तव्य के विपरीत है।

अपराध का संज्ञान लेना। धारा 8 (1) के तहत जांच के समापन पर, यदि बल के अधिकारी की राय है कि पर्याप्त सबूत या उचित आधार है

अभियुक्त के खिलाफ संदेह होने पर, उसे संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि संबंधित मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सके।

19. इस प्रकार अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत जांच करने वाले अधिकारी के पास संहिता के अध्याय XIV के तहत मामले की जांच करने वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सभी गुण नहीं होते हैं। उसके पास उन विशेषताओं का एक हिस्सा है जो जांच करने के उद्देश्य तक सीमित है।

20. कि जांच अधिकारियों की तुलना आम तौर पर नहीं की जा सकती हैपुलिस अधिकारी रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 के XXIII के उद्देश्य और उद्देश्य से स्पष्ट हैं, जिसके तहत उनके

नियुक्तियाँ की जाती हैं। उस अधिनियम के संक्षिप्त शीर्षक से पता चलता है कि

रेलवे सुरक्षा बल नामक एक बल के गठन और विनियमन का प्रावधान करने के लिए पारित किया गया थारेलवे संपत्ति का संरक्षण और सुरक्षा "। 1957 के अधिनियम की धारा 3 (1) केंद्र सरकार को बेहतर सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल का गठन और रखरखाव करने का अधिकार देती है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा। धारा 10 द्वारा, महानिरीक्षक और बल के प्रत्येक अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य को "सभी उद्देश्यों के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के अर्थ के भीतर, उसके अध्याय VI-A के अलावा, रेलवे कर्मचारी माना जाएगा, और उस अधिनियम द्वारा या उसके तहत रेलवे कर्मचारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा"। धारा 11 जो

निकटतम पुलिस स्टेशन। ये प्रावधान इस स्थिति के साथ असंगत हैं कि अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत जांच करने वाले रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य को किसी अपराध की जांच करने वाले पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी माना जा सकता है। बल के सदस्यों को प्राधिकरण के तहत नियुक्त किया जाता हैरेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957, जिसका प्रमुख उद्देश्य रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा है।

बल के सदस्यों को प्रदत्त सभी शक्तियां निर्देशित हैं। उस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में और इसके द्वारा सीमित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि 1957 का अधिनियम, धारा 14 द्वारा, बल के सदस्य और उचित रूप से तथाकथित पुलिस अधिकारी के बीच अंतर करता है।

118. इसके बाद बरकत राम (ऊपर) का उल्लेख किया गया और

कु ज्योति सावंत (ऊपर), राजा राम जैसवाल (ऊपर) में निर्णय

विशिष्ट, निम्नानुसार:

" 23. राजा राम जयसवाल बनाम में निर्णय। बिहार राज्य, जिस पर प्रत्यर्थी निर्भर करता है, पर बडकू में विचार किया गया और उसे प्रतिष्ठित किया गया।

ज्योति सावंत का मामला। राजा राम जयसवाल मामले में शामिल थे

बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क की धारा 78 (3) की व्याख्या

अधिनियम, 1915 जिसमें निम्नलिखित शर्तों का प्रावधान किया गया है:

" दंड संहिता की धारा 156 के प्रयोजनों के लिए

प्रक्रिया, 1898, वह क्षेत्र जिसमें धारा 7,7 उप-धारा (2) के तहत सशक्त एक आबकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, एक पुलिस स्टेशन माना जाएगा, और ऐसे अधिकारी को पुलिस स्टेशन माना जाएगा।

ऐसे स्टेशन के प्रभारी अधिकारी। "[2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिहार अधिनियम की धारा 78 (3) के अनुरूप हमारे समक्ष अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए निर्णय उन्हीं कारणों से अलग किया जा सकता है जिनके लिए इसे बडकू में अलग किया गया था। ज्योति सावंत का मामला।

119. बालकिशन ए. देवीदयाळ (ऊपर) में, वही प्रश्न जो दुर्गा प्रसाद (ऊपर) में था, इस टी की एक खंड पीठ के समक्ष उठा। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 18 में अभिनिर्धारित किया कि दुर्गा प्रसाद (ऊपर) वास्तव में

उन्होंने न्यायालय के समक्ष पूछे गए प्रश्न का उल्लेख किया। इसके बाद यह कहा गया:

" 20. उपरोक्त सर्वेक्षण से यह पता चलेगा कि रेलवे सुरक्षा बल के गठन का प्राथमिक उद्देश्य बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है

बल रेलवे संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने मूल कर्तव्य के कुशल निर्वहन के लिए आकस्मिक है। 1957 के अधिनियम द्वारा किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या बल के सदस्य को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत रेलवे संपत्ति से संबंधित सभी संज्ञेय अपराधों की जांच करने की कोई सामान्य शक्ति प्रदान नहीं की गई है। धारा 14 स्वयं यह स्पष्ट करती है कि "रेलवे संपत्ति" से संबंधित अपराध के संबंध में भी, इसके वरिष्ठ अधिकारी या सदस्य धारा 13 के तहत गिरफ्तारी करने वाला बल गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत किसी पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा, या उसे निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करेगा।

120. न्यायालय ने देखा कि इस अधिनियम के तहत अपराध गैर-कानूनी थे।

ज़बल-पैराग्राफ 27 देखें-और निष्कर्ष निकाला:

" 30. अधिनियम की धारा 7 में यह प्रावधान है किसंज्ञेय अपराध की जाँच का पालन करना होगा

अधिकारी जिसके सामने आरोपी व्यक्ति को पेश किया जाता है।

31. 1966 के अधिनियम की धारा 7 को 1957 के अधिनियम की धारा 14 के साथ पढ़ते हुए, यह स्पष्ट है कि 1957 के अधिनियम की धारा 12 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मामले में एकमात्र रास्ता खुला है - वरिष्ठ अधिकारी या बल के सदस्य को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को एक पुलिस

अधिकारी को सौंपना था, 1966 के अधिनियम के तहत एक संदिग्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मामले में, उसे बल के निकटतम अधिकारी के सामने बिना किसी देरी के पेश किया जाना आवश्यक है, जो स्पष्ट रूप से बाध्य होगा [अनुच्छेद 22 (1) के अनुसार]

संविधान] उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए

चिंतित हैं। " टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

121. न्यायालय ने तब अधिनियम की धारा 8 का उल्लेख किया, जिससे यह बना।

कि धारा 8 (1) के तहत जांच को न्यायिक समर्पण माना जाएगा-पैराग्राफ 34 देखें। अनुभाग 161-162 के बीच अंतर

ई. सी. आर. पी. सी. और अधिनियम की धारा 9 (3) और (4) को तब निम्न स्तरों पर इंगित किया गया था:

" 35. चौथा महत्वपूर्ण पहलू जिसमें शक्ति और कर्तव्य

1966 के अधिनियम के तहत जांच करने वाला आर. पी. एफ. का एक अधिकारी, संहिता के तहत पुलिस जांच से अलग है। संहिता की धारा 161 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी पाठ्यक्रम में उसे दिए गए किसी भी बयान को लिखित रूप में दे सकता है।

जाँच की। धारा 162 (1), जिसे संहिता की धारा 161 की निरंतरता में पढ़ा जाना है, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान पर व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करने पर रोक लगाती है। लेकिन ऐसा कोई भी निषेध 1966 के अधिनियम के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों से जुड़ा नहीं है; बल्कि, अभियोजन की पीड़ा के तहत सच्चाई बताने के दायित्व से, धारा 9 (3) और (4) द्वारा आदेशित, यह एक उपसंहार के रूप में है, कि अधिकारी संचालन करता है।जाँच उस व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर सकती है जिसने

बयान।

36. पाँचवाँ, संहिता की धारा 162 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत, एक पुलिस अधिकारी को मौखिक या दर्ज किया गया बयान।

जाँच के दौरान अभियुक्त द्वारा उपयोग किया जा सकता है और

अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत की अनुमति का खंडन करने के लिए

साक्षय अधिनियम की धारा 145 में दिए गए तरीके से अदालत में गवाह द्वारा दिया गया बयान, या जब गवाह के बयान का प्रतिपरीक्षा में इस तरह से उपयोग किया जाता है, तो यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो उसकी फिर से जांच की जा सकती है। एक गवाह का बयान

32 या साक्षय अधिनियम की धारा 27। धारा 162 में निहित निषेध किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई पुलिस जांच के दौरान सभी बयानों, चाहे वह आरोपी हो या नहीं, चाहे वह लिखित हो या नहीं, परंतुक के अधीन है। संहिता के विपरीत, 1966 के अधिनियम में, इसके अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है -संहिता की धारा 162 (1) का प्रावधान, जो अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत जांच के दौरान एक अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान के उपयोग को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करता है।

122. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तब आयोजित किया गया था:

[ 2020 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 37. छठा, आर. पी. एफ. के सदस्य/अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य रेलवे संपत्ति की रक्षा करना है। केवल ऐसी शक्तियाँ

सभी संज्ञेय मामलों की जांच करने के लिए आर. पी. एफ. के एक अधिकारी की जांच करने की शक्ति 1966 के अधिनियम के तहत अपराधों तक सीमित है। XXX XXXXX

38 ..... आर. पी. एफ. का एक अधिकारी 1966 के तहत जांच कर रहा है।

अधिनियम को, किसी भी तरह से, संहिता की धारा 173 और 190 (बी) के अर्थ में "पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी" नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, संहिता की धारा 190 के खंड (बी) के साथ पठित धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके अभियोजन शुरू करने का तरीका आर. पी. एफ. के एक अधिकारी के लिए उपलब्ध नहीं है जिसने 1966 के अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच पूरी कर ली है। आर. पी. एफ. के एक अधिकारी के लिए उपलब्ध उस व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन शुरू करने का एकमात्र तरीका, जिसके खिलाफ उसने सफलतापूर्वक जांच पूरी कर ली है, संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को शिकायत करना है। कि बल का एक अधिकारी जिसके तहत जांच की जा रही है

धारा 8 (1) संहिता की धारा 173/190 (1) (बी) के तहत एक रिपोर्ट द्वारा अदालत में कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती है, जो 1966 के अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के प्रावधानों से भी स्पष्ट है। परंतुक (क) के तहत, यदि ऐसे अधिकारी की राय है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है, तो वह या तो उसे (उसे जमानत पर स्वीकार करने के बाद) पेश होने का निर्देश देगा।

अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या उसे हिरासत में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज दें। परंतुक (ख) के तहत, यदि अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई पर्याप्त सबूत या उचित आधार नहीं है

अभियुक्त के खिलाफ संदेह होने पर, वह उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए मुचलके पर रिहा कर देगा।

अपने वरिष्ठ अधिकारी को मामले के सभी विवरणों की रिपोर्ट करें। प्रावधान (ए) और (बी) इसे संदेह से परे रखते हैं कि जहां एक जांच पूरी करने के बाद, बल के अधिकारी की राय है कि

के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार अभियुक्त, उसे टोफान सिंह बनाम बनाकर अभियुक्त पर मुकदमा शुरू करना चाहिए।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट को शिकायत।

39. 1966 के अधिनियम और संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 1966 के अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत जांच करने वाले आर. पी. एफ. के एक अधिकारी के पास संहिता के अध्याय XIV के तहत जांच करने वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के कई महत्वपूर्ण गुण नहीं हैं। "जाँच" का चरित्र संहिता के तहत "जाँच" से अलग है। 1966 के अधिनियम के तहत जांच के मामले में बल के एक अधिकारी की आधिकारिक स्थिति और शक्तियां एक पुलिस अधिकारी के भौतिक पहलुओं से भिन्न होती हैं।

संहिता के तहत जांच करना "।

123. इस न्यायालय ने तब इसके पहले के सभी निर्णयों का उल्लेख किया।

टी, दुर्गा प्रसाद (ऊपर) को शामिल करते हुए, और निष्कर्ष निकाला:

" 58. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह स्पष्ट है कि 1966 के अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत जांच करने वाले आर. पी. एफ. के एक अधिकारी को किसी अधिकारी की सभी शक्तियों के साथ निवेश नहीं किया गया है।

चैप्टर के तहत जाँच करने वाले पुलिस स्टेशन का प्रभार

संहिता का XIV। विशेष रूप से, उसके पास आरंभ करने की कोई शक्ति नहीं है

मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल करके अभियोजन

संहिता की धारा 173 के तहत संबंधित, जिसे एक जांचकर्ता "पुलिस अधिकारी" का निर्णायक गुण माना गया है। इस प्रकार, बदकू ज्योति सावंत में निर्धारित परीक्षण द्वारा आंका गया है, जिसमें

बाद के निर्णयों में लगातार अपनाया गया

ऊपर, आर. पी. एफ. के निरीक्षक काकाडे को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर एक "पुलिस अधिकारी" नहीं माना जा सकता है, और इसलिए, 1966 अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत जांच के दौरान उनके द्वारा दर्ज किए गए किसी भी इकबालिया या आपत्तिजनक बयान को उक्त धारा के तहत साक्षय से बाहर नहीं किया जा सकता है।

रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1951 को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में एक पुलिस अधिकारी कहा जा सकता है। अदालत ने किया विश्लेषणबॉम्बे अधिनियम का पूर्वाभास किया, और इसकी धारा 11 (1) निर्धारित की, जिसमें कहा गया है:

[ 2020 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" जब धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत किसी भी स्थान पर सक्रिय कर्तव्य पर नियोजित किया जाता है, तो उच्चतम रैंक का वरिष्ठ आरक्षित पुलिस अधिकारी, जो मौजूद नायक से कम नहीं है, को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय IX, 1898 के अधिनियम V के प्रयोजनों के लिए पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाएगा।

125. चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का अध्याय IX, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय X के समतुल्य है, 'सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने' से संबंधित है, न्यायालय ने कहा:

" 19. इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि एस. आर. पी. एफ. अधिनियम के तहत नियुक्त एक वरिष्ठ आरक्षित पुलिस अधिकारी, हालांकि बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत एक पुलिस अधिकारी है और एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी है, वह केवल समाज में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से प्रभारी है और सी. आर. पी. सी. के अध्याय 12 में परिकल्पित जांच की शक्तियों को निवेश नहीं किया गया है।

उसके साथ।

नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे अधिकारी को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में "पुलिस अधिकारी" नहीं कहा जा सकता है।

126. इन सभी निर्णयों के माध्यम से चलने वाला सुनहरा धागा-इनमें से कुछ पांच न्यायाधीशों की पीठों के निर्णय हैं जो बाध्यकारी हैं।

यू. एस.-बरकत राम (ऊपर) से शुरू करते हुए, यह है कि जहां अधिकारियों को मुख्य रूप से या मुख्य रूप से अपराध की रोकथाम और पता लगाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए जांच की सीमित शक्तियां दी जाती हैं, ऐसे व्यक्तियों को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारी नहीं कहा जा

सकता है। बरकत राम (उपरोक्त) में यह चर्चा याद रखी जानी चाहिए कि एक "पुलिस अधिकारी" को एक ऐसे व्यक्ति के संकीर्ण अर्थ में पुलिस अधिकारी होने की आवश्यकता नहीं है जो एक पुलिस अधिकारी है जिससे वह जुड़ा हुआ है।

एक पुलिस स्टेशन। उपरोक्त सभी निर्णयों में व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है, और इससे कभी असहमति नहीं जताई गई है, अर्थात्, जहां एक व्यक्ति जो ठीक से पुलिस अधिकारी नहीं है, उसे सभी शक्तियों के साथ निवेश किया जाता है -

जाँच, जो पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने में समाप्त होती है, ऐसे अधिकारियों को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर पुलिस अधिकारी कहा जा सकता है, क्योंकि जब वे अपराध को रोकते हैं और अपराध का पता लगाते हैं, तो वे स्वीकारोक्ति वसूलने की स्थिति में होते हैं, और इस प्रकार अनैच्छिक स्वीकारोक्ति निकालने के एक शॉर्टकट तरीके के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

127. राजा राम जयसवाल (ऊपर) पर श्री लेखी का हमला, जिसमें कहा गया है कि यह गलत तरीके से तय किया गया है और इसे इनक्यूरियम के अनुसार माना जाना चाहिए, टोफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

माना नहीं जा सकता। राजा राम जयसवाल (ऊपर) ने सही निर्णय दिया कि अदालत ने बरकत राम (ऊपर) मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि साक्षय अधिनियम की धारा 25 में पाए जाने वाले शब्द "पुलिस अधिकारी" नहीं हैं।

एक संकीर्ण तरीके से, लेकिन एक व्यापक और लोकप्रिय अर्थ में। बरकत राम (ऊपर) के तनावपूर्ण अध्ययन से यह कहना पूरी तरह से गलत है कि वास्तव में बरकत राम (ऊपर) ने "व्यापक" दृष्टिकोण पर "संकीर्ण" दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी। यह इस न्यायालय के कई निर्णयों की समझ के विपरीत भी है जो बरकत राम (उपरोक्त) का उल्लेख करते हैं, और जो उक्त निर्णय में निर्धारित व्यापक, न कि संकीर्ण, परीक्षण को अपनाते रहे। इसके अलावा, राजा राम जयसवाल (उपरोक्त) को इस न्यायालय की कई संविधान पीठों द्वारा संदर्भित किया गया है, जैसा कि हमने यहां ऊपर बताया है, और अन्य डिवीजन पीठों को भी, और कभी संदेह नहीं किया गया है। वास्तव में, इसे हमेशा राजस्व कानून के मामलों के साथ-साथ रेलवे सुरक्षा बल के मामलों में एक ऐसे मामले के रूप में अलग किया गया है जिसमें जांच की सभी शक्तियां, जो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रेरित करती हैं, आबकारी अधिकारियों के पास निवेश की गई थीं, जो इसलिए, ठीक से तथाकथित पुलिस बल से संबंधित नहीं होने के बावजूद, साक्षय अधिनियम की धारा 25 के उद्देश्य के लिए पुलिस अधिकारी माने जाने चाहिए। धारा 25 और ऐसे अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण संबंध तब स्थापित हो जाता है, अर्थात्, जांच के दौरान ऐसे अधिकारियों के लिए किसी आरोपी व्यक्ति से इकबालिया बयान वसूल कर एक शॉर्टकट लेना संभव है।

128. इस बिंदु पर, हम राज कुमार करवाल (ऊपर) में निर्णय पर आते हैं। इस मामले में, हमारे सामने जो सवाल उठता है, वही इस न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष उठा। डिवीजन बेंच द्वारा प्रश्न इस प्रकार निर्धारित किया गया था:

" 1. क्या राजस्व खुफिया विभाग (डी. आर. आई.) के अधिकारी जिन्हें स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) की धारा 53 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश किया गया है, वे साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में "पुलिस अधिकारी" हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति की जाँच के दौरान ऐसे अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया इकबालिया बयान उसके खिलाफ सबूत में स्वीकार्य है? ये वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें इन प्रश्नों में देने हैं।विशेष अवकाश द्वारा अपील "।

129. न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम का विश्लेषण किया और स्वीकार किया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए निर्धारित दंड

बहुत गंभीर होते हैं। इसके बाद यह बना रहा:



" 11 ..... इसलिए, हम इस बात से सहमत हैं कि साक्षय अधिनियम की धारा 25 एक संपूर्ण संरक्षण प्रदान करती है, इसका संकीर्ण और तकनीकी अर्थों में अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक और लोकप्रिय अर्थों में समझा जाना चाहिए। लेकिन साथ ही इसका इतना व्यापक अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल किए जाएं जिन्हें पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ शक्तियां ही पुलिस अधिकारियों की श्रेणी में प्रदान की जाती हैं। पंजाब राज्य बनाम देखें। बरकत राम और राजा राम जयसवाल बनाम। बिहार राज्य। इस दृष्टिकोण को दोहराया गया है

बाद के मामले भी। "

130. हमारे द्वारा ऊपर उद्धृत किए गए सभी मामलों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के संज्ञेय अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की धारा 37 में, इस न्यायालय के निर्णयों में पहले विचार किए गए एन. डी. पी. एस. अधिनियम-राजस्व क़ानून और रेलवे क़ानून के बीच के अंतर को देखा। तब फैसला

कहने के लिए:

" 20 ..... धारा 52 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के निपटारे से संबंधित है और

अधिनियम की धारा 41,42,43 या 44 के तहत जब्त की गई वस्तुएँ। यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को आधार के बारे में सूचित करने का आदेश देता है।

स्टेशन या धारा 53 के तहत जांच करने के लिए सशक्त अधिकारीअधिनियम से। जब्त मादक पदार्थों और मादक पदार्थों के निपटान के संबंध में धारा 52-ए में विशेष प्रावधान किया गया है। फिर धारा 53 आती है जिसे हमने पहले निकाला है। धारा 55 किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से मजिस्ट्रेट के आदेश तक, उस पुलिस के स्थानीय क्षेत्र के भीतर अधिनियम के तहत जब्त की गई सभी वस्तुओं का प्रभार लेने और उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखने की अपेक्षा करती है।

स्टेशन और जिसे उसे दिया जा सकता है। धारा 57 के तहत किसी भी अधिकारी को गिरफ्तारी या जब्ती करने का आदेश दिया गया है।

इस तरह की गिरफ्तारी या जब्ती के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अगले 48 घंटों के भीतर अपने तत्काल अधिकारी वरिष्ठ को देने के लिए अधिनियमऐसी गिरफ्तारी या जब्ती के बाद। अधिनियम के अध्याय V में पाए गए इन प्रावधानों से पता चलता है कि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करे कि सभी टोफान सिंह v.

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट दायर करने की शक्ति सहित संहिता के अध्याय XII के तहत शक्तियां उन अधिकारियों को स्पष्ट रूप से प्रदान की गई हैं जिन्हें एक

धारा 53 के तहत एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी

अधिनियम के तहत अपराधों की जांच का उद्देश्य।

131. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41,42,43,44,52,52 ए और 57 का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ये शक्तियां कमोबेश हैं।

सीमा शुल्क 1962 के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के लिए-पैराग्राफ 21 देखें। अदालत ने तब निष्कर्ष निकाला:

22 ..... जांच जो इस प्रकार शुरू होती है, बिना अनावश्यक देरी के, निम्नलिखित के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके समाप्त की जानी चाहिए।

संहिता की धारा 173 संबंधित मजिस्ट्रेट को

निर्धारित प्रपत्र। कोई भी व्यक्ति जिसे अध्याय XII के तहत जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है, उसे 'पुलिस अधिकारी' कहा जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस नाम से बुलाया जाता है। नामकरण नहीं है

महत्वपूर्ण है, वह जिस शक्ति का प्रयोग करता है उसकी सामग्री है

संहिता के अध्याय बारह के तहत प्रक्रिया का सहारा लें जो उन्हें संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके जांच को समाप्त करने की आवश्यकता होगी। हालांकि आकर्षक

प्रस्तुतिकरण पहली बार में शर्मनाक प्रतीत होता है, यह बारीकी से जांच में खड़ा नहीं हो सकता है। सबसे पहले, जैसा कि पहले बताया गया है, अधिनियम के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि विधायिका अधिनियम की धारा 53 के तहत नियुक्त अधिकारियों, संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति सहित अध्याय XII की सभी शक्तियों को निहित करना चाहती है। लेकिन इस मुद्दे को अधिनियम की धारा 36-ए की उप धारा (1) द्वारा संदेह के दायरे से परे रखा गया है जो गैर [2020] 12 एस. सी. आर. से शुरू होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवरोध खंड-संहिता में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद

और खंड (घ) में निम्नानुसार कहना जारी रखता है:

“ 36 - ए. ( घ) एक विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन पर या

केंद्र के एक अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर

सरकार या इस संबंध में प्राधिकृत राज्य सरकार,

अभियुक्त के बिना उस अपराध का संज्ञान लें

मुकदमे के लिए इसके लिए प्रतिबद्ध। ' }

}

यह खंड यह स्पष्ट करता है कि यदि जांच द्वारा की जाती है

पुलिस, यह एक पुलिस रिपोर्ट में समाप्त होगा लेकिन अगर डी. आर. आई. सहित किसी अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, तो विशेष अदालत अपराध का संज्ञान लेगी।

संबंधित सरकार के ऐसे अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई औपचारिक शिकायत। कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की शिकायत करनी होगीसंहिता की धारा 190 के तहत हो। यह खंड, हमारे विचार में, मामले को पकड़ता है। इसलिए, हमें इस तर्क को नकारना चाहिए कि एक पुलिस अधिकारी के अलावा, अधिनियम की धारा 53 के तहत नियुक्त एक अधिकारी, संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट या

आरोप पत्र प्रस्तुत करने की शक्ति सहित संहिता के अध्याय XII के तहत 'सभी' शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार है। ऐसा होने पर, मामला

बड़कू ज्योति सावंत और बाद में लिए गए निर्णयों के अनुपात को संतुष्ट नहीं करता है।

132. इस तथ्य के बावजूद कि राज कुमार करवाल (उपरोक्त) इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम ऐसे अपराधों को निर्धारित करता है जो "बहुत गंभीर" हैं और यह कि धारा 25 एक संपूर्ण संरक्षण है जिसे व्यापक और लोकप्रिय अर्थों में समझा जाना चाहिए, फिर भी यह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत नामित अधिकारी को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत एक पुलिस अधिकारी नहीं कहा जा सकता है। डिवीजन बेंच ने यह भी नोटिस किया कि, सभी राजस्व और रेलवे सुरक्षा के विपरीत

जहां अपराध संज्ञेय नहीं हैं, वहां एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अपराध संज्ञेय हैं। यह भी ध्यान देता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम बहुत गंभीर प्रकृति के अपराधों की रोकथाम और पता लगाने से संबंधित है। हालांकि, राज कुमार करवाल (उपरोक्त) ने मुख्य रूप से राजस्व या रेलवे उद्देश्यों के लिए कानूनों में नामित अधिकारियों की जांच शक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित अंतरों की ठीक से सराहना नहीं की।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत नामित अधिकारी: पहला, वह धारा 53 एक कानून में स्थित है जिसमें बहुत गंभीर प्रकृति के अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और सजा के प्रावधान हैं।

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आबकारी अधिनियम, 1944); या रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा अधिनियम), 1966 के अनुसार, रेलवे संपत्ति का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा।दूसरा, राजस्व कानूनों और रेलवे अधिनियम के विपरीत, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने वाले सभी अपराध संज्ञेय हैं। तीसरा, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53, उपरोक्त कानूनों के विपरीत, अधिकारी की शक्तियों पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करती है -

अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच करें, और इसलिए, यह स्पष्ट है कि सभी जांच शक्तियां एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी में निहित हैं।

सी. आर. पी. सी. के तहत-जिसमें आरोप पत्र दायर करने की शक्ति भी शामिल है-एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध से निपटने के लिए इन अधिकारियों में निहित हैं। यह सहायक उद्देश्यों के लिए उपरोक्त राजस्व और रेलवे कानूनों के तहत अधिकारियों में निहित सीमित शक्तियों से पूरी तरह से अलग है।

रेलवे अधिनियम के संदर्भ में बालकिशन (ऊपर), विचाराधीन कानूनों के प्रमुख उद्देश्य की सहायता के लिए, जो-जैसा कि पहले से ही संकेत दिया गया था-मुख्य रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम के विपरीत

अपराध की रोकथाम और पता लगाने से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा, महत्वपूर्ण रूप से, उन कानूनों में से किसी ने भी उन अधिनियमों में उल्लिखित अधिकारियों के साथ उन अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच करने की राज्य पुलिस बल की शक्ति को मान्यता नहीं दी, जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम में है। इसलिए उन मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू करने पर स्पष्ट मनमानेपन या भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठेगा, जैसा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों के विपरीत, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 67 से 70 में चर्चा की गई है।133. पीठ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 ए को नोटिस करने में भी विफल रही और इसलिए, त्रुटि में पड़ जाती है जब यह कहा जाता है कि [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के साथ आत्मसात किया जा सकता है। जब धारा 53 और 53 क को एक ऐसे कानून के संदर्भ में एक साथ देखा जाता है जो बहुत गंभीर प्रकृति के अपराधों की रोकथाम और पता लगाने से संबंधित है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन धाराओं का अर्थ उसी तरह से नहीं लगाया जा सकता है जैसे राजस्व कानूनों और रेलवे संरक्षण कानूनों में निहित धाराओं का अर्थ लगाया जाता है।

134. धारा 53 (1) की भाषा एकदम स्पष्ट है और इसमें उल्लिखित अधिकारियों को "एक प्रभारी अधिकारी" की शक्तियां दी गई हैं।

इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन "। सी. आर. पी. सी. में "पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" ( ओ) "पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी" में शामिल है, जब पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी स्टेशन हाउस से अनुपस्थित होता है या बीमारी या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो स्टेशन-हाउस में मौजूद पुलिस अधिकारी जो अगले रैंक का होता है।

ऐसे अधिकारी के लिए और सिपाही के पद से ऊपर है या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो कोई अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित होता है।

अभिव्यक्ति "पुलिस रिपोर्ट" को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (आर) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" ( आर) "पुलिस रिपोर्ट" का अर्थ है धारा 173 की उप-धारा (2) के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट; '

135. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" 173. पूरा होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट जांच पड़ताल की। —

XXX XXXXX ( 2 ) ( i) जैसे ही यह पूरा हो जाता है, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें कहा गया है -

( क) पक्षकारों के नाम;

( (ख) सूचना की प्रकृति;

( ग) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं; टोफान सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( (घ) क्या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है और यदि है, तो किसके द्वारा किया गया है;

( ई) क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है;

( च) क्या उसे उसके मुचलके पर रिहा किया गया है और, यदि हां, तो प्रतिभू के साथ या उसके बिना;

( ज) क्या महिला की चिकित्सीय जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है जहां जांच भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376,376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी या धारा 376 ई के तहत अपराध से संबंधित है। ( (ii) अधिकारी इस तरह से भी संवाद करेगा, जो हो सके -

राज्य सरकार द्वारा विहित, उसके द्वारा की गई कार्रवाई, उस व्यक्ति के लिए, यदि कोई हो, जिसके द्वारा अपराध करने से संबंधित जानकारी पहली बार दी गई थी।

136. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 ए निम्नलिखित प्रावधान करती है:

" 36 ए. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराध। ( 1 ) दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), -

( क) इस अधिनियम के तहत सभी अपराध जो तीन साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय हैं, केवल उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होंगे जिसमें अपराध किया गया है या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से एक द्वारा, जो हो सके,

( ख) जहाँ इस अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 की उप-धारा (2) या उप-धारा (2 ए), ऐसे मजिस्ट्रेट

ऐसे व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में हिरासत में रखने के लिए प्राधिकृत करता है जो वह पूरी तरह से पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए उचित समझता है जहां ऐसा मजिस्ट्रेट एक न्यायिक मजिस्ट्रेट है और पूरी तरह से सात दिन जहां ऐसा मजिस्ट्रेट एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट है: बशर्ते कि उन मामलों में जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं जहां ऐसे मजिस्ट्रेट [2020] 12 एस. सी. आर. पर विचार करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( (i) जब ऐसे व्यक्ति को उसके पास अग्रेषित किया जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है; या

( (ii) निरोध की अवधि समाप्त होने पर या उससे पहले किसी भी समय

उसके द्वारा अधिकृत,

कि ऐसे व्यक्ति की नजरबंदी अनावश्यक है, वह आदेश देगा

ऐसे व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र वाले विशेष न्यायालय में भेजा जाएगा;

( ग) विशेष न्यायालय, खंड (ख) के अधीन उसे भेजे गए व्यक्ति के संबंध में, उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसका प्रयोग किसी मामले का विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167, ऐसे मामले में एक अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में जोउस धारा के तहत उसे भेजा गया;

( घ) एक विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन पर या केंद्र सरकार या उसकी ओर से अधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर, अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना उस अपराध का संज्ञान ले सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और उच्च न्यायालय निम्नलिखित शक्तियों सहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है -उस धारा की उप-धारा (1) का खंड (बी) मानो उस धारा में "मजिस्ट्रेट" के संदर्भ में धारा 36 के तहत गठित "विशेष न्यायालय" का संदर्भ भी शामिल था।

( 4 ) के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 क या वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की

धारा 167 की उप-धारा (2) में "नब्बे दिन" के संदर्भ, जहां वे होते हैं, का अर्थ "एक सौ अस्सी दिन" के संदर्भ के रूप में किया जाएगाः

बशर्ते कि, यदि जाँच पूरी करना संभव न हो

एक सौ अस्सी दिनों की उक्त अवधि के भीतर, विशेष न्यायालय टफान सिंह बनाम की रिपोर्ट पर उक्त अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।

तमिलनाडु राज्य

[ आर. एफ. नरीमन, जे.]

लोक अभियोजक जांच की प्रगति का संकेत दे रहा है

और अभियुक्त को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारण

एक सौ अस्सी दिनों की उक्त अवधि। ( 5 ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत तीन साल से अधिक की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय अपराध।

संक्षेप में कोशिश की जा सकती है। "

137. अतः जो बात स्पष्ट है वह यह है कि धारा 53 के तहत नामित अधिकारी ने पुलिस के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों का निवेश किया है।

थाना, धारा 173 (2) सी. आर. पी. सी. में उल्लिखित विवरणों को बताते हुए एक पुलिस रिपोर्ट को अग्रेषित करना है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 ए (1) में निहित विशेष प्रावधान के कारण, यह पुलिस रिपोर्ट नहीं है।

मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, लेकिन केवल धारा 36 ए (1) (डी) के तहत एक विशेष अदालत को भेजा जाता है। राज कुमार करवाल (ऊपर), जब यह कहा गया है कि नामित अधिकारी धारा 36 ए (1) (डी) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता है, लेकिन उसे सीआरपीसी की धारा 190 के तहत "शिकायत" प्रस्तुत करनी होगी, तो वह धारा 36 ए (1) में निहित गैर-अड़चन खंड के महत्व को याद करता है, जो यह स्पष्ट करता है कि धारा 36 ए की कवायद का पालन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) में कुछ भी निहित होने के बावजूद किया जाना है। यह है।

स्पष्ट है कि धारा 36 ए (1) (डी) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) और धारा 190 के साथ असंगत है और इसलिए, कोई भी शिकायत जो की जानी है, की जा सकती है।

केवल धारा 36 ए (1) (डी) के तहत एक विशेष न्यायालय को, और धारा 190 के तहत एक मजिस्ट्रेट को नहीं। श्री लेखी का यह तर्क कि धारा 190 के तहत प्रक्रिया को केवल आंशिक रूप से बदल दिया गया है, धारा 190 के तहत पुलिस रिपोर्ट और शिकायत प्रक्रिया को धारा 36ए (1) (डी) द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धारा 36ए (1) (डी) एक ऐसी योजना को निर्दिष्ट करती है जो सीआरपीसी में निहित योजना से पूरी तरह से अलग है। जबकिदंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत यह मजिस्ट्रेट है जो किसी अपराध का संज्ञान लेता है, धारा 36ए (1) (डी) के तहत यह केवल एक विशेष न्यायालय है जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है। दूसरा,

" धारा 36ए (1) (डी) में निर्दिष्ट शिकायत एक निजी शिकायत नहीं है जिसे सीआरपीसी की धारा 190 (1) (ए) में संदर्भित किया गया है, लेकिन केवल एक अधिकृत अधिकारी द्वारा ही हो सकती है। तीसरा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (सी) है -

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) में इसकी अनुपस्थिति -

विशेष न्यायालय, पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या अपनी जानकारी पर, एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। इसके अलावा, धारा 36ए के तहत एक विशेष न्यायालय को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36सी के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता के लिए सत्र न्यायालय माना जाता है। [2020] 12 एस. सी. आर. के तहत एक सत्र न्यायालय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 मूल न्यायालय के रूप में संज्ञान नहीं ले सकती है।

अधिकारिता जब तक कि मामला किसी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया गया हो। हालाँकि, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) के तहत, एक विशेष न्यायालय एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है।

अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया जा रहा है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 36ए (1) (डी) को देखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 में निहित कुछ भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायालय में लागू नहीं कहा जा सकता है।

138. इसके अलावा, एन. डी. पी. एस. के तहत अपराधों की जांच के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा धारा 53 के तहत नामित अधिकारी

अधिनियम, विशेष न्यायालय के समक्ष शिकायत करने के लिए धारा 36ए (1) (डी) के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के समान होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, यदि केंद्र सरकार एक अधिकारी को प्रभारी अधिकारी की शक्ति के साथ निवेश करना चाहती है

धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत एक पुलिस स्टेशन राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद ही ऐसा कर सकता है, जिसकी आवश्यकता है:इसकी अनुपस्थिति से विशिष्ट जब केंद्र सरकार एक

धारा 36ए (1) (डी) के तहत अधिकारी। इसके अलावा, धारा 53 (1) और (2) दोनों उन अधिकारियों को संदर्भित करते हैं जो सरकार के विशेष विभागों से संबंधित हैं। अनुभाग

निरर्थकता में एक अभ्यास होना। 139. राज कुमार करवाल (ऊपर) में फैसले के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली विसंगत स्थिति को लें। मान लीजिए कि एक निर्दिष्ट

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकारी एक विशेष मामले की जांच करता है।

और फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कोई अपराध नहीं किया गया है। जब तक ऐसा अधिकारी विशेष अदालत को यह कहते हुए पुलिस रिपोर्ट नहीं दे सकता कि कोई अपराध नहीं किया गया है, और आरोपी को रिहा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 में निहित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, तब तक एनडीपीएस अधिनियम में एक बड़ी कमी होगी जिसे भरा नहीं जा सकता है।

140. दूसरी विसंगति भी राज कुमार करवाल (ऊपर) के फैसले से उत्पन्न होती है। आम तौर पर, सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट (टी. ओ. एफ. ए. एन. सिंह बनाम विशेष अदालत) को भेज दिया जाता है।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एन. डी. पी. एस. अधिनियम) के तहत, पुलिस अधिकारी सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (8) के तहत अपराध की "आगे की जांच" कर सकता है। धारा 173 (8) इस प्रकार है:

" ( 8 ) उप-धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद इस धारा की किसी भी बात को अपराध के संबंध में आगे की जांच में बाधा नहीं माना जाएगा और जहांइस तरह की जांच में, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी आगे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करता है, वह मजिस्ट्रेट को इस तरह के साक्ष्य के बारे में एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट भेजेगा।

विहित प्रपत्र और उप-धारा (2) से (6) के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्ट के संबंध में लागू होंगे जो वे उप-धारा के तहत भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।

( 2 ) . "

141. विनूभाई हरिभाई मालवीय और अन्य मामलों में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। वी. गुजरात राज्य और अन्र। 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1346 ने अभिनिर्धारित किया कि किसी अपराध की आगे की जाँच करने की शक्ति वास्तव में मुकदमा शुरू होने से पहले आपराधिक मामले की प्रगति के सभी चरणों में उपलब्ध होगी-पैराग्राफ 49 देखें। यदि, जैसा कि श्री लेखी ने तर्क दिया है कि धारा 53 के तहत नामित अधिकारी केवल "शिकायत" दर्ज कर सकता है न कि "पुलिस रिपोर्ट", तो ऐसे अधिकारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

धारा 173 (8) के तहत अपराध की आगे की जांच करने की शक्ति

इस तरह की "शिकायत" दर्ज की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 173 (8) यह स्पष्ट करती है कि उप-धारा (2) (यानी एक पुलिस रिपोर्ट) के तहत एक रिपोर्ट अदालत को भेजे जाने के बाद ही आगे की रिपोर्ट दायर की जा सकती है। तथापि, एक पुलिस अधिकारी, जो उचित रूप से तथाकथित हो सकता है, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक समान अपराध की जांच कर रहा हो, के पास ऐसी शक्ति बनी रहेगी, और जब तक मुकदमा शुरू नहीं हो जाता, तब तक आगे की जांच कर सकता है ताकि, जैसा कि विनूभाई (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने कहा है, एक निर्दोष व्यक्ति हो।अभियुक्त के रूप में गलत तरीके से आरोपित नहीं किया गया है, या यह कि प्रथम दृष्टया दोषी व्यक्ति को छूट नहीं दी गई है। ऐसी विसंगति-जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है-जिसमें एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच असमान व्यवहार होता है।

केवल इस कारण से कि क्या जांच अधिकारी एक पुलिस अधिकारी है या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत नामित अधिकारी है, केवल तभी उत्पन्न होगा जब राज कुमार करवाल (उपरोक्त) में दृष्टिकोण सही हो। 142. एक तीसरी विसंगत स्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए (1) (ए) के तहत केवल ऐसे अपराध हैं जो दंडनीय हैं।

तीन साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास के साथ जो विशेष रूप से [2020] 12 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य। उदाहरण के लिए, यदि किसी अभियुक्त पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 26 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, न कि विशेष न्यायालय द्वारा। इस मामले में, धारा 36 ए (1) (डी) में प्रदान की गई विशेष प्रक्रिया लागू नहीं होगी, जिसका परिणाम यह होगा कि धारा 53 अधिकारी जो इस अपराध की जांच करता है, तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को एक पुलिस रिपोर्ट देगा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में एन. डी. पी. एस. के तहत अपराधों की रोकथाम

और पता लगाने के लिए जांच की शक्तियों को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है।अधिनियम, यह स्पष्ट है कि एक अपराध जो तीन साल या उससे कम के लिए दंडनीय है, धारा 53 के तहत नामित अधिकारियों द्वारा जांच की जा सकती है, जिससे पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। हालांकि, राज कुमार करवाल को देखते हुए

( ऊपर), एन. डी. पी. एस. के तहत अपराध की जांच करने वाला धारा 53 का अधिकारी।

अधिनियम केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) के तहत शिकायत दर्ज करके समाप्त हो सकता है। इस विसंगति के लिए श्री लेखी का एकमात्र जवाब यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए (5) के तहत, इस तरह के परीक्षण एक संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करेंगे, जो बदले में, एक शिकायत से संबंधित होगी जहां एक मादक पदार्थ अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षण प्रक्रिया पोस्ट हैजाँच, और जाँच या संज्ञान के तरीके से इसका कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि श्री लेखी ने स्वयं प्रस्तुत किया था। दूसरा, यह मानते हुए भी कि मुकदमे के तरीके की इस विसंगति के साथ कुछ प्रासंगिकता है, सी. आर. पी. सी. की धारा 258 यह स्पष्ट करती है कि समन का मामला "शिकायत के अलावा अन्यथा" स्थापित किया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए जा रहे समन मामले को संदर्भित करेगा-जॉन थॉमस बनाम देखें। डॉ. के. जगदीशन (2001) 6 एस. सी. सी. 30 (पैराग्राफ 8 पर)।

143. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 59 एक महत्वपूर्ण संकेत है कि कब

अपराध का संज्ञान केवल शिकायत पर ही हो सकता है, न कि पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से। धारा 59 (3) द्वारा, धारा 59 (1) [जो एक वर्ष तक की अवधि के लिए दंडनीय है] के तहत किसी अपराध के मामले में या धारा 59 (2) [जो 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए दंडनीय है, लेकिन जो 20 वर्ष तक बढ़ सकती है] के तहत किसी अपराध के मामले में, कोई भी न्यायालय धारा 59 (1) या (2) के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय केंद्र सरकार या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ लिखित में की गई शिकायत के। इस प्रकार, धारा 59 के तहत, किसी भी मामले में यानी उस मामले में जहां मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है।

धारा 59 (1), या धारा 59 (2) के तहत किसी अपराध के लिए विशेष न्यायालय द्वारा, लिखित शिकायत के अलावा, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। यह प्रावधान धारा 36ए (1) (डी) से स्पष्ट रूप से अलग है, जो दो अलग-अलग प्रक्रियाएं प्रदान करता है।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एनडीपीएस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों का संज्ञान लेने के लिए। के लिए

इन सभी कारणों से, यह स्पष्ट है कि राज कुमार करवाल (उपरोक्त) ने संभवतः कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया होगा।

36 ए (1) (डी) केवल एन. डी. पी. एस. की धारा 59 को संदर्भित करता है Act.A शिकायत एक नामित अधिकारी द्वारा की जा सकती है जिसके तहत अपराध उत्पन्न होते हैं।एन. डी. पी. एस. अधिनियम-यह एक ऐसे प्रावधान द्वारा सीमित नहीं है जिसके लिए पूर्व की आवश्यकता होती है।

धारा 58 के तहत किए गए अपराध के लिए मंजूरी, क्योंकि वह धारा 36 ए (1) (डी) की सादे भाषा के साथ हिंसा करेगा। यह तर्क है,

इसलिए अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए, धारा 36 ए (1) (डी) के तहत शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से इस बार नामित नामित अधिकारी के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसा करना हमेशा खुला रहता है, जो धारा 53 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अलावा विशेष क़ानून के तहत प्रदान की गई एक अलग प्रक्रिया है, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

145. हालाँकि, श्री लेखी ने तर्क दिया कि धारा 53 "मानित" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करती है और इसलिए, धारा में निहित शक्ति। 53 ( 1 ) यह केवल जांच करने की एक छोटी शक्ति है जो पुलिस रिपोर्ट दायर करने में समाप्त नहीं होती है। हम सहमत नहीं हो सकते। वह अधिकारी जो

धारा 53 के तहत नामित, एक कानूनी कल्पना द्वारा, एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जा सकता है, या एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां दी जा सकती हैं। चाहे उसे किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में माना जाए, या ऐसी शक्तियां दी जाएं, एक ही सिक्के के केवल अलग-अलग पहलू हैं-उपरोक्त अधिकारी, किसी भी परिस्थिति में, एक पुलिस अधिकारी नहीं है जो राज्य के पुलिस बल से संबंधित है। यह स्वीकार करना कि एक काल्पनिक कल्पना नामित अधिकारी को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने सहित जांच की पूरी शक्तियां देगी, जबकि एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां एक नामित अधिकारी को दी जा रही हैं, जिनके पास जांच करने की केवल सीमित शक्तियां हैं, तर्क के अनुरूप नहीं है, और यह धारा 53 (1) की स्पष्ट भाषा और इरादे के विपरीत होगा।

146. श्री लेखी का एक अन्य तर्क यह है कि पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी जो पुलिस बल से संबंधित हैं, उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम में मादक पदार्थ विभाग आदि के अधिकारियों से अलग और अलग माना जाता है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है जिस पर यह स्पष्ट है कि "पुलिस अधिकारी" शब्द का अर्थ केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं है जो राज्य पुलिस बल से संबंधित है, बल्कि इसमें ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जो अन्य विभागों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि [2020] 12 एस. सी. आर. में आबकारी विभाग।

राजा राम जयसवाल (ऊपर), जिन्हें अन्यथा जांच की सभी शक्तियों के साथ निवेश किया जाता है ताकि साक्षय अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा, यदि पुलिस अधिकारी और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों के बीच अंतर कुछ ऐसा है जिस पर जोर दिया जाना चाहिए, तो कोई भी व्याख्या जो केवल एक विशेष अधिकारी के पदनाम के आधार पर एक आरोपी के मौलिक अधिकारों को कम कर देगी, अनुच्छेद 14 की अवहेलना होगी, क्योंकि दो प्रकार के अधिकारियों के बीच वर्गीकरण का उस उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं होगा जिसे विचाराधीन क़ानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, जो कि अपराध की रोकथाम और पता लगाना है।

147. जिस पर विचार किया जाना बाकी है वह है कन्हैयालाल (सुप्रा)। में।

इस फैसले में, सवाल एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर दोषसिद्धि के इर्द-गिर्द घूमता है। इस न्यायालय ने धारा 67 को निर्धारित करने के बाद, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 107 और 108, आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 ("पोटा") की धारा 32 और टाडा की धारा 15 के प्रावधानों के बीच एक समानांतर रेखा खींची-पैराग्राफ 41 देखें। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

" 107. व्यक्तियों की जाँच करने की शक्ति। प्रमुख सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त सीमा शुल्क का कोई भी अधिकारी, सीमा शुल्क के संबंध में किसी भी जांच के दौरान

किसी भी माल की तस्करी,

( क) किसी व्यक्ति से किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या वितरित करने की अपेक्षा करता है या

जाँच के लिए प्रासंगिक चीज़;

( ख) तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जांच करें और

108. साक्षय देने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति और दस्तावेज़ तैयार करें। ( 1 ) सीमा शुल्क के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के पास किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह या तो साक्षय देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी अन्य चीज को किसी भी जांच में पेश करने के लिए आवश्यक समझता है जो ऐसा अधिकारी इस अधिनियम के तहत कर रहा है।

( 2 ) दस्तावेजों या अन्य चीजों को प्रस्तुत करने के लिए समन कुछ निर्दिष्ट दस्तावेजों या चीजों को प्रस्तुत करने के लिए या टोफान सिंह v के लिए हो सकता है।

बुलाए गए व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में सभी दस्तावेजों या एक निश्चित विवरण की चीजों का उत्पादन।( 3 ) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या एक अधिकृत एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे; और इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य होंगे, जिसके संबंध में उनकी जांच की जाती है या बनाया जाता है।

बयान दें और ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें प्रस्तुत करें जिनकी आवश्यकता हो सकती है: बशर्ते कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 132 के तहत छूट इस धारा के तहत उपस्थिति के लिए किसी भी मांग पर लागू होगी। ( 4 ) उपरोक्त प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

पोटा

32. पुलिस अधिकारियों को दिए गए कुछ इकबालिया बयानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। - ( 1 ) संहिता या भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या किसी पर दर्ज की गई।

यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैसेट, टेप या ध्वनि ट्रैक जिनसे ध्वनि या छवियों को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में स्वीकार्य होगा।

( 2 ) एक पुलिस अधिकारी, उप-धारा (1) के तहत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी स्वीकारोक्ति को दर्ज करने से पहले, ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में समझाएगा कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसका उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है: बशर्ते कि जहाँ ऐसा व्यक्ति चुप रहना पसंद करता है, वहाँ पुलिस अधिकारी उसे कोई स्वीकारोक्ति करने के लिए मजबूर या प्रेरित नहीं करेगा।( 3 ) स्वीकारोक्ति को धमकी या प्रलोभन से मुक्त वातावरण में दर्ज किया जाएगा और उसी भाषा में होगा जिसमें व्यक्ति इसे करता है।

( 4 ) वह व्यक्ति जिससे एक स्वीकारोक्ति दर्ज की गई है उप-धारा (1), मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट [2020] 12 एस. सी. आर. के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

लिखित या अभिलिखित स्वीकारोक्ति के मूल कथन के साथ

मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर चालीस-आठ घंटे के भीतर।

( 5 ) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिकमजिस्ट्रेट, इस प्रकार पेश किए गए व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान, यदि कोई हो, दर्ज करेगा और उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा और यदि यातना की कोई शिकायत है, तो ऐसे व्यक्ति को निर्देशित किया जाएगा -

चिकित्सा अधिकारी के समक्ष चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया सहायक सिविल सर्जन से पद में निम्न और उसके बाद, वह

न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। "

टाडा

" 15. पुलिस अधिकारियों के सामने किए गए कुछ इकबालिया बयान लिए जाने चाहिएविचार में। ( 1 ) संहिता में कुछ भी होने के बावजूद

या भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में, लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया इकबालिया बयान।

और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा या तो लिखित रूप में या किसी पर दर्ज किया गयाकैसेट, टेप या ध्वनि ट्रैक जैसे यांत्रिक उपकरण जिनमें से ध्वनि या चित्रों को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति या सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के मुकदमे में स्वीकार्य होंगे।

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी अपराध के लिए:

बशर्ते कि सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता पर आरोप लगाया जाए और

अभियुक्त के साथ एक ही मामले में मुकदमा चलाया गया।

( 2 ) पुलिस अधिकारी, उप-धारा (1) के तहत कोई भी स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पहले, यह बताने वाले व्यक्ति को समझाएगा कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसका उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है:

उसके और ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ साक्षय इस तरह का कोई स्वीकारोक्ति दर्ज नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर, वह

यह मानने का कारण है कि इसे स्वेच्छा से बनाया जा रहा है।

148. यहाँ तक कि इन कानूनों के प्रावधानों पर एक सरसरी नज़र डालने से भी

कि धारा 67 के बीच कोई समानता नहीं है

एस अधिनियम और ये प्रावधान। वास्तव में, सीमा शुल्क की धारा 1081962 स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसमें दिए गए बयान धारा 67 के समक्ष प्रस्तुत साक्षय हैं, जो केवल एक धारा है जो एक अधिकारी को सक्षम बनाती है।

धारा 42 के तहत एक जांच में जानकारी एकत्र करने के लिए जिसमें

एन. एस. की "जाँच" की जाती है।

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

क्रमशः, गैर-अबाधित खंड हैं जिनके द्वारा साक्षय अधिनियमइन अधिनियमों के प्रावधानों को रास्ता देना होगा। उल्लेखनीय है कि पोटा और टाडा के प्रावधानों के तहत पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए इकबालिया बयानों को ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में "स्वीकार्य" बनाया जाता है-देखें

धारा 32 (1), पोटा और धारा 15 (1), टाडा। यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दिए गए बयानों के साक्षय मूल्य से अलग है।

53ए में कहा गया है कि उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में, धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान उक्त बयान में निहित किसी भी तथ्य की सच्चाई को साबित करने के उद्देश्य से केवल "प्रासंगिक" होंगे। इसलिए, धारा 53ए के तहत अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान, भले ही धारा 53ए के तहत "प्रासंगिक" हों, सबूत की पुष्टि किए बिना, किसी आरोपी को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकते हैं।

150. इसके अलावा, जब टाडा और पोटा के तहत इकबालिया बयानों का उपयोग किया जाता है, तो उनका उपयोग कई सुरक्षा उपायों के साथ किया जाता है जो निहित हैं। स्वयं इन खंडों में। जहाँ तक टाडा का संबंध है, उदाहरण के लिए, कर्तार सिंह (ऊपर) में निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय /

न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के दौरान प्राप्त स्वीकारोक्ति "किसी भी बुराई से दूषित नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत सौंदर्य सिद्धांतों और मौलिक निष्पक्षता के साथ सख्ती से अनुरूप है":

उसके द्वारा वर्णित;( 2 ) वह व्यक्ति जिससे एक स्वीकारोक्ति दर्ज की गई है

अधिनियम की धारा 15 (1) को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। स्वीकारोक्ति को नियम 15 (5) के तहत लिखित या दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति के मूल बयान के साथ भेजा जाना आवश्यक है।

अनुचित देरी के बिना यांत्रिक उपकरण;

( 3 ) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट को इस प्रकार प्रस्तुत किए गए अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान, यदि कोई हो, को ईमानदारी से दर्ज करना चाहिए और उसके हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए और यातना की किसी भी शिकायत के मामले में, व्यक्ति को [2020] 12 एस. सी. आर. होने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चिकित्सा अधिकारी के समक्ष चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया

सहायक सिविल सर्जन की तुलना में रैंक में कम;

( 4 ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, महानगरों और अन्य जगहों पर सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं है।

पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस अधिकारी का

समकक्ष पद, के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की जांच करनी चाहिए

1987 का यह अधिनियम।

इस अधिनियम के कठोर प्रावधानों को देखते हुए यह आवश्यक है।

इससे भी अधिक जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीनधारा 17 और अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम, 1956 धारा 13 के तहत केवल एक निर्दिष्ट रैंक के पुलिस अधिकारी को अधिकृत करते हैं -

उन निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच करें।

न्यायिक अभिरक्षा से पूर्व-अभियोग या पूर्व-विचारण पूछताछ के लिए, न केवल कारण बताते हुए उसके द्वारा शपथ पत्र दायर करना चाहिएऐसी अभिरक्षा के लिए, लेकिन पुलिस अभिरक्षा की मांग में देरी, यदि कोई हो, के लिए भी;

( 6 ) यदि पूछताछ के लिए लिया गया व्यक्ति, वैधानिक चेतावनी प्राप्त होने पर कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है और कि यदि वह ऐसा करता है, तो उक्त बयान का उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है, जो उसके चुप रहने के अधिकार पर जोर देता है, पुलिस अधिकारी को बिना किसी मजबूरी के अपने दावे के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।

प्रकटीकरण का बयान;

केंद्र सरकार इन दिशा-निर्देशों पर ध्यान दे सकती है और अधिनियम में उचित संशोधन करके उन्हें शामिल कर सकती है।नियम "।

151. जहाँ तक पोटा का संबंध है, राज्य में इस न्यायालय (एन. सी. टी.) द्वारा स्वीकारोक्ति स्वीकार करते समय प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई है।

एल्ही) वी। नवजोत संधू (2005) 11 एस. सी. सी. 600 इस प्रकार है:

" पोटा में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और उन पर उनका प्रभाव

स्वीकारोक्ति

156. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पोटा ने इसमें कर्तार सिंह और डी. के. बसु में लिखे गए दिशानिर्देशों को समाहित कर लिया है ताकि कठोर प्रावधानों में निष्पक्षता और तर्कसंगतता का तत्व

अनुच्छेद 21 के दर्शन के अनुरूप पोटा और संबद्ध टोफान सिंह बनाम।

तमिलनाडु राज्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संवैधानिक प्रावधान। ये हितकारी सुरक्षा उपाय पोटा की धारा 32 और 52 में निहित हैं। पेरेंप्टरी प्रिस्क्रिप्शन

पोटा की धारा 32 में सन्निहित हैं:

( क) पुलिस अधिकारी अभियुक्त को चेतावनी देगा कि वह स्वीकारोक्ति देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसका उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है। उसे [उप-धारा (2) के माध्यम से]।

( ख) स्वीकारोक्ति को धमकी या प्रलोभन से मुक्त वातावरण में दर्ज किया जाएगा और उसी भाषा में होगा जिसमें व्यक्ति इसे करता है [उप-धारा (3) के अनुसार]।

( ग) वह व्यक्ति जिसके अधीन स्वीकारोक्ति दर्ज की गई है। उप-धारा (1) को अड़तालीस घंटे के भीतर स्वीकारोक्ति के मूल बयान के साथ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

( घ) सी. एम. एम./सी. जे. एम. इस प्रकार प्रस्तुत किए गए व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान, यदि कोई हो, को दर्ज करेगा और उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और यदि कोई हो तो

यातना की शिकायत, ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा जांच के लिए पेश करने का निर्देश दिया जाएगा। बयान दर्ज करने के बाद और चिकित्सा जांच के बाद, यदि आवश्यक हो, तो उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा [उप-धारा (5) के अनुसार]।

उप-धारा (2) और (3) का अधिदेश कोई नई बात नहीं है।

टाडा के तहत भी लगभग इसी तरह के प्रिस्क्रिप्शन थे। वास्तव में, इस तरह के जनादेश की पूर्ति की प्रक्रिया में निहित हैएक सांविधिक प्राधिकारी द्वारा स्वीकारोक्ति दर्ज करना। जो अनिवार्य रूप से निहित है, शायद, स्पष्ट किया गया है। लेकिन टाडा में जिन उल्लेखनीय सुरक्षा उपायों की कमी थी, वे उप-धारा (4) में पाए जाते हैं और

( 5 ) .

157. जनादेश के पीछे उच्च उद्देश्य कि निर्माता

स्वीकारोक्ति को सी. जे. एम. द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा जिसके सामने उसे पेश किया जाता है ताकि वह ऐसा वातावरण प्रदान कर सके जिसमें वह चाहे तो पुलिस के खिलाफ शिकायत करने के लिए स्वतंत्र महसूस करे। यह भावना कि अदालत में पेश किए जाने के बाद वह पुलिस हिरासत की जंजीरों से मुक्त हो जाएगा, उस भय मनोविकृति को कम कर देगा, यदि नहीं, जिससे वह पकड़ा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के धारा 32 में निहित सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि वे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं। हालाँकि, हम यहाँ एक चेतावनी जोड़ते हैं। [2020] 12 एस. सी. आर. के प्रावधान को सख्ती से लागू करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक रिमांड और केवल इसके गैर-अनुपालन के आधार पर स्वीकारोक्ति का अमान्य होना कभी-कभी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ पेश कर सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकारोक्ति किए जाने के बाद भी पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है।

उपेक्षा की गई। पुलिस द्वारा केवल पूछने पर पुलिस हिरासत नहीं दी जा सकती है। यह याद रखा जाएगा कि स्वीकारोक्ति देने वाले व्यक्ति को सीजेएम के समक्ष पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजना सामान्य नियम है और यह प्रक्रियात्मक सुरक्षा है इसे उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सी. जे. एम. को संतुष्ट होना चाहिए कि यह बिल्कुल आवश्यक है कि स्वीकारोक्ति देने वाला होगा

किसी विशेष कारण से पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उसे पुलिस हिरासत में वापस भेजने का ऐसा तरीका असाधारण मामलों में उचित दिमाग लगाने के बाद ही किया जा सकता था। अक्सर, सीजेएम द्वारा कार्यवाही दर्ज किए जाने के तुरंत बाद धारा 32 (5) के अनुपालन में ऐसे व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजना, कुछ दिनों के बाद पुलिस द्वारा आवेदन पर विचार करने के अधीन, आगे की जांच में भौतिक अंतर नहीं ला सकता है। सी. जे. एम. का यह कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या आवेदन केवल संबंधित व्यक्ति को पुलिस हिरासत में वापस लाने के लिए एक चाल है, यदि वह स्वीकारोक्ति पर विवाद करता है या यह आवश्यकता और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए एक वास्तविक आवेदन है। इसलिए

हमारा विचार है कि न्यायिक अभिरक्षा की आवश्यकता का गैर-अनुपालन स्वीकारोक्ति को दूषित नहीं करता है, हालांकि इसका गैर-अनुपालन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक होना चाहिए जिन्हें स्वीकारोक्ति का परीक्षण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

158. धारा 32 के ये प्रावधान, जिनकी परिकल्पना अभियुक्त के हित में की गई है, उन स्वीकारोक्ति की जांच करने और उन्हें बाहर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगे, जो अनैच्छिक प्रतीत होते हैं। आवश्यकताएंऔर उप-धारा (2) से (5) में निर्धारित सुरक्षा उपाय इस योजना का एक अभिन्न अंग हैं जो स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता प्रदान करते हैं।

पुलिस अधिकारी के लिए। इन आवश्यकताओं में से किसी एक का उल्लंघन टोफान सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [आर. एफ. नरीमन, जे.]

स्वीकार्यता और साक्षय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगाधारा 32 (1) के तहत दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति का मूल्य और

यहाँ तक कि इस तरह के कबूलनामे पर एक घातक प्रहार भी करें। हमारे पास पोटा की धारा 52 में निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का एक और समूह है जो

डी. के. बसु द्वारा परिकल्पित दिशानिर्देशों पर आधारित हैं [(1997) 1

एससीसी 416]। धारा 52 इस प्रकार है:

“ 52. ( 1 ) जहाँ एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, वह

गिरफ्तार व्यक्ति का अभिरक्षा ज्ञापन तैयार करें।

( 2 ) गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस के पास लाते ही कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा।

स्टेशन।

( 3 ) जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी जाती है।

पुलिस अधिकारी द्वारा तुरंत सूचित किया जाएगा

परिवार का सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति के किसी रिश्तेदार से

तार, टेलीफोन या किसी अन्य माध्यम से और यह तथ्य

पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के तहत दर्ज किया जाएगा

व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।

( 4 ) गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी शर्तों का पालन करने की अनुमति दी जाएगी।

अभ्यास के दौरान उनका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यवसायी

अभियुक्त व्यक्ति से पूछताछ: बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी कानूनी अधिकार नहीं देगा

अभ्यासी की पूरी अवधि में उपस्थित रहने के लिए

पूछताछ की।

उप-धारा (2) और (4) के साथ-साथ उप-धारा (3) संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (1) में निहित गारंटी से उत्पन्न होती है।

अनुच्छेद 22 (1) में आदेश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

जितनी जल्दी हो सके, सूचित किए बिना हिरासत में लिया गया

ऐसी गिरफ्तारी के लिए आधार और न ही उसे अधिकार से वंचित किया जाएगा

अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करें और उनका बचाव करें।

वे अनुच्छेद के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए भी हैं।

20 ( 3 ) कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।"

152. इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि धारा 42 या धारा 53 के तहत नामित एक अधिकारी के समक्ष एक इकबालिया बयान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए कहा जा सकता है।

एन. टी. ई. खंड साक्षय अधिनियम की धारा 25 और [2020] 12 एस. सी. आर. को समाप्त करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिना किसी सुरक्षा उपायों के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,20 (3) और 21 में निहित संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन होगा।

153. कन्हैयालाल (ऊपर) में निर्णय तब पैराग्राफ 44 और 45 में राज कुमार करवाल (ऊपर) का अनुसरण करता है। कारणों से ऊपर हमारे द्वारा बताए गए, ये दोनों निर्णय कानून को सही ढंग से नहीं

बताते हैं, और इस प्रकार हमारे द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। अन्य निर्णय जो स्पष्ट रूप से इन निर्णयों को संदर्भित करते हैं और उन पर निर्भर करते हैं, या इन निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर, हमारे द्वारा दिए गए कारणों से भी खारिज कर दिए जाते हैं।

154. दूसरी ओर, इस निर्णय में हमारे द्वारा दिए गए कारणों के लिए,

नूर आगा (ऊपर) और निर्मल सिंह पहलवान बनाम के निर्णय। इंस्पेक्टर, सीमा शुल्क (2011) 12 एस. सी. सी. 298 कानून में सही हैं।

155. हम संदर्भ का जवाब देते हुए कहते हैं:

( i) कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत जिन अधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं, वे साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर "पुलिस अधिकारी" हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दिया गया कोई भी इकबालिया बयान साक्षय अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के तहत वर्जित होगा, और इसके तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

एनडीपीएस अधिनियम।

( (ii) कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान का उपयोग मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में नहीं किया जा सकता है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध।

156. हस्तक्षेप के लिए 2020 की आई. ए. संख्या 87826 को खारिज कर दिया गया है। 2014 की आपराधिक अपील संख्या 433 में 2020 की आई. ए. संख्या 81061 को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया है, जिसमें आवेदक को ऐसे उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता है जो कानून में उपलब्ध हैं।

157. इन अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं को अब इस निर्णय के आलोक में गुण-दोष के आधार पर निपटाने के लिए इस न्यायालय की खंड पीठों को वापस भेज दिया जाता है।

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. मैंने अपने द्वारा तैयार किए गए मसौदा निर्णय को देखा है।

सम्मानित भाई, रोहिंटन एफ. नरीमन, जे. लेकिन इस बात से सहमत होने के लिए खुद को राजी नहीं कर पाए हैं कि अधिकारियों ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियों का निवेश किया है।

( एन. डी. पी. एस. अधिनियम) भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 25 के अर्थ के भीतर पुलिस अधिकारी हैं या कि उन्हें दिया गया कोई भी इकबालिया बयान साक्षय अधिनियम की धारा 25 या 26 के प्रावधानों के तहत वर्जित होगा। मेरे विचार में, एन. डी. पी. एस. की धारा 42 में निर्दिष्ट किसी अधिकृत अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान या दस्तावेज या अन्य चीज।

अधिनियम या उक्त के तहत किसी अपराध की जांच के उद्देश्य से प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ धारा 53 के तहत निवेश किया गया अधिकारीअधिनियम, किसी भी जांच, जांच या अन्य कार्यवाही के दौरान, उक्त अधिनियम के तहत किसी अपराध के मुकदमे में साक्षय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और कानून के अनुसार साबित किया जा सकता है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज बयान का उपयोग एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में एक आरोपी अपराधी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।

2. मादक द्रव्यों और मादक द्रव्यों का अवैध उत्पादन, वितरण, बिक्री और सेवन बहुआयामी परिमाण का अपराध है।

जो समाज पर एक चौंका देने वाला बोझ डालता है। एक लेख में "मादक पदार्थ

7 मार्च, 1992 को मेनस्ट्रीम में प्रकाशित आक्रामकता और ऑपरेशन काउंटर अटैक में वी. आर. कृष्णा अय्यर, जे. ने कहा:

" धर्म लोगों की अफीम है, लेकिन आज अफीम है

लोगों का धर्म, और भगवान की तरह, सर्वव्यापी है,

सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। अफ़सोस! अफीम आपको धीरे-धीरे बीमार कर देती है और अंततः मार देती है, आपको लूटने और सामान खरीदने के लिए एक नया अपराधी बनाती है, आपको जल्दी अमीर बनने के लिए जोखिम में तस्करी करने के लिए लुभाती है, आपको साइकोट्रोपिक का अदृश्य तस्कर बनाती है।

एक समानांतर अंतर्राष्ट्रीय अवैध पदार्थ और प्रचालक

मुद्रा और उप रोजा प्रचारक माफिया संस्कृति। नशीली दवाओं का व्यवसाय आपको आनंद का स्वामी बनाता है, यदि बेटाइमों को नहीं मारता है,

सत्ता और साम्राज्य। यह सबसे अधिक हानिकारक खतरा क्या है?

अपरिहार्य बुराई जो छात्र, शिक्षक, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार और पेशेवर की आत्मा को आहत करती है और भ्रष्ट करती है

निर्दोष लाखों युवा और होनहार बुद्धिजीवी

हर जगह "।

3. कृष्ण अय्यर, जे. के शब्दों में, "वैश्विक परिदृश्य में मादक पदार्थों के दुरुपयोग का वर्चस्व है।

और नशीली दवाओं का व्यापार। मादक द्रव्यों और मादक पदार्थों की तस्करी कोई स्थानीय या क्षेत्रीय अपराध नहीं है जो केवल भारत और तीसरी दुनिया के देशों तक ही सीमित है, बल्कि यह एक विश्वव्यापी घटना है। भारत सहित सभी देशों में, मनुष्यों के अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में नशीली दवाओं का भारी दुरुपयोग था। "[2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एक संगठित अपराध है, जो अत्यधिक परिष्कृत और जटिल है। यह अवैध व्यापार, चतुराई से कठोर अपराधियों द्वारा निपुणता और कौशल के साथ किया जाता है, न केवल राष्ट्रीय नशीली दवाओं के कानूनों का उल्लंघन करता है और

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, लेकिन इसमें कई अन्य आपराधिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं, जिनमें रैकेटियरिंग, साजिश, रिश्वतखोरी और सार्वजनिक अधिकारियों का भ्रष्टाचार, कर चोरी, बैंकिंग कानून का उल्लंघन, अवैध धन हस्तांतरण, आयात/निर्यात उल्लंघन, हिंसा और आतंकवाद के अपराध शामिल हैं।

6. अफीम और अन्य नशीली दवाओं के बड़े पैमाने पर सेवन से ड्रग बैरनों द्वारा प्राप्त भारी मुनाफे को ध्यान में रखते हुए, ड्रग कार्टेल के टाइकून, जिनके अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, अस्वास्थ्यकर आर्थिक स्थितियों का शोषण और हेरफेर करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, साथ ही साथ भ्रष्टाचार और प्रशासन में कमजोरियाँ, समाज में नशीली दवाओं को धकेलना, लोगों के स्वास्थ्य, नैतिकता और कल्याण की पूरी तरह से उपेक्षा करना।

7. भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मादक पदार्थों की तस्करी में सीधे तौर पर घिरा हुआ है, जो तीन तरफ से अवैध मादक पदार्थों से घिरा हुआ है।

उत्पादन क्षेत्र। पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट है, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं, जो अवैध रूप से भारी मात्रा में अफीम का उत्पादन करते हैं, जिसे अवैध कारखानों में हेरोइन में परिवर्तित किया जाता है। पूर्व में, स्वर्ण त्रिकोण बर्मा, थाईलैंड और लाओस से बना है, जो उत्पादन करते हैं।

हजारों टन अफीम की खेती हजारों हेक्टेयर भूमि में की जाती है। तीसरा भाग उत्तर में नेपाल के साथ 1,568 किलोमीटर की सीमा पर है। हिमालय की पैदल पहाड़ियाँ और नेपाल के तराई क्षेत्र अन्य बातों के साथ-साथ 'कैनबिस रेस्टिन' का उत्पादन करते हैं। पाकिस्तान के साथ लंबी भूमि सीमा और भारत को अन्य देशों से जोड़ने वाले हवाई अड्डों और बंदरगाहों के नेटवर्क ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में मदद की है।

8. भारत न केवल अपने आसपास के क्षेत्रों से पश्चिमी और अन्य देशों को मादक पदार्थों के निर्यात के लिए एक पारगमन बिंदु है। भारत

नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के लिए एक आकर्षक बाजार भी प्रदान करता है। इसके अलावा, भारत में अफीम और गांजा जैसी नशीली दवाएं देने वाले पौधों की व्यापक अवैध खेती हो रही है।

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

9. गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्राइएंगल के साथ-साथ नेपाल और चीन से अवैध ड्रग्स की तस्करी उपभोग के लिए भारत में की जाती है।

और अन्य देशों में बिक्री और आगे संचरण भी। अवैध मादक पदार्थ अन्य बातों के साथ-साथ भारत के महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि में अपना रास्ता खोज लेते हैं। भारत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जब्त की जाने वाली अवैध मादक पदार्थों की मात्रा, केवल हिमशैल का सिरा है।

10. मादक पदार्थों और मादक पदार्थों के अवैध निर्माण और बिक्री का खतरा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। जितनी जल्दी हो।

जुलाई 1906 में, रेवरेंड ब्रेंट ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसमें अफीम के बढ़ते अवैध व्यापार और उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर अपनी चिंता व्यक्त की। इसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों के बीच नियमित अंतराल पर बैठकों की एक श्रृंखला हुई, जिससे उन देशों में कई ड्रग कानून बनाए गए।

11. कच्चे और तैयार अफीम की तैयारी और बिक्री को विनियमित करने के लिए 1912 में हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और अन्य व्युत्पन्न जैसे मॉर्फिन और कोकीन आदि। हालांकि,

12. 1920-1923 में, लीग ऑफ नेशंस की परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ ड्रग्स में नियंत्रण, निर्माण, व्यापार और यातायात को सौंपाराष्ट्र संघ की सभा और परिषद, अफीम और अन्य खतरनाक दवाओं के व्यापार से संबंधित विषय पर सलाहकार समिति, राष्ट्र संघ की स्वास्थ्य समिति और इसका पर्यवेक्षी निकाय।

13. 1925 में ग्रीस में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलन के परिणामस्वरूप 1925 में जिनेवा अफीम समझौता हुआ। 1926 में बल। जिनेवा अफीम समझौते को विस्तृत किया गया

अफीम के सेवन और अवैध व्यापार से संबंधित समस्याओं के संबंध में सिफारिशें। अगला सम्मेलन 1931 में जिनेवा में आयोजित किया गया था ताकि मादक दवाओं के उत्पादन को सीमित करने के साथ-साथ वितरण को विनियमित किया जा सके। 1936 में, खतरनाक ड्रग्स में अवैध व्यापार के दमन के लिए एक और कन्वेंशन जिनेवा में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्ताव 1939 में लागू हुए।
14. 1946 में, संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और आर्थिक विकास के एक कार्यात्मक आयोग के रूप में स्वापक औषधि आयोग की स्थापना की।

सामाजिक परिषद। 1953 में आयोग ने [2020] 12 एस. सी. आर. को सीमित करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार किए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और अफीम के पौधे की खेती को विनियमित करना, अफीम का अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण-बिक्री व्यापार और अफीम का उपयोग। 15. 1961 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मादक पदार्थों के एकल सम्मेलन को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अपनाया गया था: -

1. दवाओं पर मौजूदा बहुपक्षीय समझौते का संहिताकरण।

2. अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण मशीनरी का सरलीकरण।

3. अफीम और खसखस के पुआल के अलावा कैनबिस, राल और कोका के पत्तों जैसे अन्य प्राकृतिक उत्पादों की खेती के लिए नियंत्रण प्रणाली का विस्तार और 4. उपचार के लिए उचित उपायों को अपनाना और

नशीली दवाओं के आदी लोगों का पुनर्वास।

16. उक्त कन्वेंशन की अनुसूची I से IV में लगभग सभी दवाएं और मादक पदार्थ शामिल थे, साथ ही इसकी तैयारी भी शामिल थी, जो उस समय उपयोग में थीं। इस समझौते पर 31 मार्च, 1961 को न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 13 दिसंबर, 1964 को लागू हुआ था।

17. 11 जनवरी, 1971 से 21 फरवरी, 1971 तक वियना में साइकोट्रोपिक पदार्थों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगस्त, 1971 से लागू हुए मनोदैहिक दवाओं के सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्तावों में मनोदैहिक पदार्थों के उपयोग और तैयारी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया गया। यह भी संकल्प लिया गया कि मनोदैहिक पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान किए जाएं।

18. 1981 में, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने एक अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण रणनीति और पांच साल की कार्रवाई को अपनाया।

1982-86 के लिए योजना बनाएँ। 1984 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नशीली दवाओं की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण पर घोषणा को अपनाया। एक बार फिर,

17 जून से 26 जून, 1987 तक वियना में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मेलन से पहले तैयार किया गया प्रमुख दस्तावेज था -

नशीली दवाओं को नियंत्रित करने के लिए भविष्य की गतिविधियों की व्यापक बहु-अनुशासनात्मक योजना दुरुपयोग।

19. 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 1988 तक वियना में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने दुनिया भर में नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के अवैध उत्पादन, मांग और यातायात के परिमाण और बढ़ती प्रवृत्तियों पर चिंता व्यक्त की और टोफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

इसलिए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के खिलाफ समझौता, 1988 को अपनाया गया। सम्मेलन का उद्देश्य इस प्रकार था:

" 1. इस समझौते का उद्देश्य पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय आयाम वाले मादक पदार्थों और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विभिन्न पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें। कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में, पार्टियां विधायी सहित आवश्यक उपाय करेंगी।

और प्रशासनिक उपाय, के अनुरूप

उनके संबंधित घरेलू विधायी के मौलिक प्रावधान

प्रणालियाँ। 2. पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को संप्रभु समानता और राज्यों और मामलों की क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के अनुरूप तरीके से पूरा करेंगे।

अन्य राज्यों से।

3. एक पक्ष दूसरे पक्ष के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग और कार्यों का प्रदर्शन नहीं करेगा। जो विशेष रूप से उस अन्य के अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं

अपने घरेलू कानून द्वारा पक्षकार "।

20. उक्त समझौते में पारित प्रस्ताव मादक पदार्थों और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग, जब्ती, प्रत्यर्पण, आपसी कानूनी सहायता, कार्यवाही के हस्तांतरण, सहयोग और प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता, नियंत्रित वितरण, अधिनियम से संबंधित अपराधों और प्रतिबंधों से संबंधित थे।

मादक पदार्थों और मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन के लिए व्यापार, सामग्री और उपकरणों के उपयोग को रोकने के प्रावधान, मादक पौधों की अवैध खेती को समाप्त करने के उपाय और मादक पदार्थों और मादक पदार्थों की अवैध मांग को समाप्त करना। 21. भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और/या सम्मेलनों में भाग लिया। भारत ने 17 नवंबर, 1924 और फिर 19 फरवरी, 1925 को जिनेवा में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय

अफीम सम्मेलन में भाग लिया था और खतरनाक दवाओं से संबंधित संधि को अपनाया था। उक्त कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, जिसने निषिद्ध यातायात और दुरुपयोग को दबाने के लिए आगे के उपाय करने का संकल्प लिया

खतरनाक दवाएं, विशेष रूप से अफीम, भारतीय भांग और कोका लीफ से प्राप्त, भारतीय विधानमंडल ने खतरनाक दवाएं [2020] 12 एस. सी. आर. पारित की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खतरनाक मादक पदार्थों से संबंधित कुछ कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम, 1930 और ऐसे अपराधों के लिए बढ़े हुए दंड का प्रावधान

22. यह बताना उचित होगा कि, 1930 के खतरनाक मादक पदार्थ अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी, इन पर वैधानिक नियंत्रण था। 1857 और 1878 के अफीम अधिनियमों जैसे अधिनियमों के माध्यम से भारत में मादक पदार्थ।

23. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध नशीली दवाओं के व्यापार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के क्षेत्र में विकास के साथ, कई खामियां थीं

कानूनों में देखा गया। यह महसूस किया गया कि अधिनियमों के प्रावधान नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संबंधित अपराधों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कठोर नहीं थे।

जैसे नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की तैयारी, परिवहन, बिक्री आदि। अस्तित्व में कानून मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों में अवैध व्यापार के लिए निवारक नहीं थे। इसलिए, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों पर एक व्यापक कानून लाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई।

24. एन. डी. पी. एस. अधिनियम को लागू करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ लागू किया गया है।

नशीली दवाओं और मादक पदार्थों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिनमें भारत एक पक्ष रहा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित संवैधानिक नीति को लागू करने के लिए भी, जो राज्य पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने और औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन को प्रतिबंधित करने का कर्तव्य डालता है।25. जैसा कि इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, एन. डी. पी. एस. अधिनियम को मादक दवाओं से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने, मादक दवाओं और मादक पदार्थों से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े प्रावधान करने, मादक दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की जाने वाली संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों को लागू किया जा सके।

नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों पर और उनसे जुड़े मामलों के लिए सम्मेलन। यह भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की तरह दंडात्मक कानून नहीं है। 26. संसद के समक्ष रखे गए एन. डी. पी. एस. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

" भारत में मादक पदार्थों पर वैधानिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है।

कई केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के माध्यम से।

द टॉफन सिंह वी. स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

प्रमुख केंद्रीय अधिनियम, अर्थात् अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1878 और खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 बहुत पहले अधिनियमित किए गए थे। समय के साथ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध नशीली दवाओं के व्यापार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के क्षेत्र में विकास में कई कमियांमौजूदा कानून ध्यान में आए हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

( i) वर्तमान अधिनियमों के तहत दंड की योजना तस्करों के सुव्यवस्थित गिरोहों की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त निवारक नहीं है। खतरनाक मादक पदार्थ अधिनियम, 1930 जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के अधिकतम तीन साल के कारावास और दोहराए जाने वाले अपराधों के साथ जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के चार साल के कारावास का प्रावधान करता है। इसके अलावा, वर्तमान कानूनों में कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप दवा दी जाती है।

तस्करों को कभी-कभी अदालतों द्वारा मामूली सजा के साथ छोड़ दिया जाता है। देश ने पिछले कुछ वर्षों से

( (ii) मौजूदा केंद्रीय कानूनों में मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि जैसी कई महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को उक्त कानूनों के तहत अपराधों की जांच की शक्ति के साथ निवेश करने का प्रावधान नहीं है।( iii) उपरोक्त तीन केंद्रीय अधिनियमों के अधिनियमन के बाद से मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विशाल निकाय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से विकसित हुआ है और

प्रोटोकॉल। भारत सरकार इन संधियों और सम्मेलनों में एक पक्ष रही है, जिसमें कई दायित्व शामिल हैं

जो वर्तमान अधिनियमों में शामिल नहीं हैं या केवल आंशिक रूप से शामिल हैं।

( iv) हाल के वर्षों के दौरान लत की नई दवाएं जो

साइकोट्रोपिक पदार्थों के रूप में जाने जाने वाले पदार्थ घटनास्थल पर दिखाई दिए हैं और राष्ट्रीय सरकारों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। सक्षम करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं है

साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 में परिकल्पित तरीके से भारत में साइकोट्रोपिक पदार्थों पर नियंत्रण का अभ्यास, जिसे भारत ने भी स्वीकार किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. एन. डी. पी. एस. अधिनियम को अन्य बातों के साथ-साथ समेकित और संशोधित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता के कारण प्रेरित किया गया था।

मादक द्रव्यों और मादक द्रव्यों से संबंधित मौजूदा कानून, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर मौजूदा नियंत्रण को मजबूत करते हैं, मादक द्रव्यों और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के वित्तपोषण को रोकते हैं, विशेष रूप से तस्करी के अपराधों के लिए दंड को बढ़ाते हैं, मादक द्रव्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान करते हैं और मादक द्रव्यों और मादक द्रव्यों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करते हैं, जिनका भारत ने समर्थन किया है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कोष के गठन की भी परिकल्पना की गई है।

28. इस विषय पर दो मुख्य अधिनियम हैं, एन. डी. पी. एस. अधिनियम और मादक पदार्थों में अवैध व्यापार की रोकथाम और

मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988, जिसे इसके बाद 1988 अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है।

29. एन. डी. पी. एस. अधिनियम ने मादक पदार्थों से संबंधित मौजूदा कानूनों को समेकित और संशोधित किया, मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर मौजूदा नियंत्रण को मजबूत किया, विशेष रूप से तस्करी के अपराधों के लिए दंड में काफी वृद्धि की, मादक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रावधान किया।

साइकोट्रोपिक पदार्थ और तत्कालीन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया।

30. एन. डी. पी. एस. अधिनियम में अध्याय I से VIII तक 83 धाराएँ शामिल हैं। अध्याय I में अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक, विभिन्न शब्दों की परिभाषाएँ शामिल हैं।और उसमें उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियाँ और मनोदैहिक पदार्थों की सूची से जोड़ने और हटाने को सक्षम करने वाला प्रावधान।

31. एन. डी. पी. एस. अधिनियम का दूसरा अध्याय केंद्र सरकार को मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने और उससे निपटने के लिए उपाय करने में सक्षम बनाता है।

मादक द्रव्यों और मादक पदार्थों और उनमें अवैध व्यापार और केंद्र और/या राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक आयोग, एक सलाहकार समिति, अन्य

प्राधिकरणों और अधिकारियों को नियुक्त करने का भी अधिकार देता है। अध्याय II ए अन्य बातों के साथ-साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कोष के गठन का प्रावधान करता है।

32. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 4 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया। इसके बाद एन. सी. बी. के रूप में संदर्भित किया जाता है। एन. सी. बी. के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, बल्कि टोफान सिंह बनाम सहित सरकार के विभिन्न विभागों से हैं।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी।

33. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन. सी. बी.) मादक पदार्थों का मुकाबला कर रहा है।

भारत में तस्करी। इसके अलावा, मादक पदार्थों की तस्करी को दबाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को दबाने के लिए विदेशों में अधिकारियों की सहायता करने में भी एन. सी. बी. महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

34. एन. डी. पी. एस. अधिनियम का अध्याय III जिसमें धारा 8 से 14 शामिल हैं।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध से प्राप्त संपत्ति के साथ-साथ इस संबंध में उपयोग की जाने वाली किसी भी इमारत, गोदाम या वाहन सहित संपत्ति को प्रतिबंधित करता है और/या मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थ से संबंधित कुछ संचालन और गतिविधियों को नियंत्रित करता है और/या विनियमित करता है।एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध।

35. अध्याय IV में धारा 15 से 32 बी तक के लिए दंड का प्रावधान है -

खसखस के पुआल, कोका के पौधे और कोका के पत्तों के संबंध में उल्लंघन, तैयार अफीम, अफीम खसखस और अफीम, भांग का पौधा, निर्मित

ड्रग्स और तैयारी, साइकोट्रोपिक पदार्थ, मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों का अवैध आयात या निर्यात, मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों में बाहरी लेनदेन, आदि।

36. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 (1) में कहा गया है कि

इस अधिनियम के तहत एक अपराध के लिए अभियोजन जिसमें अभियुक्त की दोषी मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, अदालत ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व का अनुमान लगाएगी लेकिन यह अभियुक्त के लिए साबित करने के लिए एक बचाव होगा।

तथ्य यह है कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी। धारा 35 (1) के स्पष्टीकरण के अनुसार "दोषी मानसिक स्थिति में इरादे का उद्देश्य, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है।

} )

धारा 35 (2) में प्रावधान है कि धारा 35 के उद्देश्य के लिए एक तथ्य को केवल तभी साबित कहा जाता है जब अदालत का मानना हो कि यह एक सीमा से परे मौजूद है।

उचित संदेह और केवल तब नहीं जब इसका अस्तित्व संभावना की प्रधानता द्वारा स्थापित किया जाता है।

37. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 के संवैधानिक अधिकार हैं -

इस न्यायालय द्वारा नूर आगा बनाम में बरकरार रखा गया था। पंजाब राज्य और Anr.[3]। इस न्यायालय ने कहा:

" 23. अधिनियम की धारा 35 में दोषी होने का अनुमान लगाने का प्रावधान है

3 3 (2008) 16 एससीसी 417 [2020] 12 एस. सी. आर.



मानसिक स्थिति। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक अभियुक्त यह साबित कर सकता है कि

आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी

अभियोजन के तहत एक अपराध के रूप में। अधिनियम की धारा 54

सबूत का भार अभियुक्त पर डालता है उसी के लिए निषिद्ध पदार्थ का कब्जा

संतोषजनक रूप से।

XXX

XXX

XXX

34. इस अधिनियम में कठोर प्रावधान हैं। हालाँकि, यह होना चाहिए,

यह ध्यान में रखा जाए कि अधिनियम को इस संबंध में अधिनियमित किया गया था -

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में निहित जनादेशनार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ। सिर्फ इसलिए कि

कुछ परिस्थितियों में सबूत का बोझ रखा जाता है

अभियुक्त, वही, अपने आप में, हमारी राय में, नहीं होगा

विवादित प्रावधानों को असंवैधानिक बना दें।

35. निर्दोष माने जाने का अधिकार, जिसके अधीन

कुछ मूलभूत तथ्यों की स्थापना और

सबूत, कुछ हद तक, एक आरोपी पर रखा जा सकता है। यह.

अन्य अंतर्राष्ट्रीय को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए

सम्मेलनों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह किया गया हैसंवैधानिक माना जाता है। इस प्रकार, एक क़ानून संवैधानिक हो सकता है।

निर्विवाद रूप से, नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार होने चाहिए बरक़रार रखा।

XXX

XXX

XXX

55. अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान और साथ ही धारा 54

जाँचने से पहले यहाँ देखे गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुएइसका प्रभाव, विज़-'-विज़ प्रश्न के रूप में कि क्या

अभियोजन पक्ष इसके बाद अपना बोझ उठाने में सक्षम रहा है।

38. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 के गठन का प्रावधान है

उक्त अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें। अनुभाग

36 ए (1) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि इसमें निहित किसी भी चीज़ के बावजूद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत सभी अपराध, जो अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय हैं।तीन साल की सुनवाई केवल इसके तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा की जानी है।

उक्त अधिनियम।

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

39. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 ए (5) में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अपराध

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय, तीन साल से अधिक की अवधि के कारावास के साथ, संक्षेप में मुकदमा चलाया जा सकता है।40. धारा 41 से 68 वाले एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रवेश, तलाशी, जब्ती गिरफ्तारी, जब्त की गई सामग्री के निपटान, जांच और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जांच की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है।

41. एन. डी. पी. एस. में अंत:स्थापित 25 खंडों से युक्त अध्याय वी. ए.

एन. डी. पी. एस. संशोधन अधिनियम, 1988 के अधिनियम में आय, आय या परिसंपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है।

एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन।

42. अध्याय VI अंतिम अध्याय होने के कारण इसमें धारा 79,80 और 81 सहित विविध प्रावधान हैं जो नीचे दिए गए हैं:

" 79. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का अनुप्रयोग। - इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत भारत में आयात, भारत से निर्यात और नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के हस्तांतरण पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों और प्रतिबंधों को सीमा शुल्क द्वारा या उसके तहत लगाए गए प्रतिबंधों और प्रतिबंधों के रूप में माना जाएगा।

अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और उस अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे: बशर्ते कि, जहां कुछ भी करना उस अधिनियम और इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है,

उस अधिनियम या इस धारा में कुछ भी अपराधी को नहीं रोकेगा।

इस अधिनियम के तहत दंडित होने से।

80. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का अनुप्रयोग नहीं

प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम या बनाए गए नियमों के प्रावधान इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त होगा, न कि अपमान में

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) या नियम

इसके तहत बनाया गया।

81. राज्य और विशेष कानूनों की बचत। इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में कुछ भी किसी भी कानून की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रांतीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का जो कोई प्रतिबंध लगाता है या इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित या उसके अधीन उपबंधित दंड का प्रावधान नहीं करता है या कोई प्रतिबंध लगाता है या

[2020] 12 एस. सी. आर. से अधिक सजा का प्रावधान है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्वारा या एक संबंधित द्वारा लगाया गया संबंधित प्रतिबंध

खेती के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत उपबंधित दंड

भांग के पौधे या खपत, या यातायात, किसी भी

भारत के भीतर मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ "।

43. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना यह स्पष्ट करती है कि यह अनिवार्य रूप से (i) कोका पौधे की खेती; (ii) अफीम पोस्ता या किसी भी भांग के पौधे की खेती; (iii) उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, छिपाना, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या

मादक द्रव्यों या मनोदैहिक पदार्थों का हस्तांतरण; (iv) ऊपर उल्लिखित दवाओं के अलावा मादक द्रव्यों या मनोदैहिक पदार्थों में किसी भी गतिविधि में काम करना या (v) ऊपर उल्लिखित किसी भी गतिविधि को करने के लिए किसी भी परिसर को किराए पर लेना या किराए पर देना।

44. एन. डी. पी. एस. अधिनियम को एन. डी. पी. एस. (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा संशोधित किया गया है, ताकि प्रावधान सहित कुछ कड़े उपायों का प्रावधान किया जा सके।

पूर्व दोषसिद्धि के बाद अपराध करने के कुछ मामलों में मृत्युदंड और अधिनियम के तहत अधिकांश अपराधों को गैर-जमानती बना दिया गया है। इसने 1988 के वियना कन्वेंशन के आधार पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम में एक नया अध्याय वी. ए. भी पेश किया, जिसमें अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की जाने वाली संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान था।

45. एन. डी. पी. एस. (संशोधन) अधिनियम, 1988 के उद्देश्यों और कारणों में बताए गए उपरोक्त संशोधन का उद्देश्य

संसद इस प्रकार है:

" 6. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) अधिनियम, 1988 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण। - ( 1 ) हाल के वर्षों में, भारत अवैध मादक पदार्थों में पारगमन यातायात की समस्या का सामना कर रहा है। इस तरह के यातायात से रिसाव ने दुरुपयोग और एडिक्शन की समस्याओं का कारण बना है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधों के लिए निवारक दंड प्रदान करता है। भले ही प्रमुख अपराध के स्तर के आधार पर गैर-जमानती हैं

दंड, तकनीकी आधार पर, नशीली दवाओं के अपराधियों को जमानत पर रिहा किया जा रहा था। सामने आई कुछ कठिनाइयों के आलोक में

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक टॉफन सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

आधार अधिनियम, 1985, कानून में संशोधन करने की आवश्यकता

इसे पुनर्जीवित करें, महसूस किया गया है।

( 2 ) मादक द्रव्यों की तस्करी का मुकाबला करने और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के लिए गठित एक मंत्रिमंडल उप-समिति ने भी मंत्रिमंडल उप-समिति और मादक द्रव्यों और मादक द्रव्यों के संचालन के लिए कई सिफारिशें कीं।

साइकोट्रोइपसी पदार्थ अधिनियम, पिछले तीन वर्षों में, यह है

उक्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।

अन्य बातों के साथ-साथ संशोधनों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:( i) उपायों के संबंध में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कोष का गठन करना।

अवैध व्यापार का मुकाबला करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए; ( (ii) कुछ नियंत्रित पदार्थों को, जिनका उपयोग मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है, मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के दायरे में लाना।

पदार्थ अधिनियम और उल्लंघन के लिए निवारक दंड का प्रावधान करना

इसका;

( (ग) यह प्रावधान करना कि अधिनियम के तहत दी गई कोई सजा नहीं होगी।

निलंबित, प्रेषित या परिवर्तित किया जाए;

( (iv) यह प्रावधान करना कि अधिनियम के तहत दी गई कोई सजा नहीं होगी।

( (iv) जब्त मादक पदार्थों के परीक्षण से पहले निपटान का प्रावधान करना।( v) के संबंध में दूसरी दोषसिद्धि पर मृत्युदंड का प्रावधान करना

कुछ दवाओं की निर्दिष्ट मात्रा; ( (vi) संपत्ति की ज़ब्ती और उससे संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान करना; और

( (vii) यह प्रावधान करना कि अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।( 3 ) विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

) अधिनियम, 2001, दण्ड संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले तस्करघ निवारक सजा के साथ, लेकिन नशेड़ी और अन्य जो अपराध करते हैं, उन्हें कम गंभीर सजा की सजा दी जाती है।

वहाँ [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नशीली दवाओं के तस्करों के नेटवर्क का विस्तार करना। प्रवर्तन से बचने के लिए अधिकारी, नशीली दवाओं के तस्कर मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों में अवैध रूप से व्यापार करने के सबसे सरल और कुटिल तरीकों का सहारा लेते हैं।

पदार्थ। गुप्त सौदों सहित विभिन्न कारणों से जाँच अक्सर अधूरे मन से की जाती है।

किशोरावस्था, गरीबी और सामाजिक-आर्थिक अभाव के अन्य पहलू इस खतरे को बढ़ाते हैं और इस फलते-फूलते अवैध व्यवसाय में शामिल रैकेट चलाने वालों को आजीविका प्रदान करते हैं। 49. भारतीय विधि आयोग ने जुलाई, 1997 में प्रस्तुत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 पर अपनी 155 वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ कहा: -

" अपराध आम तौर पर दो प्रकार के होते हैं:

( क) व्यक्तिगत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले पारंपरिक अपराध, जैसे

हत्या, चोरी, हमला आदि। ;

( ख) सफेदपोश अपराध या बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक अपराध जैसे तस्करी, होर्डिंग, मिलावट, अवैध तस्करी और मादक पदार्थों और मादक पदार्थों की बिक्री आदि। सफेदपोश अपराधों की उत्पत्ति हाल ही में हुई है और इन्हें गैरकानूनी तरीकों से किए गए सभी अवैध कार्यों

के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य धन या संपत्ति या व्यवसाय या व्यक्तिगत लाभ या लाभ प्राप्त करना है। इस तरह के अपराध किए जाते हैं

संगठित गिरोह जिनका प्रभाव है। सफेदपोश अपराधों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

( क) इस तरह के सफेदपोश के खिलाफ कोई सामाजिक मंजूरी नहीं है।

अपराध; टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

सबसे आधुनिक तकनीक से लैस; ( ग) आम तौर पर राजनेताओं, कानून के बीच सांठगांठ होती है।

प्रवर्तन एजेंसियां और सीधे संलिप्त अपराधी

ऐसे अपराधों में;

( घ) इनके खिलाफ कोई संगठित जनमत नहीं है।

अपराध; और

( ई) पारंपरिक अपराध अलग-अलग अपराध हैं, जबकि सफेदपोश अपराध समाज का अभिन्न अंग हैं।

1.3 . मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों का अवैध उपयोग और

साइकोट्रोपिक पदार्थ। की उत्पत्ति और विकास भारतीय मादक पदार्थों की तस्करी का परिदृश्य निकटता से जुड़ा हुआ है

भारत की सामरिक और भौगोलिक स्थिति के साथ भारत-पाक सीमा के पार से हेरोइन और हशीश का भारी प्रवाह होता है जो "गोल्डन क्रिसेंट" से उत्पन्न होता है।

ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो प्रमुख देशों में से एक है

दुनिया के अवैध नशीली दवाओं की आपूर्ति वाले क्षेत्र। पूर्वोत्तर में

देश की ओर "स्वर्ण त्रिकोण" है जिसमें शामिल हैं -

बर्मा, लोआस और थाईलैंड जो फिर से सबसे बड़े देशों में से एक है

दुनिया में अवैध अफीम के स्रोत। नेपाल भी एक पारंपरिक है।

भांग का स्रोत, हर्बल और रेसिनस दोनों। कैनबिस

भारत के कुछ राज्यों में भी व्यापक वृद्धि हुई है। जहाँ तक अवैध है

मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, मादक पदार्थों पर वैधानिक नियंत्रण का प्रयोग भारत में कई माध्यमों से किया गया था केंद्रीय और राज्य अधिनियम। प्रमुख केंद्रीय अधिनियम थे (ए) अफीम अधिनियम, 1857, (बी) अफीम अधिनियम, 1878 और (सी)

खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 '।

50. सामाजिक-आर्थिक अपराध जैसे मादक पदार्थों की तस्करी

मादक पदार्थ, खाद्य पदार्थों में मिलावट, कालाबाजारी,

चोरी और जमाखोरी, तस्करी, कर चोरी और इसी तरह, जो हैं

ई-कॉलर अपराध "लोगों के स्वास्थ्य और भौतिक कल्याण को प्रभावित करते हैं।

समग्र रूप से एकता, एक व्यक्तिगत पीड़ित के विपरीत, और, मोटे तौर पर, वंचित निम्न वर्ग के लोगों द्वारा नहीं, बल्कि बहुत उत्साही और अत्यधिक शक्तिशाली लोगों द्वारा की जाती है, जो अक्सर कम [2020] 12 एस. सी. आर. का शोषण करते हैं।



लाभान्वित, अपने नापाक मंसूबों को निष्पादित करने के लिए। इस तरह के अपराधों से दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए और व्यक्तिगत पीड़ितों के खिलाफ व्यक्तिगत अपराधियों द्वारा किए गए अन्य अपराधों के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।51. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें निष्पक्ष प्रक्रिया शामिल है।

भारत का संविधान। अन्यथा मुकाबला करने के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है। कानून में दिए गए सुरक्षा उपायों का हमेशा ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, खासकर तब जब सजा बहुत गंभीर हो। हालाँकि, मेरे विचार में, प्रत्येक मामले का निर्णय सभी प्रासंगिक कारकों, विशेष रूप से अभियुक्त के खिलाफ साक्षय को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

52. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक आरोपी को निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह उचित से परे दोषी साबित न हो जाए।

संदेह, सिवाय इसके कि जहां कानून, कुछ परिस्थितियों के अस्तित्व पर, अभियुक्त पर अपराध की धारणा को दूर करने के लिए उल्टा बोझ डालता है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और कई अन्य कानूनों, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक अपराधों से निपटने वाले कानूनों के मामले में है। विधायिका, जनहित में, सख्त दायित्व का अपराध पैदा कर सकती है।

जहाँ मेन्स रिया आवश्यक नहीं है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में धारा 35,54 और 66 जैसे अनुमानित प्रावधान हैं। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के तहत किसी अपराध के होने का अनुमान, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी मादक दवा या मनोरोगी के कब्जे से लिया जा सकता है।

पदार्थ, या उसके निर्माण या तैयारी के लिए कोई उपकरण। इस अनुमान का खंडन किया जा सकता है।

53. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कई अपराधों के लिए निर्धारित दंड बहुत कठोर हैं, जैसा कि मेरे सम्मानित भाई नरीमन जे. ने देखा है। धारा 21 (बी), 22 (बी), 23 (बी) और 25 ए कठोर कारावास की सजा निर्धारित करती है, जो दस साल तक बढ़ सकती है। अनुभाग

21 ( ग) और 23 (ग), 24 और 27 ए एक ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा निर्धारित करते हैं जो दस साल से कम नहीं होगी लेकिन बीस साल तक बढ़ सकती है। धारा 27 बी के तहत अपराध दंडनीय हैं।

3 साल से कम के कठोर कारावास के साथ जो 10 साल तक बढ़ सकता है। धारा 28 के तहत, अपराध करने के प्रयास में अपराध के लिए सजा होती है। धारा 29 उकसाना और आपराधिक बनाती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध करने की साजिश, अपराध के लिए सजा के साथ दंडनीय है। धारा 30 अपराधों की तैयारी के लिए कठोर कारावास की सजा निर्धारित करती है, एक ऐसी अवधि के लिए जो न्यूनतम अवधि, यदि कोई हो, के आधे से कम न हो, लेकिन टोफान सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

कारावास की अधिकतम अवधि का आधा, जो अपराध करने के लिए दिया गया हो सकता है। धारा 31 में पूर्व दोषसिद्धि के बाद दोहराए गए अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान है।

कुछ असाधारण मामलों में मृत्युदंड सहित। कुछ प्रावधान, जैसे कि धारा 35,54 और 66, हालांकि खंडन योग्य हैं, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अभियुक्त के खिलाफ भी काम करते हैं। जब एक कानून

उत्पीड़न, या दुर्भावनापूर्ण या गलत अभियोजन। संदर्भ में हो सकता हैविशेष रूप से धारा 58 के लिए बनाया जाए, जो इसके बाद निर्धारित की गई है, जो धारा 42 या 43 या 44 के तहत परेशान करने वाले प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान करती है।

" 58. परेशान करने वाले प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के लिए सजा। ( 1 ) धारा 42 या धारा 43 या धारा 44 के तहत सशक्त कोई भी व्यक्ति जो-(ए) संदेह के उचित आधार के बिना प्रवेश करता है या तलाशी लेता है, या दर्ज करने का कारण बनता है या

तलाशी, किसी भी इमारत, वाहन या स्थान की; (बी) किसी भी मादक पदार्थ को जब्त करने या खोजने के बहाने किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को परेशान करने और अनावश्यक रूप से जब्त कर लेता है या

साइकोट्रोपिक पदार्थ या अन्य वस्तु जिसके लिए उत्तरदायी हो

इस अधिनियम के तहत जब्त, या धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के तहत जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी किसी भी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जब्त करना; या (सी) किसी भी व्यक्ति को परेशान करने और अनावश्यक रूप से हिरासत में लेना, तलाशी लेना या गिरफ्तार करना, दंडनीय होगा -

छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास या

जुर्माने के साथ जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ। ( 2 ) कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत जानकारी देता है और इस प्रकार इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी या तलाशी का कारण बनता है, वह कारावास से दंडनीय होगा।

अवधि जो दो साल तक बढ़ सकती है या जुर्माने या दोनों के साथ हो सकती है।

55. जैसा कि अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन ने तर्क दिया, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब एक सक्षम अधिकारी, जैसा कि धारा 41 (2) में निर्दिष्ट है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, [2020] 12 एस. सी. आर. के सामान्य आदेश द्वारा सशक्त होता है।



यह विश्वास करने का कारण है, या तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी से या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी से, जिसके नाम का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, और लिखित रूप में लिया गया है, कि किसी भी व्यक्ति ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है या कोई मादक दवा, मनोदैहिक पदार्थ या कोई दस्तावेज, वस्तु आदि जैसा कि धारा 41 (2) में उल्लिखित है, किसी भी भवन परिवहन या स्थान में छिपा कर रखा गया है।

56. धारा 41 (2) के तहत गिरफ्तारी या तलाशी को अधिकृत करने के लिए सशक्त एक अधिकारी की शक्ति, उसके पास विश्वास करने का कारण होने के अधीन है।

किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से और लिखित रूप में ली गई जानकारी से, कि व्यक्ति ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है या कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध या किसी अवैध रूप से किए जाने का सबूत दे सकती है।

अर्जित संपत्ति या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो इस अधिनियम के अध्याय वी. ए. के तहत जब्ती या ज़ब्त या ज़ब्त के लिए उत्तरदायी किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का सबूत दे सकती है, उसे किसी भी भवन, वाहन या स्थान में रखा या छुपाया जाता है।

57. धारा 42 एक विधिवत सशक्त अधिकारी को धारा के अनुसार किसी भी भवन, वाहन या स्थान में प्रवेश करने, तलाशी लेने, नशीली दवाओं, मादक पदार्थों और अन्य वस्तुओं को जब्त करने में सक्षम बनाती है।42 ( 1 ) ( ग), और किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेना, खोज करना या गिरफ्तार करना, बशर्ते कि उसके पास "व्यक्तिगत ज्ञान या ज्ञान से विश्वास करने का कारण" हो।

किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी और लिखित रूप में ली गई जानकारी कि कोई भी मादक दवा, या मनोदैहिक पदार्थ, या नियंत्रित

ऐसी सामग्री जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का सबूत दे सकती है या कोई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो

इस अधिनियम के अध्याय 5-ए के तहत जब्त या फ्रीज या ज़ब्त के लिए उत्तरदायी किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को किसी भी भवन, वाहन या संलग्न में रखने या छिपाने का सबूत प्रस्तुत करें।

जगह "।

58. धारा 42 (2) में अधिकारी से सूचना लेने और/या अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने के लिए 72 घंटों के भीतर अपने तत्काल वरिष्ठ को इसकी एक प्रति भेजने की आवश्यकता होती है। धारा 43 धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी को गिरफ्तारी करने में सक्षम बनाती है और टोफान सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

एन. डी. पी. एस. अधिनियम, या किसी भी दस्तावेज या अन्य वस्तु के तहत दंडनीय जो किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का सबूत दे सकता है, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय वी. ए. के तहत जब्ती या फ्रीज या ज़ब्त के लिए उत्तरदायी है। धारा 41 (2), 42 और 43 में सुरक्षा उपाय धारा 42 के तहत सशक्त और/या अधिकृत अधिकारियों द्वारा कोका संयंत्र, अफीम, खसखस और भांग संयंत्र के संबंध में प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की धारा 44 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर भी लागू होते हैं। एक अधिकारी की शक्तिधारा 42 के तहत धारा 48 के तहत अफीम, खसखस, भांग के पौधे या कोका के पौधे को जोड़ने का अधिकार उसके पास यह मानने का कारण है कि उनकी खेती अवैध रूप से की गई है।

59. धाराओं के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्त

41 ( 2 ) , 42 ( 1 ) , 43 या 44 "विश्वास करने का कारण" है और केवल "संदेह" करने का कारण नहीं है कि कार्रवाई के लिए उपरोक्त प्रावधानों में निर्दिष्ट परिस्थितियाँ हैं।

इसके तहत मौजूद है। धारा 41,42,43 और 48 में "विश्वास करने का कारण" शब्दों का उपयोग एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 49 में "संदेह करने का कारण" वाक्यांश के उपयोग के विपरीत है।

60. ए. एस. कृष्णन और ओआरएस में। वी. श्री सुशील कुमार जैन द्वारा उद्धृत केरल राज्य *, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

“ 9. ..... " विश्वास करने का कारण "मन की स्थिति का एक और पहलू है।" विश्वास करने का कारण "संदेह" या "संदेह" के समान नहीं है और केवल देखने को भी विश्वास करने के बराबर नहीं माना जा सकता है।

" "विश्वास करने का कारण" मन की स्थिति का एक उच्च स्तर है। वैसा ही

" ज्ञान "कारण" की तुलना में थोड़ा उच्च स्तर पर होगा

विश्वास करना "। एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वह कहाँ है।

एक ही।61. आयकर अधिकारी, प्रथम वार्ड, जिला VI, कलकत्ता और

ओआरएस। वी. श्री जैन द्वारा लखमनी मेवाल दास का हवाला देते हुए, इस अदालत ने निर्णय दिया:

4 ( 2004 ) 11 एस. सी. सी. 576 5 ( 1976 ) 3 एससीसी 757 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 8. ..... "विश्वास करने का कारण" अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं है कि

आयकर की ओर से विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक संतुष्टि

अधिकारी। कारण को सद्भावना से रखा जाना चाहिए। यह केवल दिखावा नहीं हो सकता। यह जांच करने के लिए अदालत के लिए खुला है कि क्या

विश्वास के गठन के कारणों में एक तर्कसंगत हैविश्वास के गठन के साथ संबंध या प्रासंगिक असर और इसके उद्देश्य के लिए बाहरी या अप्रासंगिक नहीं हैं

खंड "।

62. "विश्वास करने के कारणों" की अनुपस्थिति एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41 (2) 42,43 और 44 में प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी को गलत बना देगी।

श्री जैन के तर्क के अनुसार, कानून और संबंधित अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ "परेशान करने वाले" प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के लिए धारा 58 के तहत सजा के लिए भी बेनकाब करें। 63. धारा 49 के तहत परिवहन को रोकने और तलाशी लेने के लिए धारा 42 के तहत अधिकृत एक अधिकारी की शक्ति, उसके पास यह संदेह करने के कारणों के अधीन है कि किसी भी जानवर या परिवहन का उपयोग किसी भी मादक दवा या मादक पदार्थ के परिवहन के लिए किया जाता है या होने वाला है या नियंत्रित किया जाता है।

पदार्थ, जिसके संबंध में उसे संदेह है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, या होने वाला है।

64. धारा 50 (1) किसी व्यक्ति को धारा 41/42 के तहत व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेने का विकल्प देती है, ताकि यह आवश्यक हो कि उसे मामले से पहले ले जाया जाए।

निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी, जिनकी उपस्थिति में उनकी तलाशी ली जा सकती है। यदि धारा 50 (5) में निहित कारणों से उसे निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जा सकता है, तो धारा 42 के तहत अधिकृत अधिकारी उसकी तलाशी के लिए आगे बढ़ सकता है, जैसा कि Cr.P.C की धारा 100 के तहत प्रदान किया गया है।

65. 2001 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 50 (5), किसी व्यक्ति की खोज के लिए पूर्ववर्ती उप-धाराओं में सुरक्षा उपायों को कम नहीं करती है।

मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति, यदि ऐसा व्यक्ति

आवश्यकताएँ हैं। यह केवल बहुत जरूरी मामलों में है कि किसी व्यक्ति से धारा 50 (5) के अनुसार पूछताछ की जा सकती है। धारा 50 (5) के संदर्भ में तलाशी के बाद, अधिकारी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की अनुपस्थिति में उस विश्वास के कारणों को दर्ज करना होगा, जिसके कारण इस तरह की तलाशी की आवश्यकता थी, और 72 घंटों के भीतर अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को इसकी एक प्रति भेजनी होगी। [ धारा 50 (6)]। धारा 51 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत सभी वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और बरामदगी पर लागू होती है, क्योंकि वे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के साथ असंगत नहीं हैं।

टोफान सिंह वी। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

66. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 (1) में प्रावधान है कि कोई भी अधिकारी धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है।

जारी किया गया। धारा 52 की उप-धारा (3) में यह अपेक्षा की गई है कि गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति और धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 की उप-धारा (2) के तहत जब्त की गई वस्तु को बिना किसी अनावश्यक देरी के भेजा जाएगा।

( क) निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, या

( ख) धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी।

67. कारावास की न्यूनतम अवधि या निर्धारित जुर्माने की राशि से अधिक सजा देने के लिए, न्यायालय को ऐसे कारकों के अलावा, जो वह उचित समझता है, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

( ग) यह तथ्य कि नाबालिग अपराध से प्रभावित हैं या नाबालिगों का उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है; ( घ) यह तथ्य कि अपराध किसी शैक्षणिक संस्थान या समाज सेवा सुविधा में या ऐसे संस्थान या संकाय के निकट या अन्य स्थान पर किया गया है जहां स्कूली बच्चे और छात्र शैक्षिक, खेल और सामाजिक कार्यों के लिए आश्रय लेते हैं।

गतिविधियाँ;

( ई) यह तथ्य कि अपराधी संगठित संगठन से संबंधित है।

अंतर्राष्ट्रीय या कोई अन्य आपराधिक समूह जो शामिल है

अपराध करने में; और

( च) यह तथ्य कि अपराधी अन्य अवैध कार्यों में शामिल है।

अपराध करने से सुगम गतिविधियाँ।

68. एन. डी. पी. एस. अधिनियम एक पूर्ण संहिता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम विशेष रूप से Cr.P.C के कुछ प्रावधानों को निम्नलिखित कार्यवाहियों पर लागू करता है।

एनडीपीएस अधिनियम। अधिनियम बहुत विशिष्ट है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कार्यवाही पर Cr.P.C के प्रावधानों में से कौन सा लागू होना है।



69. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है:( i) एन. डी. पी. एस. अधिनियम में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ और नहीं

उक्त अधिनियम में परिभाषित, लेकिन Cr.P.C में परिभाषित, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को Cr.P.C में दिए गए अर्थ होंगे। [धारा 2 (XXIX)]

( iii) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 के तहत गठित विशेष न्यायालयों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, तीन साल से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय सभी अपराधों की सुनवाई करनी है। [ धारा 36 ए (1) (ए)]। ( iv) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति पर Cr.P.C लागू नहीं होता है, जिसे पहले पेश किया गया था।

वह ऐसी अभिरक्षा में, जो वह उचित समझता है, 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए और एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की 7 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसा करने के लिए। [ धारा 36 ए (1) (बी)]।

Cr.P.C में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद। [धारा 36 ए (1) (सी)]। ( vi) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई करते समय, विशेष न्यायालय एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकता है, जिसके साथ आरोपी पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है। [ धारा 36 क (2)]।

( vii) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 ए में निहित कुछ भी नहीं है -

उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों को प्रभावित करने वाला माना जाए Cr.P.C की धारा 439 के तहत जमानत के संबंध में। [धारा 36 ए (3)]।

( viii) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में

वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित धारा 19 या 24 या 27 ए के तहत, Cr.P.C की धारा 167 (2) में टोफान सिंह v.



" 90 जहां वे दिन होते हैं, उन्हें 180 दिनों के संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए। [ धारा 36 क (4)]।

( ix) एन. डी. पी. एस. अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों, तीन साल से अधिक के कारावास के साथ संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है। [ धारा 36 ए (5)]

( x) उच्च न्यायालय, जहाँ तक हो सके, अध्याय 21 द्वारा प्रदत्त अपील और संशोधन की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

और Cr.P.C का XXX. जैसे कि अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर एक विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय था। [ धारा 36 बी] ( xi) एन. डी. पी. एस. अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, (आई. डी. 1) के प्रावधान (जमानत और बांड के प्रावधानों सहित) विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं और उक्त प्रावधानों के उद्देश्य के लिए, विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय और संचालन करने वाला व्यक्ति माना जाता है।

विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन को लोक अभियोजक माना जाता है। [ धारा 36 सी]

( xii) जब तक एन. डी. पी. एस. (संशोधन) अधिनियम, 1988 के अनुसार एक विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया जाता है, तब तक एक विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य कोई भी अपराध, Cr.P.C में कुछ भी होने के बावजूद, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य है। [ धारा 36 डी] ( xiii) धारा 407 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति

<आई. डी. 1. हस्तांतरण के मामले धारा 36 डी (2) से प्रभावित नहीं होते हैं।

( xiv) Cr.P.C में कुछ भी होने के बावजूद. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय है। [ धारा 37 (1) (ए)]

अभियोजक को विरोध करने का अवसर दिया गया है जमानत पर रिहाई, या जहाँ लोक अभियोजक ने जमानत पर रिहाई का विरोध किया है, न्यायालय संतुष्ट है कि

यह विश्वास करने के लिए उचित आधार कि व्यक्ति दोषी नहीं है

ऐसा अपराध और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।



( xvi) जमानत देने पर Cr.P.C में सीमाएँ हैं -

एन. डी. पी. एस. की धारा 37 (1) (बी) में सीमाओं के अतिरिक्त

एक्ट करें। [ धारा 37 (2)]

( xvii) व्यक्तिगत तलाशी Cr.P.C की धारा 100 के अनुसार की जानी है. यदि तलाशी लेने वाले व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने के विकल्प के बावजूद निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जा सकता है।

राजपत्रित अधिकारी। [ धारा 50 (5)]

( xviii) Cr.P.C के प्रावधान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और तलाशी और जब्ती पर लागू होते हैं।

जहाँ तक वे किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं हैं

एनडीपीएस अधिनियम। [ धारा 51]

( xix) भारतीय संविधान में कुछ भी शामिल होने के बावजूद

साक्षय अधिनियम, 1872 या Cr.P.C., प्रत्येक न्यायालय को सूची, नशीली दवाओं की तस्वीरों, मनोदैहिक दवाओं का इलाज करना है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के प्राथमिक साक्षय के रूप में पदार्थ आदि। [ धारा 52 ए (4)]

70. भारतीय दंड संहिता, 1960 की धारा 4 के तहत भारतीय दंड संहिता, 1960 के तहत सभी अपराधों, जिन्हें इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है, की जांच की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए या अन्यथा आई. डी. 1 के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाना चाहिए। किसी अन्य कानून के तहत अपराधों की जांच भी की जा सकती है।

समान प्रावधानों के अनुसार जांच की जाती है, प्रयास किया जाता है और अन्यथा निपटा जाता है, लेकिन ऐसे अपराधों की जांच करने, जांच करने, प्रयास करने या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी अन्य अधिनियम के अधीन। Cr.P.C. की धारा 4 नीचे दी गई है:

4. भारतीय दंड संहिता और अन्य के तहत अपराधों का मुकदमाकानून। — ( 1 ) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत सभी अपराधों की जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

( 2 ) किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा उन्हीं प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा, लेकिन ऐसे अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी अधिनियम के अधीन।

71. Cr.P.C की धारा 4 (2) का उल्लेख करते हुए श्री सुशील कुमार जैन ने तर्क दिया कि Cr.P.C के प्रावधान सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।



एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत, जब तक कि इसके विपरीत इरादा नहीं दिखाया गया था। श्री जैन ने अपने उपरोक्त निवेदन के समर्थन में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (XXIX) का भी उल्लेख किया।

72. हालाँकि, सुविधा के लिए नीचे दी गई Cr.P.C. की धारा 5 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" 5. बचत हो रही है। — इस संहिता में निहित कुछ भी, इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, उस समय लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून या किसी विशेष कानून को प्रभावित नहीं करेगा।

अधिकारिता या प्रदत्त शक्ति, या कोई विशेष रूप

तत्काल किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

बल "।

73. श्री जैन का यह तर्क कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत सभी कार्यवाहियों पर <आई. डी. 1. लागू होगा, जब तक कि <आई. डी. 1.> की धारा 4 (2) के संदर्भ में कोई विपरीत इरादा नहीं दिखाया जाता है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि धारा 5 में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि <आई. डी. 1.> में कुछ भी, इसके विपरीत एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, किसी भी विशेष कानून या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण, Cr.P.C में कुछ भी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी भी जांच या जांच को प्रभावित नहीं कर सकता है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान का। 74. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (XXIX) एन. डी. पी. एस. के तहत किसी भी जांच या जांच के लिए Cr.P.C के प्रावधानों को लागू नहीं करती है।

एक्ट करें। उक्त धारा केवल यह प्रदान करती है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, लेकिन Cr.P.C में परिभाषित हैं, के अर्थ Cr.P.C में दिए गए हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो।

75. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 में कहा गया है:

53. पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ कुछ विभागों के अधिकारियों को निवेश करने की शक्ति। ( 1 ) द सेंट्रल

सरकार, राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निवेश कर सकती है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या अर्धसैनिक बलों या सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग का कोई अधिकारी या ऐसे अधिकारियों का कोई वर्ग जिसकी जाँच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियाँ हों।

इस अधिनियम के तहत अपराध।

( 2 ) राज्य सरकार, में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा

सरकारी राजपत्र में, मादक पदार्थ नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग के किसी भी अधिकारी या किसी अन्य विभाग या ऐसे अधिकारियों के किसी भी वर्ग को अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश किया जाता है।इस अधिनियम के तहत।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की जांच के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ अधिकारी। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (5) और 51 के प्रावधान भी नहीं होते। आवश्यक है।

78. धारा 53 या एन. डी. पी. एस. अधिनियम में कहीं और धारा 41 (2) के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारियों के लिए कोई प्रतिबंध प्रतीत नहीं होता है या

79. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 में या कहीं और ऐसा कोई प्रावधान प्रतीत नहीं होता है, जिसका उचित रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41 (2) या 42 (1) के तहत एक बार प्रविष्टि, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के बाद किसी अधिकारी को 'कार्य अधिकारी' घोषित करने के लिए समझा जा सकता है। कौन सा खंड 42 ( 2 ) एक अधिकारी जो धारा 42 (1) के तहत लिखित रूप में किसी भी जानकारी को लेता है या टोफान सिंह v के तहत अपने विश्वास के आधार को दर्ज करता है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

इसके लिए परंतुक को 72 घंटों के भीतर अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को विश्वास के आधार के साथ जानकारी की एक प्रति भेजनी चाहिए।

80. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 ए प्रदान करती है:

53 - ए. कुछ परिस्थितियों में बयानों की प्रासंगिकता। ( 1 ) किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित बयान धारा 53 के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान अपराधों की जांच के लिए सशक्त

अधिकारी, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में, अपराध की सच्चाई को साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होगा

तथ्य जो इसमें शामिल हैं,

( क) जब बयान देने वाला व्यक्ति मर चुका है या नहीं मिल रहा है, या सबूत देने में असमर्थ है, या प्रतिकूल पक्ष द्वारा रास्ते से बाहर रखा गया है, या जिसकी उपस्थिति देरी या खर्च की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों पर, अदालत विचार करती है

अनुचित; या

( ख) जब बयान देने वाले व्यक्ति से अदालत के समक्ष मामले में गवाह के रूप में पूछताछ की जाती है और अदालत की राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बयान को निम्नलिखित के हित में साक्षय में स्वीकार किया जाना चाहिए:

न्याय।

न्यायालय के समक्ष, जैसा कि वे पहले की कार्यवाही के संबंध में आवेदन करते हैं एक अदालत।

81. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 ए प्रत्यक्षतः विरोधाभासी है -

आई. डी. 1 की धारा 162, जो यह प्रावधान करती है कि आई. डी. 1 के अध्याय 12 के तहत जांच के दौरान किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, यदि लिखित हो जाता है, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, या जांच के तहत अपराधों के संबंध में किसी भी जांच या मुकदमे में किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि अगर वह गवाह के रूप में साक्षय देता है तो उसका सामना करने के लिए।

82. धारा 53 ए में धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए और हस्ताक्षरित किसी भी बयान को शामिल किया गया है।

ऐसे [2020] 12 एस. सी. आर. द्वारा किसी भी कार्यवाही के दौरान अपराधों की जांच।



अधिकारी, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत, चाहे वह जांच हो या जांच। यह प्रावधान यह बहुत स्पष्ट करता है कि Cr.P.C की धारा 161/162 में सन्निहित सिद्धांतों का किसी भी जांच या जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अन्य कार्यवाही, जिसमें एक जांच शामिल होगी।

83. दिल्ली राज्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। श्री राम लोहिया और जॉर्ज बनाम। श्री जैन द्वारा उद्धृत केरल राज्य और Anr.7,जो आई. डी. 1 की धारा 164 के तहत दिए गए बयानों के संदर्भ में दिए

गए थे। निर्णय अपीलार्थियों के लिए कोई सहायता नहीं हैं क्योंकि वे इस पीठ को भेजे गए मुद्दों के संबंध में बाध्यकारी उदाहरण नहीं हैं। Cr.P.C की धारा 161 से 164 तक कार्यवाही के लिए कोई आवेदन नहीं है।

84. मुंशी प्रसाद और Ors.v में इस न्यायालय का निर्णय। एक पद पर निर्भरता के संदर्भ में श्री जैन द्वारा उद्धृत बिहार राज्य हत्या के मुकदमे में मृत्यु रिपोर्ट भी अपीलार्थी के लिए कोई सहायता नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय के पास एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए (4) या 54 या 66 या किसी अन्य प्रावधान पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था।

85. एन. डी. पी. एस. अधिनियम, एक विशेष क़ानून होने के नाते, और किसी भी मामले में

बाद में केंद्रीय अधिनियम, एन. डी. पी. एस. अधिनियम और साक्षय अधिनियम के बीच किसी भी विसंगति के मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे। धारा 52 ए (4) स्पष्ट रूप से प्रदान करती हैः

उप-धारा (2) के तहत तैयार किए गए और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूनों की सूची, ऐसे मामलों के संबंध में प्राथमिक साक्षय के रूप में अपराध "। '

86. साक्षय अधिनियम हालांकि अन्य मामलों में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक मुकदमे पर लागू होगा, जब तक कि कोई विपरीत इरादा सामने न आए।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम का कोई विशिष्ट प्रावधान। एक का पिछला कथन

6 ए. आई. आर 1960 एस. सी. 490 7 ( 1998 ) 4 एस. सी. सी. 605

8 ( 2002 ) 1 एस. सी. सी. 351

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

स्पष्टीकरण देने का अवसर, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मुरली और अन्र में अभिनिर्धारित किया गया है। वी. श्री जैन द्वारा उद्धृत राजस्थान का। हालांकि, कुछ दस्तावेज जो साक्षय अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं हैं, जब तक कि साक्षय द्वारा साबित नहीं हो जाते हैं, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए (4) के तहत स्वीकार्य हैं।

उस धारा की शर्तों को पूरा करना।

87. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54, जिसके संवैधानिक अधिकार हैं

नूर आगा (ऊपर) में समर्थित एन प्रदान करता हैः

54. अवैध वस्तुओं के कब्जे से अनुमान। — परीक्षणों में

इस अधिनियम के तहत, यह माना जा सकता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि आरोपी ने इसके तहत कोई अपराध किया है।

के संबंध में कार्य करें

( क) कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ;

( ख) कोई भी अफीम खसखस, भांग का पौधा या कोका का पौधा जो किसी भी स्थान पर उगता है।

जिस भूमि पर उसने खेती की है; ( ग) कोई विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया उपकरण या बर्तनों का कोई समूह जो किसी मादक दवा के निर्माण के लिए विशेष रूप से अपनाया गया हो या

मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ; या

( घ) कोई भी सामग्री जो किसी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के निर्माण की दिशा में किसी भी प्रक्रिया से गुजरी है या नियंत्रित पदार्थ, या सामग्री का कोई अवशेष जिससे कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित किया जाता है

पदार्थ का निर्माण किया गया है,

जिसके अधिकार का वह संतोषजनक हिसाब देने में विफल रहता है।

88. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 66 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“ 66. कुछ मामलों में दस्तावेजों के बारे में अनुमान। — दस्तावेज़ कहाँ है

( (i) किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तुत किया गया है या जब्त कर लिया गया है।

किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण से,

इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत, या ( (ii) भारत के बाहर किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया है (ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रमाणित और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से)

इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अपराध की जांच की प्रक्रिया, और ऐसा दस्तावेज इस अधिनियम के तहत किसी भी अभियोजन में उसके खिलाफ या उसके और किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ साक्षय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है।

उसके साथ, अदालत

( क) जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, यह मान लें कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज़ का हर दूसरा हिस्सा जो किसी विशेष व्यक्ति की लिखावट में होना चाहता है या जिसे अदालत किसी विशेष व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या लिखावट में होना मान सकती है, उस व्यक्ति की लिखावट में है; और निष्पादित या सत्यापित दस्तावेज़ के मामले में, कि इसे उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित या सत्यापित किया गया थाजिसे इस तरह से निष्पादित या प्रमाणित किया गया है;

सबूत; ( ग) खंड (i) के तहत आने वाले मामले में, यह भी मान लें कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, तब तक ऐसे दस्तावेज़ की सामग्री की सच्चाई है।

89. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 में प्रावधान है कि धारा 42 में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी, जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत है, किसी भी जांच के दौरान:

( i) के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जानकारी के लिए कॉल करें

स्वयं को संतुष्ट करते हुए कि क्या इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ है;

( (ii) किसी भी व्यक्ति से पूछताछ के लिए उपयोगी या प्रासंगिक कोई दस्तावेज या चीज प्रस्तुत करने या देने की आवश्यकता होती है; ( (ग) तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जाँच करें और

मामले की परिस्थितियाँ।

90. विधानमंडल ने अपने विवेक में धारा 53 में "अपराध की जाँच" और धारा 67 में "जाँच" शब्द का उपयोग किया है।

भले ही आम बोलचाल में "जांच" और "जांच" का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, धारा 53 में "जांच" और धारा 67 में "जांच" का अर्थ एक ही नहीं माना जा सकता है। 91. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब एक ही कानून में अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो यह धारणा है कि उनका उपयोग एक ही टोफान सिंह v में नहीं किया गया है।



अर्थ। 92. बेशक, एक क़ानून के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग शब्दों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली धारणा को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है, जब

एक लंबे जटिल क़ानून से निपटने के लिए, उदाहरण के लिए एक समेकित क़ानून, जिसमें असंगत प्रावधान एक साथ होते हैं। अन्यथा भी, जिस संदर्भ में शब्दों का उपयोग किया गया है, वह प्रासंगिक है, क्योंकि जल्दबाजी में अधिनियमित कानून में एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए एक कम सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार करने वाला अलग-अलग शब्दों का उपयोग कर सकता है। इस प्रस्ताव का समर्थन मिलता हैकन्हैयालाल विशिंदास गिडवानी बनाम। अरुण दत्तात्रेय मेहता "। कानून के विभिन्न खंडों में अलग-अलग वाक्यांशों से समर्थन प्राप्त करने वाले निर्माण को अस्वीकार किया जा सकता है यदि यह अनुचित या तर्कहीन परिणामों की ओर ले जाता है।

93. एन. डी. पी. एस. अधिनियम में, विधानमंडल सचेत रूप से ऐसा प्रतीत होता है

"जाँच" और "जाँच" का उद्देश्य एक अलग अर्थ व्यक्त करना था। तदनुसार धारा 53 ए किसी भी अधिकारी के समक्ष बयान को संदर्भित करती है।ऐसे अधिकारी द्वारा किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान अपराधों की जांच के लिए धारा 53 के तहत सशक्त।

94. एन. डी. पी. एस. अधिनियम "जाँच" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है।

या अभिव्यक्ति "पूछताछ"। हालाँकि, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (XXIX) प्रदान करती है:

" 2 ( XXX)। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित नहीं किए गए लेकिन परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वे अर्थ हैं जो इसमें दिए गए हैं।

कोड "।

95. Cr.P.C की धारा 2 (जी) और 2 (एच) में निहित 'जांच' और 'जांच' शब्दों की परिभाषा इस प्रकार है:

“ 2. ( छ) "जाँच" से प्रत्येक जाँच अभिप्रेत है, मुकदमे के अलावा,

( ज) "जाँच" में एक पुलिस अधिकारी या किसी व्यक्ति (मजिस्ट्रेट के अलावा) द्वारा किए गए साक्षय के संग्रह के लिए इस संहिता के तहत सभी कार्यवाहियां शामिल हैं।इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत "

10 आकाशवाणी 1966 एससी 102211 ( 2001 ) 1 एससीसी 78 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

96. कानून में उपयोग किए गए किसी शब्द या अभिव्यक्ति के अर्थ को उसकी परिभाषा के अनुसार समझा और समझा जा सकता है, जब तक कि "संदर्भ" अन्यथा "की आवश्यकता है। एन. डी. पी. एस.

अधिनियम की धारा 2 (जी) में जांच की परिभाषा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 या उसके अध्याय 5 के किसी अन्य प्रावधान में जांच शब्द की व्याख्या करने में मदद नहीं करती है, क्योंकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के तहत जांच किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है।

97. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक शब्द जिसे कानून में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, उसकी व्याख्या उसके सामान्य अर्थ के अनुसार की जा सकती है, जिसका पता लगाया जा सकता है।

एक शब्दकोश के संदर्भ में। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश (ग्यारहवें संस्करण) के अनुसार जांच शब्द का अर्थ है 'सच्चाई को स्थापित करने के लिए किसी घटना या आरोप की व्यवस्थित या औपचारिक जांच करना'। जाँच, जाँच का कार्य है। "पूछताछ" शब्द, उसी शब्दकोश के अनुसार, जानकारी मांगने के लिए है। इसका अर्थ "जाँच" भी है। पूछताछ जानकारी मांगने का कार्य है। यह एक

आधिकारिक जाँच। कानून में शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ उसी संदर्भ में लगाया जाना चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया गया है। कानून को समग्र रूप से पढ़ना होगा।

98. "जाँच" और "जाँच" शब्दों का उपयोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 जैसे कानूनों में भी किया गया है।

रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966 और Cr.P.C. जो अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए एक प्रक्रिया भी निर्धारित करता है। इन कानूनों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 में "जांच" अभिव्यक्ति के अर्थ और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 में उपयोग की गई "जांच" अभिव्यक्ति और उक्त अधिनियम की धारा 53 में उपयोग की गई "जांच" अभिव्यक्ति के बीच अंतर, यदि कोई हो, का अर्थ निकालने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। जबकि Cr.P.C के अनुभाग 155-157 की बात करते हैं।

संज्ञेय अपराधों की जांच, रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम की धारा 8, उस अधिनियम के तहत अपराध के आरोप की जांच की बात करती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 14 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के उद्देश्यों के लिए जांच पर विचार करती है जिसमें उक्त अधिनियम के तहत किसी अपराध के अभियोजन के लिए जांच भी शामिल हो सकती है और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 107 तस्करी के संबंध में जांच की बात करती है।

99. ऐसा लगता है कि 'जांच' शब्द का इस्तेमाल रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में किया गया हैकिसी अपराध के संबंध में Cr.P.C में 'जाँच' शब्द के समान अर्थ में। टोफान सिंह बनाम की वरीयता में 'पूछताछ' अभिव्यक्ति का चयन।

ऊपर उल्लिखित कानूनों में अभिव्यक्तियों का उपयोग और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53,53ए और धारा 67 की भाषा और अवधि को ध्यान में रखते हुए, "जांच" अभिव्यक्ति यथोचित रूप से इस प्रकार हो सकती है -एक सामान्य अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, जिसमें एक अपराध की जांच शामिल हो सकती है। धारा 67 में विचार के अनुसार जांच आम तौर पर यह पता लगाने के लिए जानकारी का संग्रह है कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम का कोई उल्लंघन हुआ है, जबकि जांच एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की जांच और आरोपी अपराधी के खिलाफ मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए सामग्री का संग्रह है। हालाँकि जाँच एक जाँच के बाद हो सकती है या जाँच का हिस्सा हो सकती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है।

101. "जाँच" और शब्दों के बीच का अंतर

" हालाँकि, जाँच वास्तव में इस मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या कोई अधिकारी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध की जाँच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ धारा 53 के तहत निवेश किया गया है, साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर एक पुलिस अधिकारी है या क्या धारा 67 में विचार के अनुसार जाँच में दिए गए बयान का उपयोग एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में एक आरोपी अपराधी के खिलाफ किया जा सकता है।

102. किसी अपराध की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ धारा 53 के तहत सशक्त एक अधिकारी को भी जांच करने की शक्ति है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53ए (1) में उपयोग की गई भाषा से यह स्पष्ट है। "ऐसे अधिकारी द्वारा किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान, अपराधों की जांच के लिए धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित बयान" शब्द इस मुद्दे को स्पष्ट करते हैं। द.धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति के साथ, स्पष्ट रूप से धारा 67 के अर्थ के भीतर यह पता लगाने के लिए जांच कर सकता है कि क्या एनडीपीएस अधिनियम का कोई उल्लंघन हुआ है। इस तरह के [2020] 12 एस. सी. आर. से पहले दिया गया एक बयान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में जांच करने की व्यापक शक्ति में एक अपराध निहित है। 104. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकारी द्वारा जांच की जा सकती है, यदि इस संबंध में अधिकार दिया गया है। यह धारा 67 से स्पष्ट है। वही अधिकारी किसी अपराध की जांच भी कर सकता है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत, यदि उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ धारा 53 के तहत भी निवेश किया जाता है।

105. धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकृत अधिकारी की जांच करने की शक्ति धारा 67 से प्राप्त नहीं होती है। यह इस बात से स्पष्ट है कि

धारा 67 में उपयोग की गई भाषा, जिसमें लिखा है, "धारा 42 में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी जो केंद्र द्वारा इस संबंध में अधिकृत है।

सरकार या राज्य सरकार, किसी भी अवधि के दौरान,

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में जांच के लिए सूचना आदि की आवश्यकता होती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के विभिन्न प्रावधानों से जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है।

106. धारा 67 धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकृत अधिकारी को जांच के दौरान निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार देती है:

" ( ए) के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जानकारी के लिए कॉल करें

स्वयं को संतुष्ट करते हुए कि क्या इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ है;

( ख) किसी व्यक्ति से किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या वितरित करने की अपेक्षा करता है या

जाँच के लिए उपयोगी या प्रासंगिक चीज़;

( ग) तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जांच करें और

मामले की परिस्थितियाँ "। टोफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

107. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की जांच, उक्त अधिनियम के अध्याय V के तहत जांच का एक हिस्सा है। अपराध की जाँच एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत उसी अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है

धारा 42 के तहत, जिसने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के तहत कार्यवाही शुरू की और तलाशी, जब्ती और/या गिरफ्तारी की, यदि उस अधिकारी को भी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत निवेश किया गया है, तो जांच के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ।

108. मुकेश सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली की मादक पदार्थ शाखा) 1 2 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि एक जांच

इसे केवल इसलिए दूषित नहीं किया जाता है क्योंकि वही अधिकारी, जो अभियुक्त अपराधी के खिलाफ शिकायतकर्ता था, ने भी जाँच अधिकारी के रूप में अपराध की जाँच की थी। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ धारा 53 के तहत निवेश किए गए एक अलग अधिकारी द्वारा भी जांच की जा सकती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 (3) इस प्रकार प्रदान करती है:

" ( 3 ) प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उप के तहत सामान जब्त किया गया

धारा 41 की धारा (2), धारा 42, धारा 43 या धारा

44 बिना अनावश्यक देरी के भेजा जाएगा ( क) निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, या

( ख) धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी।

109. यदि धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी वही व्यक्ति है जो धारा 42 के तहत सशक्त अधिकारी है, तो प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति और

धारा 41 (2), 42,43 या 44 के तहत जब्त की गई वस्तु को बिना किसी देरी के निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजना होगा। अगर धारा 42 में निर्दिष्ट अधिकारी को धारा 53 के तहत शक्तियां नहीं दी गई हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और धारा 41 (2), 42 आदि के तहत उसके द्वारा जब्त की गई वस्तुओं को या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत निवेश किए गए अधिकारी को, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ, एक अपराध की जांच के उद्देश्य से भेजा जा सकता है।

110. धारा 67 या धारा 41/42 की भाषा और अवधि इस तर्क का समर्थन नहीं करती है कि जांच केवल धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकारी द्वारा की जा सकती है, जो विधिवत अधिकृत है।प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी, या प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के स्तर पर, लेकिन बाद में नहीं। के तहत शक्ति का प्रयोग





एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धाराओं 41/42 को जांच से पहले होना जरूरी नहीं है। यदि किसी जांच को प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग से पहले या प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी करने के चरण तक सीमित किया जाना था, तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम ने विशेष रूप से ऐसा प्रावधान किया होगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या तो स्पष्ट या निहित। धारा 41,42 आदि में "जांच के बाद" शब्दों को पढ़ने की अनुमति नहीं है जो उन प्रावधानों में मौजूद नहीं हैं। न ही धारा 67 में

"किसी भी जांच के दौरान" शब्दों के बाद "प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी से पहले या समय पर" शब्दों को पढ़ने की अनुमति है।

111. धारा 67 द्वारा धारा 42 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को, जो इस संबंध में केंद्र/राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत है, सूचना मांगने, किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने या किसी व्यक्ति से पूछताछ करने आदि की शक्ति प्रदान की गई है, किसी भी जांच के दौरान प्रयोग की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने से पहले जांच के किसी भी चरण में शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग धारा 41/42 के तहत शक्तियों के प्रयोग से पहले या बाद में किया जा सकता है और इसमें निम्न चरण शामिल होंगे -

धारा 42 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा अपराध की जांच, यदि उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत शक्तियां भी दी गई हैं।

112. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकारी, यदि उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियों के साथ निवेश नहीं किया जाता है, तो वह एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 से सूचना मांगने, दस्तावेजों और चीजों को पेश करने और व्यक्तियों की जांच करने की शक्ति प्राप्त करता है। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की जांच की शक्तियों में ऐसी शक्तियां शामिल हैं। धारा 53 के तहत शक्तियों के साथ निवेशित एक अधिकारी भी कर सकता है

एक पूछताछ करें। यह इन शब्दों के उपयोग से स्पष्ट है कि "ऐसे अधिकारी द्वारा किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान, अपराधों की जांच के लिए धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित बयान प्रासंगिक होगा।"

धारा 53क (1)। धारा 53ए (1) का लाभ धारा 42 के तहत सशक्त अधिकारी के समक्ष दिए गए इसी तरह के बयान के मामले में उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत नहीं होगा।

जाँच/जाँच में प्राप्त दस्तावेज़ या अन्य चीजें हो सकती हैं - अभियोजन पक्ष द्वारा अपराधी के खिलाफ मुकदमे में पेश किया गया और साबित किया गया जब तक कि बयान और/या दस्तावेज और/या चीज किसी वादे, प्रलोभन, जबरदस्ती, धमकी या धमकी से प्राप्त नहीं की गई हो।

सवाल टॉफन सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

क्या कोई बयान वादे, जबरदस्ती, धमकी आदि द्वारा प्राप्त किया गया है और/या क्या कोई विशेष अधिकारी, धारा 42 के तहत अधिकृत है या धारा 53 के तहत शक्तियों के साथ निवेश किया गया है, परीक्षण के मामले हैं। अभियोजन पक्ष को मुकदमे में कानून के अनुसार अपराधी के खिलाफ आरोप स्थापित करने होते हैं। 114. Cr.P.C का अध्याय XII पुलिस को जानकारी और अपराधों की जांच करने के लिए पुलिस की शक्ति को नियंत्रित करता है। प्रासंगिक

बारहवें अध्याय के प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

" 154. संज्ञेय मामलों में जानकारी। - ( 1 ) संज्ञेय अपराध करने से संबंधित प्रत्येक जानकारी, यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसे उसके द्वारा लिखित रूप में या उसके निर्देश के तहत पढ़ा जाएगा और सूचना देने वाले को पढ़ा जाएगा और ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लिखित रूप में घटाई गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा जिसे राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करे।

*****

( 3 ) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी का सार, लिखित रूप में और डाक द्वारा, संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी जानकारी

संज्ञेय अपराध करने का खुलासा करता है, या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करने का निर्देश देगा, और ऐसे अधिकारी को इस संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।

उस अपराध के लिए।

155. गैर-संज्ञेय मामलों और ऐसे मामलों की जांच के बारे में जानकारी। — ( 1 ) जब आयोग के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जानकारी दी जाती है संज्ञेय अपराध की ऐसी स्थिति की सीमाओं के अनुसार, वह ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में सूचना का सार ऐसे प्रपत्र में दर्ज करेगा या दर्ज कराएगा जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करे, और

मजिस्ट्रेट को सूचना देने वाला।



( 2 ) कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी गैर-संज्ञेय मामले की जांच नहीं करेगा, जिसके पास इस तरह का मुकदमा चलाने की शक्ति है।

मुकदमा चलाएँ या मुकदमा चलाएँ।

( 3 ) इस तरह का आदेश प्राप्त करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी जांच के संबंध में (वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर) उतनी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जितनी एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी एक संज्ञेय मामले में कर सकता है।

( 4 ) जहां कोई मामला दो या दो से अधिक अपराधों से संबंधित है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है, तो मामला एक संज्ञेय मामला माना जाएगा, भले ही अन्य अपराध संज्ञेय न हों।

156. संज्ञेय मामले की जाँच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। ( 1 ) पुलिस स्टेशन का प्रभारी कोई भी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसे ऐसे स्टेशन की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को अध्याय XIII के प्रावधानों के तहत जांच करने या मुकदमा चलाने की शक्ति होगी। ( 2 ) ए की कोई कार्यवाही नहीं

ऐसे किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी को किसी भी स्तर पर इस आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसकी जांच करने का अधिकार इस धारा के तहत ऐसे अधिकारी को नहीं था। ( 3 ) धारा 190 के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट ऊपर उल्लिखित जांच का आदेश दे सकता है।

157. जाँच के लिए प्रक्रिया। - ( 1 ) यदि, प्राप्त सूचना से या अन्यथा, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास किसी ऐसे अपराध के होने का संदेह करने का कारण है जिसकी जांच करने के लिए वह धारा 156 के तहत सशक्त है, तो वह तुरंत पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को उसी की रिपोर्ट भेजेगा और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेगा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को प्रतिनियुक्त करेगा जो राज्य सरकार के पद से नीचे नहीं है।

सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए मौके पर आगे बढ़ें, और यदि आवश्यक हो, तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करें: बशर्ते कि

( क) जब किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे किसी अपराध के होने की जानकारी नाम से दी जाती है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं होता है, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को टफान सिंह v की आवश्यकता होती है।



व्यक्तिगत रूप से आगे न बढ़ें या किसी अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त न करें

घटनास्थल पर एक जांच;

( ख) यदि यह किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दिखाई देता है।

कि प्रवेश करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है

जाँच, वह मामले की जाँच नहीं करेगा।

158. रिपोर्ट करें कि कैसे प्रस्तुत किया गया। - ( 1 ) ए को भेजी गई प्रत्येक रिपोर्ट

धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उस ओर से नियुक्त करती है।

( 2 ) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे, और ऐसी रिपोर्ट पर ऐसे निर्देश दर्ज करने के बाद, बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट को भेज देगा।

XXX

XXX

XXX

160. उपस्थिति की आवश्यकता के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति

गवाह।— ( 1 ) इस अध्याय के तहत जाँच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा,

अपने स्वयं के या किसी आस-पास के स्टेशन की सीमा के भीतर होने वाले किसी भी व्यक्ति की अपने समक्ष उपस्थिति, जो दी गई जानकारी से या अन्यथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है; और ऐसा व्यक्ति आवश्यकतानुसार उपस्थित होगा:

बशर्ते कि पंद्रह वर्ष से कम आयु का कोई पुरुष व्यक्ति न हो या साठ-पाँच वर्ष की आयु से अधिक या एक महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को इसमें भाग लेना आवश्यक होगा।

उस स्थान के अलावा कोई अन्य स्थान जिसमें ऐसा पुरुष या महिला रहता है।

( 2 ) राज्य सरकार, इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा, उप-धारा (1) के तहत उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्च का भुगतान पुलिस अधिकारी द्वारा उसके निवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर करने का प्रावधान कर सकती है।

161. पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ।- ( 1 ) कोई भी पुलिस

इस अध्याय के तहत जांच करने वाला अधिकारी, या कोई भी पुलिस अधिकारी जो उस रैंक से कम न हो जो राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में निर्धारित करे, [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसे आपराधिक आरोप या जुर्माना या ज़ब्त करने के लिए बेनकाब करें।( 3 ) पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत जांच के दौरान उसे दिए गए किसी भी बयान को लिखित रूप में दे सकता है और यदि वह ऐसा करता

है, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के बयान का एक अलग और सही रिकॉर्ड बनाएगा, जिसका बयान वह दर्ज करता है।

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत दिए गए बयान को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी दर्ज किया जा सकता है।

162. पुलिस को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए-साक्षय में बयानों का उपयोग। - ( 1 ) किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को कोई बयान नहीं दिया गया

इस अध्याय के तहत जांच के दौरान अधिकारी, यदि लिखित हो जाता है, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे बयान या रिकॉर्ड का कोई हिस्सा, किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसके बाद

बशर्ते, उस समय जब ऐसा बयान दिया गया था, जांच के तहत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी जांच या मुकदमे में:

बशर्ते कि जब किसी गवाह को अभियोजन के लिए बुलाया जाता है

ऐसी जांच या मुकदमे में, जिसका बयान लिखित रूप में कम कर दिया गया है, उसके बयान का कोई भी हिस्सा, यदि विधिवत साबित हो जाता है, तो आरोपी द्वारा और अदालत की अनुमति से, अभियोजन पक्ष द्वारा, भारतीय साक्षय की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे गवाह का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

अधिनियम, 1872 (1872 का 1); और जब ऐसे कथन के किसी भी भाग का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो उसके किसी भी भाग का उपयोग अधिनियम में किया जा सकता है।

ऐसे गवाह की जाँच, लेकिन केवल उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी भी मामले को समझाने के उद्देश्य से।

( 2 ) इस धारा की कोई बात भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के भीतर आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं मानी जाएगी; या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित करती है।

टोफान सिंह वी। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

स्पष्टीकरण। उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति को बताने में चूक विरोधाभासी हो सकती है यदि वह महत्वपूर्ण प्रतीत होती है और

अन्यथा उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक है जिसमें ऐसी चूक होती है और क्या कोई चूक विशेष संदर्भ में विरोधाभास के बराबर है

तथ्य।

163. कोई प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए। - ( 1 ) कोई पुलिस अधिकारी या

प्राधिकरण में अन्य व्यक्ति भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 24 में उल्लिखित किसी भी प्रलोभन, धमकी या वादे की पेशकश करेगा या करेगा, या करने का कारण बनेगा या वादा करेगा।

( 2 ) लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी भी सावधानी या अन्यथा, किसी भी व्यक्ति को इस अध्याय के तहत किसी भी जांच के दौरान कोई भी बयान देने से नहीं रोकेगा, जिसे वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से दे सकता है: बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात धारा 164 की उप-धारा (4) के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

बशर्ते कि इसके तहत की गई कोई स्वीकारोक्ति या बयानउप-धारा को अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।

एक अपराध:

बशर्ते कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई स्वीकारोक्ति दर्ज नहीं की जाएगी, जिसे मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति किसी भी समय लागू कानून के तहत प्रदान की गई है।

( 2 ) मजिस्ट्रेट, ऐसे किसी भी मामले को दर्ज करने से पहले

स्वीकारोक्ति, यह बताने वाले व्यक्ति को समझाएँ कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है; और मजिस्ट्रेट ऐसा कोई भी स्वीकारोक्ति तब तक दर्ज नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति [2020] 12 एस. सी. आर. से पूछताछ न की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसे बनाते हुए, उसके पास यह मानने का कारण है कि इसे स्वेच्छा से बनाया जा रहा है।

( 3 ) यदि स्वीकारोक्ति दर्ज किए जाने से पहले किसी भी समय मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने वाला व्यक्ति कहता है कि वह इच्छुक नहीं है

स्वीकारोक्ति देने के लिए, मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा।

****

165. पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। ( 1 ) जब भी किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होता है कि

जाँच के उद्देश्यों के लिए आवश्यक कुछ भी

कोई भी अपराध जिसकी जांच करने के लिए वह अधिकृत है, उस पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है जिसके लिए वह

प्रभारी है, या जिससे वह जुड़ा हुआ है, और यह कि ऐसी चीज उसकी राय में अनुचित के बिना अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती है

विलंब करने पर, ऐसा अधिकारी, अपने विश्वास के आधार को लिखित रूप में दर्ज करने और जहां तक संभव हो, उस वस्तु को निर्दिष्ट करने के बाद, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, ऐसे स्टेशन की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर ऐसी चीज़ के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी ले सकता है।

( 2 ) उप-धारा (1) के तहत कार्यवाही करने वाला एक पुलिस अधिकारी, यदि व्यवहार्य हो, तो व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेगा। ( 3 ) यदि वह व्यक्तिगत रूप से खोज करने में असमर्थ है, और वहाँ

यदि कोई अन्य व्यक्ति उस समय तलाशी प्रस्तुत करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी से ऐसा करने के लिए कह सकता है -

और वह ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को लिखित रूप में एक आदेश देगा, जिसमें तलाशी के लिए स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा, और जहां तक संभव हो, वह वस्तु जिसके लिए तलाशी ली जानी है; और

अनुभाग। ( 5 ) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत किए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट टोफान सिंह को भेजी जाएंगी।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त, और तलाशी ली गई जगह के मालिक या कब्जाधारी को, आवेदन पर, मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी एक प्रति निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

168. अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच की रिपोर्ट। जब किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने कोई कार्रवाई की हो

इस अध्याय के तहत जांच, वह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को ऐसी जांच के परिणाम की रिपोर्ट करेगा।

169. साक्षय की कमी होने पर अभियुक्त को रिहा करना। — अगर,

इस अध्याय के तहत एक जांच में, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में है, तो उसे जमानत के साथ या बिना किसी मुचलके को निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है -

यदि और जब भी आवश्यकता हो, पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और अभियुक्त पर मुकदमा चलाने या उसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हों।

170. जब सबूत पर्याप्त हों तो मामले मजिस्ट्रेट को भेजे जाने चाहिए। — ( 1 ) यदि, इस अध्याय के तहत किसी जांच के बाद, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त पर्याप्त सबूत या उचित आधार है, तो ऐसा अधिकारी हिरासत में लिए गए आरोपी को

पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और अभियुक्त पर मुकदमा चलाने या उसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट, या यदि अपराध जमानती है और आरोपी प्रतिभूति देने में सक्षम है, तो निर्धारित दिन पर ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने उसकी उपस्थिति के लिए और ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने दिन-प्रतिदिन उसकी उपस्थिति के लिए उससे प्रतिभूति लेगा, जब तक कि अन्यथा न हो जाए।

निर्देशित किया।

172. जाँच में कार्यवाही की डायरी। — ( 1 ) इस अध्याय के तहत जाँच करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी दिन-प्रतिदिन जाँच में अपनी कार्यवाही को एक डायरी में दर्ज करेगा, जिसमें उस समय को निर्दिष्ट किया जाएगा जब सूचना उसके पास पहुंची थी, जिस समय उसने अपनी जाँच शुरू की और बंद की, वह स्थान या स्थान जहाँ वह गया था, और उसके द्वारा दौरा किए गए स्थानों का विवरण होगा।

उसकी जाँच के माध्यम से परिस्थितियों का पता लगाया गया।



( 1 ए) धारा 161 के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को मामले में जोड़ा जाएगा।

केस डायरी।( 1 ख) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट डायरी एक खंड होगी और विधिवत पृष्ठांकित होगी।

( 2 ) कोई भी आपराधिक न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या मुकदमे के तहत किसी मामले की पुलिस डायरी भेज सकता है, और ऐसी डायरी का उपयोग मामले में सबूत के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी जांच या मुकदमे में उसकी सहायता के लिए कर सकता है।

( 3 ) न तो अभियुक्त और न ही उसके अभिकर्ता ऐसी डायरियों को बुलाने के हकदार होंगे, न ही वह या वे उन्हें केवल इसलिए देखने के हकदार होंगे क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया है; लेकिन, यदि उनका उपयोग उस पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसने उन्हें अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए बनाया था, या यदि न्यायालय उनका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करता है -

ऐसे पुलिस अधिकारी का खंडन करते हुए, धारा के प्रावधान

( 1 ए) एक बच्चे के बलात्कार के संबंध में जांच उस तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी की जा सकती है जिस दिन पुलिस के प्रभारी अधिकारी द्वारा जानकारी दर्ज की गई थी। स्टेशन।

( 2 ) ( i) जैसे ही यह पूरा हो जाता है, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी एक मजिस्ट्रेट के पास जाएगा जो इसके लिए सशक्त होगा -

पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लें, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है

( क) पक्षकारों के नाम;

( (ख) सूचना की प्रकृति;

( ग) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं;

( घ) क्या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है और, यदि हां, तो किसके द्वारा किया गया है; टोफान सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

( ई) क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है;

( च) क्या उसे उसके मुचलके पर रिहा किया गया है और, यदि हां,

चाहे प्रतिभू के साथ हो या बिना;

( छ) क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेज दिया गया है।

धारा 376,376ए, 376बी, 376सी 2 [भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी या धारा 376ई (1860 का 45)] के तहत। ( (ii) अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से की गई कार्रवाई के बारे में भी सूचित करेगा।

उसके द्वारा, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसके द्वारा अपराध करने से संबंधित जानकारी पहली बार दी गई थी।

* * * *

( 5 ) जब ऐसी रिपोर्ट किसी ऐसे मामले के संबंध में होती है जिस पर धारा 170 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

( क) वे सभी दस्तावेज या प्रासंगिक उद्धरण जिन पर अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए दस्तावेजों के अलावा भरोसा करने का प्रस्ताव किया है;

( ख) सभी व्यक्तियों के धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान।

जिनका अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में परीक्षण करने का प्रस्ताव करता है।

( 6 ) यदि पुलिस अधिकारी की राय है कि इस तरह के किसी भी बयान का कोई भी हिस्सा कार्यवाही के विषय-वस्तु के लिए प्रासंगिक नहीं है या आरोपी को इसका खुलासा नहीं है

न्याय के हित में आवश्यक और लोक हित में अनुचित है, वह बयान के उस हिस्से को इंगित करेगा और मजिस्ट्रेट से अनुरोध करेगा कि वह उस हिस्से को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतियों से बाहर कर दे और ऐसा अनुरोध करने के लिए अपने कारण बताए।

( 7 ) जहां मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को ऐसा करना सुविधाजनक लगता है, वह उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी दस्तावेज की प्रतियां आरोपी को प्रस्तुत कर सकता है।

( 8 ) इस धारा की किसी भी बात को [2020] 12 एस. सी. आर. के तहत एक रिपोर्ट के बाद किसी अपराध के संबंध में आगे की जांच में बाधा नहीं माना जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उप-धारा (2) को मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है और जहां इस तरह की जांच के बाद, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मौखिक या दस्तावेजी साक्षय प्राप्त करता है, वह मजिस्ट्रेट को आगे की रिपोर्ट या रिपोर्ट भेजेगा। विहित प्रपत्र में ऐसे साक्षय के संबंध में और उप-धारा (2) से (6) के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्ट के संबंध में लागू होंगे जो वे लागू होते हैं।

उप-धारा (2) के तहत भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में।

115. नीचे दिए गए Cr.P.C की धारा 190 का भी संदर्भ दिया जा सकता है:

" 190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। — ( 1 ) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रथम अध्याय का कोई मजिस्ट्रेट

वर्ग, और विशेष रूप से द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट

उप-धारा (2) के तहत इस संबंध में सशक्त, ले सकता है

किसी भी अपराध का संज्ञान

अपराध; ( ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;

( ग) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर, या उसकी अपनी जानकारी पर, कि ऐसा अपराध

प्रतिबद्ध किया गया है।

( 2 ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी को भी अधिकार दे सकता है

द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसे अपराधों की उप-धारा (1) के तहत संज्ञान लेगा जो उसकी क्षमता के भीतर हैं -

पूछताछ करें या कोशिश करें। "

116. एन. डी. पी. एस. अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई सीमा को छोड़कर, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत पुलिस को दी गई जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियों से संबंधित धारा 154 से 176 वाले आई. डी. 1 के अध्याय 12 का किसी भी जांच या जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत नामित अधिकारी द्वारा किसी भी जांच या जांच के मामले में Cr.P.C की धारा 161 और 162 आकर्षित नहीं होती हैं।

117. Cr.P.C. के प्रावधान केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और तलाशी और जब्ती पर लागू होते हैं, जहां तक वे हैं।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, जैसा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 51 में प्रदान किया गया है और बिना किसी व्यक्ति की तलाशी के

तलाशी के लिए व्यक्ति को टोफान सिंह v. के पास ले जाने की आवश्यकता का पालन करना।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (5) में दिए गए प्रावधान के अनुसार निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट। बेशक, धारा 163 के सिद्धांत Cr.P.C. जाँच और जाँच से संबंधित एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों में निहित हैं, हालाँकि उक्त धारा ऐसी जाँच या जाँच पर लागू नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेख का बार

20 ( 3 ) भारत के संविधान को प्रत्येक क़ानून में भावना और सार में पढ़ा जाना चाहिए। प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

किसी प्रलोभन, वचन या धमकी द्वारा कोई बयान।

118. एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक पूर्ण संहिता है। Cr.P.C के अध्याय XII के विभिन्न प्रावधानों की तुलना

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के प्रावधान यह भी स्पष्ट करते हैं कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के प्रावधान एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (5) और 51 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर Cr.P.C के प्रावधानों से स्वतंत्र हैं और उनके द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। प्रक्रिया के बीच अंतर हैं

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के तहत जांच/जांच और Cr.P.C के तहत जांच और/या जांच की प्रक्रिया।

119. जांच की प्रक्रिया में कुछ उल्लेखनीय अंतर /

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के तहत Cr.P.C के तहत जांच/जांच की प्रक्रिया के साथ जांच इस प्रकार है:

( i) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 68 के तहत सूचना देने वाले के नाम का खुलासा नहीं किया जाना है। जो अधिकारी जानकारी लेता है वह शिकायतकर्ता बन जाता है। हालाँकि, Cr.P.C सूचना की धारा 154 के तहत इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। ( धारा 154 (1) Cr.P.C)

( ii) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41 (2) के तहत उक्त धारा के तहत गिरफ्तारी या तलाशी को अधिकृत करने की शक्ति के साथ-साथ धारा 42 और इसी तरह की अन्य धाराओं के तहत प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी की शक्ति भी।

प्रावधान किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने के कारण पर सशर्त है और लिखित रूप में लिया गया है कि किसी भी व्यक्ति ने इसके तहत दंडनीय अपराध किया है।

अधिनियम, या कि कोई मादक पदार्थ या मादक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु के होने का सबूत दे सकती है जो किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का सबूत दे सकती है।जो अध्याय [2020] 12 एस. सी. आर. के अधीन अभिग्रहण या अभिग्रहण या अभिग्रहण के लिए उत्तरदायी है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के वी. ए. को किसी भी भवन, वाहन या स्थान पर रखा या छुपाया जाता है। दूसरी ओर, Cr.P.C की धारा 165 के तहत पुलिस की तलाशी लेने या तलाशी को अधिकृत करने की शक्तियां बहुत व्यापक हैं।

( iii) Cr.P.C के तहत जांच/जांच के मामले में कार्रवाई करने की आवश्यकता के विश्वास के आधार पर दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजना आवश्यक नहीं है।

( iv) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत व्यक्तिगत तलाशी लेने की शक्ति धारा 50 द्वारा सीमित है। यदि उस व्यक्ति की तलाशी ली जाए, तो

आवश्यकता पड़ने पर, उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 50 (5) में विशेष रूप से Cr.P.C की धारा 100 के तहत केवल उक्त प्रावधानों में निर्दिष्ट परिस्थितियों में व्यक्ति की तलाशी लेने की आवश्यकता है।

( v) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53ए, जो स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि ऐसे अधिकारी द्वारा किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान अपराधों की जांच के लिए धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित बयान किसी भी अभियोजन में साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होगा।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत, उक्त धारा में बताई गई परिस्थितियों में इसमें शामिल तथ्यों की सच्चाई स्पष्ट रूप से विपरीत है।

Cr.P.C की धारा <आई. डी. 2 के साथ और/या असंगत। धारा 162 के तहत, एक पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान, यदि लिखित रूप में लिया जाता है, तो इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाना चाहिए, और अदालत में किसी भी जांच या मुकदमे में किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय टकराव के।

यदि वह गवाह के रूप में उपस्थित होता है और इसके विपरीत साक्षय देता है। धारा 53 ए (2) यह स्पष्ट करती है कि धारा 53 ए की उप-धारा (1) का प्रावधान, यथासंभव, एन. डी. पी. एस. अधिनियम या नियमों के तहत सभी कार्यवाही पर लागू होता है या

( vi) Cr.P.C की धारा 173 (2) के साथ पठित धारा 173 (1) एक पुलिस अधिकारी के लिए जांच पूरी करना अनिवार्य बनाती है औरसंज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट दाखिल करें। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच और/या जांच पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय या किसी मजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

ऑफिसर्स टफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत Cr.P.C की धारा 173 के संदर्भ में मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति नहीं है।

120. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 ए (1) (डी) में प्रावधान है कि "एक विशेष न्यायालय, तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन पर,

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या उसकी ओर से अधिकृत राज्य सरकार द्वारा की गई शिकायत पर, आरोपी को किए बिना उस अपराध का संज्ञान लें।

इसे मुकदमे के लिए "। धारा 36 ए (1) (डी) Cr.P.C की धारा 190 के समान है।

121. Cr.P.C की धारा 2 (डी) में परिभाषित शिकायत का अर्थ है मजिस्ट्रेट पर मौखिक या लिखित रूप में किया गया कोई भी आरोप, ताकि

क्या एकत्र की गई जानकारी या ऐसी जांच/जांच के दौरान प्राप्त सामग्री शिकायत दर्ज करने की गारंटी देती है।123. यदि पूछताछ/जांच पर, संबंधित अधिकारियों को पता चलता है कि किसी भी बयान, दस्तावेज के रूप में सामग्री है, या

अन्य चीजें जो प्रथम दृष्टया दिखाती हैं कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, शिकायत की जा सकती है। अगर जानकारी

एकत्रित और/या प्राप्त सामग्री एक अपराध नहीं बनाती है एक शिकायत नहीं की जा सकती है। इसी तरह एक शिकायत नहीं की जा सकती है, अगर जांच/जांच पर, उपयुक्त अधिकारी द्वारा प्राप्त अपराध की जानकारी झूठी या तुच्छ पाई जाती है।

124. धारा 36 ए (1) (डी) पुलिस को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की विशेष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दायर करने में सक्षम बनाती है।

जिसका अर्थ है Cr.P.C की धारा 2 (d) में पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा के अनुसार Cr.P.C की धारा 173 (2) के तहत अग्रेषित रिपोर्ट। ऐसी पुलिस रिपोर्ट को शिकायत माना जाता है। ऐसी पुलिस रिपोर्ट Cr.P.C के अध्याय XII के तहत जांच के बाद दायर की जा सकती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत कोई भी जांच/जांच करने वाले संबंधित अधिकारियों पर कोई भी रिपोर्ट तैयार करने या दाखिल करने का दायित्व बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

125. यदि पुलिस एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच करती है और विशेष न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो विशेष रूप से आई. डी. 1 के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना होगा।

धारा 161,162,163,164 और 173। पुलिस के समक्ष दिए गए बयान पर न तो हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और न ही अदालत में किसी भी उद्देश्य के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है।उक्त धारा में विनिर्दिष्ट उद्देश्य को छोड़कर, अर्थात अन्य बातों के साथ-साथ

मुकदमे में प्रतिपरीक्षा में बयान देने वाले व्यक्ति का सामना करें।126. विधानमंडल ने अपने विवेक में पुलिस रिपोर्ट, जिसे शिकायत माना जाता है, और केंद्र या राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा की गई शिकायत, जो इसमें प्राधिकृत है, के बीच अंतर किया है।

केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर, जो इस ओर से अधिकृत है, और पुलिस के मामले में आवश्यक रिपोर्ट नहीं है, यह भी दर्शाता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच या जांच को उसी तरह से नहीं माना जाना चाहिए जैसे किसी अपराध की पुलिस जांच। 127. श्री नागमुथु द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत तर्क, कि अधिकारियों ने एन. डी. पी. एस. की धारा 53 के तहत निवेश किया

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट दायर करनी होगी, तीन साल से कम के कारावास से दंडनीय अपराध के संबंध में, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं है, लेकिन एक मजिस्ट्रेट द्वारा, क्योंकि धारा 36ए (1) (डी) लागू नहीं होगी, त्रुटिपूर्ण है। तीन वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध के मामले में,

मजिस्ट्रेट, एनडीपीएस अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी को Cr.P.C की धारा 190 (1) (ए) के तहत शिकायत दर्ज करनी होगी।

128. "पुलिस" शब्द को आम तौर पर राज्य के कार्यकारी नागरिक बल के रूप में समझा जाता है, जिसे

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और अपराध की रोकथाम और पता लगाना।

129. "पुलिस" या "पुलिस अधिकारी" शब्द को साक्षय अधिनियम 1872 या Cr.P.C में परिभाषित नहीं किया गया है।

पुलिस अधिनियम 1861 द्वारा शासित, पुलिस को अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए एक प्रभावी साधन बनाने के लिए अधिनियमित किया गया।

130. पुलिस अधिनियम 1861 के कुछ प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

5. महानिरीक्षक की शक्तियाँ-शक्तियों का प्रयोग। - द.

पुलिस महानिरीक्षक के पास पूरे सामान्य पुलिस जिले में मजिस्ट्रेट की पूरी शक्तियां होंगी, लेकिन वे उन शक्तियों का प्रयोग ऐसी सीमा के अधीन करेंगे जो समय-समय पर [राज्य सरकार] द्वारा लगाई जा सकती हैं।

XXX

XXX

XXX

8. पुलिस-अधिकारियों को प्रमाण पत्र। हर पुलिस-अधिकारी

धारा 4 में उल्लिखित अधिकारी के अलावा पुलिस बल में नियुक्त होने पर उसकी नियुक्ति पर महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी की मुहर के तहत इस अधिनियम के साथ संलग्न प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो महानिरीक्षक करेगा।

जिसके आधार पर ऐसा प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति नियुक्त करता है।

की शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार निहित होंगे

पुलिस अधिकारी।

XXX

XXX

XXX

20. पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार। - पुलिस

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत अधिकारी किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करेंगे। इस अधिनियम और किसी भी अधिनियम के तहत एक पुलिस अधिकारी के लिए प्रदान किए गए प्राधिकरण को छोड़कर जो इसके बाद पारित किया जाएगा

आपराधिक प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए।

XXX

XXX

XXX

23. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य। - यह हर किसी का कर्तव्य होगा।

पुलिस-अधिकारी किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे कानूनी रूप से जारी किए गए सभी फाइलरों और वारंटों का तुरंत पालन और निष्पादन करने के लिए; जनता को प्रभावित करने वाली खुफिया जानकारी एकत्र करने और संचार करने के लिएशांति; अपराधों और जनता को रोकने के लिए

उपद्रव करना, अपराधियों का पता लगाना और उन्हें न्याय के दायरे में लाना और उन सभी व्यक्तियों को पकड़ना जिन्हें वह कानूनी रूप से पकड़ने के लिए अधिकृत है और जिनकी आशंका के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है; और यह प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए, किसी भी अपराध के लिए वैध होगा।

इस धारा में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए, बिना किसी वारंट के,

किसी भी शराब पीने वाले घर या खुले और अव्यवस्थित पात्रों के रिसॉर्ट के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उनका निरीक्षण करना।

XXX

XXX

XXX

24. पुलिस-अधिकारी सूचना आदि दे सकते हैं।किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए [2020] 12 एस. सी. आर. के समक्ष कोई भी जानकारी देना वैध है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट, और समन, वारंट, तलाशी के लिए आवेदन करना

वारंट या ऐसी अन्य कानूनी प्रक्रिया जो कानून द्वारा जारी की जा सकती है अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध।

131. पुलिस अधिनियम, 1888, पुलिस के विनियमन से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम, अन्य बातों के साथ, प्रदान करता है:

" 3. पुलिस की नियुक्ति-राज्य से बाहर के अधिकारी जिनके लिए

वे संबंधित हैं। - किसी भी अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद

अंतिम पूर्वगामी धारा में उल्लिखित या निर्दिष्ट, लेकिन किसी भी आदेश के अधीन जो [केंद्र सरकार] इस संबंध में कर सकती है, किसी भी [पुलिस बल] का सदस्य

[ राज्य] [किसी अन्य राज्य] के किसी भी भाग में एक पुलिस-अधिकारी के कार्यों का निर्वहन कर सकता है और इस तरह के कार्यों का निर्वहन करते हुए उसे [पुलिस-बल] का सदस्य माना जाएगा।

वह भाग और शक्तियों, कार्यों के साथ निहित किया जाए और

विशेषाधिकार और एक पुलिस अधिकारी की देनदारियों के अधीन होना

[उस पुलिस-बल] से संबंधित।

4. शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति और

अधिकार क्षेत्र। इस अधिनियम की कोई भी बात सक्षम नहीं मानी जाएगी।

एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में, जो रेलवे क्षेत्र नहीं है, उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है।

132. पुलिस अधिनियम 1949, एक सामान्य पुलिस के गठन के लिए अधिनियमित किया गया-दो या दो से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने वाला जिला, और

इसके लिए एक पुलिस बल की स्थापना, केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस अधिनियम, 1861 के अनुप्रयोग का विस्तार करती है।

133. कई अन्य कानून हैं जैसे कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947, जो उक्त अधिनियम के तहत अधिसूचित अपराधों और/या अपराधों के वर्ग की जांच के लिए अधिनियमित किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम, 1949, बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951, कलकत्ता पुलिस अधिनियम 1866, बंगाल पुलिस अधिनियम, 1869, मद्रास सिटी पुलिस अधिनियम 1888, असम राइफल्स अधिनियम, नागालैंड सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 1966,

थोड़े ही।

134. किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों को किसी विशिष्ट अध्याय या किसी अन्य अध्याय में पूरी तरह से निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

एक साथ समूहीकृत प्रावधानों का समूह। एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां Cr.P.C के अंतर-विभाजित प्रावधानों में निहित हैं, जिनमें से कई सभी पुलिस के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित हैं।

सामान्य तौर पर अधिकारी। हालाँकि, यह स्वयंसिद्ध है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार है, चाहे वह किसी भी पुलिस अधिनियम के तहत हो।

Cr.P.C या कोई अन्य कानून, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए अतिरिक्त शक्तियों के अलावा।

135. Cr.P.C की धारा 37 के तहत प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए बाध्य है -

यथोचित रूप से उसकी सहायता की मांग करने वाले पुलिस अधिकारी की सहायता करना (i) किसी अन्य व्यक्ति के भागने को लेने या रोकने में, पुलिस को इसके लिए अधिकृत किया जाता है -

गिरफ्तारी (ii) शांति भंग को रोकने के लिए या (iii) किसी भी रेलवे, सार्वजनिक संपत्ति आदि को नुकसान पहुँचाने के प्रयास को रोकने के लिए।

136. Cr.P.C की धारा 41 पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट या वारंट के आदेश के बिना गिरफ्तारी की व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। यह शक्ति किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी तक फैली हुई है, यदि अन्य कारणों के अलावा, पुलिस अधिकारी के पास किसी भी शिकायत, जानकारी या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है।कारावास से दंडनीय जो सात वर्ष से कम या विस्तारित हो सकता है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है:

( i) यदि पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है -

( (क) ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए; या

( (ख) अपराध की उचित जाँच के लिए; या

( ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्षय को गायब करने या ऐसे साक्षय के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए।

किसी भी तरह से; या

( घ) ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या

( ई) जब तक कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, अदालत में उसकी उपस्थिति

जब भी आवश्यकता हो यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है,

( (ii) जिनके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि

उसने दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है

एक अवधि के लिए कारावास जो सात से अधिक हो सकता है

साल चाहे जुर्माने के साथ या बिना मृत्युदंड के

और पुलिस अधिकारी के पास [2020] 12 एस. सी. आर. के आधार पर विश्वास करने का कारण है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वह जानकारी कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त कार्य किया है

( (ग) जिसके कब्जे में कुछ भी पाया जाता है जोयथोचित रूप से चोरी की गई संपत्ति होने का संदेह किया जा सकता है और जिसके साथ अपराध करने का संदेह किया जा सकता है

ऐसी चीज़ का संदर्भ; या

( (iv) जो अपने कर्तव्य के निष्पादन के दौरान एक पुलिस अधिकारी को बाधित करता है, या जो भाग गया है, या भागने का प्रयास करता है।

वैध अभिरक्षा।

137. पुलिस अधिकारियों के पास अतिरिक्त शक्तियाँ और कर्तव्य हैं जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।

Cr.P.C की धारा 47,48,51,52,91,129 और 133 में, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए किसी भी स्थान की खोज करने की शक्ति शामिल है। गिरफ्तार (धारा 47), दस्तावेजों या अन्य चीजों को पेश करने के लिए मजबूर करने की शक्ति (धारा 91), किसी भी सभा को तितर-बितर करने से सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी होने की संभावना है, जिसमें गिरफ्तारी और इसका हिस्सा बनने वालों को दंडित करने के लिए कार्रवाई (धारा 129) शामिल है। Cr.P.C की धारा 133 के तहत बाधा या उपद्रव को हटाने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश पुलिस रिपोर्ट पर आधारित हो सकता है। इसमें किसी भी निर्माण को रोकने, निर्माण को हटाने, किसी भी व्यापार या व्यवसाय आदि को करने से रोकने का आदेश भी शामिल हो सकता है।

138. Cr.P.C का अध्याय 11 पुलिस को संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार देता है। की धारा 151

Cr.P.C. संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करता है। इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है।

139. पुलिस अधिकारियों के पास अपार शक्तियाँ होती हैं। की शक्तियाँ

एक पुलिस अधिकारी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अधिकारी की तुलना में कहीं अधिक होता है जिसे एन. डी. पी. एस. के तहत अपराध की जांच के सीमित उद्देश्य के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश किया जाता है। एक्ट करें। पुलिस की व्यापक शक्तियाँ, सभी प्रकार के अपराधों की जाँच करने की शक्तियाँ, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ, बाधा को दूर करने और यहाँ तक कि केवल संदेह के आधार पर वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्तियाँ, पुलिस अधिकारियों को किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए जगह देती हैं या यहाँ तक कि अपराध करने का संदेह भी होता है।

असंख्य तरीकों से अपराध। इसलिए, पुलिस धमकी देकर, जबरदस्ती से, या सीधे या परोक्ष रूप से धमकी देकर बयान देने में सक्षम होने की स्थिति में है। एनडीपीएस अधिकारियों की शक्तियाँएन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की रोकथाम और पता लगाने के लिए प्रतिबंधित टोफान सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

और कोई अन्य अपराध नहीं, उनके पास उस तरह की गुंजाइश नहीं है जो पुलिस के पास है, ताकि अनुरूप बयान निकालने के लिए दबाव डाला जा सके।

140. संक्षेप में, Cr.P.C के प्रावधान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी भी जांच या जांच या अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। एन. डी. पी. एस. अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई सीमा को छोड़कर

Cr.P.C की धारा 5 के साथ धारा 4 (2) पढ़ें।

141. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकारियों को बुलाने की शक्ति है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53ए के साथ पठित धारा 53 और 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर व्यक्तियों की जांच करने और उनके बयान दर्ज करने के लिए दस्तावेजों और अन्य चीजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के लिए सूचना।142. चूंकि धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करने के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां हैं, जिसमें सूचना के लिए बुलाने, व्यक्तियों की जांच करने या दस्तावेजों और अन्य चीजों को पेश करने की आवश्यकता शामिल है, ऐसी शक्तियां धारा 67 द्वारा धारा 42 में निर्दिष्ट अधिकृत अधिकारियों को स्पष्ट रूप से प्रदान की गई हैं, जो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं।

धारा 53 के तहत शक्तियों के साथ निवेश किया जाए।

143. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकारियों को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ धारा 53 के तहत निवेश किया जाता है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच का उद्देश्य, पुलिस अधिकारियों की सभी शक्तियों का प्रयोग करें। उनके पास धारा 173 Cr.P.C के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर करने की शक्ति नहीं है, जिसे माना जा सकता है।

एक शिकायत। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें उक्त अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करने वाले या अन्यथा उक्त अधिनियम के तहत जांच करने वाले किसी भी अधिकारी को रिपोर्ट दायर करने की आवश्यकता हो।

145. किसी भी मामले में, धारा 53ए स्पष्ट रूप से इसके विपरीत है और इस प्रकार आई. डी. 1 की धारा 162 को ओवरराइड करती है। जबकि आई. डी. 1 की धारा 162 (1) में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान पर, जब इसे लिखने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं करेगा, या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि उक्त धारा के परंतुक में प्रावधान किया गया है, अर्थात -बयान देने वाले व्यक्ति का सामना करने के लिए, यदि वह एक गवाह के रूप में साक्षय देता है, तो धारा 53ए (1) प्रदान करती है कि "एक बयान दिया गया और हस्ताक्षर किया गया [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 53 के तहत सशक्त किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा

ऐसे अधिकारी द्वारा किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान अपराधों की जांच, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक होगी:इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में "निश्चित रूप से

उक्त धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियाँ।146. किसी भी जांच या जांच में दिए गए बयानों को लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है और यहां तक कि इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। में

एन. डी. पी. एस. अधिनियम में धारा 162 के समान किसी भी प्रावधान के अभाव में, किसी भी जांच, जांच या अन्य कार्यवाही के दौरान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान, साक्षय में प्रस्तुत किया जा सकता है और कानून के अनुसार एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध के अभियोजन के लिए मुकदमे में साबित किया जा सकता है। प्रकृति में इकबालिया बयान अतिरिक्त न्यायिक इकबालिया बयान की शैली में होता है।

147. भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 24 इस प्रकार प्रदान करती है -

निम्नलिखित है:

" 24. प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण होने वाला इकबालिया बयान, जब आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक हो। - एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति एक आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक है, यदि अदालत को स्वीकारोक्ति देना किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण हुआ प्रतीत होता है।

अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के संदर्भ में,

न्यायालय की राय में, किसी प्राधिकारी और पर्याप्त व्यक्ति से कार्यवाही, अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे आधार देने के लिए जो उसे यह मानने के लिए उचित प्रतीत हों कि ऐसा करने से वह अपने खिलाफ कार्यवाही के संदर्भ में कोई लाभ प्राप्त करेगा या लौकिक प्रकृति की किसी बुराई से बचेगा।

148. अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक है, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि स्वीकारोक्ति किसी व्यक्ति से किसी प्रलोभन, धमकी या वादे से प्राप्त हुई हो सकती है।

न्यायालय की राय में, अभियुक्त व्यक्ति को यह मानने के लिए कि स्वीकारोक्ति करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में कोई लाभ प्राप्त करेगा या किसी नुकसान से बचेगा, उचित आधार देने के लिए अधिकार में और पर्याप्त है।

149. जैसाकि एहि न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम में अभिनिर्धारित कयल गेल अछि। राजा।

राम 1 3 "स्वीकारोक्ति को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात न्यायिक और

13 ( 2003 ) 8 एस. सी. सी. 180 टफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

अतिरिक्त-न्यायिक। न्यायिक स्वीकारोक्ति वे हैं जो पहले किए जाते हैं।न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान मजिस्ट्रेट या न्यायालय। अतिरिक्त

न्यायिक स्वीकारोक्ति वे हैं जो पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के अलावा कहीं और किए जाते हैं। अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति आम तौर पर वे होते हैं जो एक पक्ष द्वारा किसी निजी व्यक्ति के सामने या उसके सामने किए जाते हैं जिसमें एक न्यायिक अधिकारी भी शामिल होता है।

संहिता की धारा 164 के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए सशक्त या एक मजिस्ट्रेट इतना सशक्त लेकिन एक स्तर पर स्वीकारोक्ति प्राप्त कर रहा है

जब धारा 164 लागू नहीं होती है। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के बारे में,

दो सवाल उठते हैं: ( i) क्या वे स्वेच्छा से बनाए गए थे और (ii) क्या वे हैं?

सच है? " .

XXX

XXX

XXX

" एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सच है और की गई है

मन की उपयुक्त स्थिति में, न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। स्वीकारोक्ति

इसे किसी भी अन्य तथ्य की तरह साबित करना होगा। साक्षय का मूल्य

जिस गवाह को यह दिया गया है। साक्षय का मूल्य स्वीकारोक्ति के बारे में गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जो

सबूत देता है। यह किसी भी अदालत के लिए इस धारणा के साथ शुरू करने के लिए खुला नहीं है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का सबूत है। यह परिस्थितियों की प्रकृति पर निर्भर करेगा,

उस समय जब स्वीकारोक्ति की गई थी और गवाहों की विश्वसनीयता जो इस तरह के स्वीकारोक्ति की बात करते हैं।

XXX

XXX

XXX

" यदि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति से संबंधित साक्षय पाया जाता है

विश्वसनीयता की कसौटी पर परखे जाने के बाद विश्वसनीय और

स्वीकार्यता, यह केवल दृढ़ विश्वास का आधार बन सकता है। द. विद्वान द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत पुष्टि की आवश्यकता

प्रतिवादी-अभियुक्त के लिए परामर्श, विवेक का विषय है और

कानून का एक अपरिवर्तनीय शासन नहीं है।

150. गुरा सिंह बनाम। राजस्थान राज्य 1 इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 6. यह कानून की तय स्थिति है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति,

यदि यह सच और स्वैच्छिक है, तो अदालत द्वारा इस पर भरोसा किया जा सकता है -अभियुक्त को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराएँ।

14 ( 2001 ) 2 एससीसी 205 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साक्षय के रूप में न्यायेतर स्वीकारोक्ति की अंतर्निहित कमजोरी के बावजूद, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जब यह दिखाया जाता है कि इस तरह का स्वीकारोक्ति एक ऐसे व्यक्ति के सामने की गई थी जिसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है और जिसे यह उन परिस्थितियों में किया गया है जो बयान का समर्थन करते हैं। पहले के आधार पर

राव शिव बहादुर सिंह बनाम में निर्णय। विंध्य प्रदेश राज्य [ए. आई. आर 1954 एस. सी. 322: 1954 एससीआर 1098: 1954 सी. आर. आई. एल. जे. 910] यह न्यायालय फिर से मगहर सिंह बनाम में। पंजाब राज्य (1975) 4 एस. सी. सी. 234: 1975 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 479: ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1320] ने अभिनिर्धारित किया कि साक्षय न्यायेतर के रूप में

अभियुक्त द्वारा गवाहों के सामने किए गए इकबालिया बयान को हमेशा दागी सबूत नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की पुष्टि साक्षय की आवश्यकता केवल प्रचुर सावधानी के माध्यम से होती है। यदि अदालत उस गवाह पर विश्वास करती है जिसके सामने स्वीकारोक्ति की गई है और संतुष्ट है कि स्वीकारोक्ति सच थी और स्वेच्छा से की गई थी, तो दोषसिद्धि को ऐसे साक्षय पर आधारित किया जा सकता है।

अकेले। नारायण सिंह बनाम। एम. पी. राज्य [(1985) 4 एस. सी. सी. 26: 1985 एससीसी (सीआरआई) 460: ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1678] इस न्यायालय ने आगाह किया कि आपराधिक मामले की सुनवाई करने वाली अदालत के लिए इस धारणा के साथ शुरुआत करना खुला नहीं है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति हमेशा एक कमजोर प्रकार का सबूत होता है। यह परिस्थितियों की प्रकृति, कब स्वीकारोक्ति की जाती है और इस तरह के स्वीकारोक्ति के लिए बोलने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। न्यायेतर स्वीकारोक्ति को वापस लेना, जो आपराधिक मामलों में एक सामान्य घटना है, अपने आप में इस तरह के स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करेगा। किशोर चंद बनाम। एच. पी. राज्य [(1991) 1 एस. सी. सी. 286: 1991 एससीसी (सीआरआई) 172: ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2140] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक असंदिग्ध न्यायेतर स्वीकारोक्ति उच्च स्तर की होती है।

संभावित मूल्य बल क्योंकि यह अपराध करने वाले व्यक्ति से निकलता है और साक्षय में स्वीकार्य है बशर्ते कि यह संदेह और किसी भी झूठ के सुझाव से मुक्त हो। हालाँकि, कथित स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने से

पहले, अदालत को संतुष्ट होना पड़ता है कि यह स्वैच्छिक है और साक्षय की धारा 24 के तहत परिकल्पित प्रलोभन, धमकी या वादे का परिणाम नहीं है

धारा 25 और 26 को दरकिनार करने के लिए संदिग्ध परिस्थितियों में अधिनियम या लाया गया था। अदालत को यह पता लगाने के लिए आसपास की परिस्थितियों पर गौर करने की आवश्यकता है कि क्या इस तरह का स्वीकारोक्ति किसी अनुचित या संपार्श्विक टोफान सिंह बनाम से प्रेरित नहीं है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

कानून पर विचार या उल्लंघन यह सुझाव देता है कि यह सच नहीं हो सकता है। सभी प्रासंगिक परिस्थितियाँ जैसे कि व्यक्ति कोजिसे स्वीकारोक्ति दी जाती है, उसे स्वीकार करने का समय और स्थान

जिन परिस्थितियों में इसे बनाया गया था

वी. हरियाणा राज्य [1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 14: 1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 659 ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 37] में निर्णय का उल्लेख करने के बाद प्यारा सिंह बनाम। पंजाब राज्य [(1977) 4 एससीसी 452: 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 614: ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 2274] यह न्यायालय मदन गोपाल कक्कड़ बनाम. नवल दुबे [(1992) 3 एससीसी 204: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 598: जे. टी. (1992) 3 एस. सी. 270] ने अभिनिर्धारित किया कि गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति जो जबरदस्ती से प्राप्त नहीं की जाती है,

पक्ष या झूठी आशा और चरित्र में पूर्ण और स्वैच्छिक प्रकृति को बिना पुष्टि के भी दृढ़ विश्वास का आधार बनाया जा सकता है।

151. यह कहना एक बात है कि साक्षय का एक टुकड़ा अस्वीकार्य है और दो या दो से अधिक साक्षयों का आकलन करना दूसरी बात है।

संभावित मूल्य। Cr.PC की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकारोक्ति का अन्य स्वीकारोक्ति की तुलना में अधिक संभावित मूल्य हो सकता है। हालांकि, अकेले उस पैरामीटर पर अन्य स्वीकारोक्ति उदाहरण के लिए, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को कानून में अस्वीकार्य नहीं बनाया जा सकता है।

152. यह सच है कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (टाडा), आतंकवाद रोकथाम अधिनियम, 2002 (पोटा) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका) जैसे कुछ कानून स्पष्ट रूप से अधिकृत अधिकारियों को रिकॉर्ड करने का अधिकार देते हैं।स्वीकारोक्ति। हालाँकि उन कानूनों के तहत जांच पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त अधिकारी ने बताया है। महान्यायवादी श्री.

अमन लेखी।

153. क्या संबंधित अधिकारी विधिवत सशक्त है और /

या जांच/जांच करने के लिए अधिकृत, क्या कोई बयान या दस्तावेज अनुचित रूप से प्राप्त किया गया है, आदि ऐसे कारक हैं जिनकी अदालत को मामले-दर-मामले के आधार पर जांच करनी होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय केवल एक जांच में दिए गए बयान पर दोषसिद्धि का आधार नहीं बना सकता है जो इकबालिया है, अन्य सामग्रियों के अभाव में जिनके साथ बयान को जोड़ा जा सकता है। यह विशेष न्यायालय का काम है कि वह सभी [2020] 12 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए बयान पर विचार करे और इसके साक्षय मूल्य का आकलन करे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रासंगिक कारक। साक्षय में प्रस्तुत किए गए सभी बयानों और दस्तावेजों को मुकदमे में कानून के अनुसार साबित करना होता है।

154. साक्षय अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है, "किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी इकबालिया बयान किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगा।

अपराध ", और धारा 26 में लिखा है" किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई स्वीकारोक्ति नहीं की गई

155. साक्षय अधिनियम की धारा 25 में 'पुलिस अधिकारी' शब्द का अर्थ लगाने में लंबे समय से न्यायिक फैसलों में मतभेद थे। जबकि कुछ निर्णयों में 'पुलिस अधिकारी' शब्द का अर्थ अधिकारियों को शामिल करने के लिए किया गया है, चाहे वे पुलिस अधिकारी हों या नहीं, लेकिन विशिष्ट अधिनियमों के तहत अपराधों के संबंध में एक पुलिस अधिकारी की शक्तियों के साथ निहित है, अन्य निर्णयों का अर्थ हैविशेष अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के अधिकार के साथ एक पुलिस अधिकारी, जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है, और अन्य विभागों के अधिकारियों के रूप में नहीं।

156. अमीन शरीफ बनाम। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एक पुलिस अधिकारी के अलावा एक अन्य अधिकारी, जो किसी अपराध की जांच के संचालन में, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है।

Cr.P.C, संज्ञेय अपराध की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर, साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर एक पुलिस अधिकारी होता है। इसी तरह का दृष्टिकोण पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया था

157. दूसरी ओर राधा किशन मारवाड़ी बनाम। राजा सम्राट 1 1 पटना उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और अभिनिर्धारित किया कि साक्षय अधिनियम की धारा 25 केवल एक पुलिस अधिकारी पर लागू होती है और किसी सीमित उद्देश्य के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश किए गए किसी अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। के लिए शक्ति के साथ एक आबकारी निरीक्षक को स्वीकारोक्ति

साक्षय में खोज और जांच को अस्वीकार्य माना गया।

15 एयर 1934 कैल 580 16 एयर 1927 बम 4 17 ए. आई. आर. 1932 पटना 293 टफान सिंह बनाम

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

158. पंजाब राज्य में v. पीठ के अधिकांश न्यायाधीशों बरकत राम ने (जे. सुब्बा राव, असहमति जताते हुए) कहा कि एक सीमा शुल्क

1924 के भूमि सीमा शुल्क अधिनियम 19 या 1878 के समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 8 के तहत अधिकारी भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 25 के उद्देश्य के लिए एक पुलिस-अधिकारी नहीं है, और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 167 (8) और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 23 (1) के तहत अपराधों के लिए सीमा शुल्क अधिकारी को उसके बयानों के आधार पर अपराधी की सजा अवैध नहीं है। रघुबर दयाल, जे., जिन्होंने इस न्यायालय का बहुमत निर्णय दिया, ने कहा:

" ..... कि पुलिस अधिकारियों को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, वे अपराध की प्रभावी रोकथाम और पता लगाने के लिए शक्तियाँ हैं ताकि

कानून और व्यवस्था बनाए रखें।

सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियाँ वास्तव में ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं हैं। उनकी शक्तियाँ जाँच करने के उद्देश्य से हैं

वस्तुओं की तस्करी और सीमा शुल्क की उचित प्राप्ति और उन वस्तुओं को जब्त करके देश के राजस्व के हित में की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण करना जिन पर कोई शुल्क नहीं दिया गया था और जुर्माना लगाकर और

जुर्माना "।

159. बरकत राम (ऊपर) में, दयाल, जे. बहुमत के लिए बोल रहे हैं

देखा गया।

18. अब हम कुछ पहलुओं का उल्लेख करते हैं जो हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि "पुलिस अधिकारी" शब्द का इतना व्यापक अर्थ नहीं है कि उन व्यक्तियों को शामिल किया जाए जिन्हें कुछ पुलिस शक्तियां प्रदान की गई हैं। साक्षय अधिनियम की धारा 25 को लागू करने का उद्देश्य, जिसके प्रावधान पहले दंड प्रक्रिया संहिता का हिस्सा थे, नियमित पुलिस के सामने किए गए स्वीकारोक्ति को साक्षय से बाहर करना था, जो जांच में इस्तेमाल किए गए तरीकों के लिए बहुत खराब प्रतिष्ठा रखते थे, विशेष रूप से उद्देश्य के साथ जबरन स्वीकारोक्ति निकालने में। दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए। पुलिस संगठन के सदस्यों के पिछले आचरण ने इस प्रावधान को उचित ठहराया। यह मान लेना बहुत अधिक है कि विधायिका का इरादा यह था कि सभी व्यक्ति, जिन्हें किसी विशेष कानून के अनुसरण में व्यक्तियों की जांच या गिरफ्तारी या लेखों को जब्त करना पड़ सकता है, जिनकी उस समय कोई अवधारणा नहीं थी, उन्हें इतना अविश्वसनीय माना जाना चाहिए कि





उनके सामने की गई किसी भी स्वीकारोक्ति को एक नियमित पुलिस अधिकारी के सामने की गई स्वीकारोक्ति के रूप में बाहर रखा जाना चाहिए। यदि यह बाद में अपराधों के निर्माण या भविष्य के कानून के तहत उनके संबंध में कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों के बारे में विचार नहीं कर सकता था, तो यह "पुलिस अधिकारी" शब्द का इरादा नहीं हो सकता था कि भविष्य में तस्करी और इसी तरह के अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने के कर्तव्य के साथ सौंपे गए अधिकारियों को सीमा शुल्क लगाने और वसूली की सुरक्षा के उद्देश्य से शामिल किया जाए। यदि विधायिका ने इतने व्यापक उद्देश्य के लिए "पुलिस अधिकारी" अभिव्यक्ति का उपयोग करने का इरादा किया होता, तो वह अधिक व्यापक अभिव्यक्ति का उपयोग करती। यह किसी भी अधिकारी को कोई भी स्वीकारोक्ति देकर अपने इरादे को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता था।

जिनका कर्तव्य साक्षय में अस्वीकार्य अपराधों का पता लगाना और उन्हें रोकना है।

साक्षय अधिनियम यह होगा कि क्या एक पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ जो उसे प्रदान की गई थीं, या जो उसके द्वारा प्रयोग की जा सकती थीं क्योंकि वह एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाता था, साक्षय अधिनियम की धारा 25 द्वारा अधिनियमित निषेध के साथ प्रत्यक्ष या पर्याप्त संबंध स्थापित करता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्षय अधिनियम की धारा 25 को अधिनियमित करने का उद्देश्य एक अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति को विचार से समाप्त करना था, जो अपने पद के आधार पर बल, यातना या प्रलोभन द्वारा स्वीकारोक्ति निकाल सकता था। यदि जांच की शक्ति साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत निषेध के साथ सीधा संबंध स्थापित करती है, तो केवल यह तथ्य कि अधिकारी के पास कुछ अन्य हो सकता है साक्षय अधिनियम की धारा 25 के प्रयोजन के लिए किसी अन्य कानून के तहत शक्तियां उसे पुलिस अधिकारी से कम नहीं बनाती हैं।

161. राजा राम जयसवाल (ऊपर) में इस अदालत ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कबूलनामे के बीच तर्कसंगत अंतर करना मुश्किल पाया।

बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 की धारा 78 (3) के तहत कार्य करने वाले एक उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया सबूत, जिसे एक पुलिस अधिकारी माना जाता था। धारा 78 (3) में प्रावधान किया गया है कि बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 की धारा 77 (2) के तहत सशक्त एक उत्पाद शुल्क अधिकारी को Cr.P.C की धारा 156 के उद्देश्य के लिए, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाएगा।

19 एयर 1964 एससी 828 टफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

जिस क्षेत्र में उनकी आबकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई है। इसलिए इस न्यायालय ने ऐसे अधिकारी को Cr.P.C के अध्याय XIV के तहत जांच करते हुए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समान पद पर पाया।

उक्त अधिनियम के तहत अपराध भी, और इन उद्देश्यों के लिए वे थे एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में सभी मामलों में सशक्त।

163. समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 और/या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अधिकारियों के साथ अंतर करते हुए, अदालत ने कहा कि हालांकि सीमा शुल्क अधिकारी जांच कर सकता है, लेकिन उसके पास जांच करने की कोई शक्ति नहीं है

Cr.P.C की धारा 156 के तहत अपराधों में। वह जो भी शक्ति दे।

अभ्यास स्पष्ट रूप से वे हैं जो अध्याय XVII में निर्धारित किए गए हैं जो Cr.P.C के तहत एक पुलिस अधिकारी के समान हो सकते हैं लेकिन एक पुलिस अधिकारी के समान नहीं हैं। इस प्रकार, सीमा शुल्क अधिकारी Cr.P.C की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है।

ऐसा विचार कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाए। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 187 (ए) विशेष रूप से प्रदान करती है कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान केवल एक शिकायत पर लिया जा सकता है।

सीमा शुल्क अधिकारी या सीमा शुल्क के अन्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में, मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा अधिकृत सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर के पद से कम नहीं।

164. यह सच है कि बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत एक उत्पाद शुल्क अधिकारी और एक सीमा शुल्क अधिकारी के बीच अंतर करने में

समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत, इस न्यायालय ने निम्नलिखित मतभेदों पर ध्यान दिया।

( i) आबकारी अधिकारी किसी भी न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता है

सीमा शुल्क अधिकारी समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 के तहत काम करता है।

( iii) हालाँकि वह जाँच कर सकता है, उसके पास Cr.P.C की धारा 156 के तहत किसी अपराध की जाँच करने की कोई शक्ति नहीं है। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम में अभ्यास स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।

( iv) हालांकि अध्याय XVII में निर्धारित कुछ शक्तियां Cr.P.C के तहत एक पुलिस अधिकारी के समान हो सकती हैं, वे [2020] 12 एस. सी. आर. थीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक पुलिस अधिकारी के समान नहीं। सीमा शुल्क अधिकारी को आई. डी. 1 की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 187 (ए) विशेष रूप से प्रदान करती है कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान सीमा शुल्क अधिकारी या सीमा शुल्क के अन्य अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर लिया जा सकता है। एक निर्दिष्ट रैंक के सीमा शुल्क। .....

165. बडकु ज्योति सावन्त बनाम। मैसूर राज्य "यह सवाल कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के तहत एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी है 1944 साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर एक पुलिस अधिकारी था, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (जिसे अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के रूप में जाना जाता है) की धारा 21 के संदर्भ में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसे सुविधा के लिए नीचे दिया गया है:

" 21. ( 1 ) जब किसी व्यक्ति को धारा 19 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास भेजा जाता है जो ऐसे व्यक्तियों को भेजने के लिए सशक्त होता है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार किया गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी

उसके खिलाफ आरोप की जांच करने के लिए आगे बढ़ें।

( 2 ) इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उन्हीं प्रावधानों के अधीन होगा जो एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी प्रयोग कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत अधीन है, जब

एक संज्ञेय मामले की जाँच करना:

यह प्रदान करें "।

166. बडकू ज्योति सावंत (ऊपर) में संविधान पीठ ने राजा राम जयसवाल (ऊपर) को प्रतिष्ठित किया:

" 9. ..... यह सच है कि उप-धारा (2) अधिनियम के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को एक अधिकारी के समान शक्तियां प्रदान करती है।

एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी के पास जांच करते समय एक

उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए एक पुलिस अधिकारी हमारी राय में केवल एक पुलिस अधिकारी हो सकता है-जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की योजना से पता चलता है और इसलिए ऐसा लगता है कि एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को उपरोक्त खंड (क) के तहत शिकायत करनी होगी यदि वह चाहता है कि मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले, उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 9 के तहत। इस प्रकार हालांकि उप के तहत

20 ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1746 टफान सिंह बनाम

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

अधिनियम की धारा 21 की धारा (2) के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को एक संज्ञेय मामले की जांच करते समय एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां हैं, जो धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत उसकी जांच के उद्देश्य से है। धारा 21 बिहार और उड़ीसा की धारा 78 (3) से अलग है।

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915, जिस पर राजा राम जयसवाल मामले (1964) 2 एस. सी. आर. 752 में विचार किया गया था और जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 156 के प्रयोजनों के लिए, वह क्षेत्र जिसमें एक उत्पाद शुल्क अधिकारी है।

धारा 77, उप-धारा (2) के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी को पुलिस स्टेशन माना जाएगा और ऐसे अधिकारी को ऐसे स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाएगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 21 का प्रावधान बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 78 (3) के प्रावधान के बराबर है। धारा 21 में केवल इतना ही प्रावधान है कि इस उद्देश्य के लिए

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास किसी संज्ञेय मामले की जांच करते समय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां होंगी। लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इन शक्तियों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत करने की शक्ति शामिल नहीं है क्योंकि बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम के विपरीत, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी नहीं माना जाता है।

XXXXX

XXXXX

11. किसी भी मामले में बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 की धारा 78 (3) के प्रावधानों के विपरीत, अधिनियम की धारा 21 (2) में यह नहीं कहा गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाएगा और उसके प्रभार वाले क्षेत्र को पुलिस स्टेशन माना जाएगा। धारा 21 केवल उसे सहायता करने के लिए कुछ शक्तियां देती है।

अपनी जाँच में। इन परिस्थितियों में हमारी राय है कि भले ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को अधिनियम के उद्देश्यों के लिए पूछताछ करते समय ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जो एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच करते समय होती हैं। संज्ञेय अपराध, वह इस प्रकार एक पुलिस अधिकारी नहीं बन जाता है, भले ही हम साक्षय अधिनियम की धारा 25 में उन शब्दों को व्यापक अर्थ दें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

167. रोमेश चंद्र मेहता बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 1 पाँच

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1878 के तहत टॉम्स अधिकारी, साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में एक पुलिस अधिकारी था और क्यासीमा शुल्क अधिकारी को दिए गए सारगर्भित बयान अस्वीकार्य साक्षय थे। संविधान पीठ ने कहा:

" 5. ..... स्वीकारोक्ति घोषित करने के लिए व्यापक आधार

एक पुलिस अधिकारी के खतरे से बचने के लिए अस्वीकार्य है

जबरदस्ती, यातना या दुर्व्यवहार द्वारा प्राप्त झूठे इकबालिया बयानों को स्वीकार करना। लेकिन सीमा शुल्क अधिकारी पुलिस बल का सदस्य नहीं होता है। उसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य नहीं सौंपा गया है। उसे ऐसी शक्तियाँ सौंपी गई हैं जो विशेष रूप से सीमा शुल्क के संग्रह और सीमा शुल्क की रोकथाम से संबंधित हैं। तस्करी। मेहता के वकील द्वारा उठाए गए इस तर्क के लिए कोई वारंट नहीं है कि एक सीमा शुल्क अधिकारी को समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जांच में उन सभी शक्तियों के साथ निवेश किया जाता है जो एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी के पास होती हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता '।

10. मेहता के वकील ने तर्क दिया कि एक सीमा शुल्क अधिकारी जिसके पास हिरासत में लेने, गिरफ्तार करने, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने और रिमांड के लिए आदेश प्राप्त करने की शक्ति है और व्यक्ति की जाँच करने के लिए उसे अपनी हिरासत में रखें

साक्षय एकत्र करने के लिए गिरफ्तार किए गए और अन्य व्यक्तियों ने अवसर जो एक पुलिस अधिकारी को निकालने के लिए होते हैं

एक संदिग्ध से स्वीकारोक्ति, और यदि अभिव्यक्ति पुलिस अधिकारी को संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाता है, तो उसके द्वारा दर्ज किए गए एक व्यक्ति का बयान जो एक अपराध का आरोपी है, द्वारा अस्वीकार्य है

भारतीय साक्षय अधिनियम की धारा 25। लेकिन यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सीमा शुल्क के एक अधिकारी को एक पुलिस अधिकारी माना जाना है, परीक्षण यह है कि क्या उसे किसी अपराध की जांच के लिए एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों के साथ निवेश किया गया है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति शामिल है। यह दावा नहीं किया जाता है कि जांच करने की शक्ति का प्रयोग करने वाला सीमा शुल्क अधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत।24.यह सच है कि उसे किसी भी व्यक्ति को रिहा करने के उद्देश्य से एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश किया गया है।

1970 एससी 940 टफन सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

जमानत पर या अन्यथा व्यक्ति। "या अन्यथा" अभिव्यक्ति उसे किसी के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करने की शक्ति प्रदान नहीं करती है।

दंड संहिता की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेटप्रक्रिया। जमानत देने की शक्ति, साक्षय एकत्र करने की शक्ति, और मजिस्ट्रेट का सहारा लिए बिना परिसरों या परिवहनों की तलाशी लेने की शक्ति, उसे किसी मामले का प्रभारी अधिकारी नहीं बनाती है।

पुलिस स्टेशन। '

168. इलियास वी। सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास 22 पाँच न्यायाधीशों के संविधान में इस न्यायालय के पहले के निर्णयों की जांच की गई, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों और कार्यों की जांच की गई और सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा कि एक ओ. एम. एस. अधिकारी के समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति की प्रकृति के बयान साक्षय में अस्वीकार्य नहीं होंगे क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारी धारा के अर्थ के भीतर पुलिस अधिकारी थे।

साक्षय अधिनियम। संविधान पीठ ने कहा:

" ..... ( 1 ) पुलिस अपराध की रोकथाम और पता लगाने का साधन है जिसे पुलिस होने का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियाँ वास्तव में ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं हैं और इनकी जाँच के लिए हैं।

माल की तस्करी और सीमा शुल्क की उचित प्राप्ति और माल की जब्ती के माध्यम से राजस्व देश के हित में की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण करने के लिए

( 2 ) सीमा शुल्क कर्मचारियों को केवल उन अपराधों के संबंध में एक रिपोर्ट बनानी होती है जिनसे मजिस्ट्रेट द्वारा निपटा जाना होता है। द. इसलिए सीमा शुल्क अधिकारी मुख्य रूप से अपराध का पता लगाने और सजा देने से संबंधित नहीं है, बल्कि वह केवल माल की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने में रुचि रखता है।

सीमा शुल्क की वसूली की रक्षा करना।( 3 ) सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रदान की गई तलाशी आदि की शक्तियां एक सीमित चरित्र की हैं और राज्य के राजस्व की रक्षा करने का एक सीमित उद्देश्य है और क़ानून स्वयं सीमा शुल्क अधिकारियों के विपरीत पुलिस अधिकारियों को संदर्भित करता है।

( 4 ) यदि कोई सीमा शुल्क अधिकारी धारा 171-ए के तहत साक्षय लेता है

और अपराध स्वीकार है, यह कहना बहुत अधिक होगा कि वह बयान एक पुलिस अधिकारी के लिए एक स्वीकारोक्ति है

पुलिस अधिकारी कभी भी न्यायिक रूप से कार्य नहीं करता है और पहले कोई कार्यवाही नहीं करता है।

1970 एससी 1065 [2020] 12 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के प्रयोजन के लिए या किसी भी मामले के लिए न्यायिक कार्यवाही माना जाता है।

अन्य उद्देश्य।

169. जैसा कि इलियास (ऊपर) में पाया गया है कि पुलिस का मुख्य कार्य अपराध की रोकथाम और पता लगाना है। पुलिस अधिकारियों के पास शक्तियाँ हैं

धमकी या बल का उपयोग करके स्वीकारोक्ति निकालने के लिए पर्याप्त व्यापक या

किसी अन्य अपराध में निहित होने की गुप्त धमकियाँ। दूसरी ओर, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकारियों की शक्तियां आम तौर पर अपराधों की रोकथाम और पता लगाने के लिए नहीं हैं। इन अधिकारियों को केवल

मादक द्रव्यों और मादक पदार्थों की तस्करी और/या अवैध व्यापार/व्यवसाय का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना। एन. सी. बी. के अधिकारियों या एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अन्य

अधिकारियों को प्रदान की गई तलाशी, जब्ती आदि की शक्तियां सीमित हैं। एन. डी. पी. एस. अधिनियम स्वयं एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अन्य अधिकारियों के विपरीत पुलिस अधिकारियों को संदर्भित करता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत। पी. सी., और यदि हां, तो क्या जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा प्रभावित किया गया था। पी सी और यदि प्रकृति में इकबालिया, साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत साक्षय में अस्वीकार्य। इस न्यायालय ने कहा:

" एक जाँच अधिकारी का पुलिस दर्ज करने का अधिकार और कर्तव्य

जाँच के समापन पर रिपोर्ट या आरोप पत्र संहिता के तहत जाँच की पहचान है। संहिता की धारा 173 (1) (ए) में प्रावधान है कि जैसे ही जांच पूरी हो जाती है, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा जो जांच करने के लिए सशक्त होगा।

पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान, में एक रिपोर्ट

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र। अधिकारी ने

धारा 8 (1) के तहत जांच करना पुलिस रिपोर्ट दायर करके अदालती कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है जैसा कि अधिनियम की धारा 8 (2) के दो प्रावधानों से स्पष्ट है। इसलिए, धारा 8 (1) के तहत जांच के समापन पर, यदि बल के अधिकारी की राय है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है, तो उसे आदेश में संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

23 ( 1975 ) 3 एस. सी. सी. 210 टफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

कि संबंधित मजिस्ट्रेट का संज्ञान ले सकता है

अपराध।

इस प्रकार अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत जांच करने वाले अधिकारी के पास संहिता के अध्याय XIV के तहत मामले की जांच करने वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सभी गुण नहीं होते हैं। उसके पास उन गुणों का एक हिस्सा है

जाँच आयोजित करने के उद्देश्य तक सीमित "।

171. बालकिशन ए देवीदयाळ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2 4 में, इस न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या वह रेलवे का निरीक्षक है।

रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3 के तहत किसी अपराध की जांच करने वाले सुरक्षा बल को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत "पुलिस अधिकारी" कहा जा सकता है। यह न्यायालय, मामले के कानून की समीक्षा के बाद, निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

" उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह स्पष्ट है कि 1966 के अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत जांच करने वाले आर. पी. एफ. के एक अधिकारी को इस अधिनियम की सभी शक्तियों के साथ निवेश नहीं किया गया है। संहिता के अध्याय XIV के तहत जांच करने वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी। विशेष रूप से, उसके पास कोई शक्ति नहीं है

संहिता की धारा 173 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर करके अभियोजन शुरू करना, जिसे जांच करने वाले पुलिस अधिकारी का निर्णायक गुण माना गया है। इस प्रकार, बडकू ज्योति सावंत में निर्धारित परीक्षण द्वारा आंका गया, जिसे लगातार अपनाया गया है

ऊपर देखे गए बाद के निर्णयों में, आर. पी. एफ. के निरीक्षक काकाडे को 'साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर' एक पुलिस अधिकारी नहीं माना जा सकता था। ( जोर देनाआपूर्ति की गई)

172. राज कुमार करवाल बनाम। भारत संघ और Ors.25 ने पुनर्विचार के लिए इस न्यायालय को संदर्भित किया, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के फैसलों पर विचार किया, जिसमें बलराम सिंह बनाम. हरियाणा राज्य 26; पंजाब राज्य बनाम।बरकत राम "; राजा राम जयसवाल बनाम। बिहार राज्य 2 8, बडकु ज्योति सावंत बनाम। मैसूर राज्य ", (संविधान पीठ), रोमेश चंद्र

24 ( 1980 ) 4 एससीसी 600

25 ( 1990 ) 2 एस. सी. सी. 409

26 ( 1987 ) 1 एस. सी. सी. 533

28 आकाशवाणी 1964 एससी 82829 ए. आई. आर 1966 एस. सी. 176 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेहता बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 3 0 (संविधान पीठ); यू. पी. राज्य बनाम दुर्गा प्रसाद 3 1; बालकिशन ए देवीदयाळ बनाम। महाराष्ट्र राज्य 3 2

और अभिनिर्धारित किया कि भले ही किसी अधिकारी को किसी विशेष क़ानून के तहत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अनुरूप शक्तियों के साथ निवेश किया जाता है।

एक संज्ञेय अपराध की जांच करने वाला पुलिस स्टेशन, वह साक्षय अधिनियम की धारा 25 के तहत एक पुलिस अधिकारी नहीं बन जाता है जब तक कि उसके पास Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की शक्ति न हो।

अदालत ने कहा:

" 22. ..... यही कारण है कि इस न्यायालय ने बडकू ज्योति सावंत [(1966) 3 एस. सी. आर. 698 में निर्णय के बाद से: एआईआर 1966 एससी 1746: 1966

सी. आर. आई. एल. जे. 1353] ने इस अनुपात को स्वीकार किया कि जब तक कोई अधिकारी नहीं है

संहिता के तहत जांच की शक्तियों के साथ किसी भी विशेष कानून के तहत निवेश किया गया, जिसमें धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति शामिल है, उसे धारा 25, साक्षय अधिनियम के तहत एक पुलिस अधिकारी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थियों के लिए वकील,

हालाँकि तर्क दिया कि चूंकि अधिनियम निर्धारित नहीं करता है

जाँच के लिए प्रक्रिया, अधिकारियों ने शक्ति के साथ निवेश किया

अधिनियम की धारा 53 के तहत अनिवार्य रूप से

संहिता के अध्याय बारहवें के तहत प्रक्रिया जिसकी आवश्यकता होगी

उन्हें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके जांच को समाप्त करने के लिए

संहिता की धारा 173 के तहत। हालांकि आकर्षक प्रस्तुतिकरण पहले ब्लश पर दिखाई देता है, यह करीब नहीं खड़ा हो सकता है

जाँच करें। जैसा कि पहले बताया गया है कि

अधिनियम के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि विधायिका अधिनियम की धारा 53 के तहत नियुक्त अधिकारियों में संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति सहित अध्याय XII की सभी शक्तियां निहित करना चाहती है। लेकिन इस मुद्दे को अधिनियम की धारा 36-ए की उप-धारा (1) द्वारा संदेह के दायरे से परे रखा गया है जो संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद एक गैर-अबाधित खंड के साथ शुरू होता है -

और खंड (घ) में निम्नानुसार कहना जारी रखता है:

" 36 - ए. ( घ) एक विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर सकता है।

या केंद्रीय के एक अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर

सरकार या इसमें प्राधिकृत राज्य सरकार

30 आकाशवाणी 1970 एससी 940 31 ( 1975 ) 3 एस. सी. सी 210

32 ( 1980 ) 4 एस. सी. सी. 600 टफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

पक्ष से, अभियुक्त के बिना उस अपराध का संज्ञान लें

मुकदमे के लिए इसके लिए प्रतिबद्ध होना।

इस खंड से यह स्पष्ट होता है कि यदि जांच पुलिस द्वारा की जाती है, तो यह पुलिस रिपोर्ट में समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि जांच डीआरआई सहित किसी अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा की जाती है, तो विशेष अदालत संज्ञान लेगी।

ऐसे द्वारा की गई औपचारिक शिकायत पर अपराध का

अधिनियम की धारा 53 के तहत नियुक्त, एक पुलिस अधिकारी के अलावा, संहिता के अध्याय XII के तहत 'सभी' शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार है, जिसमें संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट या आरोप पत्र प्रस्तुत करने की शक्ति भी शामिल है। ऐसा होने पर, मामला बडकू ज्योति सावंत [(1966) 3 एस. सी. आर. 698 के अनुपात को संतुष्ट नहीं करता है: आकाशवाणी 1966 एससी 1746: 1966 क्रि एल. जे. 1353] औरबाद के निर्णय जिनका उल्लेख पहले किया गया था।

173. राज कुमार करवाल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने आगे कहा:

" पाँच न्यायाधीशों वाली कम से कम तीन संविधान पीठों ने स्पष्ट और स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि सीमा शुल्क अधिनियम जैसे विशेष अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य विभाग के अधिकारी को पुलिस अधिकारी माना जाना चाहिए या नहीं, इसका परीक्षण यह था कि क्या उसे पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों के साथ निवेश किया गया था, जिसमें जांच करने की शक्ति भी शामिल थी।धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

174. कन्हैयालाल बनाम। भारत संघ 3 3 इस न्यायालय ने राज कुमार करवाल बनाम में अपने फैसले का पालन किया। भारत संघ और Ors.34

अन्यथा राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारियों ने एन. डी. पी. एस. के तहत अपराध की जांच के उद्देश्य से पुलिस के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ धारा 53 का निवेश किया, न कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर पुलिस अधिकारी और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दिया गया बयान धारा 161 ई Cr.P.C के तहत पुलिस को दिए गए बयान के समान नहीं है। निर्णयों में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

8 ) 4 एस. सी. सी. 668

0 ) 2 एससीसी 409 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

175. यह विवाद में नहीं है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकारी

विभिन्न सरकारी विभागों से लिए गए हैं और जरूरी नहीं कि वे पुलिस अधिकारी हों। एन. डी. पी. एस. अधिनियम विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत शक्तियों के साथ सौंपे गए अन्य अधिकारियों से अलग करता है, जैसा कि स्पष्ट होगा, धारा 41 (2), 42 (1), 52 (3) (ए), 53 (1) और (2), 55,68 टी से।

176. जैसा कि ऊपर देखा गया है, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 प्रदान करती है।

केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व, खुफिया विभाग या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग के किसी भी अधिकारी को, जिसमें अर्धसैनिक या सशस्त्र बल या ऐसे किसी वर्ग के अधिकारी शामिल हैं, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश करने की शक्ति।

177. इसी तरह धारा 53 (2) राज्य सरकार को औषधि नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग के किसी भी अधिकारी को निवेश करने का अधिकार देती है। या एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ किसी अन्य विभाग, या अधिकारियों के किसी भी वर्ग के लिए।

178. कानून का प्रस्ताव जो तीनों से निकलता है

ऊपर उल्लिखित संविधान पीठ के निर्णय यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या सरकार के किसी अन्य विभाग के अधिकारी, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी या सीमा शुल्क अधिकारी, जो किसी अपराध की जांच और/या जांच कर रहे हैं, को पुलिस अधिकारी माना जा सकता है, परीक्षण यह है कि क्या ऐसे अधिकारी को Cr.P.C की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति सहित जांच के लिए एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों के साथ निवेश किया गया था।

179. बडकु ज्योति सावंत (ऊपर) में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से प्रभावी और सार में अभिनिर्धारित किया कि

एक विशेष के तहत एक अपराध की जांच के उद्देश्य से एक सरकारी अधिकारी पर एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियाँअधिनियम में Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति शामिल नहीं होगी, जो एक पुलिस अधिकारी के पास है। रोमेश चंद्र मेहता (ऊपर) मामले में संविधान पीठ ने इस विचार को दोहराया था।

180. केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जांच की शक्तियां प्रदान की गईं

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत और रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों पर अधिकारी लगभग टोफान सिंह बनाम की शक्तियों के समान हैं।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 21 (2) (तब इसका शीर्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम था) की व्याख्या की और कहा कि शक्ति में शक्ति शामिल नहीं है।आई. डी. 1 की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तदनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में पुलिस अधिकारी नहीं माना गया था। राजा राम जैसवाल (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय की संविधान पीठ ने बडकू ज्योति सावंत (ऊपर) में अलग किया था। राज कुमार करवाल (ऊपर) मामले में पीठ ने न्यायिक अनुशासन के स्थापित मानदंडों का पालन करते हुए बड़ी पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का सही ढंग से पालन किया।

181. अब्दुल राशिद बनाम। बिहार राज्य ", इस न्यायालय ने बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 के तहत उत्पाद शुल्क अधीक्षक को एक इकबालिया बयान की स्वीकार्यता पर विचार किया। इस मुद्दे को राजा राम जयसवाल (ऊपर) द्वारा कवर किया गया था, जिसे संविधान पीठ द्वारा बडकू ज्योति सावंत (ऊपर) में अलग किया गया है क्योंकि अधिकारी को एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाता था। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकारियों को पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी नहीं माना जाता है। वे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की जांच के सीमित उद्देश्य के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसमें पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की कोई शक्ति नहीं होती है।

182. पोन अदिथन बनाम। उप निदेशक, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, मद्रास 36, इस न्यायालय ने कहा कि यह कानून के प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि स्वतंत्र साक्षय और सहायक दस्तावेजी साक्षय के अभाव में, एक गवाह का मौखिक साक्षय।एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) की आवश्यकता के अनुपालन को स्थापित करने के लिए तलाशी का संचालन करना पर्याप्त नहीं हो सका। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा खुफिया अधिकारी, नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की हिरासत में रहते हुए दिया गया इकबालिया बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर अभियुक्त द्वारा की गई किसी भी शिकायत या धमकी या दबाव के अभाव में साक्षय में स्वीकार्य था।

183. एन. डी. पी. एस. अधिनियम को इस न्यायालय के कुछ निर्णयों में एक दंडात्मक कानून के रूप में इस अर्थ में वर्णित किया जा सकता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में बीस साल के कारावास की सजा

और यहां तक कि पूर्व दोषसिद्धि के बाद दोहराए गए अपराध के कुछ असाधारण मामलों में मौत की सजा सहित कड़े दंडात्मक प्रावधान हैं।

35 ( 2001 ) 9 एस. सी. सी. 578

36 ( 1999 ) 6 एससीसी 1 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

184. वी. सुधीश पाई की पुस्तक 'कॉन्स्टीट्यूशनल सुप्रीमसी-ए रिविजिट' को उद्धृत करते हुए

" निर्णयों में निर्णयों और टिप्पणियों को यूक्लिड के प्रमेय या क़ानून के प्रावधानों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। न्यायिक

उच्चारण/घोषणाएँ किसी विशेष मामले के तथ्यों की सेटिंग में होती हैं। किसी कानून के शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन ऐसी चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, उनके शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार, उदाहरणों को नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

कानून के रूप में "।

185. संवैधानिक पीठों का गठन एक संवैधानिक मुद्दे को हल करने, परस्पर विरोधी विचारों को सुसंगत बनाने और कानून को निपटाने के लिए किया जाता है। संविधान पीठ के फैसले पर केवल अधिक संख्या वाली संविधान पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है और वह भी असाधारण और मजबूर करने वाली परिस्थितियों में। एक व्याख्या जो पचास वर्षों से अधिक समय से मैदान में है, उसे पूछने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। कानूनी स्थिति में परिवर्तन, जिसने लंबे समय तक न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से इस क्षेत्र को संभाला है, केवल तभी विचार किया जा सकता है जब ऐसा परिवर्तन बिल्कुल अनिवार्य हो।

186. एन. डी. पी. एस. अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना, मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों में अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की जाने वाली संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करना, मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करना है।

और उससे जुड़े मामलों के लिए।

187. दूसरी ओर, एक दंडात्मक क़ानून का प्रमुख उद्देश्य जानबूझकर किए गए कार्यों और चूक की एक श्रृंखला के लिए सजा का प्रावधान करना है। विभिन्न प्रकार, कानून में उल्लिखित। भारतीय दंड संहिता

एक विशिष्ट दंडात्मक कानून है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जैसे कानून, जो मुख्य रूप से विशिष्ट अपराधों की सजा का प्रावधान करते हैं, भी दंडनीय हैं।

क़ानून।

188. किसी भी मामले में, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक सामाजिक बुराई से निपटने के लिए अधिनियमित दंडात्मक कानूनों को उदारतापूर्वक प्रभाव देने के लिए समझा जाना चाहिए उद्देश्य जिसके लिए क़ानून को नरीमन, जे. द्वारा टॉफन सिंह बनाम में अभिनिर्धारित रूप में अधिनियमित किया गया है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

डेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य 3 7 एम. नारायणन नांबियार बनाम। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा (डी) का अर्थ लगाया। इसका अर्थ लगाने में

अधिनियम, एक दंडात्मक क़ानून, जे. सुब्बा राव ने कहा:

9. " प्रस्तावना इंगित करती है कि अधिनियम को पारित किया गया था जैसा कि यह था रिश्वत और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान करना समीचीन। लंबे शीर्षक के साथ-साथ प्रस्तावना से संकेत मिलता है कि उक्त सामाजिक बुराई यानी लोक सेवक द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का एक रूप है। तथ्य यह है कि 'रिश्वतखोरी' शब्द के अलावा 'भ्रष्टाचार' शब्द का उपयोग किया जाता है, यह दर्शाता है कि इस कानून का उद्देश्य अन्य बुराइयों से भी लड़ना था।

रिश्वतखोरी के अलावा। मौजूदा कानून यानी दंड संहिता को हमारे देश की सार्वजनिक सेवा को नष्ट करने वाली रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बढ़ती बुराई को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त पाया गया। इन प्रावधानों में मोटे तौर पर मौजूदा प्रावधान शामिल हैं -

लोक सेवकों द्वारा किए गए दंड संहिता, 1860 की धारा 161 और 165 के तहत अपराध और

अभियुक्त के विरुद्ध अनुमानित साक्षय। यह अधिनियम लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार का एक नया अपराध भी बनाता है।

यद्यपि कुछ सीमा तक यह पूर्व-विद्यमान अपराधों पर ओवरलैप करता है और कुएँ के विपरीत एक खंडन योग्य धारणा को लागू करता है।

आपराधिक न्यायशास्त्र के ज्ञात सिद्धांत। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करके ईमानदार लोक सेवकों को उत्पीड़न से बचाना है कि उनके खिलाफ जांच केवल विशेष दर्जे के पुलिस अधिकारियों द्वारा और मंजूरी देकर की जा सकती है।

उनके अभियोजन के लिए शर्त। चूँकि यह सार्वजनिक हित में परिकल्पित एक सामाजिक रूप से उपयोगी उपाय है, इसलिए इसे उदारता से किया जाना चाहिए। अभिप्रेत उद्देश्य अर्थात लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने और उत्पीड़न को रोकने के लिए

उनमें से ईमानदार।

10. डाइक बनाम में न्यायिक समिति का निर्णय। इलियट, द गौंटलेट [(1872) एल. आर. 4 पी. सी. 184], जिसे विद्वान वकील ने निर्माण के लिए एक सहायता के रूप में उद्धृत किया है, सिद्धांत को बड़े करीने से बताता है और इसलिए इसे निकाला जा सकता है: लार्ड जस्टिस जेम्स बोल रहे हैं

बोर्ड एल. आर. पी. में अवलोकन करता है। 191 :

5 ) 6 एस. सी. सी. 477

1963 एससी 1116 [2020] 12 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

' ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी दंडात्मक कानूनों का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए, अर्थात, न्यायालय को यह देखना चाहिए कि अपराध के रूप में आरोपित वस्तु उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के भीतर है, और शब्दों को किसी भी धारणा पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि एक पर्ची हुई है, कि एक मामला छूट गया है, कि बात इतनी स्पष्ट रूप से शरारत के भीतर है कि अगर सोचा गया हो तो इसे शामिल करने का इरादा होना चाहिए। दूसरी ओर, व्यक्ति

आरोपित को यह कहने का अधिकार है कि वस्तु को आरोपित किया गया है, हालांकि

शब्दों के भीतर, अधिनियम की भावना के भीतर नहीं है। लेकिन जहाँ चीज़ को शब्दों के भीतर और आत्मा के भीतर लाया जाता है, वहाँ एक दंडात्मक अधिनियम का अर्थ किसी भी अन्य साधन की तरह उचित सामान्य अर्थ के अनुसार किया जाता है।

उपयोग की गई भाषा की, और न्यायालय को किसी दंडात्मक कानून की भाषा में कोई संदेह या अस्पष्टता नहीं खोजना है, जहां ऐसी शंका या अस्पष्टता स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाएगी या

उसी भाषा में किसी अन्य वाद्ययंत्र में बनाया गया।

हमारे विचार में यह परिच्छेद, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो दंडात्मक प्रावधान के निर्माण के नियम को सही दृष्टिकोण से दोहराता है।

189. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। निदेशालय

3 9 बहुमत न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया:

" 23. अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया कि क़ानून में दंडात्मक प्रावधान का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। तोलाराम रेलुमल बनाम का संदर्भ दिया गया था। बॉम्बे राज्य [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 496: 1954 क्रि एल. जे. 1333: ( 1955 ) 1 एस. सी. आर. 158], एस. सी. आर. पी. .

164 और गिरधारी लाल गुप्ता बनाम। डी. एच. मेहता [(1971) 3 एससीसी 189: 1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 279] यह सच है कि सभी दंडात्मक कानूनों का कड़ाई से इस अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए कि अदालत को यह देखना चाहिए कि अपराध के रूप में आरोपित वस्तु उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के भीतर है और शब्दों को किसी भी धारणा पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि चीज इतनी स्पष्ट रूप से शरारत के भीतर है कि इसका इरादा होना चाहिए

शामिल किया गया और अगर सोचा गया होता तो शामिल किया गया होता। सभी दंडनीय

अन्य सभी कानूनों की तरह प्रावधानों का उचित अर्थ लगाया जाना चाहिए।

विधायी आशय के अनुसार जैसा कि में व्यक्त किया गया है

अधिनियमन। यहां, कॉर्पोरेट निकायों पर उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने का विधायी इरादा स्पष्ट और स्पष्ट है

05 ) 4 एस. सी. सी. 530 टफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

और क़ानून का कभी भी उन्हें दोषमुक्त करने का इरादा नहीं था

मुकदमा चलाया गया। यह सामान्य ज्ञान के लिए सरासर हिंसा है कि

बड़े और गंभीर आर्थिक अपराध। 24. एक सख्त निर्माण और अधिक के बीच का अंतर

मुक्त एक आधुनिक समय में गायब हो गया है और अब ज्यादातर

सवाल यह है कि क़ानून का वास्तविक निर्माण क्या है? कानून पर क्रेज़ में एक मार्ग, 7 वीं संस्करण। निम्नलिखित को पढ़ें

प्रभाव:

' एक सख्त और एक उदार निर्माण के बीच अंतर

सभी वर्गों के संबंध में लगभग गायब हो गया है

कानून, ताकि सभी कानून, चाहे वे दंडात्मक हों या नहीं, अब काफी हद तक एक ही नियमों द्वारा माने जाते हैं। " सभी आधुनिक अधिनियम न्यायसंगत और साथ ही कानूनी के संबंध में बनाए गए हैं।

सिद्धांत "। " एक सौ साल पहले ", अदालत ने ल्योंस मामले में कहा [आर. वी.] ल्योंस, 1858 बेल सीसी 38: 169 ई. आर. 1158] ", क़ानून

पूरी तरह से सटीक होने की आवश्यकता थी और रिसॉर्ट नहीं था

अधिनियम का एक उचित निर्माण करना था, और इस प्रकार

अपराधियों को अक्सर भागने दिया जाता था। यह बात नहीं है

संसद के अधिनियमों के निर्माण का वर्तमान तरीका। वे हैं।

अब विधायिका के सही अर्थ और वास्तविक इरादे के संदर्भ में समझाया गया है।

190. बलराम कुमावत बनाम। भारत संघ ", एक तीन-न्यायाधीश

इस न्यायालय के एच ने निर्णय दिया:

" 23. इसके अलावा, किसी दंडात्मक क़ानून के संबंध में भी

संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण, शाब्दिक और शाब्दिक संरचना नहीं हो सकती है

हमेशा प्रभाव दें। कानून की व्याख्या करनी होगी।

अपराध के विषय को ध्यान में रखते हुए और

कानून का उद्देश्य जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। कानून का उद्देश्य

अपराधी को कानून के जाल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देना है।

आपराधिक न्यायशास्त्र ऐसा नहीं कहता है।

191. रीमा अग्रवाल बनाम। अनुपम ", इस अदालत का अर्थ है

दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों ने सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड वी. एशर 1 2 में लॉर्ड डेनिंग के आदेश का पालन किया और कहा:

■3 ) 7 एस. सी. सी. 628

4 ) 3 एससीसी 199

-9 ) 2 ऑल ईआर 155 (सीए)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ..... उसे संसद के इरादे को खोजने के रचनात्मक कार्य पर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, और उसे ऐसा न केवल क़ानून की भाषा से करना चाहिए, बल्कि उन सामाजिक स्थितियों पर भी विचार करना चाहिए जिन्होंने इसे जन्म दिया और शरारत की।

जिसे सुधारने के लिए पारित किया गया था, और फिर उसे लिखित शब्द का पूरक होना चाहिए ताकि विधायिका के इरादे को "बल और जीवन" दिया जा सके। "

192. राजिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (ऊपर), न्यायमूर्ति नरीमन ने ऊपर उल्लिखित निर्णयों में निर्धारित प्रस्ताव को दोहराया।

और यह अभिनिर्धारित किया कि "धारा 304-बी के अधिनियमन का कारण बनने वाली महान सामाजिक बुराई को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष और व्यावहारिक संरचना यह स्पष्ट करेगी कि" जल्द "अभिव्यक्ति एक सापेक्ष अभिव्यक्ति है। समय-अंतराल मामले-दर-मामले भिन्न हो सकते हैं। "जल्द ही पहले" अभिव्यक्ति यह निर्धारित करने के लिए एक सापेक्ष शब्द है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अदालतों द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि जो "जल्द ही पहले" की शर्तों के भीतर आ सकती है।193. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम एक राजस्व कानून हो सकता है जिसका उद्देश्य अधिसूचित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाना, संग्रह करना और/या प्राप्त करना हो। एन. डी. पी. एस. अधिनियम का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अलग है। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के विपरीत एक दंडात्मक क़ानून होने के नाते, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के राजस्व की रक्षा करना है, उन अधिनियमों के तहत जांच की शक्तियों की न्यायिक व्याख्या, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अधिकारी की जांच की शक्तियों के लगभग समान हैं, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच के लिए प्रासंगिक नहीं होगा।

194. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में कठोर दंडात्मक प्रावधान हैं -

उक्त अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन। गंभीर शुल्क चोरी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (बी) और (बीबीबीबी) के तहत दंडनीय अपराध।

अंतिम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी शुल्क के क्रेडिट के संबंध में अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम भी संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत कई अपराध कारावास से दंडनीय हैं, जो आगे भी बढ़ सकते हैं।

सात साल तक।

195. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के कुछ प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

" 9. अपराध और दंड। ( 1 ) जो कोई भी निम्नलिखित अपराधों में से कोई भी करता है, अर्थात्: - ( क) धारा 8 या धारा 37 की उप-धारा (2) के खंड (iii) या खंड (XXVI) के तहत बनाए गए नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है;

( ख) इस अधिनियम के तहत देय किसी भी शुल्क के भुगतान से बचता है; ( ख) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किसी भी उत्पाद शुल्क को हटा देता है या किसी भी तरह से इस तरह के हटाने से संबंधित है;

( बी. बी. बी.) कब्जा प्राप्त करता है, या किसी भी तरह से परिवहन, जमा करने, रखने, छिपाने, बेचने या खरीद में खुद को चिंतित करता है, या किसी अन्य तरीके से किसी भी उत्पाद शुल्क के साथ सौदा करता है जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं;

( ग) किसी भी जानकारी की आपूर्ति करने में विफल रहता है जो उसे इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा आपूर्ति करने के लिए आवश्यक है, या (जब तक कि उचित विश्वास, साबित करने का बोझ जो उस पर होगा

वह, कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है) गलत जानकारी प्रदान करती है;

( घ) इस धारा के खंड (क) और (ख) में उल्लिखित अपराधों में से किसी को करने का प्रयास करना या करने में सहायता करना;

दंडनीय होगा,( i) किसी भी उत्पाद शुल्क से संबंधित अपराध के मामले में, इस अधिनियम के तहत देय शुल्क पचास लाख रुपये से अधिक है, जिसमें सात साल तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने के साथ:

बशर्ते कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में

न्यायालय के निर्णय में दर्ज किए जाने के विपरीत ऐसा कारावास छह महीने से कम की अवधि के लिए नहीं होगा।

( (ii) किसी अन्य मामले में, तीन साल तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ।]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( 2 ) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है

फिर से इस धारा के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो, वह

दूसरे और उसके बाद के प्रत्येक मामले के लिए दंडनीय होगा।

कारावास के साथ अपराध जो एक अवधि के लिए विस्तारित हो सकता है

सात साल और जुर्माने के साथः

बशर्ते कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में

न्यायालय के निर्णय में दर्ज किए जाने के विपरीत

संतान प्राप्ति छह महीने से कम की अवधि के लिए नहीं होगी।

( 1 ) किसी भी मामले में

9 - सी. दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अनुमान।

इस अधिनियम के तहत एक अपराध के लिए अभियोजन जिसके लिए आवश्यक है -

अभियुक्त की ओर से दोषी मानसिक स्थिति, न्यायालय

ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व का अनुमान लगाएगा लेकिन यह

अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करने के लिए एक बचाव होना कि उसके पास नहीं था

अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में ऐसी मानसिक स्थिति उस अभियोजन में।

या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य।( 2 ) कहा जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक तथ्य सिद्ध किया गया है।

केवल तभी जब न्यायालय यह मानता है कि इसका अस्तित्व उचित से परे है

संदेह और न केवल जब इसका अस्तित्व एक द्वारा स्थापित किया जाता है

संभावना की प्रधानता।

9 - डी. कुछ परिस्थितियों में बयानों की प्रासंगिकता। —

( 1 ) किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से पहले किया गया और हस्ताक्षरित बयान

पाठ्यक्रम के दौरान राजपत्रित रैंक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी

इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही प्रासंगिक होगी,

किसी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में साबित करने के उद्देश्य से

इस अधिनियम के तहत, तथ्यों की सच्चाई जो इसमें शामिल हैं,

—

( क) जब बयान देने वाला व्यक्ति मर चुका हो या नहीं कर सकता हो।

( ख) जब बयान देने वाले व्यक्ति की जाँच की जाती है -न्यायालय और न्यायालय के समक्ष मामले में गवाह की राय तोफान सिंह बनाम है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,कथन के हित में साक्षय में स्वीकार किया जाना चाहिए

न्याय।

( 2 ) उप-धारा (1) के प्रावधान, जहाँ तक हो सके,

इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में लागू, इसके अलावा

न्यायालय के समक्ष एक कार्यवाही, जैसा कि वे एक के संबंध में लागू होते हैं

न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करना।

XXX

XXX

XXX

12 - एफ. खोज और जब्ती की शक्ति। - ( 1 ) कहाँ का

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त प्रधान आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त या अतिरिक्त प्रधान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या केंद्रीय आयुक्त

उत्पाद शुल्क या ऐसा अन्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी जिसे अधिसूचित किया जाए

बोर्ड के पास यह मानने के कारण हैं कि कोई भी माल उत्तरदायी है ज़ब्त या कोई दस्तावेज या किताबें या चीजें, जो

उसकी राय किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगी।

इस अधिनियम के तहत, किसी भी स्थान पर गुप्त किए जाते हैं, वह अधिकृत कर सकता है

किसी भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को तलाशी लेने और जब्त करने के लिए लिखना या

स्वयं ऐसे दस्तावेजों या पुस्तकों या चीजों की खोज करते हैं और उन्हें जब्त करते हैं। ( 2 ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान

( 2 1974), तलाशी और जब्ती से संबंधित, जहाँ तक

हो सकता है, इस धारा के तहत खोज और जब्ती के लिए लागू हो संशोधन के लिए कि धारा 165 की उप-धारा (5)

उक्त संहिता का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "मजिस्ट्रेट" शब्द के लिए,जहाँ भी ऐसा होता है, शब्द "प्रधान आयुक्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त] "थे

प्रतिस्थापित।

13. गिरफ्तार करने की शक्ति। — कोई भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी जो नीचे नहीं है

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक का पद, पूर्व के साथ हो सकता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त की मंजूरी या

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त], किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें जिसे वह

यह मानने का कारण है कि वह इसके तहत सजा के लिए उत्तरदायी है

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम।

( 2 ) कोई भी व्यक्ति जिस पर अपराध करने का आरोप है या यथोचित रूप से संदेह है

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत एक अपराध, जो [2020] 12 एस. सी. आर.



केंद्र द्वारा विधिवत अधिकार प्राप्त किसी भी अधिकारी की मांग पर सरकार ने इस संबंध में उनका नाम देने से इनकार कर दिया और

निवास, या जो कोई नाम या निवास देता है जिसे ऐसे अधिकारी के पास झूठा मानने का कारण है, उसके द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है

अधिकारी ताकि उसका नाम और निवास हो सके

सुनिश्चित किया गया।

14. साक्षय देने और पेश करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति

इस अधिनियम के तहत पूछताछ में दस्तावेज-(1) कोई भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क

इसमें केंद्र सरकार द्वारा विधिवत अधिकार प्राप्त अधिकारी

पक्ष की ओर से किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसका

वह या तो साक्षय देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी अन्य चीज को किसी भी जांच में पेश करने के लिए आवश्यक समझता है जो ऐसा अधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उद्देश्य के लिए कर रहा है। दस्तावेज़ या अन्य चीजें प्रस्तुत करने के लिए समन के लिए हो सकता है कुछ निर्दिष्ट दस्तावेजों या वस्तुओं का उत्पादन या

सभी दस्तावेजों या चीजों के उत्पादन के लिए

व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में विवरण

बुलाया गया।

( 2 ) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, या तो

आवश्यकता के अनुसार चीजें: बशर्ते कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 132 और 133 के तहत छूट -

इस धारा के तहत उपस्थिति की आवश्यकताओं पर लागू होता है।

( 3 ) उपरोक्त प्रत्येक ऐसी जांच को धारा 193 के अर्थ में "न्यायिक कार्यवाही" माना जाएगा और

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 228।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 36 (ए) और 36 (बी) (1) निम्न प्रावधान करती है:

36 - ए. कुछ मामलों में दस्तावेजों के बारे में अनुमान। जहाँ कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया हो या जब्त किया गया हो।

किसी भी मामले में किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण से,

इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत और ऐसा दस्तावेज टोफान सिंह v है।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध या उसके विरुद्ध और उसके साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाए जाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ साक्षय के रूप में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय -

( क) जब तक कि इसके विपरीत व्यक्ति द्वारा साबित नहीं किया जाता है, यह मान लें -

( (i) ऐसे दस्तावेज़ की सामग्री की सच्चाई;

( (ख) हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज़ का प्रत्येक अन्य भाग जो किसी विशेष दस्तावेज़ की लिखावट में होने का तात्पर्य है।

व्यक्ति या जिसे न्यायालय यथोचित रूप से किसी विशेष व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या हस्ताक्षरित मान सकता है।

व्यक्ति, उस व्यक्ति की लिखावट में है, और निष्पादित या सत्यापित दस्तावेज़ के मामले में, कि यह उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित या सत्यापित किया गया था जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया था

या प्रमाणित किया गया:

( बी) दस्तावेज़ को साक्षय में स्वीकार करें, इसके बावजूद कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, यदि ऐसा दस्तावेज़ अन्यथा में स्वीकार्य है

सबूत।

36 - बी. सूक्ष्म फिल्मों की स्वीकार्यता, उनकी प्रतिकृतियाँ

दस्तावेज़ और कंप्यूटर प्रिंटआउट दस्तावेज़ के रूप में और सबूत के रूप में। — ( 1 ) उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

( क) किसी दस्तावेज़ की माइक्रोफिल्म या ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निहित छवि या छवियों का पुनरुत्पादन (चाहे वह बड़ी हो या न हो); या

( (ख) किसी दस्तावेज़ की प्रतिकृति; या

( ग) किसी दस्तावेज़ में निहित और कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत मुद्रित सामग्री में शामिल एक कथन (जिसे इसके बाद "कंप्यूटर प्रिंटआउट" के रूप में संदर्भित किया गया है), यदि उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तों और इस धारा में निहित अन्य प्रावधानों को संतुष्ट किया जाता है।

के प्रयोजनों के लिए एक दस्तावेज भी माना जाएगा

इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और इसके तहत किसी भी कार्यवाही में, बिना किसी और सबूत या प्रावधान के, स्वीकार्य होंगे।

[2020] 12 एस. सी. आर. की किसी भी सामग्री के प्रमाण के रूप में मूल का उत्पादन।



मूल या उसमें बताए गए किसी तथ्य का जिसका प्रत्यक्ष साक्षय हो। यह स्वीकार्य होगा। "

196. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को सीमा शुल्क से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम आयात को नियंत्रित करता है।

सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह के अलावा भारत में और भारत से वस्तुओं का निर्यात। सीमा शुल्क अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक माल की तस्करी को रोकना है। सीमा शुल्क अधिनियम का अध्याय IV सक्षम बनाता है

केंद्र सरकार विभिन्न कारणों से किसी भी निर्दिष्ट विवरण की वस्तुओं के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करेगी, जिसमें कमी की रोकथाम, मानव, पशु या पादप जीवन या स्वास्थ्य की सुरक्षा, व्यापार चिह्नों की सुरक्षा, पेटेंट, कॉपीराइट, भ्रामक प्रथाओं की रोकथाम, किसी भी संधि या सम्मेलन का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं। उदाहरण दृष्टांतरूप हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

197. उक्त अधिनियम में उक्त अधिनियम के अनुपालन को लागू करने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान हैं। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 4 के तहत अपराध, उदाहरण के लिए, निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित कोई भी अपराध या चोरी या एक निश्चित मूल्य से अधिक शुल्क की चोरी का प्रयास, या धोखाधड़ी से लाभ उठाना या निकासी या छूट प्राप्त करने का प्रयास आदि संज्ञेय अपराध हैं।

198. सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कुछ अपराध कारावास से दंडनीय हैं जो जुर्माने के अलावा सात साल तक हो सकते हैं।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (ए) के तहत, यहां तक कि एक व्यक्ति जो सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी माल के निर्यात की तैयारी करता है, उसे तीन साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सीमा शुल्क अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। जब विश्वास में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कोई सामान जब्त किया जाता हैयह साबित करने का भार कि माल की तस्करी नहीं की गई थी, उस व्यक्ति पर है जिसके कब्जे से माल जब्त किया गया था। यदि वह व्यक्ति जिससे माल जब्त किया जाता है, वह मालिक नहीं है, तो बोझ उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो मालिक होने का

दावा करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का अध्याय XIII उक्त अधिनियम के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी से संबंधित है।

199. सीमा शुल्क अधिनियम के कुछ प्रावधान निर्धारित किए गए हैं

नीचे दिया गया है:

" 100. भारत आदि में प्रवेश करने या छोड़ने वाले संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने की शक्ति-(1) यदि उचित अधिकारी के पास टोफान सिंह पर विश्वास करने का कारण है।

तमिलनाडु राज्य

[ इंदिरा बनर्जी, जे।]

कि कोई भी व्यक्ति जिसे यह धारा लागू होती है, ने इसके बारे में गुप्त रखा है

उसका व्यक्ति, ज़ब्त किए जाने योग्य कोई भी सामान या उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज, वह उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है।

( 2 ) यह धारा निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होती है, अर्थात् -

( ख) कोई भी व्यक्ति जो विदेश जाने वाले विमान से उतरा है या उसमें सवार होने वाला है, या उसमें सवार है; ( ग) कोई भी व्यक्ति जो किसी वाहन से बाहर निकला है, या उसमें चढ़ने वाला है, या उसमें है, जो भारत के बाहर किसी भी स्थान से आया है, या आगे बढ़ रहा है;

( घ) कोई भी व्यक्ति जो खंड (क), (ख) या (ग) में शामिल नहीं है

भारत में प्रवेश किया या छोड़ने वाला है; ( ङ) सीमा शुल्क क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति।

101. कुछ अन्य मामलों में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने की शक्ति। — ( 1 ) धारा 100 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि सीमा शुल्क आयुक्त के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त सीमा शुल्क अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने अपने बारे में उप-धारा (2) में निर्दिष्ट विवरण की किसी भी वस्तु को गुप्त रखा है, जो ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है, या उससे संबंधित दस्तावेज, तो वह उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है।

102. तलाशी लेने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क के राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। ( 1 ) जब सीमा शुल्क का कोई अधिकारी धारा 100 या धारा 101 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला होता है, तो सीमा शुल्क का अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो उसे बिना किसी अनावश्यक देरी के निकटतम राजपत्रित सीमा शुल्क अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

( 2 ) यदि ऐसी मांग की जाती है, तो सीमा शुल्क अधिकारी इसे बनाने वाले व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे सीमा शुल्क के राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला सकता।

( 3 ) सीमा शुल्क का राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके सामने ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि वह नहीं देखता है

तलाशी के लिए उचित आधार, व्यक्ति को तुरंत छुट्टी दें

लेकिन अन्यथा यह निर्देश दिया जाएगा कि खोज की जाए।



( 4 ) धारा के प्रावधानों के तहत तलाशी लेने से पहले

100 या धारा 101, सीमा शुल्क अधिकारी को बुलाना होगा

खोज में भाग लेने और देखने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति और

उन्हें या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी।

और इस तरह की खोज के दौरान जब्त की गई सभी चीजों की एक सूची

ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाएगा और हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ऐसे गवाहों द्वारा।

( 5 ) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी। 103. संदिग्ध व्यक्तियों के शवों की जांच करने की शक्ति या एक्स-रे

गुप्त वस्तुओं का पता लगाने के लिए। - ( 1 ) जहाँ उचित अधिकारी के पास यह मानने का कारण हो कि धारा 100 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पास कोई भी माल है जिसे जब्त किया जा सकता है।

उसके शरीर के अंदर छिपा हुआ, वह ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है और करेगा,

-

( क) उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ

सीमा शुल्क या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जितनी जल्दी हो सके

व्यवहार्य, ऐसे उपकरण का उपयोग करके ऐसे व्यक्ति की जांच या स्कैन करें जो सीमा शुल्क स्टेशन पर उपलब्ध हो, लेकिन बिना उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध किसी भी अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह, जिसमें उसकी सहमति भी शामिल है।

इस तरह की जांच या स्कैनिंग के लिए, और इस तरह की जांच या स्कैनिंग की रिपोर्ट निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजें यदि ऐसा सामान है।

उसके शरीर के अंदर स्रावित प्रतीत होता है; या

( ख) उसे बिना किसी अनावश्यक देरी के निकटतम अधिकारी के सामने पेश करें।

मजिस्ट्रेट।

104. गिरफ्तार करने की शक्ति। - ( 1 ) यदि सीमा शुल्क का एक अधिकारी सशक्त है

इस संबंध में आयुक्त के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा

* * * है।

सीमा शुल्क के पास यह मानने का कारण है कि कोई भी व्यक्ति

धारा 133 या धारा 135 या धारा 135-ए या धारा 136,वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके सूचित करेगा।

इस तरह की गिरफ्तारी के लिए आधार।]

( 2 ) उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति, बिना

अनावश्यक विलम्ब, मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए।

105. परिसर की तलाशी लेने की शक्ति। - ( 1 ) यदि सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, या भूमि से सटे किसी भी क्षेत्र में टफान सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

सीमा या भारत के तट बोर्ड द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से नाम से सशक्त सीमा शुल्क अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि कोई भी माल जब्त करने के लिए उत्तरदायी है, यादस्तावेज़ या चीजें जो उनकी राय में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होंगी, किसी भी स्थान पर गुप्त रखी जाती हैं, वह सीमा शुल्क के किसी भी अधिकारी को ऐसी वस्तुओं, दस्तावेजों या चीजों की

तलाशी लेने के लिए अधिकृत कर सकता है या स्वयं ऐसी वस्तुओं, दस्तावेजों या चीजों की खोज कर सकता है।

( 2 ) तलाशी से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के प्रावधान, जहां तक हो सके, इस धारा के तहत तलाशी पर इस संशोधन के अधीन लागू होंगे:

उक्त संहिता की धारा 165 की उप-धारा (5) इस प्रकार प्रभावी होगी मानो "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर "सीमा शुल्क आयुक्त" शब्द का प्रयोग किया गया हो।

106. परिवहन को रोकने और खोजने की शक्ति। ( 1 ) जहां उचित अधिकारी के पास यह मानने का कारण हो कि भारत में या भारत में या भारत के भीतर कोई विमान, वाहन या जानवर है।

सीमा शुल्क जल का उपयोग किसी भी माल की तस्करी या किसी भी माल की ढुलाई में किया गया है, किया जा रहा है या होने वाला है, वह किसी भी समय ऐसे किसी भी वाहन, जानवर या जहाज को रोक सकता है या किसी विमान के मामले में मजबूर कर सकता है।

यह जमीन पर है, और

( क) विमान, वाहन या पोत के किसी भी हिस्से की खोज और खोज करना।

( ख) विमान, वाहन या पोत या पशु पर किसी भी सामान की जांच और खोज करना।

( ग) खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी दरवाजे या पैकेज का ताला तोड़ें, यदि चाबियाँ रोक दी गई हैं।

किसी भी माल की तस्करी के संबंध में जांच, ( क) किसी भी व्यक्ति से किसी भी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने या वितरित करने की आवश्यकता होती है।

या जाँच के लिए प्रासंगिक चीज़;

( ख) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जांच करें।



108. साक्षय देने और पेश करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति

दस्तावेज़। — ( 1 ) सीमा शुल्क का कोई राजपत्रित अधिकारी * * *,

किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति है जिसकी उपस्थिति वह करता है

साक्षय देने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता हैदस्तावेज़ या किसी भी जांच में कोई अन्य चीज़ जो ऐसा अधिकारी

इस अधिनियम के तहत कर रहा है।

( 2 ) दस्तावेज़ या अन्य चीजें प्रस्तुत करने के लिए समन हो सकता है

कुछ निर्दिष्ट दस्तावेजों या चीजों के उत्पादन के लिए या सभी दस्तावेजों या चीजों के उत्पादन के लिए

व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में विवरण

बुलाया गया।

( 3 ) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति दोनों में से किसी एक में भाग लेने के लिए बाध्य होंगे।

व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत अभिकर्ता द्वारा, जैसा कि ऐसा अधिकारी कर सकता है

प्रत्यक्ष; और इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति यह बताने के लिए बाध्य होंगे

किसी भी विषय पर सच्चाई जिसके संबंध में उनकी जांच की जाती है

या बयान दें और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करें और अन्य

आवश्यकता के अनुसार चीजें:बशर्ते कि संहिता की धारा 132 के तहत छूट

सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5), के लिए लागू होगा

इस धारा के तहत उपस्थिति के लिए कोई अनुरोध।

( 4 ) उपरोक्त प्रत्येक ऐसी जांच को एक माना जाएगा

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही। ”

XXX

XXX

XXX

123. कुछ मामलों में सबूत का बोझ: ( 1 ) जहाँ कोई सामान हो।

यह साबित करने के लिए कि वे तस्करी के सामान नहीं हैं( क) ऐसे मामले में जहां कब्जे से ऐसी जब्ती की जाती है।

किसी भी व्यक्ति का -

( (i) उस व्यक्ति पर जिसके कब्जे से माल जब्त किया गया था;

और

( (ii) यदि कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति के अलावा जिसके कब्जे से

माल को जब्त कर लिया गया था, जिसका मालिक होने का भी दावा किया गया था,

ऐसे अन्य व्यक्ति पर; टफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

( ख) किसी अन्य मामले में, उस व्यक्ति पर, यदि कोई है जो इस प्रकार जब्त किए गए माल का मालिक होने का दावा करता है।

( 2 ) यह धारा सोने पर लागू होगी और उसके, घड़ियों और किसी भी अन्य श्रेणी के सामान का निर्माण करती है, जिसे केंद्र

सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

निर्दिष्ट करें "।

XXX

XXX

XXX

" 138. अपराधों पर संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया जाना चाहिए-इसके बावजूद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में निहित किसी अपराध पर, धारा 135 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत या उस धारा की उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध के अलावा, मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है।

138 - ए. दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अनुमान। — ( 1 ) किसी भी मामले में

इस अधिनियम के तहत एक अपराध के लिए अभियोजन जिसके लिए आवश्यक है -

अभियुक्त की ओर से दोषपूर्ण मानसिक स्थिति, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व का अनुमान लगाएगा, लेकिन यह अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करने के लिए एक बचाव होगा कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी।

स्पष्टीकरण। इस खंड में, "दोषपूर्ण मानसिक स्थिति" में इरादा, उद्देश्य, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है। ( 2 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक तथ्य को केवल तभी साबित कहा जाता है जब न्यायालय मानता है कि यह उचित से परे मौजूद है।

संदेह और केवल तब नहीं जब इसका अस्तित्व संभावना की प्रधानता से स्थापित होता है।

138 - बी. कुछ के तहत बयानों के बयानों की प्रासंगिकता

परिस्थितियाँ। ( 1 ) एक व्यक्ति द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित बयान

इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान सीमा शुल्क के किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष प्रासंगिक होगा,

इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में उन तथ्यों की सच्चाई को साबित करने के उद्देश्य से जो इसमें शामिल हैं,

( क) जब बयान देने वाला व्यक्ति मर चुका है या नहीं मिल रहा है, या सबूत देने में असमर्थ है, या [2020] 12 एस. सी. आर. से बाहर रखा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिकूल पक्ष द्वारा रास्ता, या जिसकी उपस्थिति नहीं हो सकती है

विलंब या व्यय की राशि के बिना प्राप्त किया गया, जिसके तहत

मामले की परिस्थितियों पर, अदालत विचार करती है

अनुचित; या

( ख) जब बयान देने वाले व्यक्ति से अदालत के समक्ष मामले में गवाह के रूप में पूछताछ की जाती है और अदालत की राय होती है।

कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,

कथन के हित में साक्षय में स्वीकार किया जाना चाहिए

न्याय।

( 2 ) उप-धारा (1) के प्रावधान, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही के संबंध में, अदालत के समक्ष कार्यवाही के अलावा, लागू होंगे, जैसा कि वे किसी अदालत के समक्ष कार्यवाही के संबंध में लागू होते हैं।

अदालत।]

138 - सी. सूक्ष्म फिल्मों की स्वीकार्यता, उनकी प्रतिकृतियाँ

दस्तावेज़ और कंप्यूटर प्रिंट आउट दस्तावेज़ के रूप में औरसबूत। ( 1 ) किसी भी चीज़ में निहित होने के बावजूद

उस समय लागू अन्य कानून,

( क) किसी दस्तावेज़ की सूक्ष्म फिल्म या दस्तावेज़ का पुनरुत्पादन

ऐसी सूक्ष्म फिल्म में सन्निहित छवि या चित्र (चाहे

विस्तारित या नहीं); या ( (ख) किसी दस्तावेज़ की प्रतिकृति; या

( ग) एक दस्तावेज में निहित और एक में शामिल एक बयान

एक कंप्यूटर द्वारा उत्पादित मुद्रित सामग्री (इसके बाद "कंप्यूटर प्रिंट आउट" के रूप में संदर्भित), यदि में उल्लिखित शर्तें

उप-धारा (2) और इसमें निहित अन्य प्रावधान कथन के संबंध में खंड संतुष्ट हैं और

विचाराधीन कंप्यूटर,

इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और स्वीकार्य होंगे। इसके तहत किसी भी कार्यवाही में, बिना किसी और सबूत के

मूल का उत्पादन, किसी भी सामग्री के प्रमाण के रूप में

मूल या उसमें बताए गए किसी तथ्य का जिसका प्रत्यक्ष साक्षय हो।

स्वीकार्य होगा।

( 2 ) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें - एक कंप्यूटर प्रिंट आउट निम्नलिखित होगा, अर्थात्:

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

( क) बयान वाला कंप्यूटर प्रिंट आउट कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान तैयार किया गया था जिस अवधि में

कंप्यूटर के उपयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से की जाने वाली किसी भी गतिविधि के उद्देश्यों के लिए जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए कंप्यूटर का नियमित रूप से उपयोग किया जाता था।

बयान में निहित प्रकार की या उस प्रकार की जानकारी जिससे इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की गई है;
( ग) उक्त अवधि के पूरे भौतिक भाग में,

कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था या, यदि नहीं, तो कोई भी संबंध जिसमें यह ठीक से काम नहीं कर रहा था या उस अवधि के उस हिस्से के दौरान संचालन से बाहर था, ऐसा नहीं था कि दस्तावेज़ के उत्पादन या सामग्री की सटीकता को प्रभावित करे; और

( घ) विवरण में निहित जानकारी उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में कंप्यूटर को प्रदान की गई जानकारी से पुनः प्रस्तुत या प्राप्त की जाती है।

( 3 ) जहाँ किसी भी अवधि में, किसी भी गतिविधि के प्रयोजनों के लिए जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने का कार्य नियमित रूप से उस अवधि में किया जाता है जैसा कि खंड में उल्लिखित है।

( क) उप-धारा (2) का नियमित रूप से कंप्यूटर द्वारा निष्पादन किया जाता था,

क्या

( क) उस अवधि में काम करने वाले कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा;

या

( ख) उस पर लगातार काम करने वाले विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा

अवधि; या

( ग) उस अवधि में लगातार काम करने वाले कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा; या

उस अवधि के दौरान उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटर इस धारा के प्रयोजनों के लिए [2020] 12 एस. सी. आर. का गठन माना जाएगा।



एक एकल कंप्यूटर; और इस खंड में कंप्यूटर के लिए संदर्भ

तदनुसार समझा जाएगा।

( 4 ) इस अधिनियम और बनाए गए नियमों के तहत किसी भी कार्यवाही में

इसके तहत जहां इस धारा के आधार पर साक्षय में एक बयान देना वांछित है, एक प्रमाण पत्र जो इनमें से कोई भी कार्य करता है

चीजों का पालन करना, अर्थात,

( क) कथन वाले दस्तावेज़ की पहचान करना और

जिस तरीके से इसका उत्पादन किया गया था उसका वर्णन करना;

( ख) इसमें शामिल किसी भी उपकरण का विवरण देना

उस दस्तावेज़ का उत्पादन जो यह दिखाने के उद्देश्य से उपयुक्त हो कि दस्तावेज़ एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था

( ग) उन मामलों में से किसी से निपटना जिसके लिए शर्तें हैं।उप-धारा (2) में उल्लिखित,

और एक पर कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य

प्रासंगिक उपकरण के संचालन या प्रासंगिक गतिविधियों के प्रबंधन (जो भी उपयुक्त हो) के संबंध में जिम्मेदार आधिकारिक स्थिति प्रमाण पत्र में बताए गए किसी भी मामले का प्रमाण होगी और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए यह किसी मामले को बताने वाले व्यक्ति की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार बताए जाने के लिए पर्याप्त होगा।

( 5 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

-

( क) जानकारी को कंप्यूटर में आपूर्ति के लिए लिया जाएगा यदि -

इसकी आपूर्ति किसी भी उपयुक्त रूप में की जाती है और क्या यह

किसी भी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से सीधे या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) आपूर्ति की जाती है;

( ख) क्या किसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दौरान

आधिकारिक, जानकारी को संग्रहीत किए जाने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता हैया उन गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया गया

उन गतिविधियों के दौरान के अलावा अन्यथा संचालित, कि

जानकारी, यदि उस कंप्यूटर को विधिवत आपूर्ति की जाती है, तो ली जाएगी।

उन गतिविधियों के दौरान इसे आपूर्ति की जाएगी;

( ग) एक दस्तावेज को एक द्वारा प्रस्तुत किया गया माना जाएगाकंप्यूटर चाहे वह सीधे उसके द्वारा निर्मित किया गया हो या (या के साथ)

मानव हस्तक्षेप के बिना) किसी भी उपयुक्त के माध्यम से

उपकरण।

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

( क) "कंप्यूटर" से कोई भी उपकरण अभिप्रेत है जो निर्धारित प्रक्रियाओं को लागू करते हुए डेटा प्राप्त करता है, संग्रहीत करता है और संसाधित करता है।

इन प्रक्रियाओं की जानकारी और परिणाम प्रदान करना; तथा

( ख) किसी अन्य से प्राप्त जानकारी का कोई संदर्भ

जानकारी गणना, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा उससे प्राप्त होने का संदर्भ होगी।] 139. कुछ मामलों में दस्तावेजों के बारे में अनुमान। जहाँ कोई दस्तावेज़ हो।

( (i) किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है या उससे जब्त किया गया है।

इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण, या

( (ii) इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अपराध की जांच के दौरान भारत के बाहर किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया है,

और ऐसा दस्तावेज़ अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ या उसके खिलाफ सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और कोई अन्य व्यक्ति जिस पर उसके साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है, अदालत

( क) जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, तब तक यह मान लें कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज़ का हर दूसरा हिस्सा जो किसी विशेष व्यक्ति की लिखावट में होने का तात्पर्य रखता है या जिसे अदालत उचित रूप से मान सकती है कि उस पर हस्ताक्षर किए गए थे या उस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

सबूत; ( ग) खंड (i) के तहत आने वाले मामले में भी, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, ऐसे दस्तावेज़ की सामग्री की सच्चाई का अनुमान लगाता है।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'दस्तावेज़' में धारा 110 की उप-धारा (1-सी) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित सूची, तस्वीरें और सूचियां शामिल हैं।

[ 2020 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

200. धारा 100 और 101 सीमा शुल्क के उचित अधिकारी को व्यक्तिगत तलाशी लेने का अधिकार देती है। धारा 103 उचित अधिकारी को सक्षम बनाती है -

यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 100 (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई सामान है, जिसे जब्त किया जा सकता है, तो उसके शरीर की जांच या एक्स-रे करें। सीमा शुल्क के एक अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास शक्ति होती है

धारा 104 के तहत गिरफ्तारी, धारा 105 के तहत परिसरों की तलाशी लेने की शक्ति, धारा 106 के तहत वाहनों को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति। 201. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 107 सीमा शुल्क के किसी भी अधिकारी को सक्षम बनाती है, जो सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विधिवत सशक्त है कि वह किसी भी व्यक्ति से जांच के लिए प्रासंगिक किसी भी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने या वितरित करने की अपेक्षा कर सके और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जांच कर सके।

किसी भी माल की तस्करी।

202. धारा 108 (1) सीमा शुल्क के किसी भी राजपत्रित अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार देती है, जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझता है, या तो सबूत देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी अन्य चीज को पेश करने के लिए जो ऐसा अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कर रहा है। धारा 108 (3) के तहत इस तरह से बुलाए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि निर्देश दिया जा सकता है। इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति सच बोलने के लिए बाध्य होंगे। धारा 108 (4) में यह प्रावधान है कि उपरोक्त प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय संविधान की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।दंड संहिता। भारत संघ में v. पदम नारायण अग्रवाल और इस न्यायालय ने कहा कि धारा 108 के तहत दर्ज किए गए बयान दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयानों से अलग और अलग हैं।

203. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 108 के तहत दर्ज किए गए बयान साक्षय में स्वीकार्य हैं। के. आई. पावन्नी को संदर्भित किया जा सकता है।

वी. सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टोरेट, कोच्चि 44। एन. जे. सुखवानी बनाम भारत संघ ", इस न्यायालय ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दिया गया

बयान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए साक्षय का एक भौतिक टुकड़ा है। सह अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान का उपयोग दूसरों के खिलाफ किया जा सकता है।43 ( 2008 ) 13 एस. सी. सी. 305 44 (1997) 3 एस. सी. सी. 721 45 ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 522 टफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

देश के विदेशी मुद्रा स्रोतों के संरक्षण और उनके उचित उपयोग के लिए मुद्रा का अधिकार और निर्यात। देश का कोनॉमिक विकास। एफ. ई. आर. ए. को ओरेइन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (एफ. ई. एम. ए.) द्वारा निरस्त कर दिया गया था। कुछ प्रासंगिक

एफ. ई. आर. ए. के संकेत नीचे दिए गए हैं:

" 34 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने की शक्ति

दस्तावेज़। - ( 1 ) यदि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत प्रवर्तन के किसी अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्ति के बारे में या अपने कब्जे, स्वामित्व या स्वामित्व के तहत किसी भी चीज़ को गुप्त रखा है।

इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक किसी भी दस्तावेज को नियंत्रित करने के लिए, वह उस व्यक्ति या ऐसी चीज़ की तलाशी ले सकता है और ऐसे दस्तावेजों को जब्त कर सकता है।

( 2 ) जब प्रवर्तन का कोई अधिकारी किसी की तलाशी लेने वाला हो।

इस धारा के प्रावधानों के तहत अधिकारी

प्रवर्तन, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाएगा।

प्रवर्तन उसके या मजिस्ट्रेट से उच्च पद पर है।

( 3 ) यदि ऐसी मांग की जाती है, तो प्रवर्तन अधिकारी इसे बनाने वाले व्यक्ति को तब तक हिरासत में ले सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित प्रवर्तन अधिकारी या संदर्भित मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला सकता है।

4 ) राजपत्रित प्रवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिनके समक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि वह तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत आरोपमुक्त कर दिया जाएगा।

लेकिन अन्यथा यह निर्देश दिया जाएगा कि खोज की जाए।

( 5 ) इसके प्रावधानों के तहत तलाशी लेने से पहले

धारा, प्रवर्तन अधिकारी दो को बुलाएगा या

तलाशी में भाग लेने और देखने के लिए अधिक व्यक्ति और उन्हें या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी कर सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी और

ऐसी तलाशी के दौरान जब्त किए गए सभी दस्तावेजों की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। ( 6 ) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।

[ 2020 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. गिरफ्तार करने की शक्ति। - ( 1 ) यदि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा प्राधिकृत प्रवर्तन के किसी अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि भारत में या भारतीय सीमा शुल्क जल के भीतर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी रहा है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके, ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में उसे सूचित करेगा।

( 2 ) उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा।

( 3 ) जहां प्रवर्तन के किसी अधिकारी ने उप-धारा (1) के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वह उसे रिहा करने के उद्देश्य से करेगा।

जमानत पर या अन्यथा ऐसे व्यक्ति के पास वही शक्तियाँ हैं और वे उन्हीं प्रावधानों के अधीन हैं जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत हैं और उनके अधीन हैं।

( क) विमान, वाहन या विमान के किसी भी हिस्से की खोजबीन करें।जहाज;

( ख) विमान, वाहन या पोत या पशु पर किसी भी सामान की जांच और तलाशी लें:

( ग) ऊपर उल्लिखित किसी भी दस्तावेज को जब्त कर लें;

( घ) खंड (क), (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी दरवाजे या पैकेज का ताला तोड़ें, यदि चाबियाँ रोक दी गई हैं।

37. परिसर की तलाशी लेने की शक्ति। - ( 1 ) यदि कोई अधिकारी

प्रवर्तन, जो प्रवर्तन के सहायक निदेशक के पद से कम नहीं है, के पास यह मानने का कारण है कि कोई भी दस्तावेज जो, टोफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

उनकी राय में, किसी के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगा इस अधिनियम के तहत जांच या कार्यवाही को गुप्त रखा जाता है

किसी भी स्थान पर, वह प्रवर्तन के किसी भी अधिकारी को खोज करने और जब्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है या स्वयं ऐसे दस्तावेजों की खोज और जब्त कर सकता है।( 2 ) तलाशी से संबंधित 1 [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के प्रावधान, जहां तक हो सके, इस संशोधन के अधीन धारा के तहत तलाशी पर लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 की उप-धारा (5) इस तरह प्रभावी होगी जैसे कि "मजिस्ट्रेट" शब्द के लिए, जहां भी ऐसा होता है, "प्रवर्तन निदेशक या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने वाले अन्य अधिकारी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था।

38. दस्तावेज आदि जब्त करने की शक्ति। - धारा 34 या धारा 36 या धारा 37 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत प्रवर्तन के किसी अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि कोई दस्तावेज या चीज इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगी या जिसके संबंध में इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसे दस्तावेज या चीज़ को जब्त कर सकता है।

इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान, ( क) जांच या कार्यवाही से संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या वितरित करने के लिए किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है;

( ख) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जांच करें।

40. साक्षय देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति। - ( 1 ) प्रवर्तन के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के पास किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति में वह

किसी भी जाँच या कार्यवाही के दौरान साक्षय देने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है।

इस अधिनियम के तहत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( 2 ) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समन कुछ निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या सभी को प्रस्तुत करने के लिए हो सकता है।

बुलाए गए व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में एक निश्चित विवरण के दस्तावेज।

( 3 ) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति दोनों में से किसी एक में भाग लेने के लिए बाध्य होंगे।

( 4 ) उपरोक्त प्रत्येक अन्वेषण या कार्यवाही को निम्नलिखित अर्थों के भीतर न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा: भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 और 228

XXX

XXX

XXX

56. अपराध और अभियोजन। - ( 1 ) इस अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दंड के किसी भी अधिनिर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है। अधिनियम [धारा 13, [धारा 18, धारा 18क] की उप-धारा (1) के खंड (क), धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (क), धारा 44 की उप-धारा (2) और धारा 57 और 58] के अलावा, या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश के।

न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर दंडनीय होगा,

निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले कारण, छह महीने से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा अधिरोपित करें;(ii) किसी अन्य मामले में, तीन साल तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ।

टोफान सिंह बनाम। तमिलनाडु राज्य

[ इंदिरा बनर्जी, जे।]

( 2 ) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है [नहीं]

धारा 13 या खंड (ए) या उप-धारा के तहत अपराध होना ( 1 ) [धारा 18 या धारा 18क] या धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (क) या धारा 44 की उप-धारा (2) या धारा 57 या धारा 58] को फिर से इसके तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।

अधिनियम [धारा 13 या के खंड (ए) के तहत अपराध नहीं है

[धारा 18 या धारा 18क] की उप-धारा (1) या धारा 19 की उप-धारा (1) का खंड (क) या धारा 44 की उप-धारा (2) या धारा 57 या धारा 58], वह दूसरे के लिए और बाद के प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो छह महीने से कम नहीं होगा लेकिन जो सात साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने से:

निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले कारणों से छह महीने से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाती है। ( 3 ) जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, [जो [धारा 18 या धारा 18ए] या खंड की धारा 13 या उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत अपराध नहीं है।

( क) धारा 19 की उप-धारा (1) या धारा 44 की उप-धारा (2) या धारा 57 या धारा 58], को फिर से अपराध का दोषी ठहराया जाता है।इस अधिनियम के तहत [धारा 13 या धारा 18 या धारा 18ए की उप-धारा (1) के खंड (ए) या धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या धारा 44 की उप-धारा (2) या धारा 57 या धारा 58 के तहत अपराध नहीं होने के कारण], वह न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया जाता है।

दोषी व्यक्ति, इस धारा के तहत उस पर लगाए जाने वाले किसी भी दंड के अलावा, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है

छह महीने से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा देना, अर्थात्: ( i) यह तथ्य कि अभियुक्त को इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है; [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( (ii) यह तथ्य कि इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, इसके अलावा अभियोजन पक्ष, अभियुक्त को जुर्माना देने का आदेश दिया गया है

या ऐसी कार्यवाही के संबंध में माल किया गया है

जब्त करने का आदेश दिया गया है या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है

उसी अपराध के लिए उसके खिलाफ लिया गया;

( (ग) यह तथ्य कि अभियुक्त मुख्य अपराधी नहीं था। और केवल माल के वाहक के रूप में या अन्यथा कार्य कर रहा था

अपराध करने में एक द्वितीयक पक्ष था;

( (iv) अभियुक्त की आयु।

( 5 ) उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए, यह तथ्य कि

इस अधिनियम के तहत एक अपराध ने कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचाया है

आम जनता या किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगा

और कारावास की सजा देने का विशेष कारण

छह महीने से कम की अवधि के लिए।

( 6 ) संहिता की धारा 188 के प्रावधान में कुछ भी नहीं

दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) किसी भी मामले में लागू होगी।

इस धारा के तहत दंडनीय अपराध।

XXX

XXX

XXX

59. दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अनुमान। - ( 1 ) किसी भी मामले में

इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियोजन जिसमें अभियुक्त की ओर से दोषी मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, अदालत

ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व का अनुमान लगाएगा लेकिन यह

अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करने के लिए एक बचाव होना कि उसके पास नहीं था

अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में ऐसी मानसिक स्थिति

स्पष्टीकरण। इस खंड में, "दोषी मानसिक स्थिति"इरादे, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और विश्वास शामिल हैं,

या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य।

( 2 ) कहा जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक तथ्य सिद्ध किया गया है।

केवल तभी जब अदालत मानती है कि यह उचित से परे मौजूद है संदेह और न केवल जब इसका अस्तित्व एक द्वारा स्थापित किया जाता है

संभावना की प्रधानता।

( 3 ) इस धारा के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, -न्यायनिर्णायक टफान सिंह बनाम के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में आवेदन करें।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

अधिकारी के रूप में वे किसी भी अभियोजन के संबंध में आवेदन करते हैं

इस अधिनियम के तहत अपराध।

XXX

XXX

XXX

62. कुछ अपराध गैर-संज्ञेय होने चाहिए। - विषय के अधीन

धारा 45 के प्रावधान और किसी भी चीज के बावजूद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (के 2) में निहित

1974 ) , धारा 56 के तहत दंडनीय अपराध होगा -

इसके अर्थ के भीतर गैर-संज्ञानात्मक माना जाता है

कोड "।205. रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966

इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि एक सामान्य वाहक के रूप में रेलवे को सौंपे गए माल के गैरकानूनी कब्जे से निपटने और ऐसे अपराधों के लिए सजा को और अधिक निवारक बनाने के लिए एक व्यापक अधिनियम है। रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 का प्रमुख उद्देश्य, या सटीक होने के लिए, चोरी, बेईमानी के दुरुपयोग या रेलवे संपत्ति के गैरकानूनी कब्जे को दंडित करना है।

206. रेलवे संपत्ति के कुछ प्रावधान (गैरकानूनी)

कब्जा) अधिनियम इस प्रकार है:

3. चोरी, बेईमान दुरुपयोग या गैरकानूनी के लिए जुर्माना

रेलवे संपत्ति का अधिकार। जो कोई भी चोरी करता है, या

बेईमानी से दुरुपयोग करता है या पाया जाता है, या साबित होता है] उचित रूप से किसी भी रेलवे संपत्ति के कब्जे में था

चोरी या गैरकानूनी रूप से प्राप्त होने का संदेह,

जब तक वह यह साबित नहीं करता कि रेलवे की संपत्ति उसके पास आई थी

कानूनी रूप से अधिकार, दंडनीय हो

( क) पहले अपराध के लिए, एक अवधि के लिए कारावास के साथ जो पाँच साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ और

उल्लेख किए जाने वाले विशेष और पर्याप्त कारणों का अभाव

न्यायालय के निर्णय के अनुसार, ऐसा कारावास नहीं होगा एक वर्ष से कम और ऐसा जुर्माना एक वर्ष से कम नहीं होगा।

एक हजार रुपये;

( ख) कारावास के साथ दूसरे या बाद के अपराध के लिए।

ऐसी अवधि के लिए जो पांच साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के साथ भी

और विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में

अदालत के फैसले में उल्लिखित इस तरह के कारावास [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दो साल से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "चोरी" और "बेईमान दुरुपयोग" के समान अर्थ होंगे।जैसा कि भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 378 और धारा 403 में उन्हें सौंपा गया है।

4. अपराधों में उकसाने, साजिश या मिलीभगत के लिए सजा। - जो कोई भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने में मदद करता है या साजिश करता है, या कोई मालिक या भूमि या भवन का कब्जा करने वाला, या उस भूमि या भवन के प्रबंधन के प्रभारी ऐसे मालिक या कब्जा करने वाले का कोई एजेंट, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ किसी अपराध में जानबूझकर मिलीभगत करता है, वह पांच साल तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रोत्साहन" और "षडयंत्र" शब्दों के समान अर्थ होंगे - भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 107 और 120ए में क्रमशः उन्हें सौंपा गया है।

5. अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय नहीं होंगे।

—

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत कोई अपराध संज्ञेय नहीं होगा।

6. वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। - बल का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या सदस्य मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना

और वारंट के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करें जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध में शामिल रहा है या जिसके खिलाफ उसके इस तरह से संबंधित होने का उचित संदेह मौजूद है।

XXX

XXX

XXX

8. पूछिए कि कैसे बनाया जाए। - ( 1 ) जब बल का कोई अधिकारी किसी अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करता है

इस अधिनियम के तहत दंडनीय, या जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए बल के किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या धारा 7 के तहत उसे भेजा जाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा।



( 2 ) इस उद्देश्य के लिए बल का अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और वही प्रावधानों के अधीन होगा जो पुलिस-स्टेशन का प्रभारी अधिकारी किसी संज्ञेय मामले की जांच करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के तहत प्रयोग कर सकता है और उसके अधीन है: बशर्ते कि -

( क) यदि बल के अधिकारी की राय है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है।

अभियुक्त व्यक्ति, वह या तो उसे पेश होने के लिए जमानत पर स्वीकार करेगा

मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, या उसे हिरासत में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजें;

( ख) यदि बल के अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि

अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त साक्षय या संदेह का उचित आधार, वह अभियुक्त व्यक्ति को मुचलका निष्पादित करने पर, जमानत के साथ या उसके बिना रिहा कर देगा, जैसा कि बल का अधिकारी निर्देश दे सकता है, यदि और जब ऐसा आवश्यक हो तो अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के लिए, और मामले के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने आधिकारिक वरिष्ठ को देगा।

9. साक्षय देने और पेश करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति

दस्तावेज़। ( 1 ) बल के एक अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह या तो साक्षय देने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए आवश्यक समझता है, या किसी भी जांच में कोई अन्य चीज जो ऐसा अधिकारी किसी भी जांच के लिए करता है।

इस अधिनियम के उद्देश्य।

( 2 ) दस्तावेज़ या अन्य चीजें प्रस्तुत करने के लिए समन हो सकता है

कुछ विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या चीजों के उत्पादन के लिए या सभी दस्तावेजों या चीजों के उत्पादन के लिए एक निश्चित विवरण के कब्जे में या उसके नियंत्रण में

व्यक्ति

बुलाया गया।

( 3 ) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति दोनों में से किसी एक में भाग लेने के लिए बाध्य होंगे। व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत अभिकर्ता द्वारा जो ऐसा अधिकारी निर्देशित करे और इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति सच्चाई बताने के लिए बाध्य होंगे।

किसी भी विषय पर जिसके संबंध में उनकी जांच की जाती है या बनाई जाती हैबयान देना और ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें प्रस्तुत करना जिनकी आवश्यकता हो सकती है:



बशर्ते कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 132 और 133 के तहत छूट इस धारा के तहत उपस्थिति के लिए अनुरोधों पर लागू होगी।

( 4 ) उपरोक्त प्रत्येक ऐसी जांच को धारा 193 और 228 के अर्थ में "न्यायिक कार्यवाही" माना जाएगा।

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)।"

207. भले ही रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय नहीं हैं, लेकिन उन्हें पांच साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। बल का कोई भी सदस्य मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यहां तक कि केवल संदेह पर भी, यदि उचित हो।

208. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर बल का एक अधिकारी इसकी जांच कर सकता है।

व्यक्ति के खिलाफ आरोप और इस उद्देश्य के लिए अधिकारी "उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उन्हीं प्रावधानों के अधीन होगा जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी प्रयोग कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत दंड प्रक्रिया

संज्ञेय मामला "। अधिकारी के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति में होती है।

209. यह सच है, जैसा कि श्री जैन ने तर्क दिया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत जांच एक न्यायिक कार्यवाही है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 198 के अर्थ के भीतर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 14 (4) और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 (4) के आधार पर, जो समान प्रावधान हैं और "उपरोक्त प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा" फेरा की धारा 40 (4) और रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा अधिनियम) 1966 की धारा 9 (4) भी समान हैं। और/या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 14 (4) और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 (4) के शाब्दिक पुनरुत्पादन।

210. आई. पी. सी. की धारा 193 और 228 सुविधा के लिए नीचे दी गई हैं:

" 193. झूठे सबूत के लिए सजा। जो कोई भी न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में जानबूझकर गलत साक्षय देता है, या न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से गलत साक्षय बनाता है, उसे टोफान सिंह v से दंडित किया जाएगा।



इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और जो कोई भी जानबूझकर गलत सबूत देता है या गढ़ता है

किसी अन्य मामले में, कारावास से दंडित किया जाएगा

या तो एक कार्यकाल के लिए विवरण जो तीन साल तक बढ़ सकता है,

और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण 1. - अदालत के समक्ष एक मुकदमा-मार्शल * *

* एक है

न्यायिक कार्यवाही।

स्पष्टीकरण 2. - कानून द्वारा निर्देशित प्रारंभिक जांचन्याय के न्यायालय के समक्ष एक कार्यवाही के लिए, न्यायिक का एक चरण है

कार्यवाही, हालाँकि वह जाँच नहीं हो सकती है

228. लोक सेवक की बैठक में जानबूझकर अपमान या व्यवधान न्यायिक कार्यवाही में। जो भी जानबूझकर कोई पेशकश करता है

किसी लोक सेवक का अपमान करना, या कोई व्यवधान पैदा करना, जबकि

ऐसा लोक सेवक न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैठा है।

कार्यवाही, के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा

एक अवधि जो छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने के साथ जो

एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ।

211. केंद्र के अधीन कारावास से दंडनीय अपराध

आबकारी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, एफ. ई. आर. ए., रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम या इसी तरह का कोई अन्य अधिनियम सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

212. ऊपर वर्णित अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, एफ. ई. आर. ए. (अब निरस्त), रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, जिन्हें जांच कहा जाता है, विभागीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो इसके लिए विधिवत अधिकृत होते हैं।

संबंधित प्राधिकारी यह तय करेंगे कि सक्षम न्यायालय के समक्ष शिकायत दायर की जानी चाहिए या नहीं। यदि जानकारी एकत्र की गई और/या सामग्री

इस प्रकार वारंट प्राप्त होने पर शिकायत दर्ज की जाती है।

213. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत किसी भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जांच

केंद्र सरकार द्वारा या सीमा शुल्क के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी

सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त सीमा शुल्क के किसी भी अधिकारी द्वारा अधिनियम

प्रवर्तन अधिकारी द्वारा या रेलवे संपत्ति के तहत एफ. ई. आर. ए. ( रेलवे सुरक्षा [2020] 12 एस. सी. आर. के एक अधिकारी द्वारा गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1961

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बल प्रयोग किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में कार्यवाही के समान नहीं है। इस तरह की जांच सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने के लिए प्रारंभिक है। यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच सहित दंडात्मक प्रावधानों के साथ किसी अन्य कानून के तहत एक लोक सेवक द्वारा की गई जांच के समान है।

214. इन अधिनियमों के तहत जांच को धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही का दर्जा दिया गया है।

आई. पी. सी., एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध की जांच के विपरीत। अंतर केवल इतना है कि इनमें से किसी भी अधिनियम के तहत जांच में बयान देने वाला व्यक्ति, न्यायालय की कार्यवाही सहित किसी भी अन्य न्यायिक कार्यवाही में गलत साक्षय देने के परिणामों से बोझिल है, जिसके लिए कारावास की सजा हो सकती है जो तीन तक हो सकती है। वर्ष और जुर्माना [आई. पी. सी. की धारा 193] या "न्यायिक कार्यवाही" के किसी भी चरण में किसी लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या व्यवधान जो छह महीने तक के कारावास या जुर्माने या दोनों [आई. पी. सी. की धारा 228] से दंडनीय है।

215. चूंकि ऊपर निर्दिष्ट अधिनियमों, अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम के तहत जांच को न्यायिक कार्यवाही का दर्जा दिया गया है ताकि व्यक्तियों को गलत बयान देने या अन्यथा जानबूझकर जांच में बाधा डालने से रोका जा सके, इसलिए विधानमंडल ने इस अभिव्यक्ति का उपयोग करना उचित समझा है कि "किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह सबूत देने या दस्तावेज़ पेश करने के लिए आवश्यक समझता है"।

216. अभिव्यक्ति 'साक्षय' का उपयोग स्पष्ट रूप से कार्यवाहियों की एक आभा बनाने के लिए किया गया है, जो एक अदालत में कार्यवाहियों के समान है। हालांकि

प्राप्त बयानों और/या दस्तावेजों की ग्राह्यता केवल इसलिए अधिक नहीं है क्योंकि कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है और अभिव्यक्ति "साक्षय" का उपयोग किया गया है। अभियोजन पक्ष को अभी भी मुकदमे के समय सबूत पेश करके अपना मामला साबित करना होगा। जाँच में तथाकथित 'साक्षय' मुकदमे में साक्षय के समान नहीं है। दस्तावेज़ों को अभी भी परीक्षण के समय निविदा और साबित करना होगा। क्या जांच के दौरान प्राप्त कोई भी दस्तावेज और/या बयान मुकदमे में साक्षय में बिल्कुल भी स्वीकार्य होंगे और यदि

ऐसा है, तो वे किस हद तक प्रासंगिक होंगे, इसका फैसला लागू कानून को ध्यान में रखते हुए अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

217. यह सच है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक जांच या जांच एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है, बस टोफान सिंह बनाम द्वारा एक जांच या जांच के रूप में।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

Cr.P.C के तहत पुलिस न्यायिक कार्यवाही नहीं है। हालाँकि, इस न्यायालय के एक निर्णय में एक आकस्मिक टिप्पणी, कि साक्षय अधिनियम की धारा 25 को शामिल करने के कारणों के विश्लेषण के संदर्भ में "एक पुलिस अधिकारी कभी भी न्यायिक रूप से कार्य नहीं करता है", जिसके तहत किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई स्वीकारोक्ति किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं की जानी है, का अर्थ कानून के प्रस्ताव को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, कि उस अधिकारी के सामने जांच के दौरान किसी अधिकारी को दिए गए इकबालिया बयान को साक्षय में प्रस्तुत या साबित नहीं किया जा सकता है, यदि जांच न्यायिक कार्यवाही नहीं है। न ही इस तरह के अवलोकन को एक विपरीत प्रस्ताव के रूप में माना जा सकता है कि एक अधिकारी के समक्ष जांच में सभी स्वीकारोक्ति, जो पुलिस अधिकारी नहीं है, लेकिन सभी उद्देश्यों के लिए एक पुलिस अधिकारी माना जाता है, जिसमें धारा के समान शक्ति सहित एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियां शामिल हैं।

173 ( 2 ) Cr.P.C, को प्रस्तुत किया जा सकता है और साक्षय में साबित किया जा सकता है, केवल इसलिए कि जांच आई. पी. सी. की धारा 193 या 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही है, इस अर्थ में कि एक व्यक्ति जानबूझकर देता है।

ऐसी कार्यवाही में झूठा सबूत, या जानबूझकर अपमान करना या ऐसी जांच करने वाले व्यक्ति को बाधित करना कारावास से दंडनीय है।

218. उल्लेखनीय है कि रोमेश चंद्र मेहता (ऊपर) और इलियास (ऊपर) की संविधान पीठों ने एक विशेष अधिनियम के तहत अपराध की जांच के लिए एक पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के बीच अंतर किया है।219. यह तथ्य कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अध्याय 5 के प्रावधान, जो कुछ अधिकारियों को प्रवेश, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, जांच और जांच की शक्तियां प्रदान करते हैं, स्पष्ट रूप से "साक्षय एकत्र करें" वाक्यांश का उपयोग नहीं करते हैं, इस मुद्दे के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या ऐसे अधिकारी साक्षय अधिनियम की धारा 25 के प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए पुलिस अधिकारी हैं।

220. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 केंद्र या राज्य सरकार द्वारा धारा 42 में निर्दिष्ट एक अधिकारी को (i) किसी भी व्यक्ति से जानकारी के लिए कॉल करने, (ii) किसी भी व्यक्ति से किसी भी उपयोगी या प्रासंगिक दस्तावेज या चीज़ को प्रस्तुत करने या वितरित करने की आवश्यकता और (iii) किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए सक्षम बनाती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के किसी भी

प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में किसी भी जांच के दौरान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना।

[ 2020 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

221. इसी तरह, एक अधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति के साथ निवेश किया।

222. यह समझना मुश्किल है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या सीमा शुल्क अधिनियम या एफ. ई. आर. ए. या किसी अन्य के तहत जांच कैसे की जाती है।जिस अधिनियम को आई. पी. सी. की धारा 193 और 228 के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए एक न्यायिक कार्यवाही माना जा सकता है, उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जांच में दिए गए बयानों की साक्षय में स्वीकार्यता में कोई अंतर करना चाहिए।

223. यह सच है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय हैं।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत। जैसा कि ऊपर देखा गया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कुछ अपराध भी हैं -

बोधगम्य। धारा 2 (सी) के तहत "संज्ञेय अपराध" का अर्थ है एक अपराध जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और धारा 2 (1) के तहत "गैर संज्ञेय अपराध" को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय नहीं हैं, उक्त अधिनियम की धारा 6 किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है

मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना उक्त अधिनियम के तहत किसी अपराध से संबंधित।

224. साक्षय अधिनियम की धारा 25 गैर-संज्ञेय अपराध के लिए मुकदमे में साक्षय और मुकदमे में साक्षय के बीच अंतर नहीं करती है।

संज्ञेय अपराध। साक्षय की स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कोई अपराध 'संज्ञेय' है या संज्ञेय नहीं है। केवल यह तथ्य कि कोई अपराध संज्ञेय था, पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है, अपराध के मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षय की स्वीकार्यता या संभावित मूल्य में कोई अंतर नहीं लाना चाहिए।225. विशेष रूप से, जैसा कि ऊपर देखा गया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कुछ अपराध भी संज्ञेय हैं। यह हो सकता है

यह भी इंगित करना उचित होगा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत सभी अपराध जिनमें एक वर्ष तक के कारावास की सजा भी शामिल है,

संज्ञेय, रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम में अपराध टॉफन सिंह v.

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

1966 , सात वर्ष के कारावास से दंडनीय, गैर-संज्ञेय बना दिए गए हैं।

226. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अभियुक्त की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, नशीली दवाओं की तस्करी के मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर अधिक जोर देना अपराधियों की आशंका में एक बड़ी बाधा हो सकती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों में, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त अनुपालन को पर्याप्त माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराध पूरे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है।

227. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद 20 (3) और 21 के तहत मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं जो एक महत्वपूर्ण अधिकार हैं।

भारतीय संविधान में गौरव का स्थान। ये अधिकार गैर-परक्राम्य हैं और इन्हें उत्साहपूर्वक, सतर्कता के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए।228. विधानमंडल के पास ऐसा कोई भी कानून बनाने की शक्ति नहीं है जो संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। कोई भी कानून और/या वैधानिक प्रावधान जो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जब तक कि चुनौती से संरक्षित न हो, तब तक उसे अधिकार से बाहर माना जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 (ए), 31 (बी) या 31 (सी) द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर।

229. जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 (3) में प्रावधान है कि किसी भी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

230. जीने के अधिकार को इस न्यायालय द्वारा गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में समझा गया है। में सूचीबद्ध सभी मानवाधिकार

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यू. डी. एच. आर.) को 10 तारीख को अपनाया गया

दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार के दायरे में आता है, जिसमें से किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा वंचित नहीं किया जा

सकता है। 231. अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है। यह अधिकार एक अत्यंत मूल्यवान अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 में निहित है। के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र में। वी. भारत संघ और ओआरएस। " , इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या प्रवेश के प्रावधान,

46 ( 2017 ) 10 एससीसी 1 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ज, जब्ती और गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगी।

अपराध का सेड मुद्दा में नहीं था। जो भी हो, इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दिया जाए:इंद्रचूड़, जे. (खेहर के लिए, सीजे। , अग्रवाल, जे., स्वयं और

एर, जे।

" 313. गोपनीयता को एक आंतरिक तत्व माना गया है

अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

संवैधानिक मूल्य जो मौलिक में सन्निहित है

संविधान के भाग III में निहित स्वतंत्रताएँ। जैसे कि

जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर काम करता है निजता के अधिकार पर काम करें। कोई कटौती या अभाव

उस अधिकार का होना कानून के शासन के तहत होना चाहिए।

उचित है। कानून जो कटौती का प्रावधान करता है अधिकार संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अधीन भी होना चाहिए।

अमेश्वर, जे।

" 377.यह बिना कहे चला जाता है कि कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है

निरपेक्ष। हर अधिकार की सीमाएँ होती हैं। इस मामले का यह पहलू

बार में स्वीकार किया जाता है। इसलिए, एक मौलिक अधिकार भी निजता की सीमाएँ हैं। सीमाओं की पहचान की जानी चाहिए

मामला-दर-मामला आधार पर प्रकृति के आधार पर

गोपनीयता हित का दावा किया गया। अलग-अलग मानक हैं

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण करने के लिए समीक्षा। जबकि

लेखों में अलग-अलग (भले ही केवल थोड़ा अलग हो) उनमें से कुछ)। दृढ़ता से व्याख्या करने के बाद

संविधान की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार की गारंटी देती हैगोपनीयता के लिए, मेरे लिए तरीके की रूपरेखा तैयार करना आवश्यक है

जिसे निजता का ऐसा अधिकार सीमित किया जा सकता है। मैं केवल यह करने के लिए

बहस की दिशा को सीमा की प्रकृति के रूप में इंगित करें यह यहाँ मुद्दा नहीं है।

XXX

XXX

XXX

380. समीक्षा का न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित मानक

अनुच्छेद 21 में विस्तार की आवश्यकता नहीं है। यह भी सबसे आम है अब तक गोपनीयता दावे से निपटने वाले मामलों में उपयोग किया जाता था।

टोफान सिंह बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

21 तर्कसंगतता जांच। संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां "बाध्यकारी राज्य हित" की शब्दावली की उत्पत्ति हुई, जांच के एक सख्त मानक में दो चीजें शामिल हैं-एक "बाध्यकारी राज्य हित" और "संकीर्ण सिलाई" की आवश्यकता (संकीर्ण सिलाई का अर्थ है कि कानून को संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए।उद्देश्य को प्राप्त करें)। एक शब्द के रूप में, अमेरिका में "बाध्यकारी राज्य हित" की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस मानक को कुछ स्पष्टता के साथ अपनाया जाए कि कब और किस प्रकार की गोपनीयता का दावा है कि इसका उपयोग किया जाना है। केवल में

गोपनीयता के दावे जो सबसे सख्त जांच के योग्य हैं

उपयोग किए जाने वाले बाध्यकारी राज्य हित के मानक। अन्य के लिए, अनुच्छेद 21 के तहत न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित मानक लागू होंगे। जब बाध्यकारी राज्य ब्याज मानक का उपयोग किया

जाना है, तो ठोस मामलों के संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए। हालाँकि, यह चर्चा जमीनी नियमों को निर्धारित करती है जिसके भीतर

निजता के अधिकार की सीमा का पता लगाया जाना चाहिए "।

ले, जे।

" 403. ... ..... न ही निजता का अधिकार खो जाता है जब कोई व्यक्ति

सार्वजनिक रूप से घूमते हैं। कानून की आवश्यकता है एक विशिष्ट

जहाँ व्यक्ति है वहाँ भी उसकी खोज के लिए प्राधिकरणसंदेह "।

नान, जे।

" 525 ..... अंतिम विश्लेषण में, निजता का मौलिक अधिकार, जिसके कई विकासशील पहलू हैं, केवल मामले-दर-मामले के आधार पर विकसित किया जा सकता है। उस विशेष पहलू के आधार पर जिस पर भरोसा किया जाता है, या तो अनुच्छेद 21 अपने आप में

या अन्य मौलिक अधिकारों के संयोजन में मिलेगा

आकर्षित किया।526. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा अधिकार निरपेक्ष है। यह अधिकार राज्य के वैध हितों या सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए राज्य द्वारा बनाए गए उचित नियमों के अधीन है। हालाँकि, जब इस अधिकार पर प्रतिबंधों की बात आती है, तो विभिन्न [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिन लेखों से अधिकार संबंधित है, वे सावधानीपूर्वक होने चाहिए।

पीछा किया। उदाहरण के लिए, यदि गोपनीयता पर प्रतिबंध मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर है जो किसी व्यक्ति को करना है,

अनुच्छेद 21 के तहत राज्य की कार्रवाई को रोका जा सकता है।

अनुच्छेद 14 यदि यह मनमाना और अनुचित है; और इसके तहत

अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 19 (1) (ए) के साथ केवल तभी पढ़ा जाए जब यह अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित विषयों और निर्धारित परीक्षणों से संबंधित हो।

इस न्यायालय द्वारा ऐसे विधान या अधीनस्थ विधान के लिए

उक्त लेख के तहत एकत्रित करने के लिए। इस न्यायालय द्वारा विकसित किए गए प्रत्येक परीक्षण, अनुच्छेद के तहत कानून या कार्यकारी कार्रवाई

21 अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जाए; या उपरोक्त उदाहरणों में अनुच्छेद 19 (1) (ए) के साथ पढ़ा गया अनुच्छेद 21 पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य कार्रवाई कर सके।

पास मस्टर। अंतिम विश्लेषण में व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच संतुलन बनाने का कार्य किया जाता है।

हितों को प्रशिक्षण और विशेषज्ञता पर छोड़ दिया जाना चाहिए

न्यायिक मन।

536. इस संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि निजता का अपरिहार्य मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 21 और अन्य मौलिक स्वतंत्रताओं में निहित है। एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, आकाशवाणी

1954 एससी 300: 1954 क्रि एलजे 865: 1954 एससीआर 1077] और

खरक सिंह [खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1295: ( 1963 ) 2 क्रि एल. जे. 329: ( 1964 ) 1 एस. सी. आर. 332], इस हद तक कि वे इसके विपरीत संकेत देते हैं, खारिज कर दिया जाता है।

निजता को मान्यता देने वाले इस न्यायालय के बाद के निर्णय

मौलिक अधिकार पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये हैं मामले

इसलिए, योग्यता के आधार पर निर्णय के लिए वापस भेजा जाता है

इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की मूल पीठ

हमारे द्वारा अभी-अभी दिए गए निर्णय का।

जे.

" 629. एक व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण रखने और अपने जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होने का अधिकार

अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने का उसका अधिकार भी शामिल है

इंटरनेट। कहने की जरूरत नहीं है कि यह एक पूर्ण अधिकार नहीं होगा। इस तरह के अधिकार के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि

अपराधी अपने अतीत को मिटा सकता है।

टोफान सिंह वी। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

232. मेनका गांधी बनाम। भारत संघ ", इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित करने के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया याव्यक्तिगत स्वतंत्रता निष्पक्ष, उचित और मनमानेपन से मुक्त होनी चाहिए। स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया, जो मनमाना और दमनकारी है, को अनुच्छेद 14 के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 21 में निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा।

233. जबकि एक निष्पक्ष न्यायालय और/या न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार यू. डी. एच. आर. के तहत एक मानव अधिकार है और एक आवश्यक सहवर्ती है।

मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मुकदमे की निष्पक्षता को न केवल अभियुक्त के दृष्टिकोण से, बल्कि पीड़ित और समाज के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध समाज के खिलाफ अपराध है, न कि केवल किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ।

व्यक्तियों। जबकि किसी अभियुक्त के साथ अन्याय को रोकने के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम में सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि दोषी अपराधी तकनीकीताओं पर अधिक जोर देने के कारण बच न जाएं। पर्याप्त न्याय किया जाना चाहिए। साक्षय के प्रत्येक टुकड़े की निष्पक्ष रूप से जांच, मूल्यांकन और अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

234. संविधान का अनुच्छेद 20 (3) किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है:

( (ii) "गवाह बनने" की मजबूरी के विरुद्ध और( (ग) स्वयं के विरुद्ध

235. जबरदस्ती संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के प्रतिबंध का एक अनिवार्य घटक है। अनुच्छेद 20 (3) प्रभावी रूप से इकबालिया बयान को स्वीकार करने पर रोक नहीं लगाता है, जो बिना किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के दिया जाता है, भले ही बाद में इसे वापस ले लिया गया हो। लेख अभियुक्त को स्वेच्छा से पेशकश करने से भी नहीं रोकता है।स्वयं से एक गवाह के रूप में पूछताछ की जाए। के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण

गवाह बनने की बाध्यता केवल "अपराध के अभियुक्त" व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, न कि अभियुक्त के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए। यह गवाह बनने की मजबूरी के खिलाफ एक संरक्षण है और यह मजबूरी के खिलाफ एक संरक्षण है जिसके परिणामस्वरूप वह अपने खिलाफ सबूत देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

236. जैसा कि बालकिशन ए देवीदयाळ बनाम स्टेट ऑफ

महाराष्ट्र में, एक औपचारिक आरोप एक प्राथमिकी या एक औपचारिक शिकायत या किसी अन्य औपचारिक दस्तावेज या नोटिस में लगाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप आम तौर पर अदालत में उसका अभियोजन होता है। औपचारिक शिकायत में व्यक्ति को अभियुक्त बनाए जाने से पहले संरक्षण लागू नहीं होगा।

237. नंदिनी सत्पथी बनाम। पी. एल. दानी और श्री जैन द्वारा उद्धृत इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 20 (3) का संरक्षण जांच के चरण में वापस चला जाता है और तदनुसार वह दोषपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करने का हकदार है। अभियुक्त को चुप रहने का अधिकार है। जैसा कि नंदिनी सत्पथी (उपरोक्त) में कहा गया है कि दबाव का कोई भी तरीका, सूक्ष्म या अपरिष्कृत, मानसिक या शारीरिक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन पर्याप्त रूप से पर्याप्त है, जिसे पुलिसकर्मी द्वारा किसी आरोपी से जानकारी प्राप्त करने के लिए लागू किया जाता है, जो अपराध का दृढ़ता से संकेत देता है, मजबूर गवाही बन जाता है। यह सिद्धांत एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अधिकारी सहित एक पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष जांच में किसी भी गवाही के लिए समान बल के साथ लागू होगा।

238. दबाव कई रूपों में हो सकता है। यह शारीरिक या मानसिक हो सकता है। हालाँकि, मानसिक मजबूरी तब होती है जब मन

किसी बाहरी प्रक्रिया द्वारा इस तरह से अनुकूलित किया गया है कि बयान को अनैच्छिक बनाया जा सके और इसलिए जबरन वसूली की जा सके। इस प्रस्ताव को बॉम्बे राज्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है। काठी कालू ओघड़ 3/4; पूलपांडी और अन्य। वी. अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य। 51. अस्वास्थ्यकर, अस्वास्थ्यकर, असुविधाजनक और असुविधाजनक परिस्थितियों में, बिना उचित भोजन, पीने के पानी के घंटों तक निरंतर और लंबे समय तक पूछताछ द्वारा प्राप्त बयान,

आरोप के संबंध में अभियुक्त की जानकारी। संदर्भ हो सकता है 48 ( 1980 ) 4 एस. सी. सी. 600 49 (1978) 2 एस. सी. सी. 424 50 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1808 51 ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1795 टोफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

मोहम्मद दस्तगीर बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों के लिए किया गया। मद्रास राज्य 52 और बॉम्बे राज्य v. काठी कालू ओघड़ 53। इसी तरह, इस न्यायालय ने नार्को विश्लेषण पर नाराजगी जताई है क्योंकि इस तरह दिया गया बयान प्रेरित है और इसलिए, अनैच्छिक है।

240. संपत कुमार बनाम। प्रवर्तन कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय, मद्रास ", इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कोई व्यक्ति

विदेशी मुद्रा की धारा 40 के तहत समन और जांच विनियमन अधिनियम, 1973 में यह नहीं माना जा सकता था कि बयान दबाव या दबाव में प्राप्त किया गया था। बयान पर हमला भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत संरक्षण की संवैधानिक गारंटी के उल्लंघन के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

241. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि किसी भी व्यक्ति की मजबूरी में किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या नहीं, आकर्षित करेगा।संविधान का अनुच्छेद 20 (3)। मजबूरी में किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति साक्षय अधिनियम की धारा 24 द्वारा भी प्रभावित होगी। मजबूरी में स्वीकारोक्ति कानून की नजर में कोई सबूत नहीं है।

242. एक इकबालिया बयान, यदि मजबूरी से प्राप्त नहीं किया जाता है, जैसा कि न्यायिक रूप से समझाया गया है, तो धारा 25 और 26 द्वारा केवल तभी प्रभावित किया जाएगा जब ऐसा हो।

बयान एक पुलिस अधिकारी को दिया जाता है (साक्षय अधिनियम की धारा 25) या एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं (साक्षय अधिनियम की धारा 26)। अब इसका निपटारा संविधान पीठ द्वारा बडकू ज्योति सावंत (ऊपर) और रोमेश में किया जाता है।चंद्र मेहता (ऊपर) और इस न्यायालय के कई निर्णय कि धारा 25 केवल एक पुलिस अधिकारी या एक अधिकारी पर लागू होगी जो Cr.PC की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की शक्ति सहित एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। NDPS अधिनियम के तहत एक अधिकारी के पास Cr.P.C की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की शक्ति नहीं है।

243. एक इकबालिया बयान के परिणामस्वरूप स्वचालित रूप से एक आरोपी अपराधी को दोषी नहीं ठहराया जाता है। इस तरह के बयानों को कानून के अनुसार प्रस्तुत और साबित किया जाना चाहिए। बयान के साक्षय मूल्य, जो प्रकृति में इकबालिया है, को मुकदमे में अदालत द्वारा तौला और मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

52 ए. आई. आर 1960 एस. सी. 756 53 1961 एस. सी. 1808

54 1997 8 एससीसी 358 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

244. जैसा कि इस न्यायालय ने विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में कहा है। लिमिटेड वी. डाक टिकट के मुख्य निरीक्षक, यू. पी. 5, एक क़ानून का एक शिलालेख है

विधायिका और "इसे बनाने वालों के इरादे" के अनुसार समझा जाना चाहिए।

245. यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक व्याख्याओं के लिए खुला है, तो न्यायालय को उस व्याख्या को चुनना होगा जो सत्य का प्रतिनिधित्व करती है।

विधायिका का इरादा। यह माना जाना चाहिए कि किसी संविधान के बाद के कानून को लागू करने में विधायी इरादा किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना नहीं हो सकता था।

246. विधायिका के इरादे का पता लगाने में न्यायालय दो पहलुओं की जांच करना है, कानून में उपयोग किए गए शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ और उद्देश्य और उद्देश्य या कानून के माध्यम से व्याप्त कारण और भावना।

247. विधायी आशय, जो कि किसी अधिनियम का वास्तविक कानूनी अर्थ है, अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ पर विचार करके, किसी भी स्पष्ट उद्देश्य या अधिनियम के उद्देश्य के आलोक में निकाला जाता है। जब किसी प्रावधान के अर्थ के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है

किसी कानून में, उस प्रावधान को इरादे के संदर्भ में पढ़ना उचित है।

विधायिका से। विधानमंडल के इरादे का पता क़ानून को समग्र रूप से पढ़कर लगाया जाना चाहिए।

248. एक क़ानून या किसी भी वैधानिक प्रावधान का अर्थ इस तरह से लगाया और व्याख्या की जानी चाहिए जो क़ानून को प्रभावी और प्रभावी बनाता है।मैक्सिम उट रेस मैजिस वलीयत क्वाम पेरेत और/या दूसरे शब्दों में व्यक्त सिद्धांत पर, यह सिद्धांत कि अदालतें किसी क़ानून की संवैधानिकता पर निर्णय लेते समय इसके पक्ष में धारणा के साथ शुरू होती हैं -

संवैधानिकता और एक ऐसे निर्माण को प्राथमिकता दें जो क़ानून को विधायिका की क्षमता के भीतर रखता हो।

249. इस प्रकार जब कोई क़ानून अस्पष्ट होता है, तो न्यायालय ऐसी व्याख्या देगा जो क़ानून को मौलिक नियमों के अनुरूप रखे।

अधिकार। इसी तरह, यदि कोई क़ानून दो व्याख्याओं में सक्षम है, जिनमें से एक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और दूसरा जिसकी रक्षा करता है। मौलिक अधिकार जो अदालत बाद वाले के लिए चुनेगी।

250. जब कोई वैधानिक प्रावधान स्पष्ट होता है और कोई अस्पष्टता नहीं होती है, तो यह न्यायालय अपनी व्याख्या द्वारा उस प्रावधान को बदल नहीं सकता है। ऐसा करने के लिए, कानून बनाना होगा, जो यह न्यायालय करने के लिए सक्षम नहीं है। यदि कोई प्रावधान अस्पष्टता या अस्पष्टता से मुक्त है, और स्पष्ट है, लेकिन एक का उल्लंघन करता है

मौलिक अधिकार, न्यायालय को इसे निरस्त करना होगा। कोई भी।

55 एयर 1968 एससी 102 टफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

किसी कानून में चूक को न्यायालय द्वारा भरा नहीं जा सकता है क्योंकि ऐसा करने के लिए

यह राशि कानून के लिए है न कि निर्माण के लिए। न्यायालय नहीं भर सकता है

जहाँ कोई नहीं है। कानून की व्याख्या में न्यायालय हमेशा यह मान लेना चाहिए कि विधायिका ने इसके हर हिस्से को शामिल किया है

उद्देश्य और विधायी इरादा यह है कि क़ानून का प्रत्येक भागप्रभाव होना चाहिए।

251. इस पीठ का ध्यान किसी की ओर नहीं खींचा गया है

दो या दो से अधिक व्याख्याओं में सक्षम अस्पष्ट प्रावधान, जिनमें से एक

मौलिक अधिकारों और अन्य उल्लंघनकारी अधिकारों के अनुरूप होगा।

मौलिक अधिकार। के समर्थन में उपस्थित वकील

शिकायतें

प्रभावी रूप से इस न्यायालय को आगे के सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए आमंत्रित किया है, नहीं

प्रक्रिया के माध्यम से एन. डी. पी. एस. अधिनियम में विधायिका द्वारा विचार किया गया व्याख्या।

252. राजस्व निदेशालय में कानून का प्रस्ताव और

एक अन्य वी। श्री जैन द्वारा पवित्र मोहम्मद निसार अच्छी तरह से बसा हुआ है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में गंभीर दंडात्मक प्रावधान हैं।

प्रावधान, एक गंभीर सजा की ओर ले जाते हैं, एक ओर कानून की आवश्यकता और उसके प्रवर्तन के बीच संतुलन बनाना पड़ता है औरउत्पीड़न और अन्याय से नागरिक की सुरक्षा। आवश्यकताएं

धारा 42 और 43 का कड़ाई से और अक्षर और अक्षर में पालन किया जाना चाहिए।

आत्मा।

253. इस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है कि शक्ति

तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का आधार "विश्वास करने का कारण" रखने वाले सक्षम अधिकारी पर आधारित है, जो व्यक्तिगत ज्ञान या किसी सूचना देने वाले द्वारा प्रदान की गई गुप्त जानकारी पर आधारित हो सकता है, जिसका नाम है।

खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

254. यह भी स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जो कानून नहीं तोड़ता है

उसके कमरे में परेशान किया, या उस मामले के लिए कहीं और, अनुपालन किए बिनाएन. डी. पी. एस. अधिनियम के अनिवार्य सुरक्षा उपायों के साथ। अनुमान के तहत

सत्य और विषय-वस्तु के संबंध में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 66

जिसे साबित नहीं किया जा सका। मोहम्मद निसार होलिया (ऊपर) नहीं कहते हैं कि एक अधिकारी को दिया गया एक बयान जिसके तहत शक्तियों का निवेश किया गया है

अभियुक्त के खिलाफ धारा 53 या 67 का उपयोग नहीं किया जा सकता है। निष्कर्षों के साथ

अवैध फ़ैक्स के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया था

मामले से।56 ( 2008 ) 2 एससीसी 370 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

255. पंजाब राज्य में v. बलदेव सिंह ", इस न्यायालय ने कहा कि इस प्रश्न पर कि क्या प्रक्रिया के तहत निर्धारित किया गया है या नहीं

व्यक्तिगत तलाशी के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम का पालन किया गया था और इस संबंध में संबंधित धाराओं की आवश्यकताओं को पूरा करना परीक्षण का विषय था। किसी भी पूर्ण सूत्र को निर्धारित करना न तो संभव होगा और न ही संभव होगा। यह अवलोकन व्यक्तियों के प्रवेश, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, पूछताछ/जांच के आयोजन सहित व्यक्तियों की जांच पर समान रूप से लागू होता है।

256. जैसा कि ऊपर देखा गया है, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक जांच/जांच किसी भी रिपोर्ट में समाप्त नहीं होती है। जाँच एक प्रकृति में है

प्रारंभिक जाँच जिससे विशेष न्यायालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अभियोजन पक्ष को विशेष न्यायालय के समक्ष अपना मामला साबित करना होता है जो अभिलेख पर साक्षय की जांच, विश्लेषण, मूल्यांकन और तौल करेगा। संदेह किसी भी परिस्थिति में साक्षय का विकल्प नहीं हो सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम में अभिनिर्धारित किया है। बलदेव सिंह ", रितेश चक्रवर्ती बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, नूर आगा (ऊपर) और कई अन्य मामलों में अपराध के लिए जितनी कठोर सजा होगी, सबूत का स्तर उतना ही कठोर होगा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

प्रक्रिया, 1898 (1898 का 5), जब एक संज्ञेय मामले की जाँच की जा रही हो।258. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम (तब केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के रूप में जाना जाता है) की धारा 21 (2) द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को प्रदान की गई शक्तियां एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अधिकारी के समान हैं, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अपराध की जांच के उद्देश्य से एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश की जाती हैं।

259. बडकू ज्योति सावंत (उपरोक्त) में धारा 21 (2) का निर्माण करते हुए संविधान पीठ ने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के पास सभी अधिकार नहीं हैं।

एक पुलिस अधिकारी की जांच करने की शक्तियां, जिसमें आवश्यक रूप से Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने की शक्ति शामिल है।

260. संविधान पीठ के फैसले के बाद दो संविधान पीठ के फैसले आए हैं जो रमेश चंद्र मेहता (उपरोक्त) हैं।और इलियास वी। सीमा शुल्क कलेक्टर (ऊपर उल्लिखित) और है

58 ( 1999 ) 6 एस. सी. सी 172 59 ( 2006 ) 12 एस. सी. सी. 321 टफान सिंह बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [इंदिरा बनर्जी, जे.]

उन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक इस क्षेत्र को संभाला। जैसा कि ऊपर देखा गया है, राज कुमार मेंकरवाल (ऊपर), इस न्यायालय ने धारा 21 (2) के तहत एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की शक्ति की तुलना धारा 50 के तहत एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकारी की शक्ति के साथ की और साथ ही अपराधों का संज्ञान लेने के तरीके के संबंध में धारा 36ए (1) (डी) की तुलना Cr.P.C की धारा 190 के साथ की और पाया कि तीन संविधान पीठों का निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठ पर बाध्यकारी था।

261. यह स्पष्ट है कि कोई भी दो क़ानून समान नहीं हो सकते हैं। मतभेद हो सकते हैं। अगर कोई मतभेद नहीं होते तो यह नहीं होता

एक अलग कानून बनाने के लिए आवश्यक है। सवाल यह है कि क्या ऐसे कोई मतभेद थे जो तार्किक रूप से इस निष्कर्ष पर ले जा सकते हैं कि उन निर्णयों में जिस कानून की व्याख्या की गई है, वह एनडीपीएस अधिनियम पर लागू नहीं होगा।

262. जिन कारणों पर चर्चा की गई है, मेरा दृढ़ मत है कि जिन मतभेदों के बारे में कहा गया है, वे रोमेश में अनुसरण किए गए और पुष्टि किए गए बडकू ज्योति सावंत (ऊपर) में निर्धारित कानून पर कोई फर्क नहीं डालते हैं। चंद्र मेहता (ऊपर) और इलियास (ऊपर) और बाद के निर्णय, जो पचास से अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में रहे हैं।

264. मेरे विचार में, यह सवाल कि क्या वास्तव में या सार में केंद्र सरकार के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए (1) (डी) के तहत शिकायत के बीच कोई अंतर है। या

राज्य सरकार और अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आई. डी. 1 की धारा 173 के तहत दायर पुलिस रिपोर्ट का निर्णय तीन न्यायाधीशों की इस पीठ द्वारा ऊपर निर्दिष्ट तीन पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसलों को देखते हुए नहीं किया जा सकता है, जो इस पीठ पर बाध्यकारी हैं।

265. इसी तरह, यह सवाल कि क्या एक जांच अधिकारी ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसे विशेष अधिनियम के तहत अपराध की जांच के उद्देश्य से एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश किया है, यह भी इस पीठ द्वारा ऊपर उल्लिखित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसलों को देखते हुए फिर से नहीं खोला जा सकता है।

266. बडकू ज्योति सावंत (ऊपर), रोमेश चंद्र मेहता (सुरपा) और इलियास (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसलों से जो कानून निकलता है, वह यह है कि एक अधिकारी को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर एक पुलिस अधिकारी माना जा सकता है:



( i) यदि अधिकारी के पास पुलिस अधिकारी के सभी अधिकार हैं।

जाँच, जिसमें पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की शक्ति शामिल है

Cr.P.C की धारा 173,

( (ii) Cr.P.C की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर करने की शक्ति एक पुलिस अधिकारी की शक्ति का एक आवश्यक घटक है और( iii) Cr.P.C की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर करने की शक्ति क़ानून द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

267. एक क़ानून स्पष्ट रूप से Cr.P.C की धारा 173 को उस क़ानून के तहत पूछताछ और जाँच के लिए लागू कर सकता है। हालांकि, एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसे कानून के मामले में, जहां किसी भी जांच/जांच पर Cr.P.C के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, सिवाय इसके कि इसमें प्रावधान किया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि अधिकारी के पास Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने के लिए एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियां हैं। एन. डी. पी. एस. अधिनियम में अदालत में रिपोर्ट दायर करने का कोई प्रावधान भी नहीं है जो Cr.P.C की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट के समान है।268. न्यायिक अनुशासन और औचित्य के सुस्थापित मानदंडों के अनुसार, कम संख्या वाली पीठ कम से कम तीन संविधान पीठों द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पर पुनर्विचार नहीं कर सकती है, कि एक अधिकारी को साक्षय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में केवल तभी पुलिस अधिकारी माना जा सकता है जब अधिकारी को Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने की शक्ति सहित एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार हो।

269. सबसे बड़े सम्मान के साथ, अपीलों के समर्थन में उपस्थित वकील ने मतभेदों के संबंध में सामान्य तर्क दिए हैं।

एनडीपीएस अधिनियम के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के बीच। हालांकि, उन्होंने विशेष रूप से यह नहीं दिखाया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करने वाले एन. डी. पी. एस. अधिकारियों की शक्तियां उन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किसी अपराध की जांच करने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों, सीमा शुल्क अधिकारियों और/या रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों की शक्तियों से कैसे अलग हैं।

धारा 50 (5) और 51 में उपबंधित सीमा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम पर Cr.P.C की धारा 173 लागू नहीं की गई है। 271. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, मेरा विचार है कि राज कुमार करवाल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय,

तीन संविधान पीठों के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। न ही कन्हैयालाल (ऊपर) को पुनर्विचार की आवश्यकता है।

संदर्भ ने जवाब दिया।

कल्पना के. त्रिपाठी